



भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 4

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 4

विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		vii
कार्यपालन सारांश		ix
अध्याय 1—विहंगावलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	5
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	1.2	8
प्रतिवेदन संरचना	1.3	9
शासकीय लेखों की संरचना का विहंगावलोकन	1.4	10
बजटीय प्रक्रियाएँ	1.5	12
वित्त के मुख्य बिंदु	1.6	13
सरकार की सम्पत्ति और दायित्वों के मुख्य बिंदु	1.6.1	14
राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धियां	1.7	15
मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के मुख्य लक्ष्यों पर राजकोषीय मापदण्ड और उनकी उपलब्धियां	1.7.1	16
मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण	1.7.2	17
घाटा और अधिशेष	1.7.3	18
घाटा/अधिशेष की प्रवृत्तियां	1.7.4	19
लेखापरीक्षा में जाँच के बाद घाटा	1.8	20
अध्याय 2—राज्य शासन के वित्त		
प्रस्तावना	2.1	21
2019–20 की तुलना में 2020–21 के दौरान मुख्य राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन	2.2	21
निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	2.3	21
राज्य के संसाधन	2.4	22
राज्य की प्राप्तियां	2.5	23
राजस्व प्राप्तियां	2.6	23
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां और संवृद्धि	2.6.1	23
राज्य के स्वयं के संसाधन	2.6.2	25
चौदहवां/पन्द्रहवां वित्त आयोग अनुदान	2.7	31
पूंजीगत प्राप्तियां	2.8	32
संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.9	33
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.10	33
व्यय की संवृद्धि और संरचना	2.10.1	33
राजस्व व्यय	2.10.2	36
पूंजीगत व्यय	2.10.3	41
अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी का अवरुद्धीकरण	2.10.4	44
उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) का कार्यान्वयन	2.10.5	45
सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए संसाधन की उपलब्धता	2.10.6	46
व्यय की प्राथमिकता	2.10.7	47
उद्देश्य शीर्षवार व्यय	2.10.8	48
लोक लेखा	2.11	49

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
निवल लोक लेखा शेष	2.11.1	49
आरक्षित निधियां	2.11.2	50
ऋण प्रबंधन	2.12	52
ऋण रूपरेखा: संघटक	2.12.1	53
ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान	2.12.2	57
ऋण संधारणीयता विश्लेषण	2.13	58
उधार लिए गए धन का उपयोग	2.13.1	59
प्रत्याभूतियों—आकस्मिक देयताओं की स्थिति	2.13.2	60
रोकड़ शेष का प्रबंधन	2.13.3	61
निष्कर्ष	2.14	64
अनुशंसाएं	2.15	65
अध्याय 3—बजटीय प्रबंधन		
प्रस्तावना	3.1	67
बजट तैयार करने की प्रक्रिया	3.1.1	67
वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचतों का सारांश	3.1.2	68
विनियोग लेखे	3.2	69
विनियोगों की लेखापरीक्षा	3.2.1	69
विनियोग लेखों का सारांश	3.2.2	69
बजटीय निधि का उपयोग	3.2.3	70
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियां	3.3	71
व्यय का गलत वर्गीकरण	3.3.1	71
अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान	3.4	72
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग	3.5	73
आवंटित बजट के विरुद्ध अपर्याप्त पुनर्विनियोग	3.5.1	74
सारभूत समर्पण	3.5.2	74
समर्पित न की गयी प्रत्याशित बचतें	3.5.3	75
प्रधान महालेखाकार द्वारा स्वीकार न किये गये समर्पण/पुनर्विनियोजन आदेश	3.5.4	75
बचतें	3.6	75
बिना बजट प्रावधान के व्यय	3.6.1	77
बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण स्पष्टीकरण	3.6.2	78
अनुदान/विनियोग जहां बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम था	3.7	79
आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है	3.8	80
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा आधिक्य व्यय	3.8.1	80
एकमुश्त बजटीय प्रावधान	3.9	81
योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान	3.10	82
बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक निधियन	3.11	83
व्यय की अत्यधिकता	3.12	84
जेप्डर बजट	3.13	87
कृषि बजट	3.14	88
पर्यावरण बजट	3.15	89
चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.16	89
अनुदान संख्या 6 वित्त	3.16.1	90

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
अनुदान संख्या 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	3.16.2	92
निष्कर्ष	3.17	95
अनुशंसाएं	3.18	96
अध्याय 4—लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता		
प्रस्तावना	4.1	97
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर	4.2	97
उपकर का लेखांकन	4.2.1	97
श्रम उपकर की उपयोगिता	4.2.2	98
मण्डल को श्रम उपकर का अंतरण न करना	4.2.3	98
स्थानीय निधियों का जमा	4.3	99
उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की प्रस्तुति में विलंब	4.4	100
अनुदानग्राही संस्थान का “अन्य” के रूप में अभिलेखन	4.5	102
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित धनराशि	4.6	103
व्यक्तिगत जमा खाते	4.7	103
लघु शीर्ष 800 का उपयोग	4.8	104
उचंत एवं ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	4.9	106
लेखों का मिलान	4.10	107
रोकड़ शेष का मिलान	4.11	108
लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.12	108
सहायतानुदान में व्यय का गलत वर्गीकरण	4.12.1	109
स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति	4.13	109
दुर्विनियोग, हानियाँ, चोरियाँ, इत्यादि	4.14	110
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.15	112
निष्कर्ष	4.16	112
अनुशंसाएं	4.17	113
अध्याय 5—राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन		
प्रस्तावना	5.1	115
सरकारी कंपनियों/निगमों की परिभाषा	5.2	115
लेखापरीक्षा अधिदेश	5.3	115
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उनका सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान	5.4	116
सरकारी कंपनियां, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां और निगमों सहित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा	5.5	117
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश और बजटीय सहायता	5.6	118
धारित अंश पूंजी और ऋण	5.6.1	118
संपत्तियों की पर्याप्तता	5.6.2	119
केन्द्र/राज्य शासन द्वारा राजसहायता, अनुदानों की जानकारी	5.6.3	120
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिफल	5.7	120
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ	5.7.1	120
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश का भुगतान	5.7.2	121
ऋण सेवा	5.8	121
ब्याज व्याप्ति अनुपात	5.8.1	121
राज्य शासन के ऋण पर बकाया ब्याज का अवधि—वार विश्लेषण	5.8.2	122

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
सरकारी कंपनियों की परिचालन दक्षता	5.9	123
अर्जित लाभ (परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से लाभ प्रतिवेदन का विश्लेषण)	5.9.1	123
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	5.9.2	123
निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर	5.9.3	124
निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर प्रतिफल	5.9.4	125
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हुई हानि	5.10	127
हुई हानि	5.10.1	127
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी का क्षरण	5.10.2	127
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका	5.11	128
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा	5.11.1	128
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.11.2	128
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	5.12	129
समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता	5.12.1	129
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता	5.12.2	129
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की निगरानी— लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.13	130
वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा	5.13.1	130
राज्य के सार्वजनिक के क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.13.2	131
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका का परिणाम	5.14	131
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा	5.14.1	131
सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के अनुपूरक के रूप में जारी की गयी भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियां	5.14.2	132
लेखांकन मानकों/भारतीय लेखांकन मानकों के प्रावधानों का गैर अनुपालन	5.15	135
प्रबंधन पत्र	5.16	135
निष्कर्ष	5.17	136
अनुशंसाएं	5.18	137

परिशिष्ट

विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ क्रमांक
राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)	1.1	139
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े	2.1	140
पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक	3.1	143
राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक	3.2	145
अनुपूरक बजट की आवश्यकता	3.3	146
अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान	3.4	147
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन	3.5	149
सारभूत समर्पण 50 प्रतिशत एवं अधिक	3.6	156
समर्पित नहीं की गई प्रत्याशित बचतें	3.7	162
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों, जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) थी, परन्तु उनका कोई भी भाग समर्पित नहीं किया गया, का विवरण पत्रक	3.8	166
प्रधान महालेखाकार द्वारा स्वीकार नहीं किये गये समर्पण आदेश	3.9 (अ)	167
प्रधान महालेखाकार द्वारा स्वीकार नहीं किये गये पुनर्विनियोजन आदेश	3.9 (ब)	168
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्रक जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थी	3.10	169
बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण व्याख्या	3.11	171
बजट आवंटन के विरुद्ध अधिक व्यय	3.12	173
आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है	3.13	184
एकमुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ समर्पण प्रत्येक प्रकरण में ₹15 करोड़ से अधिक और कुल बजट प्रावधान का 50 प्रतिशत या उससे अधिक था)	3.14	185
योजनाएं जिनमें कुल प्रावधान ₹10 करोड़ एवं अधिक अप्रयुक्त रहा	3.15	187
व्यय की अधिकता	3.16	189
निर्धारित समयावधि में बचतों का समर्पित न किया जाना	3.17	192
लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की विभागवार स्थिति	4.1	194
31 मार्च 2021 को अप्रचलित व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण	4.2	195
लघु शीर्ष '800—अन्य प्राप्तियां' के अन्तर्गत पुस्तांकन	4.3	197
लघु शीर्ष '800—अन्य व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकन	4.4	198
मध्य प्रदेश में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची	5.1	199
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या, जिनके लेखे 30 सितम्बर 2021 तक बकाया थे, को दर्शाने वाला विवरण	5.2	201
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से लाभ पर जानकारी	5.3	203
सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित अनिवार्य लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानक का अनुपालन न करना	5.4	204
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जारी टिप्पणियां	5.5	207
प्रबंधन पत्रों में उजागर की गई व्यापक प्रकृति की अनियमितताएं	5.6	208

प्राककथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय 1** में राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण, प्रतिवेदन की संरचना, शासकीय लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, वित्त के मुख्य बिंदु, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों का अनुपालन, प्रमुख राजकोषीय मापदण्डों जैसे राजस्व अधिशेष/घाटा, राजकोषीय अधिशेष/घाटा, इत्यादि की प्रवृत्तियां शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय 2** एवं **3** में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य शासन के क्रमशः वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों की जाँच से उद्भूत तथ्यों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। मध्य प्रदेश शासन से, जहाँ भी आवश्यक हो, जानकारी प्राप्त की गई है।

अध्याय 4 वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ राज्य शासन के अनुपालन का विहंगावलोकन और स्थिति प्रदान करता है।

अध्याय 5 मध्य प्रदेश राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन और सांविधिक लेखापरीक्षा के निष्पादन एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका के परिणामों की चर्चा करता है। नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (यथा संशोधित) की धारा 19क के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश के विधानमण्डल के समक्ष रखने के लिए नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा एक सरकारी कम्पनी या निगम के लेखों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सरकार को प्रस्तुत किया जाता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न शासकीय विभागों में अनुपालन लेखापरीक्षा तथा सांविधिक नियमों, मण्डलों और शासकीय कंपनियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत आपत्तियों और राजस्व प्राप्तियों पर आपत्तियों के निष्कर्षों को समिलित करते हुए प्रतिवेदनों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गयी है।

कार्यपालन सारांश

कार्यपालन सारांश

1 प्रतिवेदन

मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश शासन के लेखापरीक्षित लेखाओं के आधार पर, यह प्रतिवेदन राज्य शासन के वित्त की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है।

2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1 राज्य शासन के वित्त

राज्य तीन मुख्य राजकोषीय लक्ष्यों अर्थात् राजस्व अधिशेष को बनाये रखना, राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात और कुल बकाया दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात में से कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका। लगातार दूसरे वर्ष, राज्य ने राजस्व घाटा (₹18,356 करोड़) दर्ज किया। पिछले वर्ष की तुलना में स्वयं के कर राजस्व और करेतर राजस्व दोनों में कमी आई। वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के कारण राजस्व की हानि के लिए राज्य ने क्षतिपूर्ति प्राप्त की।

राज्य शासन द्वारा 'रोकड़ शेष निवेश लेखा' में 2019–20 एवं 2020–21 के अंत में क्रमशः ₹7,060.93 करोड़ एवं ₹18,069.32 करोड़ निवेशित किये गये। रोकड़ शेष निवेश लेखे में ब्याज की न्यूनतम दर पर बड़ी राशि रखना जबकि ब्याज की उच्च दर पर उधारी लेना वित्तीय दुविधा है। इन वित्तीय वर्षों के अंत में रोकड़ शेष निवेश लेखा में किया गया उच्च स्तर का निवेश इंगित करता है कि बेहतर नकदी प्रबंधन की आवश्यकता है।

कोविड महामारी के दौरान कम आर्थिक गतिविधि के कारण, राज्य का राजस्व घाटा बढ़ा और इसीलिए राजकोषीय घाटा भी बढ़ा। राज्य शासन की बाजार से उधारी और भारत सरकार से कर्जों में 2019–20 में ₹20,197 करोड़ से 2020–21 में ₹48,260 करोड़ तक ₹28,063 करोड़ से वृद्धि हुयी। राज्य शासन ने प्रत्याभूति विमोचन निधि की तीन प्रतिशत की सीमा और ऋण पुनर्भुगतान के मानदण्ड को पूरा किया, लेकिन इसने उदय योजना के तहत भारत सरकार और विद्युत वितरण कंपनियों के साथ अपने समझौता ज्ञापन में की गई अपनी प्रतिबद्धता/दायित्व का निर्वहन नहीं किया।

(अध्याय 2)

2.2 बजटीय प्रबंधन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार वर्ष 2011–19 के लिए 11 अनुदानों और सात विनियोगों से संबंधित ₹1,668.08 करोड़ के आधिक्य व्यय को अभी भी नियमित किया जाना था।

अनुपूरक अनुदान/विनियोग तथा निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन पर्याप्त औचित्य के बिना प्राप्त किया गया था जो वित्त और संबंधित विभागों के मध्य समन्वय की कमी को दर्शाता है।

वर्ष के दौरान बचतें बजट का लगभग दसवां हिस्सा लेखांकित थी, तथापि, नियंत्रक अधिकारियों ने समय से निधियों का समर्पण नहीं किया। सतत बचतों के प्रति विभागों को सचेत नहीं किया

गया; न ही आवंटन को खपाने की उनकी क्षमता के अनुसार उनके बजटों को परिवर्तित किया गया।

कुल 3,697 उप-शीर्षों में से, 1,048 उप-शीर्षों में स्वीकृत बजटीय आवंटन के संदर्भ में व्यय में भिन्नता के स्पष्टीकरण आवश्यक थे, परन्तु केवल 377 प्रकरणों (35.97 प्रतिशत) में आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त हुए थे।

(अध्याय 3)

2.3 लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

2020–21 के दौरान, 2019–20 की तुलना में व्यक्तिगत जमा खातों में अंतिम शेष 20.84 प्रतिशत से कम हुआ। आगे, 252 व्यक्तिगत जमा खातों में ऋणात्मक शेष था तथा 216 व्यक्तिगत जमा खाते ₹82.66 करोड़ (कुछ ऋणात्मक शेषों सहित) के साथ तीन से अधिक वर्षों से असंचालित थे। सरकार को इन खातों की सावधानीपूर्वक निगरानी करनी चाहिए थी और सुनिश्चित करे कि ऐसे असंचालित खाते बंद कर दिए गए हैं तथा राज्य के कोषालय संहिता के अनुसार शेषों को शासकीय खातों में अंतरित कर दिया गया है।

पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्तियों में लघु शीर्ष 800 के संचालन में पर्याप्त कमी आयी है। हालांकि, व्यय में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आयी।

विभागीय आँकड़ों का कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा पुस्तांकित आँकड़ों से मिलान का कार्य संचालनालय, कोष और लेखा द्वारा 2019–20 से ऑनलाइन शुरू किया गया है और प्राप्तियों के संबंध में 98.26 प्रतिशत तथा व्यय के संबंध में 96.09 प्रतिशत की सीमा तक मिलान किया गया है।

(अध्याय 4)

2.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

31 मार्च 2021 तक, तीन सांविधिक निगमों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित आठ अन्य कंपनियों सहित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 70 उपक्रम थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 70 में से 31 उपक्रम निष्क्रिय थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के ये उपक्रम तीन से 31 वर्षों तक निष्क्रिय थे। इस प्रकार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के केवल 39 उपक्रमों, जिन्होंने लेखापरीक्षा के लिये जानकारी/लेखे प्रस्तुत किये, पर वित्तीय प्रदर्शन के विश्लेषण के लिए विचार किया गया।

2020–21 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के इन 39 उपक्रमों ने ₹99,211.48 करोड़ का कारोबार दर्ज किया, जो कि मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 10.81 प्रतिशत के बराबर था। 2020–21 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल कारोबार में अकेले उर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का योगदान 82 प्रतिशत से अधिक था।

31 मार्च 2021 के अन्त तक राज्य शासन के अंश पूंजी तथा दीर्घावधि ऋण के कुल निवेश ₹1,06,152.75 करोड़ के विरुद्ध, सार्वजनिक क्षेत्र के 70 उपक्रमों में ₹62,065.12 करोड़ का निवेश था। 31 मार्च 2021 तक सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों का बकाया दीर्घावधि ऋण विगत वर्ष (2019–20) के ₹31,382.78 करोड़ से ₹31,820.52 करोड़ तक बढ़ा।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 39 उपक्रमों (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से 2018–19 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 17 उपक्रमों द्वारा अर्जित ₹645.40 करोड़ के लाभ की तुलना में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उपक्रमों द्वारा 2020–21 में ₹671.29 करोड़ का लाभ अर्जित किया। मध्य

प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कारपोरेशन (₹242.20 करोड़) एवं मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (₹192.77 करोड़) द्वारा वृहद् लाभ का योगदान किया गया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उपक्रमों द्वारा किए गए कुल नुकसान ₹4,009.02 करोड़ में से मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा भारी नुकसान किया गया।

वर्ष 2020–21 के लिए, 70 में से 60 कंपनियों/निगमों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया (50 सरकारी कंपनियां, सरकार द्वारा नियंत्रित सभी आठ अन्य कंपनियां तथा दो निगम) थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर रहे थे। परिणामस्वरूप, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 60 उपक्रमों के 229 लेखे बकाया थे।

(अध्याय 5)

अध्याय १

विहंगावलोकन

अध्याय 1—विहंगावलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यह राज्य 3,08,245 वर्ग किमी (देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.38 प्रतिशत) के भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है और 2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 7.33 करोड़ व्यक्तियों (देश की जनसंख्या का ४% प्रतिशत) का घर है। इसमें से 2.02 करोड़ लोग शहरी क्षेत्रों में और 5.31 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। राज्य की जनसंख्या की दशकीय (2011–2021) वृद्धि दर 16.05 प्रतिशत अखिल भारतीय वृद्धि दर 12.30 प्रतिशत से अधिक थी।

राज्य में 52 जिले हैं, जिन्हें 10 प्रशासनिक संभागों में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान मूल्य पर राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय 2020–21 में ₹98,418 है जो कि अखिल भारतीय औसत ₹1,26,968 से कम है।

राज्य से संबंधित सामान्य और वित्तीय आंकड़े **परिशिष्ट 1.1** में दिए गए हैं।

कोविड-19 महामारी एवं राज्य का वित्त

2020–21 के दौरान, मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जो 2016–17 से 2019–20 के दौरान 10 प्रतिशत से अधिक थी) में (-)2.10 प्रतिशत तक की गिरावट आई।

प्राप्तियों पर प्रभाव

राजस्व प्राप्तियां 2016–17 से 2018–19 तक सामान्यतः नौ प्रतिशत से 16 प्रतिशत के बीच बढ़ रहीं थीं। परन्तु वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में इसने कोविड-19 महामारी के कारण नकारात्मक वृद्धि दर दिखाई (अधिक जानकारी के लिये **अध्याय 2** की तालिका 2.3 संदर्भित)।

स्वयं का कर राजस्व राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों का मुख्य स्रोत है। राज्य सरकार आर्थिक गतिविधियों पर कर लगाती है। हालांकि, कोविड-19 लॉकडाउन के कारण ये आर्थिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहीं, स्वयं का कर राजस्व विगत वर्ष की तुलना में ₹1,365 करोड़ (2.45 प्रतिशत) से कम हुआ। गतिविधियों के रूप में जैसे वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार, शराब का विक्रय एवं परिवहन लॉकडाउन के दौरान लगभग ठप थे, करों के संग्रहण में इनके द्वारा विगत वर्ष की तुलना में कमी आई (अधिक जानकारी के लिये **अध्याय 2** की तालिका 2.4 संदर्भित)।

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का एक अन्य प्रमुख घटक केंद्रीय कर अंतरण है। मूल रूप से, यह केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए करों की शुद्ध आय का हिस्सा है। चौदहवें वित्त आयोग द्वारा यह अंश 42 प्रतिशत तय किया गया एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा यह घटाकर 41 प्रतिशत किया गया, हिस्से की संपूर्ण राशि केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए करों की कुल मात्रा पर निर्भर करती है। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान, केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए करों की कुल मात्रा में कमी आई, इसलिये समान अवधि के दौरान केंद्रीय कर अंतरण में भी कमी आई, जो अन्यथा 2016–17 से 2018–19 तक सकारात्मक वृद्धि दिखा रहा था (अधिक जानकारी के लिये **अध्याय 2** की तालिका 2.8 संदर्भित)।

वर्ष 2020–21 के लिये कुछ मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी का कारण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1: मुख्य शीर्ष-वार कमी का कारण (₹ करोड़ में)		
लेखा का मुख्य शीर्ष	2019–20 की तुलना में कमी	कमी का कारण
0006–राज्य वस्तु एवं सेवा कर	3,190.28	मुख्यतः “राज्य वस्तु एवं सेवा कर में कर घटक के आईजीएसटी हस्तांतरण का विभाजन” एवं “कर” में कमी के कारण
0020–निगम कर	2,728.65	मुख्यतः “राज्य को सौंपी गई शुद्ध आय के हिस्से” में कमी के कारण
0037–सीमा शुल्क	643.98	मुख्यतः “राज्य को सौंपी गई शुद्ध आय के हिस्से” में कमी के कारण
0038–संघ उत्पाद शुल्क	604.87	मुख्यतः “हिस्सेदारी योग्य शुल्क” के अंतर्गत “राज्य को सौंपी गई शुद्ध आय के हिस्से” में कमी के कारण
0039–राज्य आबकारी	1,303.01	मुख्यतः कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री में कमी के कारण
0041–वाहनों पर कर	502.08	मुख्यतः “राज्य मोटर वाहन कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ” में कमी के कारण
0050–लाभांश एवं लाभ	187.52	मुख्यतः “अन्य निवेशों से लाभांश” में कमी के कारण
0070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	153.77	मुख्यतः न्यायिक प्रशासन के अंतर्गत “जुर्माना और जब्ती” में कमी के कारण
0202–शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	677.14	मुख्यतः “सामान्य शिक्षा के अंतर्गत”, “अन्य प्राप्तियाँ” में कमी के कारण
0250–अन्य सामाजिक सेवाएँ	177.99	मुख्यतः “अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण” में कमी के कारण

चार्ट 1: वर्ष 2019–20 के लिये माह–वार राजस्व प्राप्ति

माह	0006	0020	0039	0202	0037
अप्रैल	1000	1000	1000	1000	1000
मई	1500	1500	1500	1500	1500
जून	1500	1500	1500	1500	1500
जुलाई	1500	1500	1500	1500	1500
आगस्ट	1500	1500	1500	1500	1500
सितम्बर	1500	1500	1500	1500	1500
अक्टूबर	2200	2200	2200	2200	2200
नवम्बर	1500	1500	1500	1500	1500
दिसम्बर	1500	1500	1500	1500	1500
जनवरी	1500	1500	1500	1500	1500
फरवरी	1500	1500	1500	1500	1500
मार्च	4500	4500	4500	4500	4500

चार्ट 2: वर्ष 2020–21 के लिये माह–वार राजस्व प्राप्ति

माह	0006	0020	0039	0202	0037
अप्रैल	500	500	500	500	500
मई	1000	1000	1000	1000	1000
जून	1000	1000	1000	1000	1000
जुलाई	1000	1000	1000	1000	1000
आगस्ट	1000	1000	1000	1000	1000
सितम्बर	1000	1000	1000	1000	1000
अक्टूबर	2500	2500	2500	2500	2500
नवम्बर	1800	1800	1800	1800	1800
दिसम्बर	1800	1800	1800	1800	1800
जनवरी	1500	1500	1500	1500	1500
फरवरी	2000	2000	2000	2000	2000
मार्च	4000	4000	4000	4000	4000

स्रोत: संबंधित माहों के मासिक सिविल लेखे


जैसा कि उपरोक्त चार्टों में दिखाया गया, 2019–20 एवं 2020–21 के लिये कुछ मुख्य शीर्षों के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की माह–वार प्रवृत्ति साबित करती है कि कोविड-19 महामारी के कारण 2019–20 की अंतिम तिमाही एवं 2020–21 की प्रथम तिमाही के दौरान इन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियाँ प्रभावित हुयी थीं।

व्यय पर प्रभाव

कुल व्यय 2019–20 में ₹1,80,672 करोड़ से 2020–21 में ₹1,96,319 करोड़ तक ₹15,647 करोड़ से बढ़ा (अधिक जानकारी के लिये अध्याय 2 की तालिका 2.13 संदर्भित)। विगत वर्ष की तुलना में 2020–21 के दौरान कुल व्यय में सामान्य सेवाओं के अंश में 2.29 प्रतिशत से वृद्धि हुयी (अधिक जानकारी के लिये अध्याय 2 की तालिका 2.14 संदर्भित)

कोविड-19 महामारी के दौरान व्यय का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य था। वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लिये मुख्य शीर्ष 2210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत व्यय की तुलनात्मक माह-वार प्रवृत्ति चार्ट 3 में दिखायी गयी है।

चार्ट 3: वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लिये मुख्य शीर्ष 2210 में माह-वार राजस्व व्यय



2019–20 में पहले तीन माह के दौरान मुख्य शीर्ष 2210 के अंतर्गत व्यय ₹1,570.50 करोड़ था। यह 2020–21 के पहले तीन माह के दौरान (लॉकडाउन की अवधि) ₹2,199.18 करोड़ तक बढ़ा। वर्ष 2020–21 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन ने मुख्य शीर्ष 2210 के अंतर्गत कोविड-19 महामारी से संबंधित राहत उपायों पर ₹256.82 करोड़ खर्च किये।

विषम प्राप्तियां और व्यय का प्रतिरूप

कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष की पहली तिमाही के दौरान राज्य की प्राप्तियां एवं व्यय भी बहुत कम था। आर्थिक गतिविधियों में छूट के बाद, प्राप्तियां और व्यय धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हुये (अधिक जानकारी के लिये अध्याय 3 का चार्ट 3.7 संदर्भित)।

हालांकि, कुल प्राप्तियों ₹2,11,620.05 करोड़ का लगभग 50.80 प्रतिशत वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान प्राप्त हुआ। जनवरी माह में राज्य के आंतरिक ऋण के अंतर्गत वृहद प्राप्तियां एवं केंद्र सरकार से सहायतानुदान प्राप्त होने के कारण अचानक से उछाल आया। इसी तरह, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, स्टांप एवं पंजीयन शुल्क, व्यापार एवं ब्रिक्री पर कर और राज्य के आंतरिक ऋण के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण मार्च माह में भी अचानक से उछाल आया।

वर्ष की अंतिम तिमाही से प्राप्तियों में विषमता आयी, इसलिये व्यय में भी विषमता आयी। अकेले मार्च 2021 में राज्य शासन ने ₹52,441.44 करोड़ व्यय किये जो कुल व्यय ₹2,09,076.14 करोड़ का लगभग 25.08 प्रतिशत था, उसमें से, मार्च 2021 के दौरान 15 अनुदान/विनियोग के 21 प्रकरणों में 100 प्रतिशत

राशि ₹8,827.34 करोड़ व्यय की गई (अधिक जानकारी के लिये अध्याय 3 की तालिका 3.14 संदर्भित)।

राजकोषीय एवं राजस्व घाटे पर प्रभाव और इसका वित्तपोषण

मध्य प्रदेश, जो 2016–17 से 2018–19 तक राजस्व अधिशेष राज्य था, ने 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान कोविड–19 महामारी के कारण राजस्व घाटे का सामना किया। राजस्व घाटा 2019–20 में ₹2,801 करोड़ से 2020–21 में ₹18,356 करोड़ तक अर्थात् 555.34 प्रतिशत से बढ़ा। राजकोषीय घाटा 2019–20 में ₹32,970 करोड़ से 2020–21 में ₹49,870 करोड़ तक अर्थात् 51.26 प्रतिशत से बढ़ा (अधिक जानकारी के लिये अध्याय 2 की तालिका 2.33 संदर्भित)।

राजस्व में कमी का प्रबंधन सरकार द्वारा भारत सरकार से अधिक मात्रा में आंतरिक ऋण एवं कर्ज लेकर किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2020–21 के दौरान, आंतरिक ऋण (₹54,242 करोड़) 83.90 प्रतिशत से बढ़ा, और केन्द्र सरकार से कर्ज एवं अग्रिम (₹10,929 करोड़) 124.51 प्रतिशत से बढ़ा। कर्ज एवं अग्रिमों में वृद्धि राज्य शासन को ऋण प्राप्ति के रूप में प्रदान किए गए वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे में कमी के बदले ₹4,542 करोड़ के बैक टू बैक ऋण के कारण थी। इस ऋण की ऋण चुकौती वस्तु एवं सेवा कर मुआवजा कोष में उपकर के संग्रहण से की जाएगी और इसलिए पुनर्भुगतान दायित्व राज्य के अन्य संसाधनों पर नहीं होगा। इसी तरह, लोक ऋण प्राप्तियां ₹65,171 करोड़ थीं जो पिछले वर्ष की तुलना में 89.65 प्रतिशत से बढ़ी (अधिक जानकारी के लिये अध्याय 2 की तालिका 2.11 संदर्भित)। राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिये, विगत वर्ष की तुलना में राज्य को बाजार से और भारत सरकार से ₹28,063 करोड़ की अधिक राशि का कर्ज लेना पड़ा (अधिक जानकारी के लिये अध्याय 2 की तालिका 2.33 संदर्भित)।

वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत राज्य सरकार का राजस्व है। हालांकि, वर्ष 2020–21 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त शेष राष्ट्र के कारण राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹5,293 करोड़ की वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अतिरिक्त, मध्य प्रदेश को राज्य शासन की ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत ₹4,542 करोड़ का बैक टू बैक ऋण जो राज्य के लिए पुनर्भुगतान देयता नहीं है, भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति में कमी के बदले ₹4,542 करोड़ की ऋण प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹13,814 करोड़ एवं ₹45,328 करोड़ होगा।

राजकोषीय मानदण्ड

बजट अनुमानों में राजस्व घाटा ₹17,514 करोड़ अपेक्षित था, परन्तु प्राप्त नहीं किया जा सका। राज्य ने राजस्व घाटा ₹18,356 करोड़ दर्ज किया, जो 2019–20 की तुलना में ₹15,555 करोड़ (555.34 प्रतिशत) से अधिक था। इसी तरह, राज्य ने राजकोषीय घाटा ₹49,870 करोड़ दर्ज किया, जो 2019–20 की तुलना में ₹16,900 करोड़ से अधिक था। 2020–21 के दौरान राजस्व घाटे में सार्थक वृद्धि (555.34 प्रतिशत) हुई, जबकि 2020–21 के दौरान राजकोषीय घाटा 51.30 प्रतिशत से बढ़ा।

2019–20 एवं 2020–21 के दौरान राजकोषीय घाटा लक्ष्य से अधिक हुआ। परिणामस्वरूप, 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान बकाया ऋण की सीमा का भी उल्लंघन हुआ।

1.1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दी गयी समयावधि में राज्य के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को लक्षित करता है।

देश के सापेक्ष मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (सांकेतिक) की वार्षिक संवृद्धि की प्रवृत्तियों को तालिका 1.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.1: सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि की प्रवृत्तियां (₹ करोड़ में)					
विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वर्तमान मूल्य पर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (2011–12 शृंखला)	1,53,91,669	1,70,90,042	1,88,86,957	2,03,51,013	1,97,45,670
वर्तमान मूल्य पर पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	11.80	11.00	10.50	7.80	(-)3.00
वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011–12 शृंखला)	6,49,823	7,26,338	8,13,820 (पी.ई.)	9,37,405 (क्यू.ई.)	9,17,555 (ए.ई.)
वर्तमान मूल्य पर पिछले वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	20.10	11.80	12.00	15.20	(-)2.10



स्रोत: भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण (2020–21) तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश पी.ई.–अनंतिम अनुमान; क्यू.ई.–त्वरित अनुमान; ए.ई.–अग्रिम अनुमान

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, कि 2016–17 से 2020–21 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद उच्च दर से बढ़ा। मध्य प्रदेश ने 2019–20 की तुलना में 2020–21 में अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कमी देखी।

मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2016–17 से 2019–20 तक वृद्धि जारी रही, लेकिन कोविड-19 के कारण 2020–21 में ₹19,850 करोड़ (2.10 प्रतिशत) से कमी आई।

आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होता है। अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान में बदलाव भी महत्वपूर्ण है।


2020–21 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मध्य क्षेत्रीय संघटकों की तुलना नीचे चार्ट 1.1 एवं 1.2 में दर्शायी गयी है।



मध्य प्रदेश अपने विस्तृत क्षेत्रफल के साथ, कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिये उपयुक्त जलवायु विविधता, मिट्टी की परिस्थितियों का उपभोग करता है। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जैसा कि उपरोक्त चार्टों से देखा जा सकता है, कि 2020–21 के दौरान, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 41.33 प्रतिशत था जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र (18.32 प्रतिशत) के सापेक्ष हिस्सेदारी की तुलना में काफी महत्वपूर्ण और बहुत अधिक था जबकि, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 31.61 प्रतिशत था, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र (48.89 प्रतिशत) के सापेक्ष हिस्सेदारी की तुलना में कम था।


चार्ट 1.3 से परिलक्षित होता है कि पाँच साल की अवधि 2016–17 से 2020–21 के दौरान, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि की सापेक्ष हिस्सेदारी 2016–17 में 37.42 प्रतिशत से 2020–21 में

41.33 प्रतिशत तक बढ़ी। इसी अवधि के दौरान, उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 2016–17 में 22.23 प्रतिशत से 2020–21 में 21.28 प्रतिशत तक एवं सेवा क्षेत्र में 2016–17 में 33.86 प्रतिशत से 2020–21 में 31.61 प्रतिशत तक मामूली कम हुयी। उत्पादों पर कर और राजसहायताएं भी 2016–17 में 6.49 प्रतिशत से 2020–21 में 5.78 प्रतिशत तक कम हो गई। वर्ष 2020–21 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन एवं फसलों में क्रमशः 13.04 प्रतिशत से एवं 4.25 प्रतिशत से वृद्धि हुई, जबकि औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण में 8.43 प्रतिशत से कमी एवं सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार एवं रेलवे में क्रमशः 26.52 प्रतिशत से एवं 25.57 प्रतिशत से कमी आयी।



स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी

राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन नीचे चार्ट 1.4 में दिया गया है:



स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उनको राज्य के विधानमण्डल के समक्ष रखवाएगा। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मध्य प्रदेश के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य के वित्त एवं विनियोग लेखे प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रमाणकों, चालानों और कोषालय, कार्यालयों द्वारा सौंपे गए प्रारंभिक एवं सहायक लेखे, एवं विभाग जो ऐसे लेखाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं तथा राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्यरत हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से तैयार करता है। ये लेखे स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षा एवं नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा सत्यापित किये जाते हैं।

इस प्रतिवेदन के लिए वर्ष 2020–21 के राज्य के वित्त एवं विनियोग लेखों के प्रमुख आंकड़े शामिल हैं। निम्नलिखित अन्य स्रोतों को भी शामिल किया गया है:

- वर्ष 2020–21 के लिए राज्य का बजट भी राजकोषीय मापदण्डों और अनुमान के सापेक्ष आवंटन प्राथमिकताओं दोनों का आंकलन करने के लिए आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है साथ ही साथ इसके कार्यान्वयन और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए अनुमान लगाता है;
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा—प्रथम), मध्य प्रदेश, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा—द्वितीय), मध्य प्रदेश वर्ष के दौरान राज्य सचिवालय के साथ—साथ क्षेत्रीय स्तर पर लेखापरीक्षा का परिणाम तैयार करता है;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषालयों से प्राप्त अन्य आंकड़े;
- संचालनालय, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश शासन के सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े और अन्य राज्य से सम्बन्धित सांख्यिकी आंकड़े; एवं
- जैसा उपयुक्त है, 2016–21 के दौरान नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

चौदहवें/पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, भारत सरकार के दिशानिर्देशों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रासंगिक संदर्भ में विश्लेषण किया गया है।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निम्नलिखित पाँच अध्यायों में संरचित है:

अध्याय - 1	विहंगावलोकन
	यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण, अंतर्निहित आंकड़े एवं शासकीय लेखों की संरचना का अवलोकन प्रस्तुत करता है, बजट प्रक्रियाओं, प्रमुख संकेतकों के स्थूल राजकोषीय विश्लेषण और घाटे / अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति दर्शाता है।
अध्याय - 2	राज्य सरकार का वित्त
	यह अध्याय राज्य के वित्त के व्यापक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2016–17 से 2020–21 तक की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण रूपरेखा और मुख्य लोक लेखा लेनदेन का राज्य के वित्त लेखों के आधार पर विश्लेषण करता है।
अध्याय - 3	बजटीय प्रबंधन
	यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखे पर आधारित है तथा राज्य शासन के विनियोगों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।
अध्याय - 4	लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता
	यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा सौंपे गये लेखाओं की गुणवत्ता और राज्य शासन के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।
अध्याय - 5	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन
	यह अध्याय वर्ष 2020–21 के लिये मध्य प्रदेश शासन के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन में वर्णित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन, उनके वित्तीय विवरणों के साथ-साथ संबंधित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त जानकारी से लिया गया है।

1.4 शासकीय लेखों की संरचना का विहंगावलोकन

सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

1. राज्य की समेकित निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1)}

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बंध पत्र, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां, इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त किया गया सभी धन समाविष्ट होता है। इस निधि में से कोई धन निधि के अनुरूप और भारत के संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों तथा रीति से अन्यथा विनियुक्त नहीं किया जायेगा। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे—संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान, इत्यादि), राज्य की समेकित निधि (भारित व्यय) पर प्रभारित होती हैं तथा विधानसभा द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) विधान सभा द्वारा मतदेय होता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(2)}

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जो राज्य विधायिका द्वारा विधि से स्थापित की जाती है और राज्य की विधायिका द्वारा ऐसे व्यय प्राधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय करने के लिए अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल की सुपुर्दगी में रखी जाती है। उक्त निधि की प्रतिपूर्ति, व्यय को राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को नामे कर की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2)}

उपरोक्त के अलावा, अन्य समस्त लोक धन जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, जहाँ सरकार बैंक अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे — अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (अंतिम रूप से पुस्तांकित होने तक लंबित है एवं दोनों अस्थायी शीर्ष हैं) शामिल होते हैं। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी शामिल रहता है। लोक लेखे विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भारत में एक संवैधानिक आवश्यकता (अनुच्छेद 202) है। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। इसके अलावा, बजट को राजस्व लेखों पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व, केंद्रीय कर/शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के सभी व्यय शामिल होते हैं जिसके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हो सकते हैं) पर किए गए खर्चों से संबंधित हैं।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

ऋण प्राप्तियां: बाजार कर्ज, बंध—पत्र, वित्तीय संस्थानों से कर्ज, अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेनदेन, केन्द्र सरकार से कर्ज और अग्रिम, इत्यादि;

ऋणेत्र प्राप्तियां: विनिवेश की प्रक्रिया से, कर्ज और अग्रिम की वसूलियां;


पूँजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश और सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य पक्षों को कर्ज और अग्रिम पर किया गया व्यय शामिल है।

वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है, जिसका विवरण निम्न है:

विवरण	लेन-देन का प्रकार	वर्गीकरण
महालेखा नियंत्रक द्वारा लेखों की मुख्य/लघु शीर्ष की सूची में मानकीकृत	कार्य: शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि/विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4 अंक)
	उप कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (2 अंक)
	कार्यक्रम	लघुशीर्ष (3 अंक)
राज्य के लिए छोड़ा लचीलापन	योजना	उप शीर्ष (2 अंक)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (2 अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	उद्देश्य शीर्ष—वेतन, लघु कार्य, इत्यादि (2 अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण में आर्थिक श्रेणियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय की व्यवस्था करना, सरकारी लेनदेन को राजस्व और पूँजीगत (लोक ऋण, कर्ज और अग्रिम सहित) अनुभागों में अंतर करना, क्षेत्र जैसे अन्य राजस्व और सहायतानुदान से कर राजस्व, उप क्षेत्रों जैसे आय और व्यय पर कर, राजकोषीय सेवाओं, इत्यादि शामिल है। व्यय पक्ष में भी, लेनदेन को क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे सामान्य सेवायें, आर्थिक सेवायें, सामाजिक सेवायें और सहायतानुदान एवं अंशदान तथा इनके क्षेत्रों को लेखाओं के मुख्य शीर्ष में उप विभाजित किया गया है। समेकित निधि में शामिल होने वाले लेखे के मुख्य शीर्ष सामान्यतः सरकार के 'कार्य' के अनुरूप होते हैं, जैसे शिक्षा, जबकि मुख्य शीर्ष के अधीन लघुशीर्ष द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए कार्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए "कार्यक्रम" की पहचान करते हैं। एक कार्यक्रम में कई योजनाएं या गतिविधियां शामिल हो सकती हैं और ये आम तौर पर "लघु शीर्ष" के नीचे 'उप शीर्ष' के अनुरूप होते हैं। उप शीर्ष के नीचे 'विस्तृत शीर्ष', मुख्य रूप से व्यय पर नियंत्रण के मद के लिए होता है और 'वेतन', 'कार्यालय व्यय', 'सहायतानुदान' जैसे मदों के संदर्भ में किसी योजना के क्रियान्वयन पर व्यय की वस्तु या प्रकृति आदि को इंगित करता है।

शासकीय लेखों की संरचना का एक चित्रात्मक चित्रण चार्ट 1.5 में दिया गया है:



1.5 बजटीय प्रक्रियाएं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के समक्ष वर्ष 2020–21 के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में रखा जाना है।

अनुच्छेद 203 के संदर्भ में, उपर्युक्त अनुदान/विनियोजन के लिए 70 मांगों के रूप में राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया गया था, और इनके अनुमोदन के बाद, समेकित निधि से आवश्यक धन का विनियोग प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 204 के तहत विनियोग विधेयक को पारित किया गया था।

जैसा कि पूर्व में कंडिका 1.2 में वर्णित है, राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने के लिए वित्त लेखों और विनियोग लेखों में उल्लिखित मुख्य आंकड़े शामिल हैं। ये लेखे वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय पर आधारित हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न अंतर्शासकीय और अन्य समायोजन शामिल हैं। यह विचार करते हुए कि इन प्राप्तियों और व्यय का बजट में अनुमान और व्यय राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, 2020–21 के लिए राज्य के बजट का सूक्ष्मता से अध्ययन करना और बजट में किए गए अनुमान के संदर्भ में वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

मध्य प्रदेश बजट नियमावली बजट तैयार करने, बजट निष्पादन और बजट निगरानी की प्रक्रिया का विवरण देता है। आगे, एक समेकित बजट के अलावा राज्य सरकार जेण्डर बजट और कृषि बजट जैसे उप-बजट भी तैयार करती है।

जेंडर बजट: राज्य का जेंडर बजट समग्र बजट का हिस्सा है और इसे महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। जेंडर बजट दस्तावेज के अनुसार, महिलाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था— (1) योजनाएँ जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित हैं, और (2) योजनाएँ जिनमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित हैं।

कृषि बजट: इस बजट में कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की गतिविधियों के हितों के साथ-साथ इन गतिविधियों पर खर्च की जानकारी भी शामिल है।

बजट नियमावली में यह भी उल्लेख किया गया था कि एक परिणामोन्मुखी बजट तैयार किया जाना चाहिए, जो वित्तीय परिव्यय से जुड़ी प्रत्येक योजना के तहत प्रस्तावित परिमाणात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। वह योजना के घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। हालांकि, भारत सरकार द्वारा योजना और योजनेतर योजनाओं के बीच विभेद को समाप्त¹ किये जाने से राज्य सरकार द्वारा 2015–16 से परिणामोन्मुखी बजट तैयार करना बंद कर दिया गया। वित्त विभाग द्वारा परिणामोन्मुखी बजट के तैयार न करने का कारण योजना और योजनेतर योजनाओं का बंद होना बताया (जनवरी 2021)।

बजट की लेखापरीक्षा जांच और राज्य शासन की अन्य बजटीय पहलों के कार्यान्वयन के परिणाम इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में विस्तृत रूप से दिये गये हैं।

1.6 वित्त के मुख्य बिंदु

2020–21 के बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आंकड़ों के वित्तीय परिणामों के विवरण निम्न तालिका 1.2 प्रदाय करती है:

¹ महालेखा—नियंत्रक ने 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी सहायतानुदान के वर्गीकरण को पुनरीक्षित किया, हालांकि, मध्य प्रदेश के लेखाओं में यह पुनरीक्षण 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ।

तालिका 1.2: 2020–21 के लिए बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक वित्तीय परिणाम						
(₹ करोड़ में)						
संख्या	संघटक	2019-20 (वास्तविक)	2020-21 (वास्तविक)	2020-21 (बजट अनुमान)	वास्तविक से बजट अनुमान का प्रतिशत	वास्तविक से सकल राज्य धरेलू उत्पाद का प्रतिशत
1	कर राजस्व	55,823.69	54,458.92	48,801.05	111.59	5.94
2	करेतर राजस्व	10,349.56	9,902.13	8,860.26	111.76	1.08
3	केन्द्रीय करों और शुल्कों का अंश	49,517.61	46,913.75	46,025.00	101.93	5.11
4	सहायतानुदान और अंशदान	31,952.49	35,101.99	32,910.05	106.66	3.83
5	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)	1,47,643.35	1,46,376.79	1,36,596.36	107.16	15.95
6	कर्जों और अग्रिमों की वसूली	45.86	58.32	41.07	142.00	0.01
7	अन्य प्राप्तियां	13.66	14.46	--	--	0.001
8	उधार और अन्य देयतायें ^(अ)	35,302.35	59,707.87	47,405.15	125.95	6.51
9	पूंजीगत प्राप्तियां (6+7+8)	35,361.87	59,780.65	47,446.22	126.00	6.52
10	कुल प्राप्तियां (5+9)	1,83,005.22	2,06,157.44	1,84,042.58	112.02	22.47
11	राजस्व व्यय	1,50,444.30	1,64,733.01	1,54,110.37	106.89	17.95
12	ब्याज भुगतान	14,216.52	15,917.87	16,460.21	96.71	1.73
13	पूंजीगत व्यय	30,228.64	31,586.09	29,886.69	105.69	3.44
14	पूंजीगत परिव्यय	29,241.48	30,355.77	28,350.28	107.07	3.31
15	कर्ज तथा अग्रिम	987.16	1,230.32	1,536.41	80.10	0.13
16	कुल व्यय (11+13)	1,80,672.94	1,96,319.10	1,83,997.06	106.70	21.40
17	राजस्व घाटा (-) /अधिशेष(+)	(-2,800.95)	(-18,356.22)	(-17,514.01)	(-104.81)	(-2.00)
18	राजकोषीय घाटा	32,970.07	49,869.53	47,359.63	105.30	5.44
19	प्राथमिक घाटा	18,753.55	33,951.66	30,899.42	109.88	3.70

चोत: वित्त लेखे और बजट पुस्तिकारण 2020–21

(अ) उधार और अन्य देयतायें: निवल (प्राप्तियां-वितरण) लोक ऋण + निवल आकस्मिकता निधि + निवल (प्राप्तियां-वितरण) लोक लेखा + निवल प्रारम्भिक एवं अंतिम रोकड़ शेष।

1.6.1 सरकार की सम्पत्ति और दायित्वों के मुख्य बिंदु

शासकीय लेखे सरकार की वित्तीय देनदारियों और व्यय की गयी राशि से परिसंपत्तियों के निर्माण को दर्शाते हैं। देयताओं में मुख्यतः अंतरिक ऋण, भारत सरकार से कर्ज और अग्रिम, लोक लेखे और आरक्षित निधियों से प्राप्तियां शामिल हैं। परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज और अग्रिम और रोकड़ शेष भी शामिल हैं। वर्ष 2020–21 में इस संदर्भ में राज्य की स्थिति को नीचे तालिका 1.3 में देखा जा सकता है:

तालिका 1.3: परिसम्पत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति							
(₹ करोड़ में)							
देयताएं				सम्पत्तियां			
	2019-20	2020-21	वृद्धि (+) / कमी (-) प्रतिशत में		2019-20	2020-21	वृद्धि (+) / कमी (-) प्रतिशत में
संचित निधि							
आंतरिक ऋण	1,59,792.74	2,02,719.20	26.86	सकल पूँजीगत परिव्यय	2,42,399.03	2,72,754.80	12.52
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	21,035.97	30,522.71 ²	45.10	कर्ज तथा अग्रिम	43,085.15	43,757.15	1.56
आकस्मिकता निधि	500.00	500.00	--				
लोक लेखा							
अल्प बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	19,033.74	19,894.09	4.52	अग्रिम	3.48	3.48	--
जमा	18,809.47	20,333.41	8.10	प्रेषण	--	--	--
आरक्षित निधियां	12,316.00	16,753.30	36.03	उचंत तथा विविध	--	--	--
उचंत तथा विविध शेष	(-)898.43	(-)252.75 ³	(-)71.87				
प्रेषण	2,161.37	3,164.63	46.42	रोकड़ शेष (उद्यिष्ट निधि में निवेश सहित)	7,060.93	18,069.32	155.91
				योग	2,92,548.59	3,34,584.75	14.37
				शासकीय लेखों में कमी	(-)59,797.73	(-)40,950.16	(-)31.52
योग	2,32,750.86	2,93,634.59	26.16	योग	2,32,750.86	2,93,634.59	26.16

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.7 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धियां

मध्य प्रदेश शासन ने राजकोषीय प्रबंधन में बुद्धिमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्व घाटे को समाप्त करने, राजकोषीय घाटे को कम करने और कुल/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक पहुंचाने, बेहतर ऋण प्रबंधन की स्थापना और मध्यम कालिक रूपरेखा की पारदर्शिता में सुधार करने के उद्देश्य से, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 पारित किया। इस संदर्भ में, अधिनियम राज्य द्वारा घाटे के मापदण्डों और ऋण के स्तर का पालन करने के लिए मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करता है।

² ₹4,542 करोड़ का वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे में कमी के बदले में बैंक टू बैंक लोन समिलित है।

³ उचंत और विविध शेषों के आंकड़ों में मुख्य शीर्ष 8658—उचंत लेखा ₹862.43 करोड़ (नामे), मुख्य शीर्ष 8679—अन्य देशों की सरकारों के साथ खोले गए लेखे ₹0.15 करोड़ (नामे) तथा मुख्य शीर्ष 8670—चैक्स और बिल ₹609.83 करोड़ (जमा) के शेष शामिल हैं।

1.7.1 मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के मुख्य लक्ष्यों पर राजकोषीय मापदण्ड और उनकी उपलब्धियां

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, राज्य शासन को 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना था और उसके बाद राजस्व अधिशेष को बनाए रखना था, 31 मार्च 2009 तक राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक कम करना था एवं उसके बाद समान स्तर को बनाए रखना था। आगे, अधिनियम में यह भी परिकल्पित था कि राज्य शासन 31 मार्च 2015 तक कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 40 प्रतिशत तक सीमित कर देगी।

जनवरी 2016 में मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संशोधन में राज्यों के लिए उनके अवार्ड अवधि (2016–17 से 2019–20) के दौरान राज्यों के लिए अनुशंसित राजकोषीय घाटे की सीमा से संबंधित चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को शामिल किया गया। अधिनियम में प्रावधान किया गया कि राजकोषीय घाटा किसी भी वित्त वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.50 प्रतिशत की वार्षिक सीमा से अधिक न हो। वर्ष 2020–21 के दौरान भारत सरकार ने राज्य सरकार को 1.50 प्रतिशत की अतिरिक्त ऋण की सुविधा को शर्त के साथ और 0.50 प्रतिशत बिना शर्त के बढ़ाने का निर्णय लिया। इसीलिये, 2020–21 के दौरान, भारत सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से लक्ष्य 5.00 प्रतिशत निर्धारित किया गया।

2016–17 से 2020–21 तक की पांच साल की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/राज्य शासन के नियम के अन्तर्गत मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में परिकल्पित प्रमुख राजकोषीय मापदण्डों से संबंधित पुनरीक्षित लक्ष्य और उनकी उपलब्धियां तालिका 1.4 में दी गई हैं:

तालिका 1.4: मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/ मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदण्ड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धियां (₹ करोड़ में)				
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व घाटा (–)/ आधिक्य (+)	राजस्व आधिक्य	7,781 ⁴	4,629	6,744	(-)2,801	(-)18,356
		✓	✓	✓	✗	✗
राजकोषीय घाटा (–)/आधिक्य (+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	संबंधित वर्षों के अंतर्गत कोष्ठक में दिया गया है।	3.12 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.50% से अधिक नहीं)	3.14 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.50% से अधिक नहीं)	2.93 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.24% से अधिक नहीं)	3.64 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.34% से अधिक नहीं)	5.44 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.99% से अधिक नहीं)
		✓	✓	✓	✗	✗
कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात (प्रतिशत में)		23.98 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 25% से अधिक नहीं)	23.78 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 25% से अधिक नहीं)	24.01 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 26.34% से अधिक नहीं)	25.43 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 24.43% से अधिक नहीं)	31.03 ⁵ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 28.83% से अधिक नहीं)
		✓	✓	✓	✗	✗

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

⁴ उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को शामिल करने पर राजस्व अधिशेष ₹3,770 करोड़ होगा।

⁵ ऋण की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत की गणना कुल बकाया ऋण ₹2,89,298 करोड़ में से वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में बैंक टू बैंक लोन की राशि ₹4,542 करोड़ को छोड़कर कुल बकाया ऋण ₹2,84,756 करोड़ पर की गयी है।

राज्य ने 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान राजस्व अधिशेष प्राप्त किया, लेकिन 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान इसे बरकरार नहीं रख सका। 2020–21 के दौरान राजस्व घाटे में उल्लेखनीय वृद्धि (555.40 प्रतिशत) दर्ज हुई, जबकि 2020–21 के दौरान राजकोषीय घाटे में 51.30 प्रतिशत से वृद्धि हुई। राजस्व व्यय में 9.50 प्रतिशत (2019–20 में ₹1,50,444 करोड़ के सापेक्ष 2020–21 में ₹1,64,733 करोड़) से वृद्धि एवं राजस्व प्राप्तियों में मामूली कमी के कारण राजस्व घाटा ₹18,356 करोड़ था।

सामान्य सेवाओं (₹2,617 करोड़ से) में वृद्धि के कारण वर्ष 2019–20 की तुलना में राजस्व व्यय में ₹14,289 करोड़ से वृद्धि, मुख्यतः “सिविल” के अंतर्गत कर्मचारी हितलाभ पर व्यय एवं सामाजिक सेवाओं (₹2,106 करोड़ से) पर व्यय में वृद्धि “राज्य आपदा विमोचन निधि” के अंतर्गत “आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों—राज्य आपदा विमोचन निधि” में अंतरण एवं “सामान्य” के अंतर्गत “अन्य व्यय”, पर व्यय में वृद्धि के कारण थी।

2019–20 एवं 2020–21 के दौरान राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बढ़ा दिया गया, यद्यपि 2016–19 में लक्ष्य प्राप्त किये गये थे। परिणामस्वरूप 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान बकाया ऋण की सीमा भी अतिक्रमित हो गयी।

वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति, वस्तु एवं सेवा कर (राज्य के लिये क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत राज्य सरकार का राजस्व है। हालांकि, वर्ष 2020–21 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त शेष के कारण वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति की अतिरिक्त राशि ₹5,293.23 करोड़ राजस्व प्राप्तियों के रूप में प्राप्त की, राज्य सरकार की ऋण प्राप्ति के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने ₹4,542 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण भी प्राप्त किया, जो राज्य के लिये पुनर्भुगतान दायित्व नहीं है। जैसा कि वित्त लेखे 2020–21 में राज्य शासन का राजस्व घाटा ₹18,356.22 करोड़ एवं राजकोषीय घाटा ₹49,869.53 करोड़ प्रदर्शित है, इसलिये, राज्य के खोतों पर बिना पुनर्भुगतान दायित्व के वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति के ₹4,542 करोड़ बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्राप्ति के साथ पढ़ा जाना चाहिये। इस प्रकार वर्ष 2020–21 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति में कमी के बदले ऋण प्राप्ति ₹4,542 करोड़ को ध्यान में रखते हुये राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹13,814.22 करोड़ एवं ₹45,327.53 करोड़ होगा।

वर्ष 2020–21 की पहली छ:माही में आर्थिक गतिविधियों में कोविड-19 के कारण कमीं आयी, जिसने राज्य के राजस्व पर दबाव बनाये रखा। व्यय को बनाये रखने के लिए, केन्द्र ने सभी राज्यों को 2020–21 में उनकी उधारियों में वृद्धि की अनुमति दी। राजकोषीय घाटे की सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तीन प्रतिशत से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की पाँच प्रतिशत तक बढ़ा दी गयी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत की अतिरिक्त उधारों में से, राज्यों को उनकी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 0.50 प्रतिशत उधारी की बिना शर्त अनुमति दी गयी। जबकि अगले एक प्रतिशत के लिये चार राज्य स्तरीय सुधारों (0.25 प्रतिशत प्रत्येक सुधार के लिये), एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार, शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार एवं ऊर्जा क्षेत्र सुधार, को लागू करने पर था। शेष सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.50 प्रतिशत सशर्त था बशर्ते निर्धारित सुधारों में से कम से कम तीन सुधार प्राप्त कर लिये हों।

1.7.2 मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, राज्य शासन प्रत्येक वित्त वर्ष में, बजट के साथ मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगा, जिसमें राज्य शासन के राजकोषीय उद्देश्यों और बजट के साथ पंचवर्षीय चलित लक्ष्य निहित होंगे।

तालिका 1.5 राज्य विधान सभा को 2020–21 के लिए वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किए गए, मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में 2020–21 के लिए किए गए अनुमानों तथा वर्ष के वास्तविक आंकड़े के बीच परिवर्तन को इंगित करती है।

तालिका 1.5: 2020–21 के लिए मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आंकड़े			
राजकोषीय चर	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2020–21)	(₹ करोड़ में) परिवर्तन (प्रतिशत में)
स्वयं के कर राजस्व	48,801.05	54,458.92	11.59
करेतर राजस्व	8,860.26	9,902.13	11.76
केन्द्रीय कर का अंश	46,025.00	46,913.75	1.93
भारत सरकार से सहायतानुदान	32,910.05	35,101.99	6.66
राजस्व प्राप्तियां	1,36,596.36	1,46,376.79	7.16
राजस्व व्यय	1,54,110.37	1,64,733.01	6.89
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-)1.85	(-)2.00	(-)8.11
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	4.99	5.44	9.02
ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (प्रतिशत)	28.83	31.03 ⁶	7.63
वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	4.68	(-)2.12	(-)145.30

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज 2020–21

1.7.3 घाटा और अधिशेष

जब कोई सरकार राजस्व के माध्यम से एकत्र करने से अधिक खर्च करती है, तो वह घाटा होता है। ऐसे कई मापदण्ड हैं जो कि सरकारी घाटे को अधिग्रहीत करते हैं, जैसा नीचे दिया गया है:


राजस्व घाटा/अधिशेष (राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियां)	राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर को संदर्भित करता है। <ul style="list-style-type: none"> जब सरकार राजस्व घाटा करती है, तो इसका अर्थ है कि सरकार अधिव्यय कर रही है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग करके इसके उपभोग व्यय का एक हिस्सा वित्तपोषित कर रही है। राजस्व घाटे का अस्तित्व यिंता का कारण है क्योंकि राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को भी पूरा करने में सक्षम नहीं थीं। इसके अलावा, पूँजीगत प्राप्तियों के हिस्से का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किया गया था, पूँजीगत संपत्ति के सृजन के लिए उस सीमा तक पूँजी संसाधनों की उपलब्धता को कम किया। इस रिथ्ति का अर्थ है कि सरकार को न केवल अपने निवेश को वित्त पोषित करने के लिए उधार लेना होगा, बल्कि इसके उपभोग की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा। यह ऋण और व्याज देनदारियों के भंडार का निर्माण करता है और सरकार को आखिरकार खर्च में कटौती करने के लिए मजबूर करता है। यदि राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा प्रतिवर्द्ध व्यय (व्याज देनदारियां, वेतन, पेंशन) है, तो सरकार उत्पादक व्यय या कल्याण व्यय को कम करती है। इसका अर्थ कम विकास और प्रतिकूल कल्याण निहितार्थ होगा।
राजकोषीय घाटा/अधिशेष (कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियां + ऋणेतर पूँजीगत प्राप्तियां	यह राजस्व प्राप्तियों और ऋणेतर पूँजीगत प्राप्तियों (NDCR) और कुल व्यय के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। <ul style="list-style-type: none"> राजकोषीय घाटा उधारियों को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है।

⁶ ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की गणना कुल बकाया ऋण में से बैंक टू बैंक लोन की राशि ₹4,542 करोड़ हटाकर की गयी है।


<p>जो पूँजीगत प्राप्तियां बनती हैं।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ऋणेतर सुजन पूँजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं, जो उधार नहीं हैं, और इसलिए, ऋण को उत्पन्न नहीं करती हैं। उदाहरणार्थ कर्ज की वसूली और सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से आय है। राजकोषीय घाटे को उधार के माध्यम से वित्तपेण्ठित करना होगा। इस प्रकार, यह सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को इंगित करता है। <p>सरकारें आमतौर पर राजकोषीय घाटे से चलती हैं और पूँजी/परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए या आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन उधार लेती हैं, ताकि उधार के माध्यम से बनाई गई परिसंपत्ति एक आय प्रवाह उत्पन्न करके अपने लिए भुगतान कर सके। इस प्रकार पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उधार ली गयी निधियों का उपयोग और मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए राजस्व प्राप्तियों का उपयोग करना विचारणीय है।</p>
---	---

1.7.4 घाटा/अधिशेष की प्रवृत्तियां

राज्य प्रमुख वित्तीय मानकों के संबंध में पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान निर्दिष्ट लक्ष्यों के भीतर नहीं था। वर्ष 2020–21 के दौरान इसका राजकोषीय घाटा ₹49,870 करोड़ था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 5.44 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता था और कुल व्यय का 25.40 प्रतिशत था। 2019–20 के दौरान ₹18,753 करोड़ का प्राथमिक घाटा वर्तमान वर्ष के दौरान बढ़कर ₹33,952 करोड़ हो गया और 2019–20 में ₹2,801 करोड़ का राजस्व घाटा भी 2020–21 के दौरान बढ़कर ₹18,356 करोड़ हो गया। 2016–17 से 2020–21 तक की पांच साल की अवधि में अधिशेष और घाटे की प्रवृत्ति को चार्ट 1.6 में दर्शाया है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष अधिशेष या घाटे की प्रवृत्ति नीचे चार्ट 1.7 में दी गई है:



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें

1.8 लेखापरीक्षा में जाँच के बाद घाटा

बजट घाटे पर काबू पाने के लिए अल्पकालिक उद्देश्यों पर अत्यधिक ध्यान घाटे को कम करने के उपायों को प्रोत्साहित कर सकता है। निम्न तालिका 1.6 वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य शासन द्वारा निधियों और गलत वर्गीकरण/पुस्तांकन तथा निधियों के कम/गैर-अंशदान को लेखों में लेने के पश्चात् वास्तविक अधिशेष/घाटे का मूल्यांकन करती है:

तालिका 1.6: वास्तविक राजस्व एवं राजकोषीय घाटा		
विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्ति)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्ति)
राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण (लेखों की टिप्पणियों की कंडिका संख्या 3(ii), वित्त लेखे खंड-I)	1,239.13	--
एन.एस.डी.एल/द्रस्टी बैंक को अंशदान का कम अंतरण (लेखों की टिप्पणियों की कंडिका संख्या 5(i), वित्त लेखे खंड-I)	14.21	14.21
ब्याज सहित जमा एवं आरक्षित निधियों पर ब्याज का गैर भुगतान (लेखों की टिप्पणियों की कंडिका संख्या 3(ix), वित्त लेखे खंड-I)	170.35	170.35
केन्द्रीय अनुदान का केन्द्रीय सङ्क कोष से लोक लेखा में अंतरण न करना (लेखों की टिप्पणियों की कंडिका संख्या 5(v), वित्त लेखे खंड-I)	56.22	56.22
योग	1,479.91	240.78

स्रोत: वित्त लेखे 2020–21

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष के दौरान राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे में क्रमशः ₹1,479.91 करोड़ से और ₹240.78 करोड़ से न्यूनोक्ति थी। वित्त लेखों के अनुसार, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹18,356.22 करोड़ और ₹49,869.53 करोड़ था, जो वास्तव में क्रमशः ₹19,836.13 करोड़ और ₹50,110.31 करोड़ होगा।

अध्याय 2

राज्य शासन के वित्त

अध्याय 2—राज्य शासन के वित्त

2.1 प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य के वित्त लेखों पर आधारित राज्य के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य, और पिछले वर्ष के सापेक्ष होने वाले मुख्य राजकोषीय क्रांतिक परिवर्तनों, पाँच वर्ष की अवधि 2016–17 से 2020–21 के दौरान समग्र प्रवृत्तियां, राज्य की ऋण स्थिरता और मुख्य लोक लेखा लेन—देनों का विश्लेषण प्रदान करता है।

2.2 2019–20 की तुलना में 2020–21 के दौरान महत्वपूर्ण राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन

तालिका 2.1 विगत वर्ष की तुलना में 2020–21 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है:—

तालिका 2.1: 2019–20 की तुलना में 2020–21 के दौरान मुख्य राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन	
राजस्व प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none">➤ राज्य की राजस्व प्राप्तियां 0.86 प्रतिशत से कम हुईं।➤ राज्य के स्वयं के कर की प्राप्तियां 2.44 प्रतिशत से कम हुईं।➤ स्वयं की करेतर प्राप्तियां 4.32 प्रतिशत से कम हुईं।➤ संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश 5.26 प्रतिशत से कम हुआ।➤ भारत सरकार से सहायतानुदान 9.86 प्रतिशत से बढ़ा।
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none">➤ राजस्व व्यय 9.50 प्रतिशत से बढ़ा।➤ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय 20.23 प्रतिशत से बढ़ा।➤ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 7.06 प्रतिशत से बढ़ा।➤ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 4.19 प्रतिशत से बढ़ा।
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none">➤ पूँजीगत व्यय 3.81 प्रतिशत से बढ़ा।➤ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 0.81 प्रतिशत से कम हुआ।➤ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 17.48 प्रतिशत से बढ़ा।➤ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 0.41 प्रतिशत से कम हुआ।
कर्ज एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none">➤ कर्जों एवं अग्रिमों का संवितरण 24.62 प्रतिशत से बढ़ा।➤ कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां 26.09 प्रतिशत से बढ़ीं।
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none">➤ लोक ऋण प्राप्तियां 89.65 प्रतिशत से बढ़ीं।➤ लोक ऋण का पुनर्भुगतान 16.67 प्रतिशत से बढ़ा।
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none">➤ लोक लेखा प्राप्तियां 17.38 प्रतिशत से बढ़ीं।➤ लोक लेखों का संवितरण 20.13 प्रतिशत से बढ़ा।
रोकड़ शेष	<ul style="list-style-type: none">➤ रोकड़ शेष ₹11,008.39 करोड़ (155.91 प्रतिशत) से बढ़ा।

उपर्युक्त प्रत्येक संकेतकों का विश्लेषण उत्तरवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

2.3 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

तालिका 2.2 2020–21 के दौरान राज्य के निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की तुलना 2019–20 के आंकड़ों से करती है, जबकि चार्ट 2.1 और 2.2 वर्ष 2020–21 के दौरान संचित निधि में प्राप्तियां और उसमें से होने वाले व्यय का विवरण प्रतिशतता के संदर्भ में देता है।


तालिका 2.2: 2019–20 तथा 2020–21 के दौरान संसाधनों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण				
	विवरण	2019-20	2020-21	वृद्धि (+)/कमी (-) (प्रतिशत)
संसाधनों के संघटक	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ प्रारंभिक रोकड़ शेष	5,389.02	7,060.93	31.02
	राजस्व प्राप्तियां	1,47,643.35	1,46,376.79	(-)0.86
	पूंजीगत प्राप्तियां	13.66	14.46	5.86
	कर्ज एवं अग्रिमों की वसूलियां	45.86	58.32	27.17
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	23,430.79	52,413.20 ¹	123.69
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	11,210.82	7,956.47	(-)29.03
	अंतर्राजीय परिशोधन	(-)0.25	(-)0.02	92.00
योग		1,87,733.25	2,13,880.15	13.93
संसाधनों के अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	1,50,444.30	1,64,733.01	9.50
	पूंजीगत व्यय	29,241.48	30,355.75	3.81
	कर्ज एवं अग्रिमों का संवितरण	987.16	1,230.32	24.63
	अंतर्राजीय परिशोधन	(-)0.62	(-)0.25	59.68
	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अंतिम रोकड़ शेष	7,060.93	18,069.31*	155.91
	योग	1,87,733.25	2,14,388.14	14.20

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

*भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद शेष समाप्त में पिछले वर्षों के ब्याज के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक से प्रत्याभूति विमोचन निधि के अन्तर्गत प्राप्त ₹507.99 करोड़ शामिल हैं। इसलिए, वे मिलान नहीं करते हैं।

चार्ट 2.1: संसाधनों के संघटक

₹ से आया



■ कर राजस्व

■ करेतर राजस्व

■ केंद्रीय कर अंतर्राजीय


■ सहायतानुदान

■ विविध पूंजीगत प्राप्तियां और कर्ज एवं अग्रिम की वसूलियां

■ लोक ऋण प्राप्तियां

चार्ट 2.2: संसाधनों के अनुप्रयोग

₹ को गया



■ सामान्य सेवाएं (राजस्व)

■ सामाजिक सेवाएं (राजस्व)

■ आर्थिक सेवाएं (राजस्व)

■ सहायतानुदान

■ पूंजीगत व्यय

■ कर्ज एवं अग्रिम

■ लोक ऋण का पुनर्भुगतान

स्रोत: वित्त लेखे 2020–21

नोट: विविध पूंजीगत प्राप्तियां और कर्ज एवं अग्रिम की वसूलियां ₹73 करोड़ (0.03 प्रतिशत) हैं।

2.4 राज्य के संसाधन


राज्य के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:-

¹ वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति में कर्मी के बदले में बैंक दू बैंक लोन ₹4,542 करोड़ शामिल है।

- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान शामिल हैं;
- पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेश की प्रक्रिया से, कर्ज एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थान/वाणिज्यिक बैंकों से उधारियों) और भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम समाविष्ट हैं। राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की संचित निधि के भाग हैं।
- निवल लोक लेखा प्राप्तियां:** निश्चित लेन-देनों के संदर्भ में प्राप्तियां एवं संवितरण जैसे अल्प बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमाएं, उचंत, प्रेषण, इत्यादि जो संचित निधि का भाग नहीं हैं। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और राज्य विधान सभा द्वारा मतदान के अधीन नहीं है। यहां, सरकार बैंकर की तरह कार्य करती है। संवितरण के पश्चात् शेष राशि सरकार के पास उपयोग के लिए उपलब्ध निधि है।

2.5 राज्य की प्राप्तियां

चार्ट 2.3 2020–21 के दौरान समग्र प्राप्तियों की संरचना प्रदान करता है।



2.6 राजस्व प्राप्तियां


2.6.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां और संवृद्धि

तालिका 2.3 पाँच वर्षों की अवधि 2016–21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों के साथ–साथ राजस्व उत्प्लावकता की प्रवृत्तियां एवं संवृद्धि प्रदान करती हैं। आगे, सकल राज्य घरेलू


उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां और राजस्व प्राप्तियों के संघटक क्रमशः चार्ट 2.4 एवं 2.5 में दिये गये हैं।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां					
विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	1,23,307	1,34,875	1,48,893	1,47,643	1,46,377
राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	16.87	9.38	10.39	(-)0.84	(-)0.86
स्वयं के कर राजस्व (₹ करोड़ में)	44,194	44,811	50,882	55,824	54,459
स्वयं के करेतर राजस्व (₹ करोड़ में)	9,086	9,061	11,899	10,349	9,902
स्वयं के राजस्व की संवृद्धि दर (स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व) (प्रतिशत)	9.22	1.11	16.54	5.40	(-)2.74
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	6,49,823	7,26,338	8,13,820	9,37,405	9,17,555
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	20.10	11.80	12.00	15.20	(-)2.10
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	18.98	18.57	18.30	15.75	15.95
उत्प्लावकता अनुपात ²					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता	0.84	0.79	0.87	(-)0.06	0.41
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य की स्वयं की राजस्व उत्प्लावकता	0.46	0.09	1.38	0.36	1.30

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी



² उत्प्लावकता अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्तनीयता की लोच या डिग्री की गतिशीलता को इग्नोर करता है। उदाहरण के लिए 1.85 पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत से वृद्धि होने पर राजस्व प्राप्ति में 1.85 प्रतिशत से वृद्धि होती है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य की राजस्व प्राप्तियों से संबंधित सामान्य प्रवृत्तियां निम्न प्रकार हैं:

- मध्य प्रदेश ने पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में नकारात्मक वृद्धि (-0.86 प्रतिशत) दर्ज की जो पड़ोसी राज्यों जैसे राजस्थान (-4.10 प्रतिशत), झारखण्ड (-3.90 प्रतिशत) एवं महाराष्ट्र (-4.90 प्रतिशत) की तुलना में बेहतर है।
- 2016–20 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में 19.74 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, 2020–21 में मामूली रूप से घटकर ₹1,46,377 करोड़ हो गयी जो मुख्यतः भारत सरकार से संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश प्राप्ति में पांच प्रतिशत से अधिक की कमी के कारण थी।
- 2016–17 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 43 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया, जबकि केंद्रीय कर अंतरण और सहायतानुदान के रूप में केंद्र सरकार से अंतरण ने 57 प्रतिशत का योगदान दिया। वर्ष 2020–21 में, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 44 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया एवं केंद्रीय कर अंतरण और सहायतानुदान ने मिलकर 56 प्रतिशत का योगदान दिया।


2.6.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। केन्द्र सरकार से सहायतानुदान का निर्धारण केंद्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण की प्रमात्रा एवं योजनाओं के लिये प्रत्याशित केन्द्रीय सहायता के द्वारा होता है। अतिरिक्त संसाधनों के जुटाने में राज्य का प्रदर्शन इसके स्वयं के संसाधनों जिसमें स्वयं के कर एवं करेतर स्रोतों से राजस्व शामिल है के संदर्भ में आंकलित करना चाहिए।

2016–21 के दौरान मुख्य कर एवं करेतर राजस्व के संदर्भ में सकल संग्रहण एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका सापेक्ष अंश **परिशिष्ट 2.1** में दिया गया है।

2.6.2.1 स्वयं के कर राजस्व

पांच साल की अवधि 2016–21 के दौरान राज्य शासन का स्वयं के कर राजस्व चार्ट 2.6 में दिया गया है:



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2016–21 के दौरान एकत्र किए गए स्वयं के कर राजस्व का घटक–वार विवरण तालिका 2.4 में दिया गया है:

राजस्व शीर्ष	वर्ष (₹ करोड़ में)				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	22,561	14,984	9,903	11,258	13,296
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	8,696	18,508	20,448	17,258
राज्य उत्पाद शुल्क	7,533	8,245	9,542	10,829	9,526
वाहन कर	2,252	2,692	3,008	3,251	2,749
स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क	3,925	4,789	5,278	5,569	6,817
भू-राजस्व	407	491	384	562	504
माल तथा यात्री पर कर	3,805	1,159	118	145	75
विद्युत पर कर एवं शुल्क	2,621	2,590	2,616	2,268	2,608
अन्य कर ³	1,090	1,165	1,525	1,494	1,626
योग	44,194	44,811	50,882	55,824	54,459
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6,49,823	7,26,338	8,13,820	9,37,405	9,17,555
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व (प्रतिशत में)	6.80	6.17	6.25	5.96	5.94

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2016–20 के दौरान, राज्य का स्वयं का कर राजस्व 26.32 प्रतिशत से बढ़ा। यह 2019–20 में ₹55,824 करोड़ से 2020–21 में ₹54,459 करोड़ तक मामूली कम हुआ। वर्तमान वर्ष के दौरान, कर राजस्व के मुख्य अंशदाता राज्य वस्तु और सेवा कर (31.69 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर (24.41 प्रतिशत) एवं राज्य उत्पाद शुल्क (17.49 प्रतिशत) थे।

³ अन्य करों में कृषि भूमि के अलावा अचल संपत्ति पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर और वस्तुओं तथा सेवाओं पर शुल्क शामिल हैं।

2020–21 के दौरान, स्वयं का कर राजस्व पिछले वर्ष के सापेक्ष ₹1,365 करोड़ (2.45 प्रतिशत) से कम, मुख्यतः राज्य वस्तु और सेवा कर एवं राज्य उत्पाद शुल्क की प्राप्ति में कमी के कारण था, जो पड़ोसी राज्यों जैसे महाराष्ट्र (−13.10 प्रतिशत) एवं गुजरात (−11.10 प्रतिशत) से बेहतर था। कोविड-19 के कारण पंजीयन शुल्क की दर तीन प्रतिशत से घटाकर 2.50 प्रतिशत (मई 2020 से जून 2020 तक) की गई और अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को तीन प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक संख्या में पंजीयन किये गये परिणामस्वरूप ‘स्टाम्प और पंजीयन शुल्क’ के अंतर्गत उच्च राजस्व संग्रह हुआ।

2.6.2.2 राज्य वस्तु और सेवा कर

वस्तु और सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। वस्तु और सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम 2017 के अनुसार, केन्द्र सरकार राज्यों को पाँच वर्ष की अवधि के लिए वस्तु और सेवा कर के क्रियान्वयन के कारण हुई राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति करेगी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आधार वर्ष (2015–16) के राजस्व ₹15,329 करोड़ पर प्रति वर्ष 14 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर लागू करते हुए वर्ष 2020–21 के लिए मध्य प्रदेश का अनुमानित राजस्व ₹29,515 करोड़ परिकलित किया गया था।

2020–21 के दौरान, राज्य शासन ने मुख्य शीर्ष-0006 राज्य वस्तु और सेवा कर’ के अंतर्गत ₹17,258 करोड़ संग्रहित किए। भारत सरकार ने वस्तु और सेवा कर के क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न हुयी राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में वर्ष के दौरान ₹5,293 करोड़ जारी किए। इस प्रकार राज्य शासन को भारत सरकार से राजस्व की अनुमानित हानि की क्षतिपूर्ति ₹6,964 करोड़ से कम प्राप्त हुई। इसके अलावा, राज्य शासन को 2020–21 दौरान वस्तु और सेवा कर क्षतिपूर्ति में कमी के कारण संसाधन अंतर को पूरा करने के लिये भारत सरकार से ₹4,542 करोड़ का बैक टू बैक ऋण भी प्राप्त हुआ।

2.6.2.3 कर अपवंचन

आबकारी एवं करारोपण विभाग द्वारा कर अपवंचन के प्रकरणों का पता लगाना, प्रकरणों को अंतिम रूप देना और अतिरिक्त कर की मांग उठाना राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण के लिए किये गये प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। वापसी प्रकरणों के निस्तारण में तत्प्रता विभागीय निष्पादन का एक संकेतक है। वापसी के प्रकरणों का उच्च अवलंबन, लाल फीताशाही, निहित स्वार्थी, स्पीड मनी की व्यापकता, इत्यादि का संकेत हो सकते हैं।

31 मार्च 2021 तक खनन विभाग द्वारा प्रतिवेदित, कर अपवंचना के प्रकरणों की जांच, प्रकरणों को अंतिम रूप देना और अतिरिक्त कर की मांग को उठाने संबंधी विवरण नीचे तालिका 2.5 में दिया गया है:

राजस्व प्रकृति की	तालिका 2.5: कर अपवंचन जांच						31.03.2021 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या
	31.03.2020 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या	2020–21 के दौरान पता चले प्रकरणों की संख्या	कुल प्रकरणों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें जांच पूरी हुई और जुर्माना सहित अतिरिक्त मांग को उठाया गया	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
खनन	2,322	11,040	13,362	8,712	35.63	4,650	
योग	2,322	11,040	13,362	8,712	35.63	4,650	

स्रोत: संबंधित विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी

तालिका 2.6 विद्युत शुल्क, स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क एवं आबकारी विभाग के वापसी प्रकरणों का विवरण दर्शाती है।

तालिका 2.6: वापसी के प्रकरणों का विवरण							
संक्र.	विवरण	विद्युत शुल्क		स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क		आबकारी विभाग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष 2020–21 के प्रारंभ में बकाया दावे	1	1.07	2,398	7.77	97	3.70
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	13	7.43	8,748	34.27	428	20.44
3	वर्ष के दौरान की गई वापसी	9	5.51	7,898	32.48	428	20.70
4	वर्ष के दौरान खारिज की गई वापसियां	-	-	-	-	-	-
5	वर्ष 2020–21 के अंत में बकाया शेष	5	2.58	3,256	10.01	96*	3.35

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदत्त जानकारी

* विभाग द्वारा जब्त किये गये ₹0.09 करोड़ की राशि के रूप में सागर जिले के एक प्रकरण को अपवर्जित कर दिया गया है।

2.6.2.4 करेतर राजस्व


वर्ष 2016–21 के दौरान एकत्र किए गए करेतर राजस्व का घटक–वार विवरण तालिका 2.7 में दिया गया है:

राजस्व शीर्ष	(₹ करोड़ में)				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
अलौह खनन एवं धातु शोधन उद्योग	3,168	3,641	3,934	4,320	4,557
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,824	1,310	2,366	2,060	1,383
वानिकी एवं वन्य जीवन	918	1,112	1,043	833	1,240
ब्याज प्राप्तियां	582	639	880	443	243
लाभांश एवं लाभ	231	622	347	476	288
अन्य करेतर प्राप्तियां	2,363	1,737	3,329	2,217	2,191 ⁴
योग	9,086	9,061	11,899	10,349	9,902
राजस्व प्राप्तियां	1,23,307	1,34,875	1,48,893	1,47,643	1,46,377
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	7.37	6.72	7.99	7.01	6.76

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

करेतर राजस्व, जो अंतरवर्षीय उत्तार–चढ़ाव के साथ पाँच वर्षों की अवधि 2016–17 से 2020–21 के दौरान राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का सात से आठ प्रतिशत के मध्य था, 2016–17 से 2018–19 तक ₹2,813 करोड़ से बढ़ा परंतु 2018–19 से 2020–21 तक ₹1,997 करोड़ से कम हुआ। वर्तमान वर्ष के दौरान, करेतर राजस्व में मुख्य योगदानकर्ता अलौह खनन एवं धातु शोधन उद्योग (46.02 प्रतिशत), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (13.97 प्रतिशत) और वानिकी एवं वन्य जीवन (12.52 प्रतिशत) का था।


⁴ विविध सामान्य सेवाएं (₹599.43 करोड़), लघु सिंचाई (₹231.30 करोड़), अन्य प्रशासनिक सेवाएं (₹173.18 करोड़), मध्यम सिंचाई (₹140.30 करोड़), पैशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और वसूलियां (₹96.57 करोड़), चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य (₹183.42 करोड़), लोक निर्माण (₹107.97 करोड़), पुलिस (₹176.74 करोड़), ग्राम और लघु उद्योग (₹124.23 करोड़), फसल कृषि कर्म (₹32.44 करोड़), मुख्य सिंचाई (₹41.92 करोड़) और अन्य प्राप्तियां (₹283.50 करोड़) के अन्तर्गत प्राप्तियां शमिल हैं।



2018–19 के दौरान, करेतर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹1,056 करोड़ से) के अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राप्ति के गलत वर्गीकरण के कारण थी।

2.6.2.5 केन्द्र से निधियों का अंतरण

केन्द्र सरकार से निधियों का अंतरण वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है।



तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार पहले प्राप्त केंद्रीय करों में राज्य का अंश 32 प्रतिशत के बजाय चौदहवें वित्त आयोग ने 2015–16 से केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 42 प्रतिशत नियत किया। इसलिए 2015–16 से केंद्र से निधियों के अंतरण में वृद्धि हुई, जैसा कि चार्ट 2.9 में दिखाया गया।

केंद्रीय कर अंतरण

2016–21 के दौरान भारत सरकार से राज्य शासन को केन्द्रीय कर अंतरण का विवरण तालिका 2.8 में दिया गया है:

विवरण	(₹ करोड़ में)				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	-	716	14,188	14,052	13,947
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	-	5,132	1,132	-	-
निगम कर	14,752	15,569	19,990	16,884	14,155
निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	10,252	13,147	14,722	13,229	14,512
सीमा शुल्क	6,346	5,131	4,075	3,139	2,495
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	7,246	5,363	2,708	2,182	1,577
सेवा कर	7,434	5,795	531	-	203
सम्पत्ति पर कर	34	0	7	1	-
उत्पादों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	0	0	30	31	25
आय और व्यय पर अन्य कर	0	0	104	-	-
कुल केन्द्रीय कर अंतरण	46,064	50,853	57,487	49,518	46,914
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत	19.96	10.40	13.05	(-)13.86	(-)5.26
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष केन्द्रीय कर अंतरण का प्रतिशत	37.36	37.70	38.61	33.54	32.00

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

केन्द्रीय कर अंतरण 2016–17 में ₹46,064 करोड़ से 2018–19 में ₹57,487 करोड़ तक बढ़ा एवं 2018–19 में ₹57,487 करोड़ से 2020–21 में ₹46,914 करोड़ तक उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में 2020–21 में केन्द्रीय कर अंतरण में ₹2,604 करोड़ की कमी, मुख्य रूप से निगम कर (₹2,729 करोड़ से) एवं सीमा शुल्क (₹644 करोड़ से) के अन्तर्गत थी, अन्य शीर्षों के अन्तर्गत वृद्धि के द्वारा आंशिक प्रतिसंतुलित हुयी।

भारत सरकार से सहायतानुदान

राज्य सरकार वित्त आयोग की अनुशंसा पर आधारित सहायतानुदान एवं केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यों के अंश प्राप्त करती है। राज्य को भारत सरकार से सहायतानुदान का विवरण नीचे तालिका 2.9 में दिया गया है:

विवरण ⁵	(₹ करोड़ में)				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आयोजनेतर अनुदान	5,473	4,408	4,921	-	-
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	17,702	23,164	20,821	-	-
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	257	67	17	-	-
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	531	-	-	-	-
केंद्र प्रायोजित योजनाएं	-	-	-	19,548	21,340
राज्यों को अन्य अनुदान (वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने के कारण हुयी राजस्व हानि एवं राष्ट्रीय आपदा विमोचन निधि में अंशदान के लिए योगदान की प्रतिपूर्ति के लिये)	-	2,511	2,866	6,327	7,185
वित्त आयोग अनुदान	-	-	-	6,078	6,577
योग	23,963	30,150	28,625	31,953	35,102
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत	30.73	25.82	(-)5.06	11.63	9.86
राजस्व प्राप्तियां	1,23,307	1,34,875	1,48,893	1,47,643	1,46,377
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	19.43	22.35	19.23	21.64	23.98

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

⁵ लेखा—महानियंत्रक ने 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी सहायता अनुदान के वर्गीकरण को पुनरीक्षित किया है। हालांकि, मध्य प्रदेश के लेखों में 1 अप्रैल 2019 से पुनरीक्षण प्रभावी किया गया।

भारत सरकार से सहायतानुदान में 2016–17 में ₹23,963 करोड़ से 2020–21 में ₹35,102 करोड़ तक लगातार वृद्धि हुई सिवाय 2018–19 में हुई कमी को छोड़कर जिसे राज्य योजनागत योजनाओं के अनुदान में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। योजनागत एवं गैर-योजनागत वर्गीकरण को वित्त वर्ष 2019–20 से वार्षिक लेखों से समाप्त कर दिया गया था एवं भारत सरकार से दिया जाने वाला सहायतानुदान केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं, वित्त आयोग अनुदान एवं अन्य अनुदानों की निधियों के रूप में दिया गया। भारत सरकार से सहायतानुदान में पिछले वर्ष की तुलना में 2020–21 में ₹3,148 करोड़ (9.85 प्रतिशत) से वृद्धि प्रमुखतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में ₹1,269 करोड़ से एवं समग्र स्वच्छता कार्यक्रम में ₹791 करोड़ से वृद्धि के कारण थी। इसके अलावा, राज्य शासन को ऋण प्राप्ति के रूप में 2020–21 के दौरान वस्तु और सेवा कर क्षतिपूर्ति में कमी के बदले में ₹4,542 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण प्राप्त हुआ, जो अन्यथा भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में एक हस्तांतरण होगा।

2.7 चौदहवां/पन्द्रहवां वित्त आयोग अनुदान

चौदहवें वित्त आयोग के अनुसार स्थानीय निकायों एवं राज्य आपदा मोर्चन निधि के लिए राज्यों को अनुदान प्रदान किया जाता है। स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों) के लिए अनुदान, पहले भारत सरकार से राज्य के लिये अंतरित होते हैं और वही अनुदान तब राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के लिए अंतरित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में दिये गये अनुदानों का वर्णन तालिका 2.10 में दिया गया है:

अंतरण	तालिका 2.10: अनुशंसित राशि, वास्तविक जारी एवं अंतरित सहायतानुदान								
	चौदहवें/पन्द्रहवें वित्त सिफारिशों			आयोग की			भारत सरकार द्वारा वास्तविक जारी		
	2016-20	2020-21	योग	2016-20	2020-21	योग	2016-20	2020-21	योग
(i) पंचायती राज संस्थानों को अनुदान	12,092.75	3,984.00	16,076.75	11,299.59	3,984.00	15,283.59	11,299.59	3,984.00	15,283.59
(अ) सामान्य मूलभूत अनुदान	10,737.11	3,984.00	1,4721.11	10,737.11	3,984.00	14,721.11	10,737.11	3,984.00	14,721.11
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	1,355.64	-	1,355.64	562.48	-	562.48	562.48	-	562.48
(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	4,679.80	1,918.00	6,597.80	4,077.26	1,918.00	5,995.26	4,077.26	1,918.00	5,995.26
(अ) सामान्य मूलभूत अनुदान	3,644.49	1,918.00	5,562.49	3,644.49	1,918.00	5,562.49	3,644.49	1,918.00	5,562.49
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	1035.31	-	1,035.31	432.77	-	432.77	432.77	-	432.77
स्थानीय निकायों का योग	16,772.55	5,902.00	22,674.55	15,376.85	5,902.00	21,278.85	15,376.85	5,902.00	21,278.85
राज्य आपदा मोर्चन निधि*	3,573.00	1820.00	5,393.00	2,977.50	1,820.00	4,797.50	2,977.50	1,820.00	4,797.50

स्रोत: वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी

* कुल अनुदान का राज्य का 25 प्रतिशत अंश भी शामिल है।

2016–21 की अवधि के लिये चौदहवें/पन्द्रहवें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए ₹22,674.55 करोड़ (पंचायती राज संस्थानों के लिए ₹16,076.75 करोड़ और शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹6,597.80 करोड़) के अनुदान की अनुशंसा के विरुद्ध भारत सरकार ने मध्य प्रदेश शासन को ₹1,395.70 करोड़ कम जारी किए। इसके अलावा, चौदहवें/पन्द्रहवें वित्त आयोग ने 2016–21 की अवधि के लिए राज्य आपदा मोर्चन निधि को ₹5,393.00 करोड़ की अनुशंसा की। हालांकि, भारत सरकार ने राज्य को ₹595.50 करोड़ कम जारी किये।

2.8 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेश प्रक्रिया से प्राप्तियां, कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋणों, वित्त संस्थानों एवं वाणिज्यिक बैंकों से उधारियां) और भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम शामिल होती हैं।

पांच साल की अवधि 2016–21 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन की पूंजीगत प्राप्तियों का विवरण नीचे तालिका 2.11 में दिया गया है:

तालिका 2.11: पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों का विवरण						
(₹ करोड़ में)						
स.क्र.	राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	24	19	13	14	14
2	अंतर्राज्यीय परिशोधन	-	-	-	-	-
3	कर्जों और अग्रिमों की वसूली	772 ⁶	5,070 ⁷	70	46	58
4	ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	796	5,089	83	60	72
5	ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	318.95	539.32	(-)98.37	(-)27.71	20.00
6	आंतरिक ऋण	28,581	19,975	28,701	29,496	54,242
7	आंतरिक ऋण की वृद्धि दर	53.18	(-)30.11	43.68	2.77	83.90
8	केंद्र सरकार से प्राप्त कर्ज और अग्रिम	1,267	1,917	3,796	4,868	10,929 ⁸
9	केंद्र सरकार से प्राप्त कर्जों और अग्रिमों की वृद्धि दर	(-)4.45	51.30	98.02	28.24	124.51
10	लोक ऋण प्राप्तियां (6+8)	29,847	21,892	32,497	34,364	65,171
11	पूंजीगत प्राप्तियां (4+10)	30,643	26,981	32,580	34,424	65,243
12	लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	49.35	(-) 26.65	48.44	5.75	89.65
13	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	20.10	11.80	12.00	15.20	(-)2.10
14	पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	51.89	(-)11.95	20.75	5.66	89.53

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य शासन की पूंजीगत प्राप्तियां 2019–20 में ₹34,424 करोड़ से 2020–21 में ₹65,243 करोड़ तक 89.53 प्रतिशत से बढ़ी, जो मुख्यतः आंतरिक ऋण में वृद्धि, 2019–20 में ₹29,496 करोड़ से 2020–21 में ₹54,242 करोड़, के कारण थी। कोविड-19 के कारण, केंद्र सरकार ने राज्य शासन को अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी थी। 1 अप्रैल 2020 को, भारत सरकार से कुल कर्ज की राशि ₹21,036 करोड़ (कुल लोक ऋण ₹1,80,829 करोड़ में से) थी।

⁶ इसमें से ₹507 करोड़ कृषि और संबद्ध गतिविधियों के कर्जों की वसूली से संबंधित हैं।

⁷ इसमें से ₹4,622 करोड़ 'उर्जा परियोजनाओं के लिए कर्जों की वसूली से संबंधित हैं।

⁸ इसमें से ₹4,542 करोड़ वस्तु एवं सेवा कर के मुआवजे के बदले बैंक टू बैंक ऋण से संबंधित हैं।

2.9 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों के एकत्रीकरण में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में वर्ष 2020–21 के लिए स्वयं के कर और करेतर स्रोत शामिल कर किया जाता है।

विवरण	पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक	वास्तविक से भिन्नता का प्रतिशत	
				(₹ करोड़ में) पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान
स्वयं के कर राजस्व	73,449	48,801	54,459	(-)25.85	11.59
करेतर राजस्व	12,322	8,860	9,902	(-)19.64	11.76
योग	85,771	57,661	64,361	(-)24.96	11.62

स्रोत: वित्त लेखे 2020–21, पन्द्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन और बजट अनुमान

तालिका 2.12 से, यह देखा जा सकता है कि राज्य शासन ने संसाधन जुटाने के लिए बजट अनुमानों में निर्धारित लक्ष्यों को 11.62 प्रतिशत से अधिक कर दिया, जिसमें अधिकांश भाग स्वयं के कर राजस्व ₹5,658 करोड़ का था।

2.10 संसाधनों का अनुप्रयोग

राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के अन्तर्गत व्ययों को उठाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार में निहित है, जबकि उसी समय पर यह सुनिश्चित करना कि राज्य की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया पूंजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास की दिशा में किये गये व्यय की कीमत पर नहीं है। यह कंडिका, उप-कंडिकाओं के साथ राज्य में व्यय के आवंटन का विश्लेषण देता है।

2.10.1 व्यय की संवृद्धि और संरचना

वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान कुल व्यय, इसकी संरचना एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनकी सापेक्ष हिस्सेदारी तालिका 2.13 में प्रस्तुत की गई है:


मापदण्ड	तालिका 2.13: कुल व्यय और इसके संघटक				
	(₹ करोड़ में) 2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय	1,51,766	1,62,709	1,72,663	1,80,672	1,96,319
राजस्व व्यय	1,19,537	1,30,246	1,42,149	1,50,444	1,64,733
पूंजीगत व्यय	27,288	30,913	29,424	29,241	30,356
कर्ज और अग्रिम	4,941	1,550	1,090	987	1,230
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6,49,823	7,26,338	8,13,820	9,37,405	9,17,555
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	23.35	22.40	21.22	19.27	21.40
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	18.40	17.93	17.47	16.05	17.95
पूंजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4.20	4.26	3.62	3.12	3.31
कर्ज तथा अग्रिम/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.76	0.21	0.13	0.11	0.13

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


राज्य का कुल व्यय 2016–17 में ₹1,51,766 करोड़ से 2020–21 में ₹1,96,319 करोड़ तक 29 प्रतिशत से बढ़ा। 2020–21 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 8.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सकल राज्य

घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, 2016–21 के दौरान कुल व्यय अंतरवर्षीय उतार–चढ़ाव के साथ 23.35 प्रतिशत से 21.40 प्रतिशत तक कम हुआ।


चार्ट 2.10 और 2.11, 2016–21 की अवधि में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियां प्रस्तुत करते हैं जबकि चार्ट 2.12 कुल व्यय में घटकों के हिस्सेदारी की प्रवृत्ति को दर्शाता है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पिछले पांच वर्षों में अंतरर्वर्षीय उतार-चढ़ाव के साथ पूँजीगत प्राप्तियों में सामान्यतः घटने की प्रवृत्ति दिखाई दी, इसका हिस्सा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 2016–17 में 4.20 प्रतिशत से 2020–21 में 3.31 प्रतिशत तक कम हुआ।


गतिविधियों के संदर्भ में, कुल व्यय सामान्य सेवाओं, ब्याज भुगतान सहित, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और अन्य पर व्यय से अंगभूत हैं। 2020–21 के दौरान कुल व्यय ₹1,96,319 करोड़ (संदर्भ परिशिष्ट 2.1) में इन घटकों का सापेक्ष हिस्सा तालिका 2.14 में दिया गया है:

मापदण्ड	व्यय में विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष अंश					(प्रतिशत में)
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	
सामान्य सेवाएं	18.85	20.19	22.49	22.59	24.88	
सामाजिक सेवाएं	33.75	39.15	37.31	39.38	39.17	
आर्थिक सेवाएं	39.66	35.37	35.12	34.22	32.32	
अन्य (स्थानीय निकायों के लिये अनुदान और कर्ज एवं अग्रिम)	7.74	5.29	5.08	3.81	3.63	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

व्यय के उपरोक्त घटकों के सापेक्ष अंशों से संकेत मिलता है कि कुल व्यय में सामान्य सेवाओं के अंश में पिछले वर्ष की तुलना में 2020–21 के दौरान 2.29 प्रतिशत से वृद्धि हुई। हालांकि, ये बढ़ोत्तरी सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और अन्य के संबंधित हिस्से में कमी (कर्ज और अग्रिम के कम संवितरण के कारण) से प्रति संतुलित हुयी।

2020–21 के दौरान व्यय की संरचना चार्ट 2.13 में चित्रित है।



2.10.2 राजस्व व्यय


पिछले दायित्वों के भुगतान के लिये एवं सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने के लिये राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य की अवसंरचना एवं सेवा संजाल में कोई इजाफा नहीं करता है।

पाँच वर्षों की अवधि 2016–21 के दौरान राजस्व व्यय की संवृद्धि दर ने व्यापक उतार–चढ़ाव प्रदर्शित किया। समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, इसका कुल व्यय से अनुपात एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष उत्प्लावकता और राजस्व प्राप्तियों से इसका अनुपात तालिका 2.15 में प्रदर्शित है। 2020–21 से संबंधित राजस्व व्यय का क्षेत्र–वार वितरण चार्ट 2.14 में दिया गया है:

मापदण्ड	तालिका 2.15: राजस्व व्यय—मूल मापदण्ड				
	(₹ करोड़ में)	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय	1,51,767	1,62,709	1,72,664	1,80,672	1,96,319
राजस्व व्यय	1,19,537	1,30,246	1,42,149	1,50,444	1,64,733
राजस्व व्यय की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	19.81	8.96	9.14	5.84	9.50
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	78.76	80.05	82.33	83.27	83.91
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6,49,823	7,26,338	8,13,820	9,37,405	9,17,555
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	18.40	17.93	17.47	16.05	17.95
राजस्व प्राप्तियां	1,23,307	1,34,875	1,48,893	1,47,643	1,46,377
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	96.94	96.57	95.47	101.90	112.54
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता के साथ					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.99	0.76	0.76	0.38	(-4.52)
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	1.17	0.96	0.88	(-6.95)	(-11.05)

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राजस्व व्यय की उत्प्लावकता के साथ राजस्व प्राप्तियों (अनुपात) में पिछले वर्ष की तुलना में 2020–21 के दौरान 4.10 प्रतिशत से कमी आई।



स्रोत: वित्त लेखे 2020–21

2020–21 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में 1.90 प्रतिशत से वृद्धि हुयी, हालांकि इसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹14,289 करोड़ (9.50 प्रतिशत) की वृद्धि देखी गई। इसके अलावा, मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण (₹1,54,110 करोड़) में किए गए आंकलन की तुलना में राजस्व व्यय ₹10,623 करोड़ से अधिक हुआ।

2.10.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

2019–20 की तुलना में 2020–21 के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण भिन्नता का विवरण तालिका 2.16 में वर्णित है।

तालिका 2.16: 2019–20 की तुलना में 202–21 के दौरान राजस्व व्यय में भिन्नता			
लेखा का मुख्य शीर्ष	2019-20	2020-21	(₹ करोड़ में) भिन्नता (प्रतिशत)
2045-वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	31.20	2,086.96	2,055.76 (6,588.97)
2049-ब्याज भुगतान	14,216.52	15,917.87	1,701.35 (11.97)
2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ	12,053.48	14,670.70	2,617.22 (21.71)
2236-पोषण	1,485.98	1,116.31	(-)369.67 (24.88)
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	2,838.02	4,944.37	2,106.35 (74.22)
2401-फसल कृषि कर्म	9,164.91	6,196.92	(-)2,967.99 (32.38)
2408-खाद्य, भंडारण एवं वेयरहाउसिंग	938.81	2,845.81	1,907.00 (203.13)
2505-ग्रामीण रोजगार	1,650.00	3,559.65	1,909.65 (115.74)
2851-लघु एवं ग्रामोद्योग	693.05	465.19	(-)227.86 (32.88)

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 2071—पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ के अन्तर्गत राजस्व व्यय में ₹2,617 करोड़ से वृद्धि, प्रथमतः उच्च न्यायालय जजों के संदर्भ में पेंशनरी भुगतान पर व्यय में वृद्धि के कारण थी। आगे, 2020–21 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि शीर्ष 2245—प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत पर व्यय के अंतर्गत निर्देशन एवं प्रशासन और प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आक्रिमिक योजनाओं पर व्यय में वृद्धि के कारण थी। मुख्य शीर्ष 2401—फसल कृषि कर्म के अंतर्गत राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹2,968 करोड़ से कमी बीज एवं कृषि यांत्रिकी पर व्यय में कमी के कारण थी।

2.10.2.2 प्रतिबद्ध व्यय


राज्य सरकार के राजस्व लेखों पर प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी तथा पेंशन पर व्यय शामिल हैं। प्रतिबद्ध व्यय पर बढ़ती प्रवृत्ति सरकार को विकासात्मक क्षेत्र के लिए कम लचीलापन छोड़ती है।

तालिका 2.17 2016–21 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के संघटकों की प्रवृत्तियां प्रस्तुत करती हैं।

तालिका 2.17: प्रतिबद्ध व्यय के संघटक					
	(₹ करोड़ में)				
प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वेतन एवं मजदूरी	21,577	24,026	27,256	31,160	37,759
पेंशन पर व्यय	8,793	9,290	11,984	12,053	14,671
ब्याज भुगतान	9,079	11,045	12,696	14,217	15,918
राजसहायताएं	16,512	19,381	21,222	12,642	13,669
योग	55,961	63,742	73,158	70,072	82,017
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	17.50	17.81	18.31	21.10	25.80
पेंशन पर व्यय	7.13	6.89	8.05	8.16	10.02
ब्याज भुगतान	7.36	8.19	8.53	9.63	10.87
राजसहायताएं	13.39	14.37	14.25	8.56	9.34
योग	45.38	47.26	49.13	47.46	56.03
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	18.05	18.45	19.17	20.71	22.92
पेंशन पर व्यय	7.36	7.13	8.43	8.01	8.91
ब्याज भुगतान	7.60	8.48	8.93	9.45	9.66
राजसहायताएं	13.81	14.88	14.93	8.40	8.30
योग	46.81	48.94	51.47	46.58	49.79

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

प्रतिबद्ध व्यय 2016–17 में ₹55,961 करोड़ (राजस्व व्यय का 46.81 प्रतिशत) से 2020–21 में ₹82,017 करोड़ (राजस्व व्यय का 49.79 प्रतिशत) तक बढ़ा। हालांकि, 2019–20 की तुलना में 2020–21 में प्रतिबद्ध व्यय में ₹11,945 करोड़ (17.05 प्रतिशत) से वृद्धि मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी में 21.18 प्रतिशत की वृद्धि के कारण थी।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2020–21 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय (₹82,017 करोड़) कुल राजस्व व्यय (₹1,64,733 करोड़) का 49.79 प्रतिशत लेखांकित (चार्ट 2.15) था।

2.10.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भुगतान में अन-उन्मोचित दायित्व

2020–21 के दौरान पेंशन भुगतान पर व्यय ₹14,670.70 करोड़ था, जिसमें से ₹1,614.75 करोड़ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर व्यय हुआ जो 1 जनवरी 2005 या उसके बाद भर्ती हुये कर्मचारियों पर लागू होती है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.)

नवीन पेंशन योजना को 1 जनवरी 2005 से प्रारंभ में शासकीय कर्मचारियों के लिये अभिकल्पित किया गया था। आगे इसे 2009 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में पुनर्संरचित किया गया। योजना के अनुसार, कर्मचारी मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करता है, जिसमें राज्य शासन द्वारा समरूप अंश मिलाया जाता है और संपूर्ण राशि मनोनीत निधि प्रबंधक को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) के माध्यम से अंतरित की जाती है।

1 अक्टूबर 2009 से प्रभावी, मध्य प्रदेश शासन ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (सितम्बर 2008) द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों के अंशदान को शीर्ष 0071–01–500–‘अन्य लघु शीर्ष’ को अंतरण के लिए प्रतीक्षित प्राप्तियाँ के अंतर्गत एवं शासन के अंशदान को शीर्ष 2071–01–117–में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए शासकीय अंशदान से विकलित कर एवं उसके बाद शासकीय अंशदान को 0071–01–500 शीर्ष ‘अन्य लघु शीर्ष’ को अंतरण के लिए प्रतीक्षित प्राप्तियाँ में अंतरण हेतु वर्गीकृत करना शुरू किया।

वित्त लेखों पर आधारित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का विश्लेषण

अवधि 2012–13 से 2020–21 से संबंधित वित्त लेखों पर आधारित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का विश्लेषण तालिका 2.18 में दिया गया है:

तालिका 2.18: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत लेनदेनों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	से प्राप्त अंशदान का विवरण	निधि का राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड में अंतरण			
1	2	3	4	5	6
2012-13	113.86	122.72	236.58	228.78	7.80
2013-14	158.66	176.78	335.44	323.10	12.34
2014-15	216.73	239.40	456.13	438.47	17.66
2015-16	264.29	284.92	549.21	530.39	18.82
2016-17	313.40	336.94	650.34	628.48	21.86
2017-18	392.64	428.81	821.45	801.63	19.82
2018-19	424.82	728.88	1,153.70	1,040.60	113.10
2019-20	817.17	916.71	1,733.88	1,682.28	51.60
2020-21	1,516.40	1,614.75	3,131.15	3,116.94	14.21
योग	4,217.97	4,849.91	9,067.88	8,790.67	277.21

चौतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिका 2.18 से देखा जा सकता है, अवधि 2012–21 के दौरान कुल संग्रहित अंशदान ₹9,067.88 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान एवं सरकार का अंशदान) में से राज्य शासन ने मनोनीत प्राधिकारी को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड के माध्यम से केवल ₹8,790.67 करोड़ अंतरित

किये, परिणामस्वरूप योजना के प्रावधान के अनुसार आगे निवेश के लिये राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को ₹277.21 करोड़ कम अंतरित हुये। इस प्रकार, राज्य शासन की वर्तमान देयताएं भविष्य के वर्षों के लिये स्थगित हुयी। आगे, राज्य शासन ने राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को अंतरित नहीं की गई राशि पर परिहार्य ब्याज देयताएं सृजित की हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया कि अंशदान की गई अधिक राशि और राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को कम हस्तांतरित राशि का पुनर्मिलान प्रक्रियाधीन है।

2.10.2.4 राजसहायताएं

राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजसहायताएं 2019–20 में 8.56 प्रतिशत से 2020–21 में 9.34 प्रतिशत तक बढ़ी और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में 2019–20 में 8.40 प्रतिशत से 2020–21 में 8.30 प्रतिशत तक कम हुई। वास्तविक संदर्भों में, राजसहायताओं के भुगतान पर व्यय 2019–20 में ₹12,642 करोड़ से 2020–21 में ₹13,669 करोड़ तक बढ़ा, जिसे तालिका 2.19 में दिये गये विवरण से देखा जा सकता है।

विवरणियाँ	तालिका 2.19: 2016–21 के दौरान राजसहायताओं पर व्यय (₹ करोड़ में)				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजसहायताएं	16,512	19,381	21,222	12,642	13,669
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजसहायताएं	13.39	14.37	14.25	8.56	9.34
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में राजसहायताएं	13.81	14.88	14.93	8.40	8.30
राजस्व अधिशेष (+)/घाटा(–)	7,781	4,629	6,744	(-)2,801	(-)18,356
राजस्व अधिशेष (+)/घाटा(–) के प्रतिशत के रूप में	212	419	315	(-)451	(-)74
राजसहायताएं					

चौत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2020–21 के दौरान, राजसहायताओं में पिछले वर्ष की तुलना में ₹1,027 करोड़ से वृद्धि, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में ₹457 करोड़ से, और महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण में ₹120 करोड़ से अधिक राजसहायताएं देने के कारण हुयी।

2.10.2.5 स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को राज्य शासन द्वारा वित्तीय सहायता

2016–21 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदानों एवं कर्जों के माध्यम से प्रदान की गयी सहायता की मात्रा को तालिका 2.20 में प्रस्तुत किया है:

संस्थानों को वित्तीय सहायता	तालिका 2.20: स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता (₹ करोड़ में)				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(अ) स्थानीय निकाय					
पंचायती राज संस्थान	16,807.89	27,638.46	26,301.03	18,828.94	19,103.09
शहरी स्थानीय निकाय	8,194.05	11,002.14	11,408.89	6,204.28	6,873.93
योग (अ)	25,001.94	38,640.60	37,709.92	25,033.22	25,977.02
(ब) अन्य					
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	91.50	979.15	661.03	93.50	51.84
स्वायत्त निकाय	10,241.06	1,567.26	2,245.30	3,099.07	3,223.99
सहकारी समितियाँ और सहकारी संस्थाएं	0.00	146.35	80.28	0.00	0.00
गैर-सरकारी संगठन	2,498.40	3,097.42	1,280.38	689.03	880.53
अन्य	10,912.97	7,766.15	11,368.55	35,292.46	33,310.86

तालिका 2.20: स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता					
	(₹ करोड़ में)				
संस्थानों को वित्तीय सहायता	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
₹10 करोड़ से कम व्यय वाली अन्य योजनाएं	1,234.28	1,258.06	1,082.58	1,051.05	826.71
योग (ब)	24,978.21	14,814.39	16,718.12	40,225.11	38,293.93
महायोग (अ+ब)	49,980.15	53,454.99	54,428.04	65,258.33	64,270.95
राजस्व व्यय	1,19,537.37	1,30,246.09	1,42,149.21	1,50,444.30	1,64,733.01
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता	41.81	41.04	38.29	43.38	39.02


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता 2016–17 में ₹49,980.15 करोड़ से 2020–21 में ₹64,270.95 करोड़ तक ₹14,290.80 करोड़ से बढ़ी। पिछले वर्ष की तुलना में स्थानीय निकायों की वित्तीय सहायता ₹943.80 करोड़ से बढ़ी।

राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता अंतरर्वर्षीय उतार चढ़ाव के साथ 2016–17 में 41.81 प्रतिशत से 2020–21 में 39.02 प्रतिशत तक कम हुयी।

2.10.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय में प्राथमिक रूप से स्थायी अवसंरचना परिसंपत्तियों, जैसे— भवन, सड़कें, पुलों, इत्यादि के निर्माण पर व्यय शामिल होता है। पाँच वर्ष की अवधि 2016–21 के दौरान बजट के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण चार्ट 2.16 में दिया गया है:



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट पुस्तिकारं

पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य का पूंजीगत व्यय 2016–17 में ₹27,288 करोड़ से 2020–21 में ₹30,356 करोड़ तक अंतरर्वर्षीय उतार–चढ़ाव के साथ बढ़ा।

2.10.3.1 पूंजीगत व्यय में मुख्य परिवर्तन

तालिका 2.21 विगत वर्ष के सापेक्ष 2020–21 के दौरान पूंजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि या कमी के प्रकरणों को प्रदर्शित करती है।

तालिका 2.21: 2019–20 की तुलना में 2020–21 के दौरान पूंजीगत व्यय में भिन्नता			
लेखा मुख्य शीर्ष	2019-20	2020-21	भिन्नता (प्रतिशत) (₹ करोड़ में)
4059—लोक निर्माण पर पूंजीगत व्यय	406.46	366.67	(-)39.79(9.79)
4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत व्यय	1,490.26	1,298.59	(-)191.67(12.86)
4210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय	1,096.31	738.98	(-)357.33(32.59)
4215—जलापूर्ती एवं स्वच्छता पर पूंजीगत व्यय	2,399.86	3,951.35	1,551.49(64.65)
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत व्यय	782.18	1,208.29	426.11(54.48)
4225—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत व्यय	982.48	822.23	(-)160.25(16.31)
4406—वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत व्यय	537.55	916.58	379.03(70.51)
4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत व्यय	4,452.28	3,782.09	(-)670.19(15.05)
4700—वृहद् सिंचाई पर पूंजीगत व्यय	7,509.23	8,360.86	851.63(11.34)
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत व्यय	945.05	1,174.96	229.91(24.33)
5054—सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत व्यय	6,145.82	5,401.89	(-)743.93(12.10)
योग	28,298.97	26,471.00	(-)1,827.97 (6.46)
वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय	29,241.48	30,355.77	1,114.29(3.81)

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि कुल पूंजीगत व्यय का 28 प्रतिशत वृहद् सिंचाई पर खर्च किया गया यद्यपि यह पिछले वर्ष की तुलना में 2020–21 में ₹851.63 करोड़ से बढ़ा। कुल पूंजीगत व्यय का 18 प्रतिशत सड़कों एवं पुलों पर भी व्यय किया गया।

2.10.3.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

यदि राज्य सरकार घाटे में चल रही ऐसी शासकीय कंपनियों में निवेश करना जारी रखती है जिनका निवल मूल्य पूरी तरह समाप्त हो गया है, निवेश पर प्रतिलाभ की कोई संभावना नहीं है। इसी तरह, अनुभव ने घाटे में चल रहे निगमों एवं अन्य निकायों, जैसे—चीनी मिलों, वित्तीय निगमों आदि को दिये गये कर्जों को बट्टे खाते में डालने की अनिवार्यता को दिखाया है। ऐसी वित्तीय प्रक्रियाओं के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये अपेक्षित कदम उठाने होंगे। यह अनुभाग वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेश एवं अन्य पूंजीगत व्यय का एक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

कंपनियों, निगमों एवं अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

कंपनियों, निगमों एवं अन्य निकायों, जो घाटे में चल रहे हैं या जिनका निवल मूल्य पूरी तरह समाप्त हो गया है, में पूंजीगत व्यय संवहनीय नहीं है।

ऐसी कंपनियों (जैसे डिस्कॉम), निगमों (जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्तीय निगम) एवं सहकारिताओं (जैसे चीनी मिलों) में निवेश करना एवं कर्ज देना, पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किये गये पूंजीगत निवेश के अंश में निवेश पर प्रतिलाभ और विभिन्न निकायों को दिये जाने वाले कर्जों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्त्वपूर्ण निर्धारक हैं।

निवेश एवं प्रतिलाभ

2020–21 के वित्त लेखों के अनुसार, मध्य प्रदेश शासन ने 31 मार्च 2021 तक राज्य में 35 सांविधिक निगमों, 44 शासकीय कंपनियों, 24 संयुक्त स्टॉक कंपनियां और साझेदारियां, एक बैंक एवं 129 सहकारी संस्थाओं में ₹39,091.86 करोड़ का निवेश किया था। 2020–21 के दौरान राज्य शासन ने इन निवेशों पर ₹288.44 करोड़ का प्रतिलाभ अर्जित किया। पाँच वर्ष की अवधि 2016–21 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा किये गये निवेश का वर्ष–वार विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 2.22: 31 मार्च 2021 तक निवेश एवं निवेश पर प्रतिलाभ का विवरण					
इकाइयाँ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	(₹ करोड़ में) 2020-21
सांविधिक निगम (इकाइयों की संख्या)	10,316.45 (26)	8,760.96 (33)	9,259.66 (34)	10,038.35 (35)	10,892.35 (35)
शासकीय कंपनियां (इकाइयों की संख्या)	9,423.12 (35)	20,521.26 (43)	24,349.56 (41)	24,713.23 (41)	26,544.84 (44)
संयुक्त स्टॉक कंपनियां और साझेदारियां (इकाइयों की संख्या)	0.11 (23)	0.11 (23)	1.31 (24)	1.31 (24)	1.31 (24)
बैंक ⁹ (इकाइयों की संख्या)	नगण्य (01)	नगण्य (01)	नगण्य (01)	नगण्य (01)	नगण्य (01)
सहकारी संस्थाएं (इकाइयों की संख्या)	2,087.30 (133)	254.93 (130)	1,629.57 (130)	1,620.63 (130)	1,653.36 (129)
कुल निवेश	21,826.98	29,537.26	35,240.10	36,373.52	39,091.86
निवेश पर प्रतिलाभ	231.50	622.36	347.26	475.96	288.44
निवेश पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	1.06	2.11	0.99	1.31	0.74
शासकीय उधारियों पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	6.42	6.73	6.92	6.69	6.12
शासकीय उधार पर ब्याज एवं निवेश पर प्रतिलाभ के बीच अंतर (प्रतिशत)	5.36	4.62	5.93	5.38	5.38

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पाँच वर्ष की अवधि 2016–21 के दौरान निवेश पर औसत प्रतिलाभ दर 1.24 प्रतिशत थी, जबकि राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि के दौरान औसत ब्याज दर 6.58 प्रतिशत से भुगतान किया।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित विवरण जैसा कि उपरोक्त तालिका 2.22 (वित्त लेखों के अनुसार) में दिया गया है एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी में भिन्नता है। ये अंतर मुख्यतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) में प्राप्त प्रमाणकों के आधार पर शासकीय लेखों में पुस्तांकित किये निवेश लेनदेनों एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिये गए विवरण पृथक–पृथक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त होने के कारण उद्भूत हुये हैं।

राज्य शासन से (दिसम्बर 2021) एवं पूर्व वर्षों में भी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या के साथ–साथ राज्य शासन द्वारा इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किये गये निवेश में अंतरों का पुनर्मिलान करने एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के सही आंकड़ों की पुष्टि हेतु अनुरोध किया, ताकि इस संबंध में सही स्थिति प्रकट हों। राज्य शासन को अभी तक इस प्रकरण पर कार्रवाई करना है।

राज्य शासन द्वारा कर्ज एवं अग्रिम

राज्य शासन ने सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त कई संस्थानों/संगठनों को भी कर्ज एवं अग्रिम प्रदान किया है। तालिका 2.23 31 मार्च 2021 की स्थिति में बकाया कर्ज एवं अग्रिमों के साथ–साथ पाँच वर्ष की अवधि 2016–21 के दौरान ब्याज प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान प्रस्तुत करती है।

⁹ इसमें ग्रामीण एवं शहरी बैंक तथा औद्योगिक सहकारी बैंक शमिल हैं।

तालिका 2.23: बकाया कर्ज एवं अग्रिम तथा राज्य शासन द्वारा ब्याज प्राप्तियां एवं भुगतान (₹ करोड़ में)					
कर्ज/ब्याज प्राप्तियां/उधारियों की लागत की मात्रा	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कर्ज एवं अग्रिमों का प्रारंभिक शेष (1)	40,827 ¹⁰	44,989 ¹¹	41,124 ¹²	42,144	42,585 ¹³
वर्ष के दौरान संवितरित राशि (2)	4,941	1,550	1,090	987	1,230
वर्ष के दौरान वसूल राशि (3)	772	5,070	70	46	58
कर्ज तथा अग्रिमों का अंतिम शेष (4)	44,996	41,469	42,144	43,085	43,757
कर्ज तथा अग्रिमों का निवल संयोजन (5)=(2-3)	4,169	(-)3,520	1,020	941	1,172
ब्याज प्राप्तियां (6)	62	97	235	130	88
बकाया कर्ज तथा अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियां (7)	0.14	0.23	0.56	0.30	0.20
शासकीय उधारियों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत) (8)	6.42	6.73	6.92	6.69	6.12
बाजार उधारियों पर ब्याज दर एवं कर्जों पर प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर (प्रतिशत) (9)	6.28	6.50	6.36	6.39	5.92

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

31 मार्च 2021 तक बकाया कर्ज एवं अग्रिमों की कुल राशि ₹43,757 करोड़ थी। आर्थिक क्षेत्र (₹38,837 करोड़) में बकाया कर्ज एवं अग्रिम बहुत ज्यादा है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹455.93 करोड़ से वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान संवितरित कर्ज की राशि वर्तमान वर्ष में ₹987 करोड़ से ₹1,230 करोड़ तक 24.62 प्रतिशत से बढ़ी।

2020–21 के दौरान 6.12 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से उधारियों पर भुगतान किया गया, जबकि शासन द्वारा दिये गये कर्ज एवं अग्रिमों पर केवल 0.20 प्रतिशत की औसत ब्याज दर प्राप्त हुई।

2.10.4 अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी का अवरुद्धीकरण

अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों में अवरुद्ध पूंजी में प्रवृत्तियों का आंकलन भी पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करेगा। राज्य शासन ने उन परियोजनाओं का व्योरा उपलब्ध नहीं कराया जो निर्धारित समय से पीछे चल रहीं थीं, जहां अनुमानित लागत और समय–सीमा को पुनरीक्षित किया गया था। इस जानकारी के अभाव में, नीचे दी गयी अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण संपूर्ण राज्य के चयनित जल संसाधन संभागों में कुछ परियोजनाओं (₹100 करोड़ और अधिक की अनुमानित लागत पर शुरू की गई परियोजनाओं) की नमूना जांच पर आधारित है।

अपूर्ण कार्यों पर अवरुद्ध पूंजी, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। नमूना जांच के अनुसार 31 मार्च 2021 तक अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण नीचे तालिका 2.24 में सारांशीकृत किया है:

¹⁰ छत्तीसगढ़ को प्रोफॉर्मा अंतरण के कारण प्रारंभिक शेष ₹10.21 करोड़ से कम हुआ।

¹¹ छत्तीसगढ़ को प्रोफॉर्मा अंतरण के कारण प्रारंभिक शेष ₹6.74 करोड़ से कम हुआ।

¹² छत्तीसगढ़ को प्रोफॉर्मा अंतरण के कारण प्रारंभिक शेष ₹345.35 करोड़ से कम हुआ।

¹³ प्रोफॉर्मा सुधार के कारण प्रारंभिक शेष ₹500 करोड़ से कम हुआ।

विवरण	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	सभी अपूर्ण परियोजनाओं की प्रारंभिक बजट लागत	सभी अपूर्ण परियोजनाओं की संचयी वास्तविक लागत	परियोजनाओं की संख्या जिनकी लागत पुनरीक्षित की गई	परियोजना की अनुमानित लागत जिसके लिए लागत पुनरीक्षित की गयी		
					प्रारंभिक	पुनरीक्षित अनुमानित लागत	बढ़ी हुयी लागत
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	54	1,978.53	1,306.76	7	253.47	337.30	83.83
नर्मदा धाटी विकास प्राधिकरण	15	10,498.36	14,140.40	4	5,616.36	14,526.00	8,909.64
नगर निगम, भोपाल (सभी के लिये आवास)	03	364.97	13.90	-	-	-	-
योग	72	12,841.86	15,461.06	11	5,869.83	14,863.30	8,993.47

स्रोत: विभागों से प्रदाय जानकारी

परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब के परिणामस्वरूप परिकल्पित लाभों में विलम्ब के अलावा 11 परियोजनाओं में ₹8,993.47 करोड़ की लागत बढ़ गई।

संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये उधार ली गई राशि व्यर्थ साबित हुई, जबकि राज्य ऋण एवं ब्याज देयताओं को चुकाने का बोझ सतत वहन करता रहा। इन सभी उपरोक्त परियोजनाओं को आगे बिना किसी देरी के पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि समय की अधिकता के कारण लागत बढ़ने से बचा जा सके।

2.10.5 उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) का कार्यान्वयन

उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2015 में राज्य स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन एवं वित्तीय कायाकल्प के लिए प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ब्याज भार, विद्युत लागत, वितरण क्षेत्र में विद्युत हानि को कम करना एवं विद्युत वितरण कम्पनियों की परिचालन दक्षता में सुधार करना था।

मध्य प्रदेश शासन ने अगस्त 2016 में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों¹⁴ एवं ऊर्जा मंत्रालय (भारत सरकार) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन किया, जिसके अंतर्गत राज्य 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में ₹26,055 करोड़ (मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों के कुल ऋण ₹34,739 करोड़ का 75 प्रतिशत) मूल्य के ऋण को पॉच¹⁵ वर्षों में अधिग्रहण करेगी। मध्य प्रदेश शासन को 2020–21 के दौरान ₹4,621 करोड़ का ऋण भार ग्रहण करना आवश्यक था एवं उसी राशि को मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों को अनुदान के रूप में अंतरित करना था। ऐसा नहीं किया गया। तथापि, जैसा कि समझौता ज्ञापन में प्रतिबद्ध था, मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2017–18 के लिए मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों को हुई हानि

¹⁴ मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड शामिल हैं।

¹⁵ 2016–17 के दौरान ₹7,568 करोड़, 2017–18 के दौरान ₹4,622 करोड़, 2018–19 के दौरान ₹4,622 करोड़, 2019–20 के दौरान ₹4,622 करोड़, 2020–21 के दौरान ₹4,621 करोड़।

का पाँच प्रतिशत राशि ₹253.21 करोड़; 2018–19 में एवं 2018–19 के लिए हानि का 10 प्रतिशत राशि ₹729.95 करोड़ 2019–20 में एवं 2019–20 के लिए हानि का 25 प्रतिशत राशि ₹711.63 करोड़ का भार 2020–21 में ग्रहण किया। विवरण नीचे तालिका 2.25 में देखा जा सकता है:

तालिका 2.25: उदय के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता (₹ करोड़ में)					
वर्ष	इक्विटी	ऋण	अनुदान	अनुदान	योग
2016-17	3,557.00	-	4,011.00	-	7,568.00
2017-18	4,011.00	-	611.00	-	4,622.00
2018-19	-	-	500.00 ¹⁶	253.21	253.21
2019-20	-	-	-	729.95	729.95
2020-21	-	-	-	711.63	711.63
योग	7,568.00	-	4,622.00	1,694.79	13,884.79

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं उर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी

उर्जा विभाग ने बताया (दिसंबर 2020 एवं फरवरी 2021) कि वर्ष 2019–20 के लिये विद्युत वितरण कंपनियों को राशि के अंतरण के लिये वित्त विभाग द्वारा सहमति नहीं दी गई एवं वर्ष 2020–21 के लिये बजट में निधि का प्रावधान न होने के कारण विद्युत वितरण कंपनियों को राशि का अंतरण नहीं किया जा सका।

2.10.6 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता

सार्वजनिक निजी भागीदारी सरकार या वैद्यानिक इकाई और एक निजी क्षेत्र की इकाई के बीच ढांचा प्रदान करने के लिए एक व्यवस्था है, जो उन्हें बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जनता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक साथ काम करने में सक्षम बनाती है।

हमने पाया कि मार्च 2021 तक प्रारम्भ की गई 188 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं (लागत: ₹18,860.24 करोड़) में से, ₹14,672.24 करोड़ लागत की 141 परियोजनाओं (75 प्रतिशत) को पूर्ण किया गया था, जबकि ₹1,061.51 करोड़ लागत वाली 47 परियोजनाओं (3.19 प्रतिशत) में कार्य प्रगति पर था तथा ₹3,126.49 करोड़ लागत वाली 41 परियोजनाएं (21.81 प्रतिशत) प्रक्रियाधीन या बोली के अंतर्गत थीं। विवरण निम्न तालिका 2.26 में दिया गया है:

¹⁶ उर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन से स्वीकृति की प्राप्ति विलंब से मिलने के कारण पुनर्भुगतान की राशि ₹500 करोड़ को 2018–19 के लेखों में शामिल नहीं किया जा सका। इसके लिए 2020–21 के वित्त लेखों में गलती में सुधार (Correction of Error) किया जाएगा। अतः ₹500 करोड़ को तालिका में लेखांकित नहीं किया है।

तालिका 2.26: 31 मार्च 2021 को विभिन्न विभागों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विभाग	कुल परियोजनाएं		योजनाधीन/प्रक्रियाधीन		निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत		कार्यान्वयनाधीन/निर्माणाधीन		पूर्ण परियोजनाएं	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	3	176.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	176.48
2	ऊर्जा	3	382.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	382.70
3	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1	138.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	138.50
4	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2	374.92	0	0.00	1	125.00	0	0.00	1	249.92
5	वन	4	196.68	1	130.00	1	50.00	1	15.68	1	1.00
6	आवास एवं पर्यावरण	3	47.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	47.00
7	चिकित्सा शिक्षा	1	105.73	1	105.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	67.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	67.00
9	लोक निर्माण कार्य	132	12,427.71	6	69.37	6	145.48	0	0.00	120	12,212.86
10	खेलकूद एवं युवा कल्याण	1	900.00	0	0.00	0	0.00	1	900.00	0	0.00
11	पर्यटन	3	35.00	0	0.00	1	15.00	0	0.00	2	20.00
12	परिवहन	1	1,094.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,094.00
13	आदिम जाति कल्याण	1	52.02	1	52.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14	नगरीय विकास एवं आवास	32	2,862.50	22	2,419.95	1	13.94	4	145.83	5	282.78
	योग	188	18,860.24	31	2,777.07	10	349.42	6	1,061.51	141	14,672.24

चोत: संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा प्रदायित जानकारी

2.10.7 व्यय की प्राथमिकता

मानव विकास के स्तरों को बढ़ाने के लिए राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है। कम राजकोषीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के अंतर्गत व्यय का कुल व्यय से अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी होती है, यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम है। इन घटकों का कुल व्यय से जितना अधिक अनुपात होता है, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर मानी जाती है।

2016–17 से 2020–21 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवा व्यय एवं पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य शासन की राजकोषीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण नीचे तालिका 2.27 में किया गया है:

राजकोषीय प्राथमिकता (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रतिशतता)	कुल व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय/ कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र का व्यय/ कुल व्यय	आर्थिक क्षेत्र का व्यय/ कुल व्यय	पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	शिक्षा पर व्यय/ कुल व्यय	स्वास्थ्य पर व्यय/ कुल व्यय	(प्रतिशत में)
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2016–17	17.12	72.16	37.00	35.16	19.77	14.93	5.49	
मध्य प्रदेश का (अनुपात) 2016–17	23.55	76.67	33.80	42.86	21.24	14.21	3.91	
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2020–21	16.18	67.45	38.97	28.48	13.03	15.00	6.74	
मध्य प्रदेश का (अनुपात) 2020–21	21.40	72.09	39.54	32.55	16.09	14.54	4.93	

2016–17 के साथ–साथ वर्तमान वर्ष 2020–21 दोनों के दौरान मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए आवंटन इन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में सामान्य संवर्ग राज्यों के औसत आवंटन की तुलना में कम रहा है। 2016–17 के साथ–साथ वर्तमान वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य के विकास व्यय के लिए आवंटन का अनुपात सामान्य संवर्ग राज्यों द्वारा आवंटित औसत मात्रा से अधिक था।

2.10.8 उद्देश्य शीर्ष–वार व्यय

वित्त लेखे केवल लघु शीर्ष तक के लेनदेन को दर्शाते हैं। इसलिए उद्देश्य शीर्ष स्तर पर वास्तविक मदों पर किए गए खर्च का बजटीय आवंटन एवं व्यय की सीमा (₹1,000 करोड़ से अधिक) की गहन समीक्षा नीचे तालिका 2.28 में दी गयी है:

तालिका 2.28: बजट प्राधिकार के सापेक्ष उद्देश्य शीर्ष–वार व्यय			
शीर्ष	बजट	व्यय	(₹ करोड़ में) उपयोगिता प्रतिशत
11—वेतन	31,305.54	35,916.13	114.73
12—मजदूरी	1,928.96	1,843.06	95.55
13—पेशन तथा पेंशन हितलाभ	15,548.77	13,079.69	84.12
15—सामाजिक सुरक्षा पेंशन	1,417.46	1,413.44	99.72
19—कार्यभारित आकस्मिक कर्मचारियों का वेतन	1,250.18	1,124.92	89.98
22—कार्यालयीन व्यय	1,127.38	1,076.17	95.46
31—पेशेवर सेवाओं के लिये भुगतान	2,997.14	2,901.00	96.79
33—अनुरक्षण	1,340.13	1,219.92	91.03
34—सामग्री एवं आपूर्ति	3,817.35	3,349.09	87.73
41—शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति	2,320.28	2,317.25	99.87
42—सहायतानुदान	71,287.53	63,534.64	89.12
43—अंशदान	1,600.16	1,641.13	102.56
44—राजसहायताएं	13,798.99	13,669.04	99.06
51—अन्य प्रभार	2,004.90	1,459.79	72.81
52—ब्याज भुगतान/लाभांश	17,025.54	15,934.35	93.59
64—मुख्य निर्माण कार्य	24,519.05	24,095.66	98.27
65—निवेश	2,921.88	2,732.81	93.53
73—अंतर लेखा हस्तांतरण	7,767.31	7,777.34	100.13
योग	2,03,978.55	1,95,085.43	95.64

स्रोत: वित्त लेखे एवं व्ही.एल.सी. आंकड़े 2020–21

जैसा कि उक्त तालिका से देखा जा सकता है, उपरोक्त उद्देश्य शीर्षों पर कुल बजटीय आवंटन ₹2,03,979 करोड़ में से, 2020–21 के दौरान विभिन्न उद्देश्य शीर्षों पर वास्तविक व्यय ₹1,95,085 करोड़ (95.64 प्रतिशत) था। उपरिलिखित 18 उद्देश्य शीर्षों में से, तीन उद्देश्य शीर्षों ने अपने आवंटन का 100 प्रतिशत से अधिक उपयोग किया।

2.11 लोक लेखा

कुछ लेनदेन जैसे अल्प बचत, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा, उचन्ता, प्रेषण, इत्यादि के संबंध में प्राप्तियों एवं संवितरण जो कि समेकित निधि का भाग नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं और राज्य विधान मण्डल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। सरकार इनके संबंध में बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात शेष राशि सरकार के पास विभिन्न उद्देश्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध निधि है।

2.11.1 निवल लोक लेखा शेष

मार्च 2021 के अन्त तक राज्य के लोक लेखा में संघटक—वार निवल शेष नीचे तालिका 2.29 में दिया गया है:


तालिका 2.29: वर्ष के 31 मार्च को लोक लेखा में संघटक—वार निवल शेष (₹ करोड़ में)						
क्षेत्र	उपक्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
झ. अल्प बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि, राज्य भविष्य निधियां एवं अन्य लेखा	14,493.19	14,331.30	16,577.33	19,033.74	19,894.09
झ. आरक्षित निधियां	(क) ब्याज सहित आरक्षित निधियां	770.46	102.46	75.43	5,199.92	5,684.40
	(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधियां	6,446.85	5,408.85	5,998.52	6,699.66	10,144.49
ट. जमा एवं अग्रिम	(क) ब्याज सहित जमा	2.93	-16.63	-31.54	-44.45	-66.79
	(ख) ब्याज रहित जमा	11,778.25	14,112.89	14,291.74	18,853.92	20,400.20
	(ग) अग्रिम	-3.93	-3.40	-3.40	-3.48	-3.48
ठ. उचन्ता एवं विविध	(ख) उचन्ता	-178.36	-679.42	-222.35	-1,391.42	-862.43
	(ग) अन्य लेखे	-9,236.12	-5,405.15	-7,762.72	-10,774.66	-20,177.29
	(घ) विदेशी देशों की सरकारों के साथ खोले गये लेखे	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15
	(ङ) विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ड. प्रेषण	(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	1,424.99	2,167.14	2,885.48	2,855.74	3,820.37
	(ख) अंतः सरकार समायोजन लेखा	-540.72	-579.47	-655.57	-694.37	-655.74
योग		24,957.39	29,438.42	31,152.77	39,734.45	38,177.67

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

संबंधित वर्षों के 31 मार्च तक लोक लेखा में संघटक—वार निवल शेष 2016–20 में उत्तरोत्तर 59.21 प्रतिशत से बढ़कर 2020–21 में मामूली कम हुआ। विगत वर्ष की तुलना में 2020–21 में लोक लेखा के निवल शेषों में ₹1,556.78 करोड़ से कमी मुख्यतः उचंत एवं विविध में ₹8,873.64 करोड़ से कमी के कारण

हुई, जो कि आरक्षित निधियों में ₹3,929.31 करोड़ से जमा एवं अग्रिमों में ₹1,523.94 करोड़ से और प्रेषण में ₹1,003.26 करोड़ की वृद्धि से आशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुयी।

पाँच वर्षों की अवधि 2016–21 में लोक लेखा में शेष राशि की संरचना में वार्षिक परिवर्तन चार्ट 2.17 में दिया गया है:



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.11.2 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां राज्य शासन के लोक लेखों के अंतर्गत पूर्ण परिभाषित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्मित की जाती है। इन निधियों को भारत या राज्य की समेकित निधि या बाह्य एजेंसियों के अंशदान या अनुदानों से पूरा किया जाता है। 2016–21 के दौरान आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन–देनों को तालिका 2.30 में सारांशीकृत किया गया है:

तालिका 2.30: 2016–21 के दौरान आरक्षित निधियों की स्थिति							
संक्र.	लेखा शीर्ष	आरक्षित निधियों की संख्या		1 अप्रैल 2016 को प्रारम्भिक शेष	2016–21 के दौरान प्राप्तियां	2016–21 के दौरान संवितरण	31 मार्च 2021 को अंतिम शेष
		संचालित	असंचालित				
ब्याज सहित आरक्षित निधियां							
1	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	02	00	770.46	17,216.54	12,302.61	5,684.39
ब्याज रहित आरक्षित निधियां							
1	8223-सूखा राहत निधि	00	01	5.93	-	-	5.93
2	8226-मूल्य हास/नवीकरण आरक्षित निधि	00	01	4.64	-	-	4.64
3	8228-राजस्व आरक्षित निधि	01	00	31.70	-	0.0015	31.70

तालिका 2.30: 2016–21 के दौरान आरक्षित निधियों की स्थिति							
संक्र.	लेखा शीर्ष	आरक्षित निधियों की संख्या		1 अप्रैल 2016 को प्रारम्भिक शेष	2016–21 के दौरान प्राप्तियाँ	2016–21 के दौरान संवितरण	31 मार्च 2021 को अंतिम शेष
		संचालित	असंचालित				
4	8229-विकास एवं कल्याण निधि	06	04	6,924.67	6,972.17	3,869.72	10,027.10
5	8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	02	00	394.61	604.91	-	999.52
योग		11	06	8,132.01	24,793.62	16,172.33	16,753.30

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

31 मार्च 2021 तक विभिन्न आरक्षित निधियों में उपलब्ध कुल बकाया शेष ₹16,753 करोड़ में से मध्य प्रदेश शासन ने ₹959.49 करोड़ का निवेश किया जो मुख्यतः प्रत्याभूति विमोचन निधि (₹917 करोड़) के अंतर्गत था।

सरकार की देयताओं की स्थिति उसके निधियन एवं व्यय को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य आरक्षित निधियों का विश्लेषण, आगे की कंडिकाओं में वर्णित है।

2.11.2.1 राज्य आपदा मोचन निधि

राज्य ने तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ‘राज्य आपदा मोचन निधि’ का संचालन 2010–11 में शुरू किया। दिशानिर्देशों के संदर्भ एवं चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, केन्द्र एवं राज्य सरकारों को 75:25 के अनुपात में राज्य आपदा मोचन निधि में अंशदान किया जाना आवश्यक है। यह अंशदान मुख्य शीर्ष 8121 के अंतर्गत लोक लेखा में अंतरित किया जाना है तथा वर्ष के दौरान व्यय मुख्य शीर्ष 2245 के संचालन द्वारा किया जाता है। दिशानिर्देशों के संदर्भ में, गंभीर आपदाओं के मामलों में जहां राज्य आपदा मोचन निधि में शेष राशि आवश्यकता से कम होती है, केन्द्र सरकार राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से तत्काल राहत प्रदान कर सकती है। वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य शासन ने राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत ₹2,427 करोड़ (₹1,820 करोड़ केन्द्रांश एवं ₹607 करोड़ राज्यांश) की स्वीकृति जारी की थी।

वर्ष 2020–21 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य शासन को ₹1,891.79 करोड़ की अतिरिक्त सहायता जारी की, जिसे राज्य शासन द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत अंतरित किया गया। इस प्रकार, वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य शासन द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत कुल राशि ₹4,318.79 करोड़ थी। 2020–21 के दौरान ₹3,833.39 करोड़ का व्यय निधि से किया गया और 31 मार्च 2021 तक निधि में ₹485.40 करोड़ शेष था। राज्य आपदा मोचन निधि पर भारित व्यय का विवरण नीचे तालिका 2.31 में दिया गया है:

तालिका 2.31: राज्य आपदा मोचन निधि पर भारित व्यय का विवरण			
मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	(₹ करोड़ में) राशि
2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	01—सूखा	101—आनुग्रहिक राहत	18.09
		102—पेय जलापूर्ति	10.70
	02—बाढ़, चक्रवात, इत्यादि	101—आनुग्रहिक राहत	1,192.37
	05—राज्य आपदा मोचन निधि	101—आरक्षित निधि और जमा लेखों को	2,427.00 ¹⁷

¹⁷ केन्द्रांश ₹1,820.00 करोड़ एवं राज्यांश ₹607.00 करोड़ का मुख्य शीर्ष 8121–122—राज्य आपदा मोचन निधि में अंतरण।

तालिका 2.31: राज्य आपदा मोचन निधि पर भारित व्यय का विवरण			
मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	(₹ करोड़ में) राशि
		अन्तरण—राज्य आपदा मोचन निधि	
		901—घटाएं—राज्य आपदा मोचन निधि से पूरी की गई राशि	(-)1,941.60 ¹⁸
	80—सामान्य	001—निदेशन और प्रशासन	25.31
		102—विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन	106.95
		103—राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से राज्य को सहायता	1,891.79 ¹⁹ (-)1,891.79 ²⁰
		800—अन्य व्यय	3,105.55
	योग		4,944.37

स्रोत: वित्त लेखे 2020–21

2.11.2.2 प्रत्याभूति विमोचन निधि

राज्य शासन ने बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2005–06 में प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन किया। प्रत्याभूति विमोचन निधि के दिशानिर्देशानुसार, निधि में, पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क एवं राज्य शासन द्वारा समरूप अंशदान जमा किया जाना आवश्यक है। हालांकि यह राज्य वित्त सचिवों की समिति के प्रतिवेदन पर आधारित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है, जिसमें प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन प्रत्याभूतियों के जोखिम भार से पहले किया जाना है। इसके अलावा, राज्य शासन को निधि के गठन के समय बकाया प्रत्याभूतियों का कम से कम एक प्रतिशत अंशदान करना आवश्यक है एवं तत्पश्चात आगामी पाँच वर्षों में तीन प्रतिशत तक का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 0.50 प्रतिशत अंशदान करें। निधि का सही आकार विगत वर्ष की बकाया प्रत्याभूति का न्यूनतम तीन प्रतिशत हो सकता है।

2019–20 में राज्य शासन द्वारा ₹2.03 करोड़ की प्रत्याभूति शुल्क प्राप्त की गयी। दिशानिर्देशानुसार, वर्ष 2020–21 में राज्य द्वारा ₹4.06 करोड़ का निधि में अंशदान करना आवश्यक था।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों से निवेशित लेखा का पुनर्मिलान करने के बाद, पिछले वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज के पुनर्निवेश से संबंधित राशि ₹550.71 करोड़ निधि खाते में जमा की गई और राशि ₹507.99 करोड़ निवेश खाते में नामे की गई। 31 मार्च 2021 तक, कुल बकाया प्रत्याभूति ₹37,010.36 करोड़ के विरुद्ध निधि में शेष राशि ₹959.49 करोड़ थी। शेष राशि में से, राशि ₹916.77 करोड़ केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में निवेश की गयी थी।

2.12 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, सरकार के ऋण के प्रबंधन के लिए निधियन की आवश्यक राशि जुटाने हेतु एक रणनीति स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है, जो अपने जोखिम और लागत उद्देश्यों को प्राप्त करते


¹⁸ मुख्य शीर्ष 8121–122—राज्य आपदा मोचन निधि से पुनर्प्राप्ति।

¹⁹ राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से भारत सरकार द्वारा जारी राशि ₹1,891.79 करोड़ की अतिरिक्त सहायता मुख्य शीर्ष 8121–122—राज्य आपदा मोचन निधि में अंतरण।

²⁰ मुख्य शीर्ष 8121–122—राज्य आपदा मोचन निधि से पुनर्प्राप्ति।

है, और किसी भी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा किया जा सके जो सरकार ने अधिनियमन के माध्यम से या कोई अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं में निर्धारित किया हो।

2016–21 के बीच समग्र ऋण की प्रवृत्ति नीचे चार्ट 2.18 में देखी जा सकती है:



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी

नोट: ₹2,89,298 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से बैंक टू बैंक ऋण (₹4,542 करोड़) की राशि को हटाने के बाद कुल बकाया ऋण ₹2,84,756 करोड़ पर ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2020–21) की गणना की गयी है।

2.12.1 ऋण रूपरेखा: संघटक

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, लोक ऋण में राज्य सरकार का आंतरिक ऋण और केन्द्र सरकार से कर्ज एवं अग्रिम शामिल हैं। आंतरिक ऋण में बाजार कर्ज, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय एवं अग्रिम, क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र, वित्तीय संस्थानों से कर्ज एवं केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं।

प्राप्त कुल ऋण, ऋण का पुनर्भुगतान, ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात एवं पाँच वर्ष की अवधि 2016–21 के दौरान राज्य के पास उपलब्ध ऋण की वास्तविक मात्रा से संबंधित विवरण तालिका 2.32 में दिया गया है:

तालिका 2.32: ऋण की प्रवृत्ति							
स. क्र.	विवरण		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	(₹ करोड़ में) 2020-21
1.	बकाया ऋण		1,55,800	1,72,363	1,94,309	2,30,572	2,89,298
2.	लोक ऋण	आंतरिक ऋण	1,08,391	1,23,683	1,40,009	1,59,793	2,02,719
		भारत सरकार से कर्ज	13,917	14,741	17,389	21,036	30,523 ²¹
3.	लोक लेखा देयताएँ ²²		33,492	33,939	36,911	49,743	56,056
4.	कुल बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)		22.54	10.63	12.73	18.66	25.47
5.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद		6,49,823	7,26,338	8,13,820	9,37,405	9,17,555
6.	ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)		23.98	23.73	23.88	24.60	31.03 ²³

²¹ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में बैंक टू बैंक लोन ₹4,542 करोड़ सम्मिलित है।


²² लोक लेखा देयताओं में अल्प बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि, ब्याज सहित आरक्षित निधियां, ब्याज रहित आरक्षित निधियां, ब्याज सहित जमा, ब्याज रहित जमा शामिल हैं।

²³ ₹2,89,298 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से बैंक टू बैंक ऋण (₹4,542 करोड़) की राशि को हटाने के बाद कुल बकाया ऋण ₹2,84,756 करोड़ पर ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद की गणना की गयी है।

तालिका 2.32: ऋण की प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)						
संक्र.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
7.	कुल ऋण प्राप्तियां	64,106	52,579	71,063	85,613	1,37,196
8.	कुल ऋण पुनर्भुगतान	35,448	34,506	49,087	49,351	78,470
9.	कुल उपलब्ध ऋण (7-8)	28,658	18,073	21,976	36,262	58,726
10.	ऋण पुनर्भुगतान/ऋण प्राप्तियां (प्रतिशत)	55.30	65.63	69.08	57.64	57.20
11.	चौदहवें/पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत लक्ष्य (ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	23.70	23.80	23.90	24.90	28.80


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं चौदहवें/पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं

2019–20 की तुलना में 2020–21 में ऋण पुनर्भुगतान में ₹29,119, करोड़ (59 प्रतिशत) से वृद्धि हुई और 2019–20 की तुलना में कुल ऋण प्राप्तियों में भी ₹51,583 करोड़ (60.25 प्रतिशत) से वृद्धि हुई। ऊपर दिखाए गए कुल बकाया ऋण की राशि में राज्य के लिये पुनर्भुगतान दायित्व के बिना राज्य शासन को ऋण प्राप्ति के रूप में वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति के बदले ₹4,542 करोड़ का बैक टू बैक ऋण शामिल है। बैक टू बैक ऋण को शामिल किये बिना प्रभावी बकाया ऋण ₹2,84,756 करोड़ होगा। ऋण का घटक–वार विभाजन नीचे चार्ट 2.19 में दर्शाया गया है:




स्रोत: वित्त लेखे 2020–21

निम्न चार्ट 2.20 पिछले पांच वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण प्रतिमान को दर्शाता है, जबकि चार्ट 2.21 राज्य शासन द्वारा लिए गए आंतरिक ऋण और उसी अवधि के लिए पुनर्भुगतान को दर्शाता है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.12.1.1 राजकोषीय घाटा और उसके वित्तपोषण प्रतिमान के घटक

राजकोषीय घाटा, राज्य को राजस्व और ऋणेत्तर प्राप्तियों पर राजस्व और पूंजीगत व्यय (कर्ज और अग्रिम सहित) की अधिकता को पूरा करने के लिए राज्य की आवश्यक (मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक से अपने नकदी और निवेश शेष को आहरित करने एवं उधारी द्वारा) कुल वित्तपोषण का प्रतिनिधित्व करता है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण प्रतिमान तालिका 2.33 में परिलक्षित होता है:

तालिका 2.33: राजकोषीय घाटे का संघटन एवं इसका वित्तपोषण प्रतिमान (₹ करोड़ में)						
विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	
राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) (राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद)	(-27,664 (4.26)	(-22,745 (3.12)	(-23,688 (2.93)	(-32,970 (3.64)	(-49,870 (5.44)	
राजकोषीय घाटा/आधिक्य के घटक						
1 राजस्व घाटा(-) / आधिक्य(+)	3,770	4,629	6,744	(-)2,801	(-)18,356	
2 निवल पूँजीगत व्यय	(-)27,265	(-)30,894	(-)29,411	(-)29,228	(-)30,342	
3 निवल कर्ज एवं अग्रिम	(-)4,169	3,520	(-)1,021	(-)941	(-)1,172	
राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रतिमान						
1 बाजार उधारियां	14,551	13,125	15,001	16,550	38,773	
2 भारत सरकार से कर्ज	249	824	2,647	3,647	9,487	
3 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,266	1,348	1,086	2,970	3,582	
4 वित्तीय संस्थानों से कर्ज	1,590	913	334	310	572	
5 आरक्षित निधियां	(-)498	(-)1,038	590	5,827	3,929	
6 अल्प बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि	813	680	2,249	2,456	860	
7 जमा एवं अग्रिम	3,436	2,316	164	4,550	1,524	
8 उचंत एवं विविध	(-)842	110	(-)677	(-)1,552	640	
9 प्रेषण	(-)72	704	642	(-)69	1,003	
10 अन्य ²⁴	7,266	(-)94	(-)94	(-)47	0.00	
11 रोकड़ में वृद्धि (+)/कर्मी(-)	(-)95	3,857	1,746	(-)1,672	(-)10,500	
12 सकल राजकोषीय घाटा	27,664	22,745	23,688	32,970	49,870	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2020–21 के दौरान राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः 555.34 प्रतिशत एवं 51.26 प्रतिशत से बढ़ा।

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण वाले विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण को तालिका 2.34 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.34: राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण वाले घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण (₹ करोड़ में)				
स. क्र.	विवरण	प्राप्तियां	संवितरण	निवल
1	बाजार उधारियां	45,573	6,800	38,773
2	भारत सरकार से कर्ज	10,929	1,442	9,487
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	6,274	2,692	3,582
4	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	2,395	1,823	572
5	अल्प बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि	5,054	4,194	860
6	जमा एवं अग्रिम	58,687	57,163	1,524
7	उचंत एवं विविध	1,47,940	1,47,300	640
8	प्रेषण	15,513	14,510	1,003
9	आरक्षित निधियां	8,284.84	4,355.52	3,929
10	अन्य ²⁴	0.00	0.00	0.00
11	रोकड़ शेष में वृद्धि (+)/कर्मी(-)	7,061	17,561	(-)10,500
12	सकल राजकोषीय घाटा	--	--	49,870

स्रोत: वित्त लेखे 2020–21


²⁴ आकस्मिक निधि एवं निवेश एवं बंधपत्र के अधीन लेन–देन।

2.12.2 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान

लोक ऋण एवं उसकी परिपक्वता रूपरेखा का विवरण तालिका 2.35 एवं चार्ट 2.22 में नीचे दिया गया है:

तालिका 2.35: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा					
परिपक्वता वर्ष	परिपक्वता रूपरेखा	राशि	(₹ करोड़ में)	कुल लोक ऋण का प्रतिशत	
		आंतरिक ऋण भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम	कुल		
2021-22 तक	0-1 वर्ष	10,635.79	635.27	11,271.06	4.83
2022-23 एवं 2023-24 के मध्य	1-3 वर्ष	28,994.09	1,270.34	30,264.43	12.98
2024-25 एवं 2025-26 के मध्य	3-5 वर्ष	35,093.25	470.20	35,563.45	15.25
2026-27 एवं 2027-28 के मध्य	5-7 वर्ष	40,215.35	293.72	40,509.07	17.37
2028-29 से आगे	7 वर्ष से अधिक	76,995.12	488.76	77,483.88	33.22
अन्य (राज्य शासन के साथ मिलान/ऋण पुनर्भुगतान का विवरण अपेक्षित)		10,785.61	27,364.43 ²⁵	38,150.04	16.35
योग		2,02,719.21	30,522.72	2,33,241.93	-

स्रोत: वित्त लेखे 2020-21



स्रोत: वित्त लेखे 2020-21

31 मार्च 2021 तक लोक ऋण की बकाया मात्रा की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि ₹2,33,241.93 करोड़ के बकाया लोक ऋण में से, 50.42 प्रतिशत (₹1,17,608.01 करोड़) आगामी सात वर्षों के भीतर देय है जबकि शेष 49.58 प्रतिशत (₹1,15,633.92 करोड़) सात वर्षों से अधिक की परिपक्वता अवधि में है। कुल बकाया लोक ऋण में से, आंतरिक ऋण में बाजार उधारियां, नाबार्ड से कर्ज और केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों का 86.91 प्रतिशत (₹2,02,719.21 करोड़) शामिल है।

2019-20 की हमारे पिछले प्रतिवेदनों में दर्शाए गए और 2020-21 में वास्तविक किये गये भुगतान के सापेक्ष विवरण निम्न तालिका 2.36 में तालिकाबद्ध हैं:

²⁵ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में भारत सरकार से अन्य कर्जों एवं अग्रिमों में ₹4,542 करोड़ बैंक टू बैंक लोन शामिल हैं।

तालिका 2.36: लोक ऋण का भुगतान			
वर्ष	31 मार्च को बकाया ऋण	सांकेतिक भुगतान	(₹ करोड़ में) वास्तविक पुनर्भुगतान
2019-20	1,80,828.71	8,720.67	10,933.62
2020-21	2,33,241.93	10,328.67	12,757.30

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.13 ऋण संधारणीयता विश्लेषण

ऋण संधारणीय माना जाता है, यदि उधारकर्ता (इस प्रकरण में राज्य), अपने ऋण को अभी और भविष्य में चुकाने स्थिति में है। ऋण संधारणीयता संकेतक तदनुसार समय पर ब्याज भुगतान के माध्यम से ऋण की सेवा करने और राजस्व के चालू और नियमित स्त्रोतों से ऋण पुनर्भुगतान की क्षमता की जाँच करके उधारकर्ता की साथ योग्यता एवं तरलता स्थिति का आंकलन करना चाहते हैं।

यह अनुभाग ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात, राजकोषीय धाटा, ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात का मापन) एवं राज्य सरकार के ऋण परिपक्वता की रूपरेखा के संदर्भ में राज्य सरकार की ऋण संधारणीयता का आंकलन करता है।

तालिका 2.37 अवधि 2016–17 से 2020–21 के लिये इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण संधारणीयता दर्शाती है:

ऋण संधारणीयता संकेतक	संकेतक एवं प्रवृत्तियां				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बकाया लोक ऋण	1,22,308	1,38,424	1,57,398	1,80,829	2,33,242 ²⁶
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	25.59	13.18	13.71	14.89	28.98
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6,49,823	7,26,338	8,13,820	9,37,405	9,17,555
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	20.10	11.80	12.00	15.20	(-)2.10
लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	18.82	19.06	19.34	19.29	24.92 ²⁷
लोक ऋण के अन्तर्गत प्राप्तियां	29,847	21,892	32,497	34,364	65,171
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,925	5,776	13,524	10,934	12,757
ब्याज भुगतान	7,923	9,964	11,483	12,755	13,987
बकाया लोक ऋण पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.21	7.64	7.76	7.54	6.83 ²⁸
ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियों का अनुपात	6.43	7.39	7.71	8.64	9.56
ऋण पुनर्भुगतान से ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत	16.50	26.38	41.62	31.82	19.57
राज्य को निवल ऋण की उपलब्धता [#]	24,922	16,116	18,973	23,430	52,414
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल ऋण की उपलब्धता [#]	83.50	73.62	58.38	68.18	80.43

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

[#] राज्य शासन के लिए उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण प्राप्तियों की लोक ऋण पुनर्भुगतान एवं लोक ऋण पर ब्याज भुगतान की अधिकता के रूप में की जाती है।


तालिका 2.37 से देखा जा सकता है कि लोक ऋण के अन्तर्गत प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान 89.65 प्रतिशत से बढ़ीं। ब्याज भुगतान से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 2016–17 में 6.43 प्रतिशत से 2020–21 में 9.56 प्रतिशत तक बढ़ा।

²⁶ वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में भारत सरकार से बैंक टू बैंक ऋण ₹4,542 करोड़ शामिल है।

²⁷ लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की गणना बकाया लोक ऋण ₹2,33,242 करोड़ में से बैंक टू बैंक ऋण (₹4,542 करोड़) की राशि को छोड़कर बकाया लोक ऋण ₹2,28,700 करोड़ पर की गयी है।

²⁸ औसत ब्याज दर की गणना ₹4,542 करोड़ के बैंक टू बैंक ऋण को छोड़कर बकाया लोक ऋण पर की गयी है।

नीचे चार्ट 2.23 ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के संदर्भ में राज्य की ऋण संधारणीयता को में दर्शाया गया है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

नोट: ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात की गणना बकाया लोक ऋण ₹2,33,242 करोड़ में से बैक टू बैक ऋण (₹4,542 करोड़) की राशि को छोड़कर बकाया लोक ऋण ₹2,28,700 करोड़ पर की गयी है।

पिछले कुछ वर्षों में बकाया लोक ऋण लगातार 2016–17 में ₹1,22,308 करोड़ से 2020–21 के अन्त में ₹2,33,242 करोड़ तक बढ़ा। ये देयताएं 2019–20 में 14.89 प्रतिशत के विरुद्ध 2020–21 के दौरान 28.98 प्रतिशत से बढ़ीं। हालांकि, 2020–21 के दौरान बकाया लोक ऋण में राज्य को पुनर्भुगतान दायित्व के बिना वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति में कमी के बदले भारत सरकार से प्राप्त ₹4,542 करोड़ का बैक टू बैक ऋण भी शामिल है। इस बैक टू बैक ऋण को छोड़कर 2020–21 के दौरान राज्य की लोक ऋण वृद्धि दर 26.47 प्रतिशत थी।

पिछले वर्ष की तुलना में 2020–21 के दौरान बकाया लोक ऋण में वृद्धि मुख्यतः बाजार ऋण (₹38,773 करोड़ से) के अन्तर्गत थी। 2020–21 के अन्त में कुल वित्तीय देयताएं (लोक ऋण और अन्य देयताएं) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 31.03²⁹ प्रतिशत थीं और पंद्रहवें वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन के अन्तर्गत मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.83 प्रतिशत से अधिक नहीं) द्वारा निर्धारित सीमा से परे था। ऋण की बढ़ती मात्रा के परिणामस्वरूप ऋण चुकाने की देयताएं भी बढ़ गयी हैं।


2.13.1 उधार लिए गए धन का उपयोग

उधार लिए गए धन का उपयोग आदर्श रूप से पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान उपयोग को पूरा करने के लिए एवं बकाया कर्ज पर व्याज की अदायगी के लिए उधार लिए गए धन का उपयोग करना संधारणीय नहीं है। 2016–21 के दौरान उधार लिए गए धन के उपयोग की प्रवृत्तियाँ और विवरण तालिका 2.38 एवं चार्ट 2.24 में दिया गया है:

²⁹ वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति की कमी के बदले ₹4,542 करोड़ के बैक टू बैक ऋण को छोड़कर, लोक ऋण एवं अन्य देयताओं की राशि ₹2,84,756 करोड़ पर प्रतिशत की गणना की गयी है।

तालिका 2.38: उधार लिए गए धन का उपयोग					
विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	(₹ करोड़ में) 2020-21
कुल उधारियाँ (लोक ऋण एवं अन्य दायित्व)	64,105.57	52,578.89	71,062.85	85,612.99	1,37,196.38
पूर्व की उधारियों का पुनर्भुगतान (मूलधन)	35,448.03	34,505.58	49,086.80	49,350.88	78,469.58
उधारियों की निवल उपलब्ध निधि	28,657.54	18,073.31	21,976.05	36,262.11	58,726.80
निवल पूंजीगत व्यय	27,261.84	30,893.87	29,411.17	29,227.82	30,341.31
निवल कर्ज एवं अग्रिम	4,168.22	(-)3,519.33	1,019.78	941.30	1,172.00
राजस्व व्यय का भाग जो निवल उपलब्ध उधारियों से मिलता है	निरंक	निरंक	निरंक	6,092.99	27,213.49

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2016–21 की अवधि के दौरान ऋण का पुनर्भुगतान करने के बाद ऋण की निवल उपलब्ध निधि 30.92 प्रतिशत से 44.70 प्रतिशत के मध्य रही, जिससे विकासात्मक गतिविधियों के लिए सीमित धन राशि बची।

2.13.2 प्रत्याभूतियों-आकस्मिक देयताओं की स्थिति


प्रत्याभूतियाँ उधारकर्ता की चूक के कारण राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं, जिसके लिए प्रत्याभूति बढ़ाई गई है। राज्य शासन की कुल बकाया प्रत्याभूतियाँ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम³⁰ के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर थी। 2016–21 के दौरान राज्य शासन द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियाँ नीचे तालिका 2.39 में दर्शायी गयी हैं:

तालिका 2.39: राज्य शासन द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियाँ					
प्रत्याभूतियाँ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	(₹ करोड़ में) 2020-21
ब्याज सहित प्रत्याभूतियों की बकाया राशि लागू सीमा तक (मानदण्ड)	84,409	98,646	1,07,900	1,19,114	1,18,115
ब्याज सहित प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	33,397	14,003	30,763	30,930	37,010

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

³⁰ कुल प्रत्याभूतियाँ, पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी गयी बकाया प्रत्याभूतियां एवं अधिकतम प्रत्याभूति राशि का विवरण **परिशिष्ट 2.1** में दिया गया है। 31 मार्च 2021 को बकाया प्रत्याभूतियों के क्षेत्र—वार संघटक को **चार्ट 2.25** में दर्शाया गया है।



मध्य प्रदेश शासन ने 2020–21 के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा चूक के कारण प्रत्याभूतियों की किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया। प्रत्याभूति की अधिकतम राशि के संघटक ऊर्जा क्षेत्र की छह³¹ इकाइयां (₹9,596 करोड़), नगरीय विकास एवं आवास के छह³² संस्थान (₹7,477 करोड़), अन्य क्षेत्रों के पाँच³³ संस्थान (₹34,788 करोड़), राज्य वित्त निगम (₹1,150 करोड़) एवं सहकारिता (₹1,453 करोड़) थे।

प्रत्याभूति शुल्क प्रमुख ऋणी से प्रभारित किया जाता है जब तक कि विशेष रूप से छूट नहीं दी गयी हो। 2020–21 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन ने प्रत्याभूति शुल्क के रूप में कुल प्राप्य ₹64.54 करोड़ में से ₹26.59 करोड़ प्राप्त किए।

2.13.3 रोकड़ शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए एक समझौते के अनुसार, राज्य शासन को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद शेष ₹1.96 करोड़ बनाए रखना है। यदि यह शेष राशि निश्चित न्यूनतम से किसी दिन कम हो जाती है, उस कमी की पूर्ति समय—समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण लेकर की जाती है। 1 फरवरी 2016 से राज्य शासन के लिए साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ₹1,600 करोड़ थी और बैंक द्वारा समय—समय पर विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा को पुनरीक्षित किया जाता है।


2.13.3.1 रोकड़ शेष

मध्य प्रदेश शासन के 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021 को रोकड़ शेषों का विवरण **चार्ट 2.26** में दर्शाया गया है:

³¹ मध्य प्रदेश ऊर्जा उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश ऊर्जा पारेषण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश परिचम क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, इंदौर, मध्य प्रदेश ऊर्जा प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर।

³² नगर निगम, नगर पालिका, राज्य विकास इकाई, मध्य प्रदेश नगरीय विकास कम्पनी लिमिटेड, नगर परिषद, मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड।

³³ मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मध्य प्रदेश खाद्य, सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक निर्माण कार्य विभाग, उच्च शिक्षा।



स्रोत: वित्त लेखे 2020–21

2020–21 के दौरान राज्य शासन ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष को बनाए रखा एवं वर्ष के दौरान कोई साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण नहीं लिया गया।

2.13.3.2 रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 2.40 वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा रोकड़ शेष एवं इनमें से किए गए निवेशों का चित्रण करती है:

तालिका 2.40: रोकड़ शेष एवं उनका निवेश		
विवरण	1 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2021 को अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
कोषालयों में रोकड़	--	--
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	(-)4,623.28 ³⁴	(-)3,642.21 ³⁵
पारगमन में प्रेषण— स्थानीय	--	--
योग	(-)4,623.28	(-)3,642.21
रोकड़ शेष निवेश लेखे में हुए निवेश	11,270.17	20,788.72
योग (अ)	6,646.89	17,146.51
(ब) अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश		
विभागीय रोकड़ शेष	(-)3.21	(-)2.43
स्थायी पेशगी	0.83	0.83
उद्दिष्ट निधि में से निवेश	416.42	924.41
योग (ब)	414.04	922.81
महायोग (अ)+(ब)	7,060.93	18,069.32
प्राप्त ब्याज	145.29	144.73

स्रोत: वित्त लेखे 2020–21

³⁴ मार्च 2020 के समाप्त वर्ष पर “भारतीय रिजर्व बैंक में जमा” के अंतर्गत प्रधान महालेखाकार के लेखाओं में दर्शित ₹4,623.28 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹4,589.24 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में ₹34.04 करोड़ (जमा) का अंतर था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अंतर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखाओं में लेन–देनों की गलत रिपोर्टिंग है।

³⁵ मार्च 2021 के समाप्त वर्ष पर “भारतीय रिजर्व बैंक में जमा” के अंतर्गत प्रधान महालेखाकार के लेखाओं में दर्शित ₹3,642.21 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹3,584.24 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में ₹57.97 करोड़ (जमा) का अंतर था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अंतर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखाओं में लेन–देनों की गलत रिपोर्टिंग है।

वर्तमान वर्ष के अंत में राज्य शासन के रोकड़ शेष में उल्लेखनीय रूप से 2019–20 में ₹7,061 करोड़ से 2020–21 में ₹18,069 करोड़ तक ₹11,008 करोड़ की वृद्धि हुई। यह मुख्य रूप से कोषालय देयकों में निवेश में ₹9,519 करोड़ से वृद्धि के कारण था जो 2019–20 में ₹11,270 करोड़ से 2020–21 में ₹20,789 करोड़ तक हो गया।

राज्य शासन अपने रोकड़ शेष अधिशेष को भारत सरकार की अल्प और दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों और कोषालय देयकों में निवेश करती है। इस प्रकार के निवेश से प्राप्त लाभ को शीर्ष '0049—ब्याज प्राप्तियाँ' के अंतर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। 2020–21 के दौरान, राज्य शासन ने भारत सरकार के प्रतिभूतियों एवं कोषालय देयकों में किए गए निवेश से ₹145 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। वर्ष के अंत में उद्दिष्ट निधि में ₹924.41 करोड़ के निवेश से ₹916.77 करोड़ का निवेश प्रत्याभूति विमोचन निधि में किया गया था।


2016–17 से 2020–21 तक की संपूर्ण अवधि के लिए अर्जित ब्याज तालिका 2.41 में दिया गया है:

तालिका 2.41: रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष—8673)					(₹ करोड़ में)
वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/कमी(-)	अर्जित ब्याज	
2016-17	9,485.24	10,628.22	1,143.64	426.89	
2017-18	10,628.22	7,412.19	(-)3,216.03	491.39	
2018-19	7,412.19	8,638.46	956.27	146.45	
2019-20	8,638.46	11,270.17	2,631.71	145.29	
2020-21	11,270.17	20,788.72	9,518.55	144.73	


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2016–21 के दौरान राज्य शासन के रोकड़ शेष निवेश के अंतिम शेष का प्रवृत्ति विश्लेषण 31 मार्च 2017 को ₹10,628.22 करोड़ से 31 मार्च 2021 तक ₹20,788.72 करोड़ तक अंतरवर्षीय उतार–चढ़ाव के साथ ₹10,160.50 करोड़ से वृद्धि को दर्शाता है।

2016–21 की अवधि के दौरान नकद शेष निवेश लेखों में उपलब्ध शेषों एवं राज्य द्वारा लिए गए बाजार कर्ज की तुलना निम्न चार्ट 2.27 करता है। बाजार कर्ज अधिक ब्याज दरों पर लिया गया जबकि कोषालय देयकों में किए गए निवेश से कम दरों पर ब्याज प्राप्त हुआ।



वर्ष 2020–21 के दौरान बाजार कर्ज एवं रोकड़ शेष निवेश का माह–वार चित्रण नीचे चार्ट 2.28 में दर्शाया गया है।



स्रोत: मासिक सिविल लेखे 2020–21

अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक राज्य शासन द्वारा माह–वार रोकड़ शेष निवेश ₹5,814 करोड़ से ₹21,166 करोड़ के मध्य था, जबकि बाजार कर्ज ₹1,000 करोड़ से ₹11,000 करोड़ के मध्य था। इसके अलावा, 2020–21 में राज्य शासन द्वारा उधारियों पर ₹15,918 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया, जबकि रोकड़ शेष निवेश पर ₹144.73 करोड़ का ब्याज प्राप्त किया था।

राज्य शासन को आवश्यकता आधारित उधारी की नीति अपनानी चाहिए और न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखना चाहिए। इन वित्तीय वर्षों के अंत में ‘रोकड़ शेष निवेश लेखा’ में किया गया उच्च स्तर का निवेश इंगित करता है कि बेहतर नकदी प्रबंधन की आवश्यकता है।

2.14 निष्कर्ष

राज्य तीन मुख्य राजकोषीय लक्ष्यों अर्थात् राजस्व अधिशेष को बनाये रखना, राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात और कुल बकाया दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात में से कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका। लगातार दूसरे वर्ष, राज्य ने राजस्व घाटा (₹18,356 करोड़) दर्ज किया। पिछले वर्ष की तुलना में स्वयं के कर राजस्व और करेतर राजस्व दोनों में कमी आई। वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के कारण राजस्व की हानि के लिए राज्य ने क्षतिपूर्ति प्राप्त की।

राज्य शासन द्वारा ‘रोकड़ शेष निवेश लेखा’ में 2019–20 एवं 2020–21 के अंत में क्रमशः ₹7,060.93 करोड़ एवं ₹18,069.32 करोड़ निवेशित किये गये। रोकड़ शेष निवेश लेखे में ब्याज की न्यूनतम दर पर बड़ी राशि रखना जबकि ब्याज की उच्च दर पर उधारी लेना वित्तीय दुष्प्रिया है। इन वित्तीय वर्षों के अंत में रोकड़ शेष निवेश लेखा में किया गया उच्च स्तर का निवेश इंगित करता है कि बेहतर नकदी प्रबंधन की आवश्यकता है।

कोविड महामारी के दौरान कम आर्थिक गतिविधि के कारण, राज्य का राजस्व घाटा बढ़ा और इसीलिए राजकोषीय घाटा भी बढ़ा। राज्य शासन की बाजार से उधारी और भारत सरकार से कर्जों में 2019–20 में ₹20,197 करोड़ से 2020–21 में ₹48,260 करोड़ तक ₹28,063 करोड़ से वृद्धि हुयी। राज्य शासन ने

प्रत्याभूति विमोचन निधि की तीन प्रतिशत की सीमा और ऋण पुनर्भुगतान के मानदण्ड को पूरा किया, लेकिन इसने उदय योजना के तहत भारत सरकार और विद्युत वितरण कंपनियों के साथ अपने समझौता ज्ञापन में की गई अपनी प्रतिबद्धता/दायित्व का निर्वहन नहीं किया।

2.15 अनुशंसाएं

- i) राज्य शासन बजट अनुमानों के सापेक्ष राजस्व की वसूली में कमी के कारणों की समीक्षा करें और बेहतर कर अनुपालन सुनिश्चित करके कर और करेतर स्रोतों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने का पता लगा सकती है।
- ii) राज्य शासन को विभिन्न इकाइयों में अपने निवेशों एवं कर्जों अग्रिमों को इस प्रकार युक्तिसंगत बनाना चाहिए ताकि निवेश एवं कर्जों पर प्रतिलाभ कम से कम शासकीय उधारी लागतों से साम्य रखें।
- iii) राज्य शासन को बाद के ऋणों के संबंध में भारत सरकार एवं विद्युत वितरण कंपनियों के साथ त्रिपक्षीय ज्ञापन समझौते में की गई अपनी प्रतिबद्धता/कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता है।

अध्याय 3

बजटीय प्रबंधन

अध्याय 3—बजटीय प्रबंधन

3.1 प्रस्तावना

प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करता है कि नीतिगत स्तर पर लिये गये निर्णयों के बिना किसी अपव्यय या निधियों के व्यपवर्तन के प्रशासनिक स्तर पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित होते हैं। यह अध्याय राज्य शासन की आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजट निरूपण की पारदर्शिता एवं उसके क्रियान्वयन की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां करता है।

3.1.1 बजट तैयार करने की प्रक्रिया

मध्य प्रदेश शासन द्वारा बजट तैयारी में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विस्तृत रूप में निम्नानुसार है:




राज्य शासन अपने वार्षिक बजट तथा अनुदानों/विनियोगों की 70 मांगों की प्रस्तुती द्वारा राज्य की समेकित निधि में से व्यय के लिए विधायी अनुमोदन प्राप्त करता है। सामान्यतः प्रत्येक विभाग के पास अनुदान के लिए एक मांग होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए विभागाध्यक्ष नीति निर्णयों की जिम्मेदारी लेता है और सार्वजनिक धन को इच्छित उद्देश्यों के लिए व्यय करता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान मूल बजट राशि के आधिक्य में व्यय की पूर्ति के लिए अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान/विनियोग प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, राज्य शासन वर्ष के दौरान विनियोग की विभिन्न ईकाइयों जहां बचतें प्रत्याशित हैं, एक ही खंड (राजस्व—दत्तमत, राजस्व—भारित, पूंजीगत—दत्तमत, पूंजीगत—भारित) से उन ईकाइयों को जहां अतिरिक्त व्यय परकल्पित है, (उसी अनुदान/विनियोग के भीतर) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निधियों का पुनर्विनियोजन/पुनर्अवंटन किया जाता है।

सामान्यतः, मध्य प्रदेश का बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के फरवरी—मार्च के महीने में पारित किया जाता है, लेकिन राज्य शासन नियमित बजट के बजाय प्रथम चार महीनों के लिए 28 मार्च 2020 को अध्यादेश के माध्यम से लेखानुदान लेकर आया। इसके अलावा, दो अनुपूरक देयक क्रमशः 11 जनवरी 2021 और 12 मार्च 2021 को लाए गए।

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित कुल राशि, मूल और अनुपूरक बजट, व्यय और बचत सहित चार्ट 3.2 में नीचे दिये गए हैं:



स्रोत: विनियोग लेखे 2020–21

3.1.2 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचतों का सारांश

विनियोग लेखे, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के दत्तमत और भारित व्यय के लेखे हैं, जो कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदान और भारित विनियोग की राशि की तुलना में है, जैसा कि विनियोग अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट है।

कुल बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/आधिक्य की एक सारांश स्थिति, आगे इनका दत्तमत/भारित विभाजन तालिका 3.1 में दिया गया है।

वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत (-)/आधिक्य (+) (प्रतिशत)	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
2016-17	1,80,559.19	20,959.33	1,45,627.37	15,465.52	(-)34,931.82 (19.35)	(-)5,493.81 (26.21)
2017-18	1,83,449.30	23,020.25	1,54,183.67	17,948.74	(-)29,265.63 (15.95)	(-)5,071.51 (22.03)
2018-19	2,10,639.84	27,662.83	1,59,729.03	28,101.14	(-)50,910.81 (24.17)	(+)438.31 (1.58)
2019-20	2,24,923.47	32,001.93	1,68,171.91	26,621.87	(-)56,751.56 (25.23)	(-)5,380.06 (16.81)
2020-21	2,00,259.26	35,667.76	1,82,689.33	30,294.31	(-)17,569.93 (8.77)	(-)5,373.45 (15.06)

चोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

तालिका से देखा जा सकता है, कि दत्तमत बजट में बचतें लगभग नौ प्रतिशत थी जबकि भारित बजट में बचतें 15 प्रतिशत से अधिक थी।

3.2 विनियोग लेखे

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत विधानसभा द्वारा पारित अनुदानों की राशि और विनियोग अधिनियम की तुलना में विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय लेखे हैं, जो कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदानों और भारित विनियोगों की राशि की तुलना में है, जैसा कि विनियोग अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। इन लेखों में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, समर्पण और पुनर्विनियोजन प्रत्यक्ष रूप से सूचीबद्ध है। वे विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत और राजस्व व्यय का संकेत भी देते हैं, जो कि बजट के दोनों मद्दों भारित एवं दत्तमत के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है। इस प्रकार, विनियोग लेखें, निधियों की उपयोगिता की समझ, वित्त के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाता है, इसलिए वित्त लेखों का अनुपूरक है।

3.2.1 विनियोगों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय विनियोजन अधिनियमों के अंतर्गत दिये गये प्राधिकार के भीतर है और यह कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित होने के लिए आवश्यक व्यय इतना भारित है। यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप है अथवा नहीं।

3.2.2 विनियोग लेखों का सारांश

2020–21 के दौरान 70 अनुदानों/विनियोगों की तुलना में अनुपूरक बजट, वास्तविक व्यय और आधिक्य/बचत सहित बजट की सारांशीकृत स्थिति नीचे तालिका 3.2 में दी गई है।

तालिका 3.2: बजट प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति								
(₹ करोड़ में)								
दत्तमत / भारित	व्यय की प्रकृति	बजट (मूल)	बजट (अनुपूरक)	कुल बजट (मूल+अनुपूरक)	व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (प्रतिशत)	समर्पित राशि (प्रतिशत)	असमर्पित राशि (प्रतिशत)
दत्तमत	राजस्व	1,38,859.52	25,439.24	1,64,298.76	1,51,120.77	(-13,177.99 (8.02)	6,237.75 (47.33)	6,940.24 (52.67)
	पूंजीगत परिव्यय	29,883.35	4,362.13	34,245.48	30,338.49	(-)3,906.99 (11.40)	3,012.28 (77.10)	894.71 (22.90)
	ऋण एवं अप्रिम	1,536.40	178.62	1,715.02	1,230.07	(-)484.95 (28.28)	382.21 (78.81)	102.74 (21.19)
	योग दत्तमत	1,70,279.27	29,979.99	2,00,259.26	1,82,689.33	(-)17,569.93 (8.77)	9,632.24 (54.82)	7,937.69 (45.18)
भारित	राजस्व व्यय	18,505.49	549.54	19,055.03	17,518.96	(-)1,536.07 (8.06)	79.28 (5.16)	1,456.79 (94.84)
	पूंजीगत	266.60	निरंक	266.60	18.05	(-)248.55 (93.23)	235.91 (94.91)	12.64 (5.09)
	लोक ऋण	16,346.13	निरंक	16,346.13	12,757.30	(-)3,588.83 (21.96)	निरंक	(-)3,588.83 (100.00)
	योग भारित	35,118.22	549.54	35,667.76	30,294.31	(-)5,373.45 (15.06)	315.19 (5.87)	5,058.26 (94.13)
महायोग		2,05,397.49	30,529.53	2,35,927.02	2,12,983.64	(-)22,943.38 (9.72)	9,947.43 (43.36)	12,995.95 (56.64)


स्रोत: व्ही.एल.सी. आंकड़े एवं विनियोग लेखे वर्ष 2020–21

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े बचत एवं समर्पण के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

₹22,943.38 करोड़ की कुल बचत, राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 67 अनुदानों एवं 47 विनियोगों में ₹14,714.06 करोड़ की बचत तथा पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत 55 अनुदानों एवं चार विनियोगों में ₹4,155.54 करोड़ की बचत के कारण थी। इसके परिणामस्वरूप कुल अनुदानों और विनियोगों की राशि में 9.72 प्रतिशत की कुल बचत हुई, ₹12,995.95 करोड़ को व्यपगत होने दिया गया और विभागों ने ₹8,337.02 करोड़ (कुल समर्पित राशि ₹9,947.43 करोड़ का 83.81 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन समर्पित किया था। वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं में बचत/आधिक्य (विस्तृत विनियोग लेखा) के कारण विभागीय नियंत्रण अधिकारियों से मांगे गए थे और उनसे सार्थक भिन्नताओं को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था। तथापि, विभाग से केवल आंशिक उत्तर प्राप्त हुए थे। यह सवाल उठाता है कि राज्य शासन ने बढ़ा-चढ़ाकर बजट तैयार किया था अथवा उसके विभागों ने परिकल्पित समय सीमा के भीतर आवंटित धन का उपयोग करने के लिए जमीनी स्तर पर काम नहीं किया था।

3.2.3 बजटीय निधि का उपयोग

राज्य शासन द्वारा बजट का उपयोग, जो बजटीय निधि के 76 प्रतिशत तक कम हुआ था, 2020–21 में सुधरकर 90 प्रतिशत तक हो गया, जैसा नीचे चार्ट 3.3 में दिया गया है:



स्रोत: संबंधित वर्षों के विविध लेखों के विनियोग

3.3 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियां


3.3.1 व्यय का गलत वर्गीकरण

भारत सरकार लेखा मानक-2 (आई.जी.ए.एस.-2) को 2011 में केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा प्राप्त या दी गई सहायतानुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। भारत सरकार लेखा मानक-2 के अनुसार सहायतानुदान एक सरकार से दूसरी सरकार, निकाय, संस्थानों या व्यक्ति को दी गयी सहायता, दान या अंशदान की प्रकृति का भुगतान है। इसके अलावा, सहायतानुदान पर व्यय को अनुदानकर्ता की पुस्तकों में राजस्व व्यय के रूप में और प्राप्तकर्ता की पुस्तकों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। पूँजीगत व्यय को किसी सामग्री या स्थायी प्रकृति की मूर्त परिस्मृतियों को बढ़ाये जाने अथवा आवर्ती दायित्वों को कम करने के उद्देश्य से किये गये व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है।

2016–21 के दौरान राज्य शासन द्वारा राजस्व व्यय के बजाय पूँजीगत व्यय के रूप में सहायतानुदान के वर्गीकरण की सीमा के साथ–साथ उसी अवधि के दौरान राज्य शासन द्वारा पूर्ण रूप से भारत के लेखा मानक-2 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के प्रभाव का विवरण **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है, जबकि **चार्ट 3.4** पूँजीगत व्यय में सहायतानुदान की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालता है।

तालिका 3.3: पूँजीगत व्यय के रूप में सहायतानुदान के वर्गीकरण की सीमा					
	(₹ करोड़ में)				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पूँजीगत व्यय के रूप में पुस्तांकित सहायतानुदान	201	233	541	257	250
कुल पूँजीगत व्यय	28,662	32,588	29,999	29,241	30,357
पूँजीगत व्यय में सहायतानुदान की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	0.70	0.71	1.80	0.88	0.82
राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+)	7,781	4,629	6,744	(-)2,801	(-)18,356
राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) पर प्रभाव, यदि सहायतानुदान से किया गया व्यय को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।	7,580	4,396	6,203	(-)3,058	(-)18,606

स्रोत: संबंधित वर्षों के विविध लेखों के विनियोग



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

हालांकि, 2020–21 के दौरान राशि ₹1,318.65 करोड़ राजस्व व्यय के अंतर्गत लेखांकन के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में राज्य शासन द्वारा गलत वर्गीकृत किये गये थे। इसमें से ₹250.27 करोड़ सहायतानुदान से संबंधित और ₹1,068.38 करोड़ अन्य व्यय से संबंधित है। इसके कारण, राजस्व व्यय ₹1,318.65 करोड़ से न्यूनोक्त और पूंजीगत व्यय ₹1,318.65 करोड़ से अत्योक्त था। विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है।

इसी प्रकार, राज्य शासन द्वारा ₹79.52 करोड़ की राशि को पूंजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के रूप में गलत बजट और व्यय ('मशीनरी' एवं 'वृहद निर्माण कार्यों' के लिए) किया गया, जिसके कारण राजस्व व्यय ₹79.52 करोड़ से अत्योक्त था और पूंजीगत व्यय ₹79.52 से न्यूनोक्त था। विवरण **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है।

3.4 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

मध्य प्रदेश बजट नियमावली, 2012 अनुपूरक अनुदान/विनियोजन प्राप्त करने की अनुमति देता है, यदि बजटीय प्रावधान कम रह जाता है और सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अंतर्गत व्यय के लिए प्रतिबद्धता पहले से ही की गई है।

वर्ष 2020–21 के लिए राज्य विधानसभा ने जनवरी एवं मार्च 2021 में 47 अनुदानों एवं तीन विनियोगों में ₹30,529.53 करोड़ के अनुपूरक बजट अनुमोदित किए। हमने विश्लेषण में दर्शाया कि इन अनुपूरक प्रावधानों के उपयोग हेतु 21 अनुदानों में केवल ₹23,905.58 करोड़ के प्रावधान की आवश्यकता थी, जहां अंतिम व्यय मूल बजट प्रावधानों से अधिक था जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में वर्णित है। अनुपूरक प्रावधानों की राशि ₹6,623.94 करोड़ अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में वर्णित है। नौ अनुदानों एवं एक विनियोग में जहां मूल बजट प्रावधान में ₹100 करोड़ एवं उससे अधिक की महत्वपूर्ण बचतें थीं एवं फिर भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था, **तालिका 3.4** में नीचे वर्णित है।

तालिका 3.4: प्रकरण जहां मूल बजट प्रावधान में से बचतें ₹100 करोड़ एवं अधिक थी, वहां अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया						
(₹ करोड़ में)						
संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	राज.द.म./पूंजी.द.म./राज.भा.	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचतें	अनुपूरक प्रावधान
1	1—सामान्य प्रशासन	राज.द.म.	635.16	431.70	203.46	47.36
2	3—पुलिस	राज.द.म.	7,323.10	6,687.12	635.98	30.00
3	12—ऊर्जा	पूंजी.द.म.	1,120.57	507.51	613.06	38.62
4	19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज.द.म.	7,230.87	7,080.76	150.11	157.84
5	27—स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	राज.द.म.	17,702.97	17,588.07	114.90	856.41
6	29—विधि एवं विधायी कार्य	राज.द.म.	1,693.68	1,263.37	430.31	7.00
7	33—आदिम जाति कल्याण	पूंजी.द.म.	1,098.79	664.32	434.47	12.25
8	33—आदिम जाति कल्याण	राज.द.म.	7,862.99	6,194.50	1,668.49	20.88
9	50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राज.द.म.	513.41	402.16	111.25	28.86
10	55—महिला एवं बाल विकास	राज.द.म.	4,991.43	4,797.44	193.99	136.85
11	CH—I—व्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राज.भा.	16,460.21	15,917.87	542.34	549.10
योग			66,633.18	61,534.82	5,098.36	1,885.17

स्रोत: विनियोग लेखे 2020–21

संक्षेपाक्षर: राजस्व दत्तमत (राज.द.म.), राजस्व भारित (रा.भा.), पूंजीगत दत्तमत (पूंजी.द.म.)

जैसा कि उपरोक्त तालिका 3.4 से देखा जा सकता है, अनुदान संख्या 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में एवं अनुदान संख्या 27 स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) में अशासकीय विद्यालयों को शिक्षा का अधिकार, समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति और निःशुल्क वर्दी की आपूर्ति में अनुपूरक प्रावधान अव्ययित रहा। यह दर्शाता है कि राज्य शासन द्वारा जनवरी और मार्च के महीने में किए गए अनुपूरक अनुदान प्रशासन द्वारा आवश्यकता और निगरानी के पर्याप्त मूल्यांकन के बिना थे जो खराब बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

3.5 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के भीतर विनियोग की एक इकाई से, जहां बचत प्रत्याशित होती है, दूसरी इकाई को जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है, को पहचान कर निधियों का हस्तांतरण होता है। वित्त विभाग के पास अनुदान के भीतर किसी भी पुनर्विनियोजन की मंजूरी/अधिकृत करने की शक्ति है, जिसमें आवर्ती देयता का दायित्व लेना शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश बजट नियमावली 2012 की कंडिका 26.6 के अनुसार पुनर्विनियोजन की स्वीकृति की शक्तियां वित्त विभाग द्वारा बनाए गये नियमों द्वारा विनियमित होती है।

2020–21 के दौरान, 31 अनुदानों से संबंधित कुल 88 उप—शीर्षों में पुनर्विनियोजन किया गया था जैसा कि परिशिष्ट 3.5 में वर्णित है। 17 अनुदानों से संबंधित 33 उप—शीर्षों में ₹3,595.98 करोड़ के पुनर्विनियोजन के बाद भी ₹596.66 करोड़ का अधिक्य व्यय किया गया था। 23 अनुदानों से संबंधित शेष 55 उप—शीर्षों में, जहां ₹1,067.70 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया था, उन्हीं उप—शीर्षों में अंतिम बचतें ₹490.50 करोड़ थीं। अनुदान संख्या 58 प्राकृतिक आपदाओं और सूखा संभावित क्षेत्र के कारण राहत पर व्यय से संबंधित अकेले एक मुख्य शीर्ष 2245 में, ₹1,013.62 करोड़ का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल तथा अनुपूरक अनुदान ₹159.79 करोड़ से अधिक था। वृद्धि का कारण कोरोना महामारी के उपकरणों की खरीद, बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान करने, आपदा से संबंधित

उपकरणों की खरीद, कीड़ों के कारण फसलों की हानि और सर्पदंश पीड़ितों को राहत देना था। सरकार को इस तरह से पुनर्विनियोजन करना चाहिए कि किसी भी योजना में आधिक्य व्यय न हो।

3.5.1 आवंटित बजट के विरुद्ध अपर्याप्त पुनर्विनियोग

हमने पाया कि आठ अनुदानों के अंतर्गत 10 योजनाओं में आवंटित बजट के विरुद्ध अत्यधिक पुनर्विनियोजन/समर्पण के परिणामस्वरूप आधिक्य कुल बजट राशि (-)₹31.24 करोड़ था। प्रकरण जहां आवंटित बजट के विरुद्ध किए गए अत्यधिक पुनर्विनियोजन का अनुदान—वार सारांश विवरण तालिका 3.5 में वर्णित है।

तालिका 3.5: आवंटित बजट के विरुद्ध अपर्याप्त पुनर्विनियोग									(₹ करोड़ में)
संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	मूल बजट	पुनर्विनियोजन एवं समर्पण	कुल बजट	व्यय	आधिक्य/बचतें	
1	10	वन	4406-01-101-0101-7882-31-007	4.00	(-)4.50	(-)0.50	1.50	(-)2.00	
2	23	जल संसाधन	2700-17-101-0102-2894-19-001	0.00 ¹	(-)0.02	(-)0.02	0.00	(-)0.02	
3	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	5054-03-337-0802-0948-64-001	0.00	(-)29.00	(-)29.00	0.00	(-)29.00	
4	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01-800-0703-0326-26	1.00	(-)1.25	(-)0.25	0.00	(-)0.25	
5	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-119-0655-12-001	1.79	(-)2.59	(-)0.80	0.00	(-)0.80	
6	52	चिकित्सा शिक्षा	4210-03-105-0701-2064-64-001	10.00	(-)10.18	(-)0.18	1.00	(-)1.18	
7	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2851-196-0101-3777-11-001	0.12	(-)0.21	(-)0.09	0.02	(-)0.11	
8	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-001-9041-12-001	0.40	(-)0.51	(-)0.11	0.00	(-)0.11	
9	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-001-9041-12-003	0.55	(-)0.82	(-)0.27	0.00	(-)0.27	
10	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-001-9041-12-006	0.04	(-)0.06	(-)0.02	0.00	(-)0.02	
योग				17.90	(-)49.14	(-)31.24	2.52	(-)33.76	

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे 2020–21

बजट संचालक के पत्र (जनवरी 2020) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमान मार्च 2020 में राज्य विधानमंडल में पारित नहीं होने से विसंगति पैदा हुई। वित्तीय वर्ष 2020–21 की पहली तिमाही में बजट लेखानुदान के माध्यम से लाया गया था।

3.5.2 सारभूत समर्पण

2020–21 के दौरान, 31 अनुदानों से संबंधित 125 उपशीर्षों में राशि ₹3,602.03 करोड़ (₹4,464.91 करोड़ के मूल बजट प्रावधान का 80.67 प्रतिशत) का सारभूत समर्पण 50 प्रतिशत या अधिक किया गया था जिसमें 15 अनुदानों से संबंधित 47 उपशीर्षों (₹1,234.18 करोड़) में 100 प्रतिशत समर्पण शामिल है जैसा कि परिशिष्ट 3.6 में विस्तृत है। ऊर्जा, आदिम जाति कल्याण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत पर

¹ ₹10,000

व्यय और सूखा संभावित क्षेत्र तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित अनुदानों, जहां प्रत्येक अनुदान में ₹300 करोड़ और उससे अधिक के सारभूत समर्पण के कुछ कारण जैसे कम मांग प्राप्त होना, प्रस्ताव प्राप्त न होना और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरण न करना, इत्यादि थे।

3.5.3 समर्पित न की गयी प्रत्याशित बचतें

2020–21 के दौरान, बजट अनुमानों के विरुद्ध कुल बचतें ₹22,943.38 करोड़ थी। प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹ एक करोड़ और उससे अधिक के 106 प्रकरणों में कुल राशि ₹20,884.30 करोड़ थी। इसमें से, राशि ₹13,001.77 करोड़ समर्पित (**परिशिष्ट 3.7**) नहीं की गई। यह राशि उपरिलिखित 106 प्रकरणों (₹20,884.30 करोड़) की बचत का 62.26 प्रतिशत और कुल बचत (₹22,943.38 करोड़) का 56.67 प्रतिशत थी।

राशि ₹22,943.38 करोड़ की बचतों के कुल प्रकरणों में से 36 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में बचतों का कोई भाग संबंधित विभागों द्वारा समर्पित नहीं किया गया था यद्यपि ₹5,018.36 करोड़ की बचतें हुई। विवरण **परिशिष्ट 3.8** में दिया गया है।

यह पाया गया कि 31 मार्च 2021 को राजस्व दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत पांच अनुदानों में और पूँजीगत दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत छः अनुदानों में समर्पित की गई कुल राशि बचतों से अधिक थी।

31 मार्च 2021 को अनुदान संख्या 23 जल संसाधन में बचतें ₹18.34 करोड़ थी। हालांकि, विभाग ने पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹33.05 करोड़ समर्पित किये। इसी प्रकार, राजस्व दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत अनुदान संख्या 33 आदिम जाति कल्याण में बचतें ₹1,689.35 करोड़ थी और समर्पित की गई राशि ₹1,748.14 करोड़ थी, जबकि पूँजीगत दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत बचतें ₹446.72 करोड़ थी तथा समर्पित की गई राशि ₹597.48 करोड़ थी। यह कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर के आंकड़ों के साथ विभागीय आंकड़ों के मिलान न किये जाने के कारण हुआ।

3.5.4 प्रधान महालेखाकार द्वारा स्वीकार न किये गये समर्पण/पुनर्विनियोजन आदेश

राज्य शासन के निर्देशों (फरवरी 2012) के अनुसार पुनर्विनियोजन/समर्पणों की समस्त स्वीकृतियां वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व जारी की जानी चाहिए एवं उन्हें लेखाओं में समावेशन के लिए यथा समय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। योजनाओं के उपयुक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने चाहिए एवं स्वीकृतियों का योग सही होना चाहिए। जिन शीर्षों में समर्पण/पुनर्विनियोजन स्वीकृत किये गये हैं उनसे संबंधित शीर्षों में प्रावधान उपलब्ध होना चाहिए।

हमने पाया कि 30 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित राशि ₹1,214.93 करोड़ के समर्पण के लिए 21 स्वीकृतियां और राशि ₹6,779.57 करोड़ के पुनर्विनियोजन के लिए 39 स्वीकृतियां, उपरोक्त राज्य शासन के निर्देशों का उल्लंघन था एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखाओं में शामिल किये जाने के लिए स्वीकार नहीं की थीं। विवरण **परिशिष्ट 3.9 (अ)** और **3.9 (ब)** में दिया गया है।

3.6 बचतें

बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय में अनुमानित बचतें 15 जनवरी तक (मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.9) वित्त विभाग को प्रस्तुत की जानी आवश्यक है, ताकि जहां अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो, वहां उनका उपयोग किया जा सके। ₹10 करोड़ और उससे अधिक और बजट प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक की बचतों के अनुदानों/विनियोगों से संबंधित प्रकरणों का सारांश नीचे **तालिका 3.6** में दिया गया है और **परिशिष्ट 3.10** में विस्तृत है।

तालिका 3.6: ₹10 करोड़ और उससे अधिक एवं कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक की बचत सीमा के अनुदानों/विनियोगों से संबंधित प्रकरण (₹ करोड़ में)								
संख्या	बचत सीमा	उप-शीर्ष	कुल अनुदानों/विनियोगों की संख्या	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचतें	कुल अनुदानों के सापेक्ष बचत का प्रतिशत	समर्पित राशि
1	10 करोड़ से < 100 करोड़ तक	20	19	2,103.87	1,166.04	937.83	44.58	508.14
2	100 करोड़ से < 500 करोड़ तक	11	11	7,051.71	4,067.35	2,984.36	42.32	2,327.37
3	500 करोड़ से अधिक	4	4	26,520.47	19,820.91	6,699.56	25.26	3,169.51
योग		35	34	35,676.05	25,054.30	10,621.75	29.77	6,005.02

स्रोत: विनियोग लेखे 2020–21

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि, वर्ष 2020–21 के दौरान 35 प्रकरणों में लोक ऋण सहित ₹10,621.75 करोड़ की बचतें थीं, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹10 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक थीं। वित्तीय वर्ष के दौरान ₹10,621.75 करोड़ की कुल बचतों में से ₹6,005.02 करोड़ समर्पित किये गये।

35 प्रकरणों में ₹10 करोड़ से ₹3,558.83 करोड़ तक की बचतों का अनुदान—वार विस्तृत विश्लेषण **परिशिष्ट 3.10** प्रस्तुत करता है। राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 11 अनुदानों से संबंधित 13 प्रकरणों में तथा पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत 21 अनुदानों और एक विनियोग से संबंधित 22 प्रकरणों में बचतें ₹10 करोड़ एवं ₹500 करोड़ के मध्य थीं।

परिशिष्ट 3.10 में उल्लेखित अनुदानों में से, राजस्व दत्तमत लेखा शीर्ष के अंतर्गत पांच अनुदानों में ₹100 करोड़ और अधिक की बचतें, अनुदान संख्या 1—सामान्य प्रशासन, 29—विधि और विधायी कार्य, 38—आयुष, 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण और 33—आदिम जाति कल्याण में हुई थीं।

इसी प्रकार, पूंजीगत दत्तमत लेखा शीर्ष में ₹100 करोड़ और अधिक की बचतें अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण, 35—सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यम, 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, 52—चिकित्सा शिक्षा, 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय, 12—ऊर्जा एवं 59—ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत सात अनुदानों और दो विनियोगों में अर्थात् अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल और CH-II भारित विनियोग लोक ऋण के अंतर्गत हुई थीं।

2019–20 और 2020–21 के दौरान एक अनुदान में ₹500 करोड़ और उससे अधिक की वृहद् बचतें अर्थात् अनुदान संख्या 12 ऊर्जा (पूंजीगत दत्तमत) में हुई जैसा कि नीचे तालिका 3.7 में वर्णित है:


तालिका 3.7: ₹500 करोड़ और उससे अधिक की बचतों को दर्शाने वाली अनुदान				
स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	(₹ करोड़ में)	
			बचतें (₹500 करोड़ से अधिक)	
1	12	ऊर्जा (पूँजीगत दत्तमत)	2019-20 1,162.30 (65.67)	2020-21 651.68 (56.22)

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े कुल प्रावधान में से बचत के प्रतिशत को प्रदर्शित करते हैं।

विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए कारणों के अनुसार, बड़ी बचतें योजना प्रभारी से कम मांग प्राप्त होना, वेतन वृद्धि का भुगतान न करना, कोषागार द्वारा पारित नहीं किए गये देयक जिसे विस्तृत शीर्ष में सम्मिलित किया गया था, यात्रा देयकों की प्राप्ति न होना एवं चिकित्सा अग्रिम के प्रकरण प्राप्त नहीं होना थी।

इन अनुदानों के अंतर्गत वृहद् बचतें, अवधि के दौरान प्रत्याशित व्यय के गलत अनुमान और व्यय पर नियंत्रण की कमी का संकेत है। वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व समर्पित बचतों का विवरण चार्ट 3.5 में नीचे दिया गया है:



स्रोत: विनियोग लेखे 2020-21

3.6.1 बिना बजट प्रावधान के व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा राज्य की संचित निधि से कोई राशि आहरित नहीं की जाएगी। राज्य की आकस्मिकता निधि से पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान या विनियोग या अग्रिम द्वारा अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के अतिरिक्त निधियों के प्रावधान के बिना किसी नई योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि दो प्रकरणों में, बिना बजट प्रावधान के ₹2.91 करोड़ का व्यय किया गया था। लेखा का शीर्ष-वार विवरण नीचे तालिका 3.8 में दिया गया है।

तालिका 3.8: वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान बिना बजट प्रावधान के व्यय									
(₹ करोड़ में)									
संक्र.	अनुदान सख्त्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष (विस्तृत शीर्ष तक)	द.म/मा.	मूल बजट	पुनर्विनियोग और समर्पण	कुल बजट	व्यय	आधिक्य
1	CH-I	भारित विनियोग—ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-04-104-0471-52-001	भा.	0.00	0.00	0.00	2.78	2.78
2	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	4202-01-202-0101-6007-64-001	द.म.	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13
योग					0.00	0.00	0.00	2.91	2.91

स्रोत: विनियोग लेखे 2020–21

3.6.2 बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण स्पष्टीकरण

स्वीकृत बजट के विरुद्ध व्यय दर्शाने के अलावा, विनियोग लेखों उन मामलों के लिए स्पष्टीकरण भी प्रदान करते हैं जहां व्यय बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक) से काफी भिन्न होता है। लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखों में उप-शीर्ष/उप-उप-शीर्ष स्तर (विनियोग की इकाई) पर इस तरह की भिन्नता की सीमा निर्धारित (सितंबर 2004) की गयी है।


प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को प्रारूप विनियोग लेखा प्रदान करता है और लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदित बजटीय आवंटन के संदर्भ में व्यय में भिन्नता के कारणों/स्पष्टीकरण की मांग करता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

बचतें	<ul style="list-style-type: none"> टिप्पणियां की जानी हैं यदि अनुदान के अंतर्गत कुल बचतें कुल प्रावधान का पांच प्रतिशत या अधिक है। टिप्पणियां की जानी हैं यदि उप-शीर्ष के अन्तर्गत कुल बचतें उप-शीर्ष के कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत या अधिक है, बशर्ते बचतों की राशि: <ul style="list-style-type: none"> (क) ₹40 लाख से कम नहीं हो यदि कुल प्रावधान ₹30 करोड़ से अधिक है, (ख) ₹20 लाख से कम नहीं हो यदि कुल प्रावधान ₹10 करोड़ से ₹30 करोड़ के मध्य है, अथवा (ग) ₹10 लाख से कम नहीं हो यदि कुल प्रावधान ₹10 करोड़ से कम है। टिप्पणियां की जानी हैं यदि अनुदान में भारित व्यय के अंतर्गत कुल बचतें ₹10 लाख से कम नहीं हैं।
आधिक्य	<ul style="list-style-type: none"> उन सभी प्रकरणों में जहां किसी अनुदान या विनियोग में समग्र आधिक्य हो पर प्रावधान से आधिक्य के नियमितीकरण के लिए सामान्य टिप्पणी की जानी है। ऐसे सभी प्रकरणों में टिप्पणियां की जानी हैं जहां किसी वैयक्तिक उप-शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य ₹10 लाख से अधिक और उप-शीर्ष के अंतर्गत कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत से भी अधिक है।

- ऐसे सभी प्रकरणों में टिप्पणियां की जानी हैं जहां किसी वैयक्तिक उप-शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य उस उप-शीर्ष के कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं बरते:
 - (क) प्रत्येक उप-शीर्ष में आधिक्य ₹40 लाख से अधिक है, जहां कुल प्रावधान ₹30 करोड़ से अधिक है;
 - (ख) प्रत्येक उप-शीर्ष में आधिक्य ₹20 लाख से अधिक है, जहां कुल प्रावधान ₹10 करोड़ से ₹30 करोड़ के मध्य है; अथवा
 - (ग) प्रत्येक उप-शीर्ष में आधिक्य ₹10 लाख से अधिक है जहां कुल प्रावधान ₹10 करोड़ से कम है।

स्रोत: विनियोग लेखे 2020-21

वर्ष 2020-21 के लिए विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा और अंतर्निहित लेखांकन आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि सभी 70 अनुदानों/विनियोगों में बजट से भिन्नता के कारणों की आवश्यकता थी। हालांकि, 25 अनुदानों/विनियोगों के संबंध में सरकारी विभागों के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे। शेष 45 अनुदानों/विनियोगों के संबंध में आंशिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। शामिल किये गये उप-शीर्षों के संदर्भ में कुल 3,697 उप-शीर्षों में से भिन्नताओं के लिए स्पष्टीकरण की प्राप्ति या अन्यथा को नीचे चार्ट 3.6 में दर्शाया गया है। इस संबंध में विवरण परिशिष्ट 3.11 में दिया गया है।



स्रोत: विनियोग लेखे 2020-21

2020-21 के दौरान, कुल 3,697 उप-शीर्षों में से, 159 उप-शीर्षों में, कुल आवंटित बजट ₹38,201.06 करोड़ के विरुद्ध ₹44,932.25 करोड़ का व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹6,731.19 करोड़ का अधिक व्यय हुआ, जबकि 33 अनुदानों के अंतर्गत 113 उप-शीर्षों में बिना उचित/पर्याप्त विश्लेषण एवं अनुमान के समर्पण एवं पुनर्विनियोजन किया गया था जिसके कारण उप-शीर्षों में अधिक व्यय हुआ। विवरण परिशिष्ट 3.12 में दिया गया है। बजट आवंटन और उसके उपयोग के बीच अधिक व्यय और भिन्नता के कारणों के स्पष्टीकरण का अभाव, सरकार की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बजट पर विधायी नियंत्रण को सीमित करता है।

3.7 अनुदान/विनियोग जहां बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम था

2020-21 के दौरान, 70 अनुदानों/विनियोगों में से दो अनुदानों में बचतें देखी गईं, जहां बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम था और प्रावधान ₹100 करोड़ या अधिक था। अवधि 2016-21 के लिए इन दो अनुदानों में बजटीय आवंटन का उपयोग नीचे तालिका 3.9 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.9: अनुदान/विनियोग जहां बजट प्रावधान ₹100 करोड़ या अधिक था के विरुद्ध बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम था									
(₹ करोड़ में)									
संक्र.	अनुदान	2016–17 (प्रतिशत में)	2017–18 (प्रतिशत में)	2018–19 (प्रतिशत में)	2019–20 (प्रतिशत में)	2020–21 (प्रतिशत में)	वर्षों की संख्या	बजट 2020–21	कुल बजट (5 वर्षों का)
1	59-ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	0.00	100.00	80.00	80.38	31.96	2	1,131.28	3,731.28
2	63-अल्प संख्यक कल्याण	67.49	66.16	52.73	38.12	11.57	2	119.28	233.92

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी

2020–21 के दौरान अनुदान संख्या 59 में बजट का कम उपयोग का कारण योजना प्रभारी से कम मांग प्राप्त होना था और अनुदान संख्या 63 के प्रकरण में बजट के कम उपयोग के कारण संबंधित विभाग द्वारा प्रदाय नहीं कराए गए।

3.8 आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य शासन के लिए यह आवश्यक है कि अनुदानों/विनियोगों से आधिक्य व्यय को राज्य विधान सभा द्वारा नियमित कराया जाए। यद्यपि, यह पाया गया कि राज्य शासन ने 2011–19 की अवधि से संबंधित 11 अनुदानों एवं सात विनियोगों को शामिल करते हुए राशि ₹1,668.08 करोड़ के आधिक्य व्यय को नियमित नहीं किया। विवरण परिशिष्ट 3.13 में दिया गया है।

2020–21 के दौरान, अनुदान संख्या 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व दत्तमत) के अन्तर्गत ₹9.92 करोड़ का आधिक्य व्यय किया गया था, जैसा कि कंडिका 3.8.1 में चर्चा की है। वर्ष के दौरान किए गए आधिक्य व्यय को भी संविधान के अनुच्छेद 205 के संदर्भ में नियमित करने की आवश्यकता है। आगे, यह संविधान के अनुच्छेद 204 का उल्लंघन है, जो प्रावधान करता है कि इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुरूप राज्य विधान सभा द्वारा कानूनी रूप से किए गए विनियोग के अलावा कोई राशि समेकित निधि से आहरित नहीं की जाएगी। यह बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को विकृत करता है तथा सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

3.8.1 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा आधिक्य व्यय

2020–21 के दौरान, अनुदान संख्या 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में ₹537.80 करोड़ का बजट प्रावधान था एवं ₹547.72 करोड़ का व्यय हुआ, परिणामस्वरूप राजस्व दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत ₹9.92 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ। योजनाएं जहां आधिक्य व्यय हुआ, नीचे तालिका 3.10 में दिया गया है:

तालिका 3.10: अनुदान संख्या 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में आधिक्य व्यय				
(₹ करोड़ में)				
संक्र.	विस्तृत शीर्ष तक लेखा शीर्ष और योजना का नाम	कुल बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक+पुनर्विनियोजन)	व्यय	आधिक्य
1	2215-01-001-2714-प्रशासन	392.78	413.82	21.04
2	2215-01-101-5300-स्थानीय निकाय संस्थाओं की जल प्रदाय योजनाओं का संधारण	0.54	1.29	0.75
3	2215-01-101-01-0545-प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	0.31	0.41	0.10
योग		393.63	415.52	21.89

स्रोत: विनियोग लेखे 2020–21

हमने देखा कि अनुदान संख्या 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में राजस्व दत्तमत के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में कुल आवंटित बजट के विरुद्ध ₹9.92 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ जो अवास्तविक प्रतीत होता है। संबंधित विभाग द्वारा आधिक्य व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

3.9 एकमुश्त बजटीय प्रावधान

एकमुश्त प्रावधान वे प्रावधान हैं जहां विस्तृत उद्देश्य शीर्ष परिभाषित नहीं है। हालांकि, कुछ प्रकरणों में, जहां एकमुश्त प्रावधान अपरिहार्य हो सकता है और उन प्रकरणों को छोड़कर जहां एकमुश्त आवंटन से व्यय को स्थायी स्वीकृतियों, निर्देशों या नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, प्रस्तावित प्रावधानों को उचित ठहराते हुए विस्तृत विवरण एकमुश्त अनुमानों के साथ बजट टिप्पणी में दिया जाएगा।

2020–21 के दौरान, 31 प्रकरणों (जहां समर्पण ₹15 करोड़ से अधिक और बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से भी अधिक था) में ₹4,133.79 करोड़ का अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान किया गया था। इसमें से ₹3,346.79 करोड़ (80.96 प्रतिशत) की राशि अप्रयुक्त रही और वर्ष के अंत में समर्पित की गयी। सात अनुदानों के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक के एकमुश्त प्रावधान के महत्वपूर्ण प्रकरणों को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है जबकि पूर्ण विवरण **परिशिष्ट 3.14** में दिया गया है:

तालिका 3.11: ₹100 करोड़ या अधिक के एकमुश्त प्रावधानों का विवरण					
(₹ करोड़ में)					
अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखाशीर्ष	प्रावधान (मूल+अनु.)	समर्पित राशि	समर्पण
12	ऊर्जा	4801-02-190-0101-6323-2*660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	150.00	120.00	80.00%
		6801-205-1201-9655-स्मार्ट मीटर एवं स्काइ योजना हेतु ऋण	330.00	330.00	100.00%
24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	5054-80-800-0101-3115-भू–अर्जन हेतु मुआवजा	152.50	134.09	87.93%
33	आदिम जाति कल्याण	2225-02-800-0802-6500-विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	140.00	91.82	65.59%
		4225-02-277-0802-7881-आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद–275(1)	430.60	275.02	63.87%
		4225-02-800-0602-5211-आई.टी.डी.पी./माडा पॉकेट/क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	382.08	300.33	78.60%

तालिका 3.11: ₹100 करोड़ या अधिक के एकमुश्त प्रावधानों का विवरण					
(₹ करोड़ में)					
अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखाशीर्ष	प्रावधान (मूल+अनु.)	समर्पित राशि	समर्पण
35	सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम	4851-101-0101-5380-आटो टेरिंग ट्रेक हेतु भू-अर्जन मुआवजा	168.00	167.12	99.48%
49	अनुसूचित जाति कल्याण	4225-01-800-0603-4722-अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों का विकास	101.97	53.68	52.64%
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	4059-80-800-6276-आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु	485.40	485.40	100.00%
59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4515-800-1203-0654-मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (बाह्य सहायता प्राप्त)	176.00	109.56	62.25%
		4515-800-1202-0654-मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (बाह्य सहायता प्राप्त)	253.00	140.06	55.36%
		4515-800-1201-0654-मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (बाह्य सहायता प्राप्त)	702.28	520.06	74.05%

स्रोत: विनियोग लेखे 2020-21

वर्ष के दौरान प्रमुख अनुदानों जहां एकमुश्त प्रावधान किया गया था, ऊर्जा, आदिम जाति कल्याण एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं थी, में कुल 31 प्रकरणों में से 13 ऐसे प्रकरण शामिल थे जो कुल एकमुश्त प्रावधानों का 65.07 प्रतिशत था। इन तीनों विभागों में राशि ₹2,012.85 करोड़ (74.84 प्रतिशत) के अनुपयोगी रहने के कारण कंपनी से प्रस्ताव प्राप्त न होने, योजना प्रभारी से कम मांग प्राप्त होने, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरण न करने एवं निधियों के जारी न करने की वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होना था।

3.10 योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान

2020-21 के दौरान, विभिन्न योजनाओं (प्रत्येक प्रकरण में ₹10 करोड़ या अधिक) के अन्तर्गत 38 प्रकरणों में कुल ₹6,588.77 करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 3.15** में दिया गया है। इनमें से महत्वपूर्ण प्रकरण, जहां अप्रयुक्त बजट प्रावधान ₹50 करोड़ या अधिक था, का विवरण नीचे **तालिका 3.12** में दिया गया है। प्रमुख अनुदान/विनियोग जहां प्रावधान ₹5,627.00 करोड़ की सीमा तक अप्रयुक्त रहे, वे ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा, लोक ऋण, वित्त, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता और नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता थे।

तालिका 3.12: योजनाएं जिनमें ₹50 करोड़ या अधिक का प्रावधान अप्रयुक्त रहा						
(₹ करोड़ में)						
संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	व्यय	बचत
1	CH-II	भारित विनियोग - लोक ऋण	6003-110-0637-66-उपाय तथा साधन अग्रिम	2,000.00	0.00	2,000.00 (100 %)
2	CH-II	भारित विनियोग-लोक ऋण	6003-110-0779-66-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	1,992.00	0.00	1,992.00 (100 %)
3	CH-I	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-9324-52-001-8.37 प्रतिशत म.प्र. राज्य विकास ऋण 2028	67.01	0.00	67.01 (100 %)

तालिका 3.12: योजनाएं जिनमें ₹50 करोड़ या अधिक का प्रावधान अप्रयुक्त रहा						
(₹ करोड़ में)						
संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	व्यय	बचत
4	CH-I	भारित विनियोग-व्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-0716-52-001-विविध ऋण भुगतान	114.38	0.00	114.38 (100 %)
5	6	वित्त	2054-095-5329-53-लंबित देयकों का भुगतान	100.00	0.00	100.00 (100 %)
6	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01-277-0803-7764-41-001-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)	50.00	0.00	50.00 (100 %)
7	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-198-0101-1221-42-009-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	607.56	0.00	607.56 (100 %)
8	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-198-0102-1221-42-009-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	229.08	0.00	229.08 (100 %)
9	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-198-0103-1221-42-009-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	159.36	0.00	159.36 (100 %)
10	63	अल्प संख्यक कल्याण	4225-03-800-0701-5617-64-002-अल्प संख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम	93.20	0.00	93.20 (100 %)
11	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-1325-42-007-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	360.00	0.00	360.00 (100 %)
12	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-192-1325-42-007-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	180.00	0.00	180.00 (100 %)
13	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-193-1325-42-007-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	62.00	0.00	62.00 (100 %)
योग				6,014.59	0.00	6,014.59 (100 %)

चोत: विनियोग लेखे 2020–21 एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत व्ही.एल.सी. आंकड़े

संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया था, जो अवास्तविक बजट अनुमान को दर्शाता है।

3.11 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक निधियन

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिकाओं 30.1 और 30.2 के अनुसार, विभाग को एक वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा किये गये व्यय की समीक्षा करके बजट की निगरानी करनी चाहिए। इस तरह की निगरानी का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय वर्ष के दौरान विधायिका द्वारा प्रस्तुत और अनुमोदित राज्य का बजट, वास्तविक व्यय के लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शक बना रहे। निगरानी में न केवल चालू वित्तीय वर्ष में किया गया व्यय बल्कि पिछले तीन वर्षों की तुलना और विश्लेषण भी शामिल होना चाहिए।

यह देखा गया कि 2020–21 के दौरान शुरू हुई 17 नई योजनाओं में ₹10 करोड़ और अधिक की बचतें हुईं, जैसा कि तालिका 3.13 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.13: योजनाएं जिनमें बजट प्रावधान ₹10 करोड़ या अधिक था						
(₹ करोड़ में)						
संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल)	व्यय	बचत (प्रतिशत में)
1	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	3454-01-800-9504-जनगणना 2021	29.31	11.72	17.59 (60.01 %)
2	10	वन	4406-01-800-9664-केम्पा प्रतिपूरक वनीकरण	78.08	67.82	10.26 (13.14 %)
3	10	वन	4406-01-800-9668-केम्पा ब्याज	48.69	0.30	48.39 (99.38 %)
4	12	ऊर्जा	4801-02-190-9654-स्मार्ट मीटर एवं स्काडा योजना हेतु अंशपूँजी	20.00	0.00	20.00 (100.00%)
5	12	ऊर्जा	4801-05-190-9656-गांधी सागर जल विद्युत गृह लाईफ एक्सटेंशन	50.00	0.00	50.00 (100.00 %)
6	12	ऊर्जा	6801-205-9655-स्मार्ट मीटर एवं स्काडा योजना हेतु ऋण	330.00	0.00	330.00 (100.00 %)
7	29	विधि और विधायी कार्य	2014-103-9634-पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत फास्टट्रैक कोर्ट की स्थापना	32.77	12.77	20.00 (61.03 %)
8	33	आदिम जाति कल्याण	2225-02-277-9673-एकीकृत छात्रावास योजना	113.22	21.45	91.77 (81.05 %)
9	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा छोड़कर)	4202-02-103-9516-सी.एम. राइज	20.00	0.00	20.00 (100.00 %)
10	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-9638-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	990.00	595.00	395.00 (39.90 %)
11	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-9640-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार मिलियन शहरों को अनुदान	598.00	448.50	149.50 (25.00 %)
योग				2,310.07	1,157.56	1,152.51 (49.89 %)

स्रोत: वित्त लेखे 2020–21


उपरोक्त तालिका 3.13 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2020–21 के दौरान शुरू की गई नई योजनाओं में पर्याप्त बचतें मुख्यतः तीन अनुदानों में अर्थात् अनुदान संख्या 10 वन, मुख्य शीर्ष 4406 (वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय), अनुदान संख्या 33 आदिम जाति कल्याण, मुख्य शीर्ष 2225 (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण) एवं अनुदान संख्या 64 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता, मुख्य शीर्ष 2217 (शहरी विकास) थी। बचतें, योजना की संभावित कमी, अनुमानित व्यय का अवास्तविक अनुमान और अपर्याप्त बजटीय निगरानी का संकेत हैं।

3.12 व्यय की अत्यधिकता

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.13 के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों में व्यय की अत्यधिकता को वित्तीय नियमिता का उल्लंघन माना जाता है। साथ ही, वित्त विभाग के स्थायी आदेशों के अनुसार, प्रभावी बजट निष्पादन के लिए कुल व्यय का प्रशासनिक विभागों को अपने वार्षिक

व्यय को चार तिमाहियों के दौरान पहली दो तिमाहियों में 45 प्रतिशत तक, तीसरी तिमाही में 25 प्रतिशत और अंतिम तिमाही में 30 प्रतिशत तक लक्षित करना चाहिए।

2020–21 के दौरान राज्य के राजकोष में प्राप्तियों का मासिक प्रवाह और संवितरण निम्नलिखित चार्ट 3.7 में दिया गया है।



स्रोत : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, गवालियर द्वारा प्रस्तुत व्ही.एल.सी. आंकड़े

जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट से देखा जा सकता है, कि जनवरी और मार्च को छोड़कर सभी माहों में प्राप्ति करीब–करीब समान रूप रही। जनवरी माह में राज्य शासन के आंतरिक ऋण और केन्द्र सरकार से सहायतानुदान के अंतर्गत प्राप्त वृहद् प्राप्तियों के कारण अचानक वृद्धि हुई थी। इसी प्रकार, मार्च माह में भी केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर, निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर, मुद्रांक तथा पंजीकरण शुल्क, बिक्री एवं व्यापार पर कर तथा राज्य के आंतरिक ऋण में अधिक प्राप्तियों के कारण वित्तीय वर्ष 2020–21 में अचानक वृद्धि हुई।

राज्य शासन ने अकेले मार्च 2021 में कुल व्यय ₹2,09,076.14 करोड़² का लगभग 25.08 प्रतिशत ₹52,441.44 करोड़ व्यय किया, इसमें से 15 अनुदानों/विनियोगों के 21 प्रकरणों³ में राशि ₹8,827.34 करोड़ का 100 प्रतिशत व्यय मार्च 2021 के दौरान किया गया था। विवरण तालिका 3.14 में दिया गया है। इसके अलावा यह भी देखा गया कि 2020–21 के दौरान मार्च 2021 में 70 प्रकरणों (32 अनुदानों/विनियोग) में कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया था जैसा कि परिशिष्ट 3.16 में वर्णित है।

तालिका 3.14: मार्च में व्यय की प्रमात्रा

संक्र.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजना संख्या	जनवरी–मार्च 2021 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2021 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किये गये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी–मार्च 2021	मार्च 2021
1	CH II-लोक ऋण	5436	600.00	600.00	600.00	100.00	100.00
2	CH II-लोक ऋण	6881	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00
3	CH II-लोक ऋण	6880	700.00	700.00	700.00	100.00	100.00

² लोक ऋण पर व्यय सहित

³ जहां पिछली तिमाही के दौरान व्यय ₹10 करोड़ से अधिक हुआ।

संक्र.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजना संख्या	जनवरी—मार्च 2021 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2021 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किये गये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी—मार्च 2021	मार्च 2021
4	CH I-व्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6881	104.50	104.50	104.50	100.00	100.00
5	3-पुलिस	1416	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00
6	6-वित्त	6857	42.72	42.72	42.72	100.00	100.00
7	6-वित्त	5329	31.35	31.35	31.35	100.00	100.00
8	7-वाणिज्यिक कर	0817	600.00	600.00	600.00	100.00	100.00
9	12-ऊर्जा	1284	33.46	33.46	33.46	100.00	100.00
10	12-ऊर्जा	7255	38.62	38.62	38.62	100.00	100.00
11	12-ऊर्जा	3218	1,065.00	1,065.00	1,065.00	100.00	100.00
12	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	7847	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00
13	16-मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	7579	34.52	34.52	34.52	100.00	100.00
14	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7659	22.47	22.47	22.47	100.00	100.00
15	25-खनिज संसाधन	6606	719.44	719.44	719.44	100.00	100.00
16	27-स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	6716	68.00	68.00	68.00	100.00	100.00
17	33-आदिमजाति कल्याण	8844	22.81	22.81	22.81	100.00	100.00
18	44-उच्च शिक्षा	6283	30.41	30.41	30.41	100.00	100.00
19	53-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0647	119.49	119.49	119.49	100.00	100.00
20	53-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6093	35.00	35.00	35.00	100.00	100.00
21	57-पर्यावरण	7051	19.55	19.55	19.55	100.00	100.00
योग			8,827.34	8,827.34	8,827.34	100.00	100.00

चोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

जैसा कि नीचे दी गई तालिका 3.15 से देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, पांच प्रकरण ऐसे थे जहां मार्च 2021 में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय हुआ। इन पांच प्रकरणों में से अनुदान संख्या 25 खनिज संसाधन और अनुदान संख्या 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के अंतर्गत मार्च 2021 में वृहद् व्यय हुआ था, जबकि अनुदान संख्या 61 बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय और अनुदान संख्या 68 लोक परिसंपत्ति प्रबंधन में मुख्यतः अनुपूरक प्रावधान के माध्यम से आवंटन किया गया था।

तालिका 3.15: अकेले मार्च में व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक की अनुदानें									
(₹ करोड़ में)									
संख्या	विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च में किया गया व्यय	मार्च में किया गया व्यय (प्रतिशत)	
25	खनिज संसाधन	11.15	9.93	10.57	728.91	760.56	723.60	95.14	
57	पर्यावरण	0.00	11.25	2.68	27.09	41.02	27.09	66.04	
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	386.27	481.82	1,389.81	6,519.86	8,777.76	6,000.37	68.36	
61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	1.10	99.10	
68	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	100.00	

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

इस प्रकार, वित्तीय नियमन की भावना के विपरीत, सरकार द्वारा वर्ष के अंतिम समय पर बहुत अधिक व्यय किया गया था, जो व्यय और बजटीय प्रबंधन पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

3.13 जेण्डर बजट

राज्य का जेण्डर बजट महिलाओं को पूर्ण या आशिक हितलाभ वाली योजनाओं पर समग्र बजट में से किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को प्रकट करता है। मध्य प्रदेश में जेण्डर बजट 2007–08 के दौरान पेश किया गया था। जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था (1) योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और (2) योजनाएं जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे। जेण्डर बजट को राज्य के बजट में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य के रूप में शामिल किया गया था, जो अनुदान की मांगों के अंतर्गत जेण्डर के आधार पर बजटीय आवंटन को अलग करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

तालिका 3.16 2016–21 के दौरान जेण्डर बजट के अंतर्गत बजटीय प्रावधान का विवरण दर्शाती है:

तालिका 3.16: 2016–21 के दौरान जेण्डर बजट के अंतर्गत प्रावधान					
(₹ करोड़ में)					
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
जेण्डर बजट	43,208	47,009	52,344	58,309	55,244
कुल बजट	2,01,519	2,06,470	2,38,303	2,56,925	2,35,927

स्रोत: बजट पुस्तिकाएं तथा संबंधित वर्षों के विविधोंग लेखे

जेण्डर बजट के अंतर्गत बजट आवंटन 2019–20 में ₹58,309 करोड़ से 2020–21 में ₹55,244 तक ₹3,065 करोड़ से कम हुआ। वर्ष 2016–21 की अवधि के लिए श्रेणी 1 एवं 2 के संबंध में वर्ष–वार आवंटन एवं व्यय **तालिका 3.17** में दिया गया है:

तालिका 3.17: 2016–21 के दौरान जेण्डर बजट आवंटन						
(₹ करोड़ में)						
वर्ष	श्रेणी 1			श्रेणी 2		
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय से व्यय का प्रतिशत	परिव्यय	व्यय	परिव्यय से व्यय का प्रतिशत
2016-17	2,359.33	1,422.27	60.28	40,848.26	36,327.84	88.93
2017-18	2,617.70	2,411.88	92.14	44,391.09	45,689.86	102.93

तालिका 3.17: 2016–21 के दौरान जेण्डर बजट आवंटन						
वर्ष	श्रेणी 1			श्रेणी 2		
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय से व्यय का प्रतिशत	परिव्यय	व्यय	परिव्यय से व्यय का प्रतिशत
2018-19	3,396.34	3,396.34	100.00	48,948.00	36,574.24	74.72
2019-20	2,695.08	1,611.02	59.78	55,614.20	50,571.92	90.93
2020-21	3,375.37	उपलब्ध नहीं *	-	51,868.72	उपलब्ध नहीं *	-

स्रोत: वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी

* जानकारी वित्त विभाग द्वारा प्रदाय नहीं की गयी

राज्य शासन ने महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए लक्षित योजनाओं की प्रभावशीलता का आंकलन करने के लिए 2020–21 के दौरान जेण्डर बजट के निष्पादन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। वित्त विभाग को इस बात पर जोर देना चाहिए कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य में महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता लाने के लिए संबंधित विभाग चालू वर्ष के जेण्डर बजट के प्रस्ताव के साथ निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

3.14 कृषि बजट

राज्य का कृषि बजट किसानों को लाभान्वित करने के लिए लक्षित योजनाओं पर समग्र बजट के भीतर किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को उजागर करता है। मध्य प्रदेश में 2012–13 में कृषि बजट पेश किया गया था। यह बजट कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के लाभ के लिए किसानों के हितों की गतिविधियों को सम्मिलित करता है। राज्य के बजट में कृषि बजट को एक महत्वपूर्ण वक्तव्य के रूप में शामिल किया गया था, जो अनुदानों की मांगों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के आधार पर बजटीय आवंटन को अलग करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

तालिका 3.18 2016–21 के दौरान राज्य द्वारा किसान कल्याण और कृषि विकास के अंतर्गत किये गए प्रावधान का विवरण दर्शाती है।

तालिका 3.18: 2016–21 के दौरान किसान कल्याण और कृषि विकास अनुदान की तुलना में कृषि बजट का बजटीय आवंटन					
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
किसान कल्याण और कृषि विकास (अनुदान संख्या 13)	4,161	8,383	16,865	22,609	14,062
कृषि बजट	26,050	33,564	37,499	46,560	26,265

स्रोत: बजट पुस्तिकाएं तथा संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

बजटीय आवंटन 2019–20 में ₹46,560 करोड़ से 2020–21 में ₹26,265 करोड़ तक ₹20,295 करोड़ से कम हुआ। 2016–21 के दौरान किसान कल्याण और कृषि विकास (अनुदान संख्या 13) में वर्ष–वार आवंटन एवं व्यय **तालिका 3.19** में दिया गया है:

तालिका 3.19: किसान कल्याण और कृषि विकास के अंतर्गत बजट आवंटन एवं व्यय			
वर्ष	बजट आवंटन	व्यय	बचत (प्रतिशत)
2016-17	4,161	3,047	1,114 (26.77)
2017-18	8,383	5,183	3,200 (38.17)
2018-19	16,865	9,746	7,119 (42.21)
2019-20	22,609	15,021	7,588 (33.56)
2020-21	14,062	13,542	520 (3.70)

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिकाओं से देखा जा सकता है, 2016–20 के दौरान अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत ₹26.77 प्रतिशत से ₹42.21 प्रतिशत के बीच सारभूत बचतें हुई थी। 2020–21 के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में केवल 3.70 प्रतिशत की बचतों के साथ स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन फिर भी यह उन परिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका, जिसने लाभार्थियों को लाभ से वंचित किया और अंततः परिणामस्वरूप सरकार के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये।

3.15 पर्यावरण बजट

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, निम्नीकरण की रोकथाम और समानता पर जोर देना है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा अनुदान संख्या 57 के अंतर्गत पर्यावरण बजट पेश किया गया था। बजट में राज्य शासन द्वारा प्रदान किये गए पर्यावरण, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, पर्यावरण अनुसंधान और शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, आदि से संबंधित आंकड़े शामिल हैं।

2020–21 के दौरान अनुदान संख्या 57 पर्यावरण के अंतर्गत ₹41.37 करोड़ का बजट आवंटन किया गया था जिसके विरुद्ध ₹41.02 करोड़ का व्यय किया गया, परिणामस्वरूप ₹0.35 करोड़ की बचत हुई और इसका कोई भी भाग समर्पित नहीं किया गया। अनुदान संख्या 57 पर्यावरण के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान किए गए बजट आवंटन और व्यय को नीचे तालिका 3.20 में दिखाया गया है।

तालिका 3.20: अनुदान संख्या 57 पर्यावरण के अंतर्गत बजट आवंटन और उपयोग						
स. क्र.	अनुदान संख्या और नाम	लघु शीर्ष तक खाते का शीर्ष और योजना का नाम	कुल बजट (मूल+अनुपूरक)	व्यय	बचत	(₹ करोड़ में) कुल बजट प्रावधान के सापेक्ष उपयोग का प्रतिशत
1	57- पर्यावरण	2215-02-800-अन्य व्यय	1.35	1.35	0.00	100.00
2		2217-05-191-स्थानीय निकाय निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर निकायों में सुधार, आदि को सहायता	33.45	33.45	0.00	100.00
3		2215-02-106-वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम	6.30	6.00	0.30	95.24
4		4217-01-051-निर्माण योग	0.27	0.22	0.05	81.48
			41.37	41.02	0.35	99.15

स्रोत: वित्त लेखे 2020–21

3.16 चयनित अनुदानों की समीक्षा

विधानसभा में अनुदानों की मांगों पर मतदान पूर्ण होने के उपरांत राज्य की समेकित निधि में से आवश्यक धन के विनियोग हेतु एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जो (क) विधानसभा द्वारा दी गई अनुदानों और (ख) समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति करता है। विधेयक पर राज्यपाल की सहमति उपरान्त, विनियोग अधिनियम और इसकी अनुसूचियों में दर्शायी गई राशियों, विभिन्न मांगों में व्यय के लिए स्वीकृत अनुदान बन जाती है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, हमने दो अनुदानों का चयन किया अर्थात् अनुदान संख्या 6 वित्त और अनुदान संख्या 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय में, निर्धारित बजटीय प्रक्रियाओं के अनुपालन की समीक्षा, निधियों की निगरानी, नियंत्रण तंत्र और इन अनुदानों के भीतर योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इन अनुदानों का चयन किया।

3.16.1 अनुदान संख्या 6 वित्त

सचिव, वित्त विभाग, भोपाल, संचालक, पेंशन, भोपाल, आयुक्त, संस्थागत वित्त, भोपाल, संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल, संचालक, स्थानीय निधि लेखा, भोपाल, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, रवालियर एवं संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, भोपाल अनुदान संख्या 6 से संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) हैं।

3.16.1.1 बजट और व्यय की सारांशीकृत स्थिति

2020–21 के दौरान अनुदान संख्या 6 के अन्तर्गत बजटीय राशि एवं किये गये व्यय का विवरण निम्न तालिका 3.21 में सारांशीकृत है।

अनुभाग	कुल बजट		व्यय		बचतें	
	विनियोग लेखे के अनुसार	बजट नियंत्रण अधिकारियों को वास्तविक आवंटन	विनियोग लेखे के अनुसार	बजट नियंत्रण अधिकारियों के अनुसार	विनियोग लेखे के अनुसार	बजट नियंत्रण अधिकारियों के अनुसार
राजस्व (दत्तमत)	17,296.23	17,296.23	14,960.16	14,917.76	2,336.07	2,378.47
राजस्व (भारित)	330.05	329.99	5.46	5.46	324.59	324.53
पूँजीगत (दत्तमत)	130.70	126.98	44.79	45.04	85.91	81.94
योग	17,756.98	17,753.20	15,010.41	14,968.26	2,746.57	2,784.94

स्रोत: विनियोग लेखे 2020–21 एवं बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदाय जानकारी

विनियोग लेखे 2020–21 के अनुसार, राजस्व (दत्तमत) अनुभाग के अंतर्गत कुल प्रावधान ₹17,296.23 करोड़ के विरुद्ध ₹14,960.16 करोड़ का व्यय किया गया, परिणामस्वरूप राशि ₹2,336.07 करोड़ (13.51 प्रतिशत) अव्ययीत रही। इसी प्रकार, पूँजीगत (दत्तमत) अनुभाग के अंतर्गत कुल प्रावधान ₹130.70 करोड़ के विरुद्ध ₹44.79 करोड़ का व्यय किया गया, परिणामस्वरूप राशि ₹85.91 करोड़ (65.73 प्रतिशत) अव्ययीत रही। राजस्व (भारित) अनुभाग के अंतर्गत भी ₹330.05 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध केवल ₹5.46 करोड़ का व्यय हुआ, परिणामस्वरूप राशि ₹324.59 करोड़ (98.35 प्रतिशत) अव्ययीत रही। ऐसी महत्वपूर्ण बचतें दर्शाती हैं, कि बजट नियंत्रण अधिकारियों ने व्यय की समीक्षा नहीं की थी और बजट नियमावली खण्ड-1 की कंडिका 26.9 का अनुपालन भी नहीं किया था, जो प्रावधान करता है कि प्रत्याशित बचतों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 15 जनवरी तक समर्पित किया जाना आवश्यक है।

3.16.1.2 सतत बचतें

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिकाओं 30.1 और 30.2 के अनुसार, विभाग को वित्त वर्ष के दौरान विभाग द्वारा किए गए व्यय की समीक्षा करके बजट की निगरानी करनी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अवधि 2017–18 से 2020–21 तक के दौरान, मुख्य शीर्ष 6075 की दो योजनाओं में ₹10 करोड़ से ₹50 करोड़ तक की सतत बचतें कुल बजट प्रावधान के 48 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के मध्य थी, जैसा कि तालिका 3.22 में दर्शाया गया है।

स. क्र.	मुख्य शीर्ष/योजना का नाम	बचतों की राशि			
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	06-6075-00-800-9999-6787-V-66-000 गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	51.31 (100%)	40.00 (100%)	50.00 (100%)	24.23 (48%)
2	06-6075-00-800-9999-6788-V-66-000 राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस. एल. आर. बांड्स के समाधान हेतु प्रावधान	25.00 (100%)	10.00 (100%)	10.00 (100%)	10.00 (100%)

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

सतत् बचतों अवास्तविक बजटीय आवंटन, बजट निधियों के उप-इष्टतम उपयोग और संसाधन उपयोग की अपर्याप्त निगरानी का संकेत है। इससे ऐसा भी प्रतीत होता है कि बजट आवंटन पिछले वर्षों के व्यय के रुझान पर विचार किए बिना किया गया था। सचिव, वित्त विभाग ने उत्तर में कहा (सितम्बर 2021) कि किसी भी परिस्थिति की प्रत्याशा में भुगतान करने के प्रावधान किए गए थे जैसे (i) यदि प्रत्याभूतियां लागू की जाती (ii) एसएलआर बांड बंद हो जाते हैं, यदि इस तरह के लंबित बकाया का कोई मामला सामने आता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बचतें लगातार पिछले चार वर्षों के दौरान 48 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य बनी हुई थी।

3.16.1.3 संपूर्ण प्रावधान का उपयोग न होना

2020–21 के दौरान, संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल के अधीन एक प्रकरण में जहां प्रावधान ₹100 करोड़ या अधिक था, ₹100.00 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा जैसा कि तालिका 3.23 में विस्तृत है।

तालिका 3.23: प्रावधान का उपयोग न होना									
स. क्र.	बजट नियंत्रण अधिकारी	योजना शीर्ष	नामावली	मूल बजट	पुनर्विनियोजन	समर्पण	कुल बजट	बचते	(₹ करोड़ में) व्यय
1	संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल (बीसीओ कोड 0405)	06-2054-00-095-9999-5329-C-53-000	5329-लंबित देयकों का भुगतान	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
योग					100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

स्रोत: बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदाय जानकारी

संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल ने अपने उत्तर में कहा कि आकस्मिक परिस्थितियों में लम्बित बकाया देय के भुगतान हेतु ₹100 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ था तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कोविड-19 के कारण संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा सकी और इसलिए आवंटन अव्ययित रहा।

अव्ययित राशि को निर्धारित समय के भीतर समर्पित किया जाना चाहिए।

3.16.1.4 निर्धारित समय के भीतर बचतों का समर्पण न करना

मध्य प्रदेश बजट नियमावली खण्ड-1 की कंडिका 26.9 के अनुसार व्यय में प्रत्याशित बचतों के विवरण को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 15 जनवरी तक बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा वित्त विभाग को प्रस्तुत किया

जाना आवश्यक है ताकि वित्त विभाग द्वारा अनुदान की अन्य मांगों के लिए संसाधनों का आवंटन किया जा सके।

छ: योजनाओं से संबंधित 42 विस्तृत शीर्षों में ₹75.40 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹15.34 करोड़ (20.34 प्रतिशत) की समेकित बचत माह मार्च 2021 के अंत में समर्पित की गई, जिससे अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए निधियों का उपयोग करने की गुंजाइश नहीं रही। विवरण **परिशिष्ट 3.17** में दर्शाया गया है।

आयुक्त, संस्थागत वित्त, भोपाल ने अपने प्रत्युत्तर (सितंबर 2021) में कहा कि बचतें विभिन्न योजनाओं में बिल जमा न करने और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शेयर पूँजी में निवेश करने के लिए सरकार की गैर स्वीकृति के कारण थी जबकि बजट नियंत्रण अधिकारी (संचालक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा, भोपाल) ने अपने उत्तर (सितंबर 2021) में कहा कि वर्ष के अंत तक अधीनस्थ कार्यालयों से बजट मांग की प्रत्याशा में निधियों का समर्पण न करने के कारण बचतें हुईं। तथ्य यह है कि समर्पण निर्धारित समय के भीतर नहीं किया गया था।

3.16.2 अनुदान संख्या 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

हमने अनुदान संख्या 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय से संबंधित बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा (जुलाई 2021) की। राहत आयुक्त, राहत भवन, भोपाल एवं कमांडेंट जनरल (होमगार्ड), जबलपुर अनुदान संख्या 58 के बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) हैं।

3.16.2.1 बजट और व्यय की सारांशीकृत स्थिति

2020–21 के दौरान अनुदान संख्या 58 के अन्तर्गत बजटीय राशि एवं किये गये व्यय के विवरण नीचे तालिका 3.24 में सारांशीकृत है:

अनुभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	बजट नियंत्रण अधिकारियों को आवंटित बजट	व्यय		बचतें	
					(₹ करोड़ में)		विनियोग लेखे के अनुसार	बजट नियंत्रण अधिकारियों के अनुसार
राजस्व (दत्तमत)	4,962.18	4,792.00	9,754.18	9,754.18	8,777.75	8,722.26 ⁴	976.43	1,031.92
राजस्व (भारित)	0.00 ⁵	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पूँजीगत (दत्तमत)	1.00	485.40	486.40	455.33	0.00	0.00	486.40	455.33
योग	4,963.18	5,277.40	10,240.58	10,209.51	8,777.75	8,722.26	1,462.83	1,487.25

स्रोत: विनियोग लेखे 2020–21 एवं बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी

विनियोग लेखे 2020–21 के अनुसार, ₹10,240.58 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध ₹8,777.75 करोड़ का व्यय किया गया परिणामस्वरूप ₹1,462.83 करोड़ (14.28 प्रतिशत) का अव्ययीत प्रावधान रहा। इसके अलावा, बजट नियंत्रण अधिकारियों के अभिलेखों के अनुसार, जारी किये गये ₹10,209.51 करोड़ के कुल बजट के विरुद्ध ₹8,722.26 करोड़ का व्यय किया गया, जिसमें राज्य आपदा मोर्चन निधि में अंतरित राशि ₹4,318.79 करोड़ शामिल थी परिणामस्वरूप राशि ₹1,487.25 करोड़ (14.56 प्रतिशत) अव्ययीत रही। बजट

⁴ राज्य आपदा मोर्चन निधि (एसडीआरएफ) को हस्तांतरित राशि ₹4,318.79 करोड़ भी शामिल है।

⁵ ₹10,000

नियंत्रण अधिकारी स्तर पर राशि ₹1,487.25 करोड़ की कुल बचत में से, केवल ₹1,223.24 करोड़ अर्थात् कुल बचत का 82.30 प्रतिशत, मध्य प्रदेश बजट नियमावली खंड-1 की कंडिका 26.9 में निर्धारित 15 जनवरी के बजाय 31 मार्च 2021 को समर्पित की गयी थी। समर्पण में विलम्ब ने अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों में इन निधियों के उपयोग की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी।

इसके अतिरिक्त, विनियोग लेखे एवं बजट नियंत्रण अधिकारियों के अभिलेखों के अनुसार राजस्व अनुभाग की बचतों में ₹55.49 करोड़ का अंतर था।

2020–21 के दौरान यह देखा गया कि विभाग ने पूंजीगत दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए शीर्ष 4059–80–800–6276–64–001 के अंतर्गत ₹485.40 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान प्रस्तावित किया था। वित्त विभाग ने इस योजना के लिए ₹454.33 करोड़ जारी किए थे, तथापि, आवंटित निधि में से कोई भी राशि व्यय नहीं की गई, परिणामस्वरूप अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान हुआ।

विभाग ने बचत का कारण भारत सरकार द्वारा शमन (Mitigation) पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी न करना बताया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने शमन (Mitigation) पर भारत सरकार से बिना अंतिम दिशा-निर्देश प्राप्त किए अनुपूरक प्रावधान प्रस्तावित किया था, परिणामस्वरूप इन निधियों को अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने से रोक दिया गया।

3.16.2.2 सतत बचतें

हमने पाया कि, मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिकाओं 30.1 एवं 30.2 के उल्लंघन से, पिछले पांच वर्षों 2016–17 से 2020–21 तक के दौरान, छ: योजनाओं में ₹ एक करोड़ एवं अधिक की सतत बचतें, कुल बजट आवंटन के दो प्रतिशत और 100 प्रतिशत के मध्य थी, जैसा कि नीचे तालिका 3.25 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.25: वर्ष 2016–21 के दौरान सतत बचतों के संकेत की योजनाएं (₹ करोड़ में)					
संक्र.	योजना का नाम	बचतों की राशि (योजना में कुल बजट आवंटन का प्रतिशत)			
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	6422-सूखा से संबंधित फसल क्षति एवं अन्य कार्यों हेतु सहायता	12.18 (2.00)	1,026.65 (57.00)	16.82 (2.00)	4.76 (9.00)
2	6434-ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति	10.04 (69.00)	5.82 (62.00)	1.37 (59.00)	3.61 (72.00)
3	0096-अग्नि पीडितों को राहत	17.36 (48.00)	7.48 (21.00)	4.52 (13.00)	3.02 (9.00)
4	6436-आपदा से संबंधित प्रशिक्षण एवं उपकरणों का क्रय	5.36 (77.00)	5.13 (81.00)	2.35 (52.00)	1.76 (2.00)
5	7021-पाला से क्षति पर राहत सहायता	7.35 (98.00)	128.07 (100.00)	6.18 (16.00)	3.38 (35.00)
6	2750-प्राकृतिक विपदाओं के कारण उत्पन्न जलकष्ट के निवारण हेतु क्रय	3.00 (100.00)	1.00 (100.00)	1.00 (100.00)	1.00 (100.00)

स्रोत: बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी

सतत बचतें अवास्तविक बजटीय आवंटन, बजटीय निधियों के उप-इष्टतम उपयोग और अपर्याप्त निगरानी या संसाधन उपयोग का संकेत है। इसने यह भी दर्शाया कि, व्यय में पिछले वर्षों के रुझानों पर विचार किए बिना बजट आवंटन किया गया।

3.16.2.3 सारभूत बचतें

अनुदान संख्या 58 के अन्तर्गत योजनाओं का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और सूखे से पीड़ितों को राहत प्रदान करना है। 2020–21 के दौरान, 11 योजनाओं में, जहां बचतें ₹10 करोड़ या अधिक थी, वहां ₹1,483.20 करोड़ की सारभूत बचतें, कुल बजट आवंटन का 1.68 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य थी।

विवरण तालिका 3.26 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.26: 2020–21 के दौरान सारभूत बचतें दर्शाने वाली योजनाओं की सूची								
(₹ करोड़ में)								
संक्र.	योजना	बजट प्रावधान (मूल+अनु.)	पुनर्विनियोजन	कुल प्रावधान	बजट नियंत्रण अधिकारियों को जारी किया गया बजट	व्यय	बचतें	बचतें (प्रतिशत में)
1	2245-80-001-6276-51-आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के लिए	485.40	0.00	485.40	485.40	23.73	461.67	95.11
2	4059-80-800-6276-64-001-आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के लिए	485.40	0.00	485.40	454.33	0.00	454.33	100.00
3	2245-80-800-7249-42-007-कीट के प्रकोप से फसल को नुकसान	1,066.18	1,204.00	2,270.18	2,270.18	2,118.62	151.55	6.68
4	2245-02-101-2018-42-007-बाढ़ और भारी बारिश पीड़ितों को राहत	913.30	156.00	1,069.30	1,069.30	931.83	137.47	12.86
5	2245-02-101-0747-42-007-ओला पीड़ितों को राहत	146.80	162.00	308.80	308.80	206.70	102.09	33.06
6	2245-80-800-7021-42-007-पाला से क्षति पर राहत सहायता	100.00	(-)10.00	90.00	90.00	1.21	88.79	98.65
7	2245-01-101-0096-42-007-अग्नि पीड़ितों को राहत	43.92	0.00	43.92	43.92	17.74	26.18	59.61
8	2245-01-101-6422-42-007-सूखा से संबंधित फसल क्षति एवं अन्य कार्यों हेतु सहायता	263.83	(-)241.00	22.83	22.83	0.27	22.56	98.80
9	2245-80-800-5504-51-आर.वी.सी. के तहत आपदा के लिए वित्तीय सहायता 6-4	1,080.00	(-)202.00	878.00	878.00	863.25	14.75	1.68
10	2245-80-102-6436-51-आपदा से संबंधित प्रशिक्षण एवं उपकरणों का क्रय	5.23	115.00	120.23	120.23	106.93	13.30	11.06
11	2245-01-102-6434-42-007-ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति	11.00	0.00	11.00	11.00	0.49	10.51	95.56
योग		4,601.06	1,184.00	5,785.06	5,753.99	4,270.77	1,483.20	25.78

स्रोत: बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी

बचतों के कारणों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने उत्तर (जुलाई 2021) में कहा कि प्राकृतिक आपदा से संबंधित व्यय का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए योजना 6276 के संबंध में, विभाग ने बचतों के कारणों को भारत सरकार द्वारा शमन (Mitigation) पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी न करने का उल्लेख किया था।

विभाग द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 2019–20 के दौरान भी इन योजनाओं के अंतर्गत ₹4,869 करोड़ की बचतें हुई थीं जो इंगित करता है कि बजट अनुमान तैयार करते समय पिछले वर्षों के रुझानों को ध्यान में नहीं रखा गया था। अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के उद्देश्य से योजना 6276 वित्तीय वर्ष 2020–21 से अस्तित्व में आयी। इस योजना में लगभग 97 प्रतिशत की बचत ने योजना के उद्देश्य को विफल कर दिया था।

3.16.2.4 गतिविधियों में सारभूत बचतें अर्थात् सूखा, ओलावृष्टि, बाढ़ और भारी वर्षा के पीड़ितों के लिए सहायतानुदान

अनुदान संख्या 58 का मुख्य उद्देश्य आग के प्रकोप, सूखा, ओलावृष्टि और बाढ़/तेज वर्षा आदि के पीड़ितों को राहत के रूप में सहायतानुदान प्रदान करना है। हालांकि, हमने सहायतानुदान में भारी बचतें देखी। विवरण नीचे तालिका 3.27 में दिया गया है:

तालिका 3.27: सहायतानुदान में सारभूत बचतें				
(₹ करोड़ में)				
गतिविधि	कुल प्रावधान (पूरक और पुनर्विनियोग सहित)	व्यय	बचतें	बचतें (प्रतिशत में)
उद्देश्य शीर्ष-42–सहायतानुदान	3,829.19	3,289.01	540.18	14.11

स्रोत: बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी

इस गतिविधि के गहन विश्लेषण से पता चला कि बचतें मुख्य रूप से निम्नलिखित सात योजनाओं में हुईं, जैसा कि नीचे तालिका 3.28 में वर्णित है:

तालिका 3.28: सहायतानुदान में सारभूत बचतें					
(₹ करोड़ में)					
गतिविधि	योजना शीर्ष	बजट नियंत्रण अधिकारियों को जारी किया गया बजट	व्यय	जारी बजट में से बचतें	बचतें (प्रतिशत में)
उद्देश्य शीर्ष-42–सहायतानुदान	7249-कीट के प्रकोप से फसल को नुकसान	2,270.18	2,118.62	151.55	6.68
	2018-बाढ़ और भारी बारिश पीड़ितों को राहत	1,069.30	931.83	137.47	12.86
	0747-ओला पीड़ितों को राहत	308.80	206.70	102.09	33.06
	7021-पाला से क्षति पर राहत सहायता	90.00	1.21	88.79	98.65
	0096-अग्नि पीड़ितों को राहत	43.92	17.74	26.18	59.61
	6422-सूखा से संबंधित फसल क्षति एवं अन्य कार्यों हेतु सहायता	22.83	0.27	22.56	98.80
	6434-ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति	11.00	0.49	10.51	95.56

स्रोत: बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी

उपरोक्त सभी सात योजनाओं का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करना है और इन योजनाओं के अंतर्गत बचतें या तो अनुचित बजट अथवा योजना को लागू करने में गंभीर लापरवाही का संकेत देती है।

3.17 निष्कर्ष

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार वर्ष 2011–19 के लिए 11 अनुदानों और सात विनियोगों से संबंधित ₹1,668.08 करोड़ के आधिकार्य व्यय को अभी भी नियमित किया जाना था।

अनुपूरक अनुदान/विनियोग तथा निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन पर्याप्त औषित्य के बिना प्राप्त किया गया था जो वित्त और संबंधित विभागों के मध्य समन्वय की कमी को दर्शाता है।

वर्ष के दौरान बचतें बजट का लगभग दसवां हिस्सा लेखांकित थी, तथापि, नियंत्रक अधिकारियों ने समय से निधियों का समर्पण नहीं किया। सतत बचतों के प्रति विभागों को सचेत नहीं किया गया; न ही आवंटन को खपाने की उनकी क्षमता के अनुसार उनके बजटों को परिवर्तित किया गया।

कुल 3,697 उप-शीर्षों में से, 1,048 उप-शीर्षों में स्वीकृत बजटीय आवंटन के संदर्भ में व्यय में भिन्नता के स्पष्टीकरण आवश्यक थे, परन्तु केवल 377 प्रकरणों (35.97 प्रतिशत) में आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त हुए थे।

3.18 अनुसंशाएं

- i) राज्य शासन को विभागों की आवश्यकताओं और आवंटित संसाधनों का उपयोग करने की उनकी क्षमता के विश्वसनीय अनुमानों के आधार पर वास्तविक बजट तैयार करना चाहिए।
- ii) राज्य शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विगत वर्षों में हुए अधिक व्यय को राज्य विधान सभा द्वारा प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र नियमित किया जाना चाहिए।
- iii) राज्य शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान और अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन/सर्वप्रथम से बचा जाए।
- iv) राज्य शासन द्वारा उचित कार्यान्वयन और बजट की निगरानी को लागू करने के लिए एक उपयुक्त नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बचतों में कटौती की जाती है, अनुदान/विनियोग के भीतर बड़ी बचतें नियंत्रित होती हैं और प्रत्याशित बचतों की पहचान कर उसे निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर समर्पित कर दिया जाता है।

अध्याय 4

लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली
की गुणवत्ता

अध्याय 4—लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

4.1 प्रस्तावना

राज्य शासन द्वारा कुशल तथा प्रभावी शासन के लिए प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक मजबूत आंतरिक वित्तीय सूचना प्रणाली महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन के साथ—साथ सूचना की समयबद्धता और गुणवत्ता इस प्रकार, सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और परिचालन में है, सामरिक योजना और उचित निर्णय लेने सहित अपने बुनियादी प्रबंधन की जिम्मेदारियों को पूरा करने में राज्य शासन की सहायता करती है। यह अध्याय लेखाओं की गुणवत्ता और राज्य शासन की वित्तीय प्रतिवेदनों की प्रणाली, निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ परिपूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण के संबंध में अनुपालन की स्थिति एवं विहंगावलोकन को प्रस्तुत करता है।

4.2 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

मध्य प्रदेश शासन ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के संदर्भ में मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन (अप्रैल 2003) किया। मण्डल को भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के नियोजन और सेवा की शर्तों को विनियमित करने और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के उपायों और उनसे संबंधित अन्य मामले या उसके आनुषांगिक मामलों के लिए कर्तव्य सौंपे गए थे। यह भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है, और सौंपे गए कार्यों को करता है। मण्डल ने अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नियोक्ताओं से निर्माण की लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर नियत किया था। विभिन्न सरकारी विभाग उपकर एकत्र करते हैं और संग्रहण/कटौती के एक माह के भीतर इसे मण्डल को प्रेषित करना चाहिए।

4.2.1 उपकर का लेखांकन

भारत सरकार ने श्रमिकों को लाभ प्रदान करने हेतु उपकर लगाने और एकत्र करने के लिए भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) अधिनियमित किया। श्रम उपकर की राशि मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के बैंक खातों में विभिन्न माध्यमों जैसे डिमांड ड्राफ्ट, ई-ट्रेजरी चालान, आरटीजीएस, एनईएफटी, बोर्ड के ऑनलाइन भुगतान गेटवे, इत्यादि के माध्यम से जमा की जाती है।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम की धारा 27(1) के अनुसार मण्डल को लेखों एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का उचित संधारण तथा लेखों के वार्षिक विवरण पत्रक तैयार करना होता है, मण्डल ने 2013–14 से अपने लेखे तैयार नहीं किये थे। नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वर्ष दर वर्ष इस मुद्दे पर राज्य शासन का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद सुधार नहीं हुआ है।

2016–21 के दौरान श्रम उपकर की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण **तालिका 4.1** में दिया गया है।

तालिका 4.1: 2016–21 के दौरान उपकर की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण									
वर्ष	प्रारंभिक शेष	संग्रहित उपकर की राशि	पंजीकरण प्रभार	जमाओं पर ब्याज	पूँजीगत राशि	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	अंतिम शेष	(₹ करोड़ में) उपलब्ध निधियों की उपयोगिता का प्रतिशत
2016-17	1,499.60	368.29	0.00	93.59	0.19	1,961.67	168.07	1,793.60	8.57
2017-18	1,793.60	377.80	0.00	116.29	0.11	2,287.80	261.70	2,026.10	11.44
2018-19	2,026.10	548.32	0.00	112.93	7.59	2,694.94	314.15	2,380.79	11.66
2019-20	2,380.79	565.38	0.00	147.91	(-)6.84	3,087.24	584.43	2,502.81	18.93
2020-21	2,502.81	437.39	0.00	139.29	0.00	3,079.49	453.09	2,626.40	14.71

स्रोत: मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल द्वारा प्रदाय जानकारी

4.2.2 श्रम उपकर की उपयोगिता

राज्य शासन ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि से संनिर्माण कर्मकारों के लाभ के लिए विभिन्न योजनाएँ/गतिविधियां जैसे मातृत्व हितलाभ, पेंशन, घरों के क्रय/निर्माण के लिए अग्रिम, अंतर्येष्टि सहायता, चिकित्सा सहायता, मेधावी छात्रों के लिए नकद पुरस्कार, हितग्राहियों के बच्चों की शिक्षा/विवाह के लिए वित्तीय सहायता, इत्यादि अधिसूचित की थीं। 2016–21 के दौरान इस संबंध में व्यय का विवरण तालिका 4.2 में दिया गया है:

तालिका 4.2: उपलब्ध निधियों के विरुद्ध योजनाओं पर व्यय							
वर्ष	उपलब्ध निधियां	योजनाओं के लिए बजट आवंटन		संचालित योजना		पंजीकृत कर्मकार	सम्मिलित कर्मकार
		योजनाओं की संख्या	आवंटन	योजनाओं की संख्या	वास्तविक व्यय		
2016-17	1,961.67	26	151.60	24	240.06	25,28,255	4,25,448
2017-18	2,287.80	24	233.10	21	287.98	25,87,175	4,98,182
2018-19	2,694.94	24	76.01	24	316.83	12,19,230	3,63,289
2019-20	3,087.24	24	304.84	24	350.16	13,12,673	1,75,702
2020-21	3,079.49	19	258.55	19	279.85	10,99,497	56,318

स्रोत: मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल द्वारा प्रदाय जानकारी

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2020–21 के दौरान मण्डल उपलब्ध निधियों का केवल 9.09 प्रतिशत का उपयोग कर सका एवं विभिन्न योजनाओं जैसे शिक्षा, छात्रवृत्ति, आवास, चिकित्सा सहायता, इत्यादि के अंतर्गत केवल 5.12 प्रतिशत पंजीकृत कर्मकार लाभान्वित हुए।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संनिर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिए संचालित अधिकांश योजनाओं के लिए, राज्य शासन द्वारा संचालित की जा रही संबंधित योजनाएँ भी मौजूद हैं। इसलिए, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल उन कल्याणकारी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने पर विचार कर सकता है जो राज्य शासन द्वारा उनकी मौजूदा योजनाओं में क्रियान्वित नहीं हैं। आगे, सरकार को पंजीकृत संनिर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिए निधि में अत्यधिक संचित शेष के प्रबंधन के लिए एक संचालन मण्डल के गठन पर विचार करना चाहिए।

4.2.3 मण्डल को श्रम उपकर का अंतरण न करना

मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्रदाय की गई जानकारी के अनुसार, राज्य शासन ने अवधि 2011–12 से 2020–21 के दौरान राशि ₹2,946.70 करोड़ का उपकर संग्रहित किया। तथापि, राशि ₹8.47 करोड़ एक से नौ वर्षों तक अंतरण हेतु लम्बित थी। विवरण नीचे तालिका 4.3 में दिया गया है:

तालिका 4.3: कर्मकार कल्याण उपकर का संग्रहण एवं मण्डल को जमा			
वित्तीय वर्ष	संग्रहित उपकर की राशि	मण्डल को जमा राशि	(₹ लाख में) मण्डल को जमा न की गयी राशि
2011-12	13,654.55	13,560.79	93.76
2012-13	22,576.05	22,303.72	272.33
2013-14	26,449.51	26,220.71	228.80
2014-15	30,393.02	30,294.52	98.50
2015-16	28,643.93	28,578.47	65.46
2016-17	34,699.78	34,659.48	40.30
2017-18	28,195.10	28,152.94	42.16
2018-19	35,190.36	35,184.51	5.85
2019-20	31,115.68	31,115.63	0.05
2020-21	43,752.35	43,752.35	0.00
योग	2,94,670.33	2,93,823.12	847.21

स्रोत: मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल द्वारा प्रदाय जानकारी

मण्डल ने सूचित किया (सितम्बर 2021) कि अनाद्रित चैकों को नवीनीकरण के लिए संबंधित एजेंसियों/विभागों को वापस कर दिया गया था।

कर्मकार कल्याण उपकर की राशि का अंतरण न होने के कारण मण्डल को अंतरित न की गई राशि पर ब्याज की हानि हुई।

4.3 स्थानीय निधियों का जमा

मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1993 प्रदान करता है कि, जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत क्रमशः जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि एवं ग्राम पंचायत निधि (मुख्य शीर्ष-8448—स्थानीय निधि जमा—109—पंचायत निकाय निधि के अंतर्गत) का संधारण करेंगे जिसमें अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त या प्राप्ति योग्य सभी राशियां शामिल होंगी एवं सभी राशियां अन्यथा पंचायती राज संस्थानों द्वारा प्राप्त की जाती हैं, जैसे कि केन्द्रीय वित्त आयोग और राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग पुरस्कार और अपने स्वयं के राजस्व के हिस्से के रूप में प्राप्त अनुदान, जिसमें पंचायत के कर एवं करेतर प्राप्तियां शामिल हैं। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 86 में परिकल्पित है कि नगर पालिका निधि को निगम द्वारा ट्रस्ट में रखा जाना है। इस अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्ति योग्य सभी राशि एवं नगर पालिकाओं द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी राशि को नगर पालिका निधि में मुख्य शीर्ष-8448—स्थानीय निधि जमा—102—नगर पालिका निधि के अंतर्गत रखा जाना है। 2016-17 से 2020-21 तक पंचायती राज संस्थानों और नगर पालिका निधि में स्थानीय निधियों के जमा की स्थिति तालिका 4.4 में दी गई है:

तालिका 4.4: स्थानीय निधियों का जमा						
(₹ लाख में)						
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
जिला निधियाँ - 8448-101	प्रारंभिक शेष	1.08	1.08	396.87	1,258.94	1,258.94
	प्राप्तियां	--	395.79	862.07	--	87.65
	व्यय	--	--	--	--	--
	अंतिम शेष	1.08	396.87	1,258.94	1,258.94	1,346.59
नगर पालिका निधियाँ - 8448-102	प्रारंभिक शेष	0.64	24.04	47.45	1,479.55	1,993.32
	प्राप्तियां	23.40	23.41	1,432.10	513.77	971.38
	व्यय	--	--	--	--	--
	अंतिम शेष	24.04	47.45	1,479.55	1,993.32	2,964.70
पंचायत निकाय निधियाँ - 8448-109	प्रारंभिक शेष	671.36	672.15	1,331.54	1,332.75	1,361.40
	प्राप्तियां	0.79	659.39	1.21	28.65	0.01
	व्यय	--	--	--	--	--
	अंतिम शेष	672.15	1,331.54	1,332.75	1,361.40	1,361.41
अन्य निधियाँ - 8448-120	प्रारंभिक शेष	1,40,713.78	2,57,070.72	4,19,882.11	5,48,203.10	6,95,251.96
	प्राप्तियां	1,31,089.35	1,72,949.57	1,71,789.38	1,98,276.57	2,55,156.85
	व्यय	14,732.41	10,138.18	43,468.39	51,227.71	1,138.46
	अंतिम शेष	2,57,070.72	4,19,882.11	5,48,203.10	6,95,251.96	9,49,270.35

चेतावनी: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, पिछले पाँच वर्षों में मुख्य शीर्ष 8448-101—जिला निधियाँ, 8448-102—नगर पालिका निधियाँ एवं 8448-109—पंचायत निकाय निधियाँ से कोई व्यय नहीं किया जा रहा है परन्तु इन शीर्षों में लगातार धनराशि जमा की जा रही है।

4.4 उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

राज्य वित्तीय नियम प्रावधान करते हैं कि अनुदान स्वीकृत करने वाले प्रत्येक आदेश में उसका उद्देश्य और साथ ही अनुदान को खर्च करने की समय सीमा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होगी। सहायतानुदान प्राप्त करने वाले विभागीय अधिकारी, जहां आवश्यक हो, महालेखाकार को प्रमाणित करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होंगे, अनुदान से जुड़ी शर्तों को पूरा करना और प्रमाण—पत्र (उपयोगिता प्रमाण—पत्र) को ऐसे रूप में और ऐसे अंतराल पर जमा करना जो महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) और संबंधित विभाग प्रमुख के बीच सहमती से हो।

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 179 एवं 182 के अनुसार, अनुदानग्राही द्वारा प्राप्त सहायतानुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण—पत्र अनुदानग्राही द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 जून को या उससे पहले स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को, अनुदान प्राप्त करने की तिथि या उसी उद्देश्य पर आगे अनुदान के लिए आवेदन करने से पहले, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करने की सीमा तक, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि वित्त लेखों में दिखाई गई राशि लाभार्थियों तक पहुँची थी और इस प्रकार व्यय को सही या अंतिम के रूप में प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।


31 मार्च 2021 तक, 27 विभागों द्वारा प्रदान किए गए सहायतानुदान के विरुद्ध राज्य के निकायों और प्राधिकरणों द्वारा ₹15,541.32 करोड़ के कुल 19,604 उपयोगिता प्रमाण—पत्र, जो देय हो गए हैं, प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अवधि—वार उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की प्रस्तुति में विलंब को तालिका 4.5 में दिया गया है:

तालिका 4.5: लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्रों का वर्ष—वार विभाजन		
वर्ष	उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की संख्या	(₹ करोड़ में) राशि
2013-14 तक	19,553	13,209.63
2014-15	02	401.49
2015-16	09	39.18
2016-17	02	5.15
2017-18	0	0.00
2018-19	20	479.56
2019-20	18	1,406.31
2020-21	0	0.00
योग	19,604	15,541.32

चोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष 2020-21 के लिए बकाया उपयोगिता प्रमाण—पत्र निरंक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य शासन ने 1 अक्टूबर 2019 से सभी भौतिक प्रमाणक कार्यालय प्रधान महालेखाकार को भेजना बंद कर दिया है। राज्य शासन ने भौतिक प्रमाणक को ई—प्रमाणक और ई—चालान से बदल दिया है, जो एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से कार्यालय प्रधान महालेखाकार को उपलब्ध कराया जाता है। परन्तु प्रमाणकों के समर्थन में दस्तावेज एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली में अपलोड नहीं किए जा रहे थे, जिसके कारण सशर्त एवं बिना शर्त अनुदानों की पहचान संभव नहीं थी, जिससे उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की आवश्यकता/निगरानी प्रभावित हुयी। आगे, तालिका 4.5 भी दर्शाती है कि बकाया उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की 85 प्रतिशत राशि 2014-15 से पहले की अवधि से संबंधित है।

वर्ष 2020-21 तक भुगतान किए गये अनुदानों के लिए बकाया उपयोगिता प्रमाण—पत्रों का विभाग—वार विभाजन परिशिष्ट 4.1 में दिया गया है। विभागीय अधिकारियों ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि विगत वर्षों में राशि ₹15,541.32 करोड़ किस प्रकार व्यय की गई। इसलिए, यह चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उन्हें प्रदान किया गया सार्वजनिक धन शामिल है और इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि इन निधियों को प्रदान करने से इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है। पिछले सात वर्ष या अधिक समय के लिये प्रदान की गई धनराशि से संबंधित व्यय के लिये जबाबदेही के अभाव में, इन निधियों के दुर्विनियोजन की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। आगे, उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की प्रस्तुति में विलंब से भारत सरकार से निष्पादन अनुदानों की प्राप्ति प्रभावित हो सकती है। 10 प्रमुख विभागों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की स्थिति चार्ट 4.1 में दी गई है:



स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

उपयोगिता प्रमाण—पत्रों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदान का उपयोग उन उद्देश्यों के लिये किया था जिसके लिये अनुदान दिया गया था। उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की प्रस्तुतिकरण में भारी मात्रा में विलंबता धोखाधड़ी के जोखिम और निधियों के दुर्विनियोग से भरा है। नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वर्ष दर वर्ष इस मुद्दे पर राज्य शासन का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद इसमें सुधार नहीं हुआ है।

4.5 अनुदानग्राही संस्थान का “अन्य” के रूप में अभिलेखन

सरकार से सहायतानुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों को संस्थान कोड देने की एक प्रणाली है। इन अनुदानों को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम के प्रमाणक स्तर कम्प्यूटरीकरण प्रणाली में भी दर्ज किया जाता है और प्रत्येक संस्था हेतु बकाया राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण—पत्र जमा करने की अनुवीक्षा की जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रणाली को कार्य करने के लिए अनुदानग्राही संस्थान ठीक से दर्ज होना चाहिए। उचित कोड के अभाव में, सभी संस्थानों के विरुद्ध बकाया राशि की गणना नहीं की जा सकती। चूँकि सहायतानुदान राज्य के कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग है, यह आवश्यक है कि सरकार अनुदानग्राही संस्थान का विवरण एवं प्रकृति प्रदान करें जिसे वह लेखों की पारदर्शिता के हित में निधियाँ उपलब्ध करा रही हैं।

वित्त लेखें दर्शाते हैं कि वर्ष 2020–21 के दौरान राशि ₹34,137.57 करोड़ (कुल सहायतानुदान ₹64,270.95 करोड़ का 53.11 प्रतिशत) अनुदानग्राही संस्थानों को “अन्य” के रूप में संवितरित की गयी थी। वर्ष 2016–21 के दौरान अनुदानग्राही संस्थानों को “अन्य” के रूप में जारी कुल राशि का विवरण तालिका 4.6 में दिया गया है:

तालिका 4.6: वर्ष 2016–21 के दौरान अनुदानग्राही संस्थानों को “अन्य” के रूप में जारी की गई निधियाँ

अनुदानग्राही का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	(₹ करोड़ में) 2020-21
अन्य	12,147.25	9,024.21	12,451.13	36,343.51	34,137.57
कुल सहायतानुदान	49,980.15	53,454.99	54,428.05	65,258.33	64,270.95
सहायतानुदान के संबंध में अन्य का प्रतिशत	24.30	16.88	22.88	55.69	53.11

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 2016–21 के दौरान कुल सहायतानुदान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा “अन्य” प्रकार के अनुदान प्राप्त संस्थानों को वितरित किया जा रहा है। वर्ष 2016–21 के दौरान अनुदानग्राही संस्थान को संवितरित राशि “अन्य” के रूप में 16.88 प्रतिशत से 55.69 प्रतिशत तक रही।

4.6 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित धनराशि

भारत सरकार की योजनाएं राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। अप्रैल 2014 में, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को सभी सहायता राज्य सरकार के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस प्रकार राज्य के वार्षिक वित्त लेखे राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी संसाधनों का पूरा चित्रण प्रदान करेंगे। हालाँकि, भारत सरकार ने 2019–20 में ₹22.93 करोड़ के विरुद्ध 2020–21 के दौरान मध्य प्रदेश में कार्यान्वयन एजेंसियों को 18.14 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सीधे ₹27.09 करोड़ जारी किए।

वर्ष 2020–21 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित धनराशि का विवरण तालिका 4.7 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.7: राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित धनराशि			(₹ लाख में)
संक्र.	भारत सरकार की योजनाओं के नाम	कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	2020–21 के दौरान भारत सरकार द्वारा विमुक्त
1	कृषि जनगणना और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना	राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय (राज्य शासन का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)	7.49
2	बीज और रोपण सामग्री पर उप–मिशन	मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम (राज्य शासन का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)	197.17
3	जैव विविधता संरक्षण	पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन (राज्य शासन का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)	62.00
4	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुकुट विकास निगम (राज्य शासन का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)	2,113.44
5	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन	मध्य प्रदेश राज्य कृषि–उद्योग विकास निगम लिमिटेड (राज्य शासन का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)	300.00
6	परम्परागत कृषि विकास योजना	बायोसर्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, बेस्ट रिकॉर्डिंग्स एवं प्राइवेट लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कंपनी)	28.73
योग			2,708.83

स्रोत: वित्त लेखे 2020–21

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुकुट विकास निगम को कुल राशि का 78 प्रतिशत जारी किया गया था।

4.7 व्यक्तिगत जमा खाते

व्यक्तिगत जमा खाते वे जमा खाते होते हैं जो कोषालय में खातों के प्रशासकों के नाम पर रखे जाते हैं। धनराशि 8443–सिविल जमा–106 व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत रखी जाती है। ये खाते वित्त विभाग की स्वीकृति से खोले जा सकते हैं। व्यक्तिगत जमा खातों में अव्ययित शेष को वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व समेकित निधि को वापस अंतरित किया जाना चाहिए तथा यदि ऐसी संभावना उत्पन्न होती है तो आगामी वर्ष में व्यक्तिगत जमा खाते पुनः खोले जा सकते हैं।

व्यक्तिगत जमा खाते जो लगातार तीन वर्षों तक असंचालित रहते हैं, उन्हें कोषालय अधिकारी द्वारा बंद कर दिया जाना चाहिए एवं शेषों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर शासकीय खाते में अंतरित कर दिया जाना चाहिए।

नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, मध्य प्रदेश शासन के कई विभागों द्वारा वित्तीय प्रावधानों के उल्लंघन पर बार-बार टिप्पणी की गई है, जहाँ वित्त वर्ष के अंत में अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए अव्ययित निधियों को सामान्यतः लोक लेखे के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तिगत जमा खातों में अंतरित कर दिया जाता है।

2018–21 तक व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति तालिका 4.8 में दी गयी है:

तालिका 4.8: व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति							(₹ करोड़ में)	
वर्ष	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान बंद किए गए खाते	अंतशेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	राशि	संख्या	संख्या	राशि
2018-19	847	5,370.06	168	4,868.83	6,300.41	284	731	3,938.48
2019-20	731	3,938.48	70	9,267.05	6,936.83	0	801	6,268.70
2020-21	801	6,268.70	23	7,561.86	8,867.97	8	816	4,962.59

स्रोत: वित्त लेखे 2020-21



उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से पता चलता है कि, 31 मार्च 2021 को 816 व्यक्तिगत जमा खातों में से 252 व्यक्तिगत जमा खाते ऋणात्मक शेष (राशि ₹2,113.74 करोड़) के साथ एवं 216 व्यक्तिगत जमा खाते ₹82.66 करोड़ (₹319.61 करोड़ के साथ 159 व्यक्तिगत जमा खाते और (-) ₹236.95 करोड़ के साथ 57 व्यक्तिगत जमा खाते) के साथ तीन वर्षों से अधिक से असंचालित थे। असंचालित व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण परिशिष्ट 4.2 में दिया गया है। व्यक्तिगत जमा खातों में अंतशेष इंगित करता है कि प्रशासकों ने वित्त वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खातों को सुसंगत सेवा शीर्ष को ऋण नामे में डालकर बंद नहीं किया। व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी अव्ययित शेष राशि को राज्य की समेकित निधि में स्थानांतरित न करने से सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन का जोखिम होता है।

4.8 लघु शीर्ष 800 का उपयोग

अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय से संबंधित सर्वग्राही लघु शीर्ष 800 का परिचालन मात्र उन प्रकरणों में किया जाना है जहाँ लेखों में मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया है। लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों एवं व्यय का विवेकहीन पुस्तांकन लेनदेनों की प्रकृति एवं पारदर्शिता को प्रभावित करता है, तथा लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

2020–21 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों के 5.06 प्रतिशत को दर्शाने वाले ₹7,412.29 करोड़ की प्राप्तियों को 50 राजस्व शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया गया था, और लेखों में लघु शीर्ष '800—अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, 2020–21 के दौरान, विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किये गये ₹34,251.39 करोड़ का व्यय, कुल व्यय का 17.56 प्रतिशत को लेखों में 43 राजस्व और 26 पूँजीगत मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष '800—अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

2016–21 के दौरान प्राप्तियों एवं व्यय के लिए लघु शीर्ष 800 के परिचालन की सीमा, कुल प्राप्तियों एवं व्यय के प्रतिशत के रूप में चार्ट 4.2 एवं 4.3 में दी गयी है:



हमने पाया कि पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्तियों में इस लघु शीर्ष के संचालन में सारभूत संतोषजनक कमी आई है। हालांकि, व्यय में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई। तथ्य यह है कि लघुशीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियों और व्यय का इतना बड़ा अनुपात पुस्तांकित है, गंभीर चिंता का कारण है, क्योंकि यह लेखों की पारदर्शिता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

दृष्टांत जहाँ प्राप्तियों/व्यय के सारभूत भाग (संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियों/व्यय का 50 प्रतिशत या उससे अधिक) को लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियों/व्यय के अंतर्गत वर्गीकरण **परिशिष्ट 4.3** एवं **4.4** में दिया गया है एवं तालिका **4.9** में सारांशीकृत है:

तालिका 4.9: लघु शीर्ष 800—‘अन्य प्राप्तियां’ एवं ‘अन्य व्यय’ के अंतर्गत पुस्तांकित राशि

विवरण	प्राप्तियां		व्यय	
	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष
100 प्रतिशत	119.17	0801, 0059	359.81	2250, 2852, 4070, 4408, 5055, 5475
75 प्रतिशत एवं 99 प्रतिशत के मध्य	282.06	0408, 0235, 0435, 0217, 0702, 0220, 0852	12,491.67	2702, 4701, 4700, 5053, 2705, 4705, 4515, 4711
50 प्रतिशत एवं 74 प्रतिशत के मध्य	1,449.43	0515, 0403, 0070, 0401, 0700, 0029, 0202	9,260.03	4875, 2217, 2245, 2029, 2851, 2204, 4403, 4406
50 प्रतिशत से कम	5,561.63	अन्य मुख्य शीर्ष	12,139.88	अन्य मुख्य शीर्ष
योग	7,412.29		34,251.39	

स्रोत: वित्त लेखे 2020–21

हमने पाया कि लाभ के उद्देश्य से विभाग लघु शीर्ष 800 के प्रयोग का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड को लघु शीर्ष 800—‘अन्य व्यय’ के अंतर्गत ₹32 करोड़ एवं मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को लघु शीर्ष 800—‘अन्य व्यय’ के अंतर्गत ₹889.20 करोड़ का व्यय निवेश के रूप में क्रमशः मुख्य शीर्ष 4217—शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय एवं 2801—ऊर्जा पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत पुस्तांकित किये गए। इन राशियों को लघु शीर्ष 190—सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।

4.9 उचंत एवं ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

शासकीय लेखों में प्राप्ति और भुगतान के लेन–देन को दर्शाने के लिए खोले गये निश्चित मध्यस्थ/समायोजित लेखा शीर्षों को ‘उचंत शीर्ष’ के रूप में जाना जाता है, जिन्हें कोषालय/वेतन लेखा अधिकारियों द्वारा अनुसूची के निपटान की गैर–प्रस्तुती, भारतीय रिजर्व बैंक से निकासी ज्ञापन की प्राप्ति न होने, प्रमाणक की अप्राप्ति, आदि जानकारी के अभाव में खाते के अंतिम शीर्ष में पुस्तांकित नहीं किया जा सकता है। खातों के इन शीर्षों को अंततः ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा समाशोधित (Clear) कर दिया जाता है, जब खातों को उनके संबंधित खातों के अंतिम शीर्षों के अंतर्गत पुस्तांकित किया जाता है। यदि ये राशियां समाशोधित नहीं होती हैं, तो उचंत शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि जमा हो जाएगी एवं सरकार की प्राप्ति और व्यय को सही ढंग से नहीं दर्शाएगी।

प्रेषण सभी लेन–देनों को अंगीकार करते हैं जो लेखों के शीर्षों को समायोजित कर रहे हैं और इन शीर्षों के अंतर्गत डेबिट या क्रेडिट अंततः उसी क्रेडिट या डेबिट के अंतर्गत या लेखों के अन्य चक्र में पत्राचार द्वारा समाशोधित किए जाते हैं।

वित्त लेखे उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष की गणना अलग से विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष को मिलाकर की जाती है। पिछले तीन वर्षों के उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत सकल आंकड़ों की स्थिति तालिका 4.10 में दी गई है:

तालिका 4.10: उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष

मुख्य/लघु शीर्ष	(₹ करोड़ में)			
	2018-19		2019-20	2020-21
8658—उचंत लेखे	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101—वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	112.16	118.53	48.60	47.70
निवल	क्रेडिट 6.37		डेबिट 0.90	डेबिट 300.75
102—उचंत लेखा (सिविल)	0.83	0.64	0.19	0.01

तालिका 4.10: उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष						
(₹ करोड़ में)						
मुख्य/लघु शीर्ष	2018-19		2019-20		2020-21	
निवल	डेबिट 0.19		डेबिट 0.18		डेबिट 0.18	
107—नकद परिनिर्धारण उचंत लेखा	141.60	28.05	141.60	28.05	141.60	28.05
निवल	डेबिट 113.55		डेबिट 113.55		डेबिट 113.55	
110—रिजर्व बैंक उचंत—केंद्रीय लेखा कार्यालय	719.31	13.87	1,810.57	3.82	1,365.14	4.59
निवल	डेबिट 705.44		डेबिट 1,806.75		डेबिट 1,360.55	
112—स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचंत	---	401.51	---	177.45	-297.06	233.26
निवल	क्रेडिट 401.51		क्रेडिट 177.45		क्रेडिट 530.32	
113—भविष्य निधि उचंत	14.56	--	14.55	--	12.40	--
निवल	डेबिट 14.56		डेबिट 14.55		डेबिट 12.40	
123—ए.आई.एस. अधिकारी समूह बीमा योजना	2.70	13.22	3.06	13.88	3.69	14.57
निवल	क्रेडिट 10.52		क्रेडिट 10.82		क्रेडिट 10.88	
129—सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखा	36.10	223.11	36.10	223.11	36.10	223.11
निवल	क्रेडिट 187.01		क्रेडिट 187.01		क्रेडिट 187.01	
139—वस्तु एवं सेवा कर—स्रोत पर कर कटौती उचंत	--	--	77.21	96.16	341.66	394.91
निवल	निरंक		क्रेडिट 18.95		क्रेडिट 53.25	
8782—नकद प्रेषण						
102—लोक निर्माण प्रेषण	1,21,170.94	1,24,873.37	1,38,040.17	1,42,048.94	1,52,426.98	1,57,465.68
निवल	क्रेडिट 3,702.43		क्रेडिट 4,008.77		क्रेडिट 5,038.70	
103—वन प्रेषण	4,483.09	4,605.35	4,492.03	4,607.38	4,499.40	4,572.31
निवल	क्रेडिट 122.26		क्रेडिट 115.35		क्रेडिट 72.91	
110—विविध प्रेषण	8,046.85	7,109.51	8,554.27	7,287.74	8,708.39	7,417.03
निवल	डेबिट 937.34		डेबिट 1,266.53		डेबिट 1,291.36	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


उपरोक्त तालिका उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को दर्शाती है। यदि इन उचंत शीर्षों के अंतर्गत राशियां असमायोजित रहती हैं, तो इन शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि संचित हो जाती है, परिणामस्वरूप सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों की न्यूनोक्ति हो जाती है। आगे, इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष की गैर निकासी राज्य सरकार के लेखों (जिन्हे वर्ष—दर—वर्ष आगे बढ़ाया जाता है) के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों और शेष की परिशुद्धता को प्रभावित करती है।

4.10 लेखों का मिलान

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 24.9.3 में अपेक्षित है कि, सभी नियंत्रण अधिकारी शासन की प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान प्रधान महालेखाकार द्वारा लेखांकित आंकड़ों के साथ करें।

2020–21 के दौरान, संचालनालय, कोष एवं लेखा ने व्यय ₹1,88,639.25 करोड़ (राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के अंतर्गत कुल व्यय ₹1,96,319.10 करोड़ का 96.09 प्रतिशत) एवं प्राप्ति ₹1,43,900.26 करोड़ (राजस्व एवं विविध पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत कुल प्राप्तियों ₹1,46,449.57 करोड़ का 98.26 प्रतिशत) का मिलान किया है।

पिछले तीन वर्ष की अवधि 2018–21 के दौरान प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों के मिलान की स्थिति को चार्ट 4.4 में दर्शाया गया है:



चोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा 2019–20 से ऑनलाइन मिलान के कारण, हमने मिलान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार पाया।

4.11 रोकड़ शेष का मिलान

31 मार्च 2021 की स्थिति में, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की लेखा पुस्तकों के अनुसार राज्य शासन का रोकड़ शेष (₹3,642.21 करोड़ (क्रेडिट)) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित रोकड़ शेष (₹3,584.24 करोड़ (डेबिट)) के मध्य ₹57.97 करोड़ (क्रेडिट) का अंतर था। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार आवश्यक है बैंक शाखाओं द्वारा संबंधित बैंक स्कॉल कोषालयों को प्रस्तुत किये जा रहे हैं। ₹57.97 करोड़ का अंतर एंजेसी बैंकों एवं कोषालय अधिकारियों द्वारा गलत सूचना के कारण था। पेंशन भुगतान स्कॉल के साथ–साथ तिथि–वार मासिक पत्रक भी बैंक शाखाओं द्वारा कोषालयों को प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

4.12 लेखांकन मानकों का अनुपालन

वर्ष 2002 में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा स्थापित शासकीय लेखांकन मानक सलाहकार मण्डल जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के लिए शासकीय लेखांकन एवं वित्तीय सूचना के लिए मानक तैयार कर रहा है। मार्च 2021 के अंत तक, तीन भारतीय शासकीय लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए गए हैं। इन मानकों के विवरण तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2020–21 के लिए अपने वित्तीय विवरण में इनके अनुपालन की सीमा तालिका 4.11 में दी गई है:

तालिका 4.11: लेखांकन मानकों का अनुपालन

आई.जी.ए.एस.	आई.जी.ए.एस. का सार	स्थिति	गैर–अनुपालन का प्रभाव
आई.जी.ए.एस. 1 शासन द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों के प्रकटीकरण की आवश्यकताएँ	इस मानक के अंतर्गत शासन से वर्ष के दौरान अपने वित्तीय विवरण में परिग्रहितियाँ, हटाई गई, आमंत्रित, निपटाई गई एवं वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि प्रकट किया जाना अपेक्षित है।	आंशिक अनुपालन किया गया	राज्य शासन ने मार्च 2021 तक अंतिम लेखों में 2020–21 के दौरान अधिकतम प्रत्याभूत राशि के साथ वर्ष के दौरान परिग्रहितियाँ, निपटाई गई, आमंत्रित एवं बकायों का प्रकटीकरण किया था।
आई.जी.ए.एस. 2 सहायतानुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	अंतिम उपयोग के निरपेक्ष, सहायतानुदान प्रदाता के लेखे में राजस्व व्यय के रूप में एवं अनुदानगृहीता के लेखे में राजस्व प्राप्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है।	अनुपालन नहीं हुआ	राज्य शासन ने राशि ₹333.00 करोड़ की सहायतानुदान को राजस्व व्यय के स्थान पर पूंजीगत व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया। गैर–अनुपालन के कारण राजस्व घाटा को न्यूनोक्त एवं पूंजीगत व्यय को अत्युक्त बताया गया।

आई.जी.ए.एस. 3 शासन द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	यह मानक सम्पूर्ण, सटीक एवं एकरूप लेखांकन प्रथाएँ सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा अपने वित्तीय विवरण में किए गए ऋणों एवं अग्रिमों की पहचान, मापन, मूल्यांकन एवं प्रतिवेदन से संबंधित है।	आंशिक अनुपालन किया गया	“अप्रतिलिप्य ऋणों एवं अग्रिमों का अपलेखन”, ‘बकाया में ब्याज भुगतान’, ‘ऋण के प्रकरणों में ऋण के रूप में स्थायी रूप से स्वीकृत किया गया’, ऋणी संस्थाओं से बकायों में पुनर्भुगतान”, “वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम” तथा “ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित असाधारण लेन-देनों को इंगित करने वाले प्रकटीकरण” वित्त लेखों में नहीं किए गए थे, क्योंकि राज्य शासन द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गयी थी। इसलिए राज्य वित्त के इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रतिवेदन करना संभव नहीं है।
--	---	------------------------------	---

4.12.1 सहायतानुदान में व्यय का गलत वर्गीकरण

भारत सरकार के लेखा मानक-2 (आई.जी.ए.एस.-2) के अनुसार, सहायतानुदान से संबंधित व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, भले ही इसमें संपत्ति का निर्माण शामिल हो, उन मामलों को छोड़कर जो विशेष रूप से भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत हैं।

वर्ष 2016–21 के दौरान राज्य शासन द्वारा राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में सहायतानुदान के वर्गीकरण की सीमा तालिका 4.12 में दी गई है:

तालिका 4.12: पूंजीगत व्यय के रूप में सहायतानुदान के वर्गीकरण की सीमा					
(₹ करोड़ में)					
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पूंजीगत व्यय के रूप में पुस्तांकित सहायतानुदान	203.02	232.95	541.41	257.04	250.27
पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायतानुदान	40.81	695.61	207.95	237.64	82.73
योग	243.83	928.56	749.36	494.68	333.00

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

4.13 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

राज्य शासन ने कृषि, आवास, श्रम कल्याण, नगरीय विकास, इत्यादि के क्षेत्रों में अनेक स्वायत्त निकायों या प्राधिकरणों की स्थापना की है। इन निकायों और प्राधिकरणों को वार्षिक लेखा तैयार करने और उनको लेखापरीक्षा के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत करना आवश्यक है। राज्य में सात स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। छ: निकायों के लंबित लेखाओं और प्रतिकूल राय के मामलों की स्थिति तालिका 4.13 एवं 4.14 में दी गयी है:

तालिका 4.13: स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के बकाया लेखे			
संक्र.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे जब से लंबित	वित्त वर्ष 2020–21 तक लंबित लेखाओं की संख्या
1	मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल	2013-14	08
2	मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	2010-11	11
3	मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, भोपाल	2017-18	04
4	मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, भोपाल	2018-19	03
5	मध्य प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण	2020-21	01
6	मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल	2020-21	01

*किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष के लम्बित रहने की अंतिम तिथि अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर को ली जानी है।

तालिका 4.14: प्रतिकूल राय के मामले		
निकाय या प्राधिकरण का नाम	दी गई राय का प्रकार	कारण
मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल	अस्वीकरण	<p>लेखापरीक्षा को पर्याप्त एवं उचित जानकारी और स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है, जो हमारी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक था।</p> <p>मण्डल द्वारा अपनाए गए लेखा प्रारूप को वित्त विभाग और श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के परामर्श से अनुमोदित नहीं कराया गया था, जैसा कि मण्डल की धारा 27 (रोजगार का विनियमन एवं सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत आवश्यक था।</p> <p>मण्डल द्वारा लेखों का उचित पुस्तांकन एवं अन्य संबंधित अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया, जैसा कि मण्डल की धारा 27 (रोजगार का विनियमन एवं सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत आवश्यक था। वित्तीय विवरण तैयार करने में सतत अनियमितताएं हैं, जिन्हें पूर्व में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किया गया था, परन्तु मण्डल ने इसे ठीक करने के लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।</p>
मध्य प्रदेश राज्य विधिक प्राधिकरण	अस्वीकरण	<p>फरवरी 2005 में नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में प्राधिकरण के लेखों का संधारण नहीं किया गया था।</p> <p>लेखों का रखरखाव उपचय आधार (accrual basis) के बजाय नकद अधार पर किया गया था।</p> <p>खातों का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया था और कई प्रविष्टियों को खातों में अप्रविष्ट छोड़ दिया गया था। तीन वर्षों अर्थात् 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के लिए प्रविष्टियाँ एक ही खाते में की गयी थीं। इन खातों के अभाव में, लेखाओं में दिए गए विभिन्न आंकड़ों को सत्यापित नहीं किया जा सका।</p> <p>लेखांकन नीतियों एवं लेखों पर टिप्पणी को प्रदाय नहीं किया गया था।</p> <p>प्रबंधन द्वारा परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा था।</p>

4.14 दुर्विनियोग, हानियाँ, चोरियाँ, इत्यादि

मध्य प्रदेश वित्तीय सहिता खण्ड–1 का नियम 22(1) प्रावधान करता है कि गबन अथवा अन्य कारण से किसी लोक धन की हानि की सूचना तत्काल महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए, भले ही जिम्मेदार पक्ष द्वारा इस हानि की पूर्ति कर दी गई हो।

राज्य शासन ने 31 मार्च 2021 तक दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि के 3,250 प्रकरण सूचित किये थे जिन पर जून 2021 तक अंतिम कार्रवाई लंबित थी, में ₹38.40 करोड़ समाविष्ट थे। मुख्य प्रकरण वानिकी तथा वन्य जीवन (₹16.45 करोड़ के 2,727 प्रकरण), कोषालय एवं लेखा प्रशासन (₹8.30 करोड़ के 11 प्रकरण), स्कूल शिक्षा (₹7.07 करोड़ के 99 प्रकरण) तथा पुलिस विभाग (₹2.96 करोड़ के 295 प्रकरण) से संबंधित थे। 31 मार्च 2021 की स्थिति में दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि के वसूली हेतु लंबित प्रकरणों का मुख्य शीर्ष—वार विवरण **तालिका 4.15** में दिया गया है:

मुख्य शीर्ष	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोग/हानियों/चोरियों के प्रकरण	दुर्विनियोग/हानियों/चोरियों, इत्यादि के वसूली हेतु लंबित प्रकरण (₹ लाख में)							
		दुर्विनियोग/हानियों/चोरियों, इत्यादि के लंबित प्रकरणों के अंतिम निराकरण में विलंब के कारण की गयी कार्यवाही				विभागीय और आपराधिक जाँच का इंतजार		विभागीय कार्रवाई आरंभ लेकिन पूर्ण नहीं	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2210— चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	09	48.40	09	48.40	0	0.00	0	0.00	
2211— परिवार कल्याण	03	47.67	03	47.67	0	0.00	0	0.00	
2054— कोषालय एवं लेखा प्रशासन	11	830.44	11	830.44	0	0.00	0	0.00	
2014— न्याय प्रशासन	03	15.63	03	15.63	0	0.00	0	0.00	
2015— चुनाव	02	8.90	02	8.90	0	0.00	0	0.00	
2055— पुलिस	295	295.54	238	211.27	57	84.27	0	0.00	
2225— अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	06	7.05	06	7.05	0	0.00	0	0.00	
2235— महिला एवं बाल कल्याण	07	16.13	07	16.13	0	0.00	0	0.00	
2058— लेखन सामग्री एवं मुद्रण	02	8.58	02	8.58	0	0.00	0	0.00	
3604— स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थान को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	01	8.55	01	8.55	0	0.00	0	0.00	
2202— स्कूल शिक्षा	99	707.02	82	543.10	17	163.92	0	0.00	
2203— तकनीकी शिक्षा	31	77.57	29	70.97	02	6.60	0	0.00	
2204— खेलकूद एवं युवा सेवाएँ	03	4.20	03	4.20	0	0.00	0	0.00	
2501— ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	04	46.56	04	46.56	0	0.00	0	0.00	
2403— पशुपालन	16	17.24	16	17.24	0	0.00	0	0.00	
2401— कृषि कर्म	27	50.63	19	18.12	06	31.67	02	0.84	
2040— बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	01	0.70	01	0.70	0	0.00	0	0.00	
2853— अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	03	4.22	02	4.22	01	0.00	0	0.00	
2406— वानिकी एवं वन्य जीवन	2727	1,644.82	1171	610.15	1518	1,011.14	38	23.53	
योग	3250	3,839.85	1609	2,517.88	1601	1,297.60	40	24.37	

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदाय जानकारी

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, अधिकांश प्रकरण विभागीय और आपराधिक जांच के लिए लंबित हैं। विभाग को दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि के लंबित मामलों को अंतिम रूप देने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।

4.15 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक मध्य प्रदेश शासन के वित्त पर अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में साल दर साल वित्तीय एवं बजटीय प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित चिंता के मुद्दों, राज्य शासन के विभागों/प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों, आदि का अनुपालन न करने के क्षेत्रों को चिन्हित करते रहे हैं। ये प्रतिवेदन वांछित परिणाम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वे सरकार/प्रशासन से सकारात्मक और पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त करें। राज्य वित्त पर पृथक प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 से तैयार किये जा रहे हैं और राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किये जा रहे हैं। वर्ष 2015–20 का विवरण तालिका 4.16 में दिया गया है:

तालिका 4.16: लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा किये गए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति					
प्रतिवेदन वर्ष	क्या लोक लेखा समिति ने राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की	उस प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति की बैठकों की संख्या	वित्त वर्ष में चर्चा	चर्चा के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं की संख्या और प्रकृति	विभाग द्वारा कार्यान्वयन टीप
2015–16	लोक लेखा समिति द्वारा मौखिक चर्चा के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2015–16 की किसी भी कंडिका का चयन आज दिनांक तक नहीं किया गया है				
2016–17	हाँ	01	2021-22	1 कंडिका: • 3.6—असत्य उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की प्रस्तुति	-
2017–18	हाँ	01	2021-22	1 कंडिका: • 3.2.2—शासकीय धन को व्यक्तिगत खाते के स्थान पर अनधिकृत रूप से बैंक खातों में रखा जाना लिखित उत्तर के लिए चयनित की गयी थी किन्तु लोक लेखा समिति ने इस कंडिका को मौखिक चर्चा हेतु चयनित किया और चर्चा हुई।	-
2018–19	लोक लेखा समिति द्वारा मौखिक चर्चा के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2018–19 की किसी भी कंडिका का चयन आज दिनांक तक नहीं किया गया है				
2019–20	राज्य विधानसभा में राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 21.12.2021 को रखी गयी है।				

4.16 निष्कर्ष

2020–21 के दौरान, 2019–20 की तुलना में व्यक्तिगत जमा खातों में अंतिम शेष 20.84 प्रतिशत से कम हुआ। आगे, 252 व्यक्तिगत जमा खातों में ऋणात्मक शेष था तथा 216 व्यक्तिगत जमा खाते ₹82.66 करोड़ (कुछ ऋणात्मक शेषों सहित) के साथ तीन से अधिक वर्षों से असंचालित थे। सरकार को इन खातों की सावधानीपूर्वक निगरानी करनी चाहिए थी और सुनिश्चित करे कि ऐसे असंचालित खाते बंद कर दिए गए हैं तथा राज्य के कोषालय संहिता के अनुसार शेषों को शासकीय खातों में अंतरित कर दिया गया है।

पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्तियों में लघु शीर्ष 800 के संचालन में पर्याप्त कमी आयी है। हालांकि, व्यय में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आयी।

विभागीय आंकड़ों का कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से मिलान का कार्य संचालनालय, कोष और लेखा द्वारा 2019–20 से ऑनलाइन शुरू किया गया है और प्राप्तियों के संबंध में 98.26 प्रतिशत तथा व्यय के संबंध में 96.09 प्रतिशत की सीमा तक मिलान किया गया है।

4.17 अनुशंसाएं

- i) राज्य शासन को सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि इन खातों में निष्क्रिय पड़ी निधियों को शासकीय खातों में तत्काल अंतरित कर दिया गया है। आगे, शासन को व्यक्तिगत जमा खातों में अव्ययित शेषों का विवरण प्रकट करना चाहिए।
- ii) राज्य शासन को वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता में सुधार के लिए सर्वग्राही लघु शीर्ष—800 का उपयोग हतोत्साहित करना चाहिए। सरकार को लेखा—पुस्तकों में लेन—देनों को सही ढंग से वर्गीकृत करने के लिए उपयुक्त लेखा शीर्षों की पहचान करने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ परामर्श कर एक विशिष्ट समय—सीमा की रूपरेखा बनाना चाहिए।
- iii) आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है तथा शासन को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विभागीय आंकड़ों का कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से मिलान शत प्रतिशत होना चाहिये, चूंकि यह 2019–20 से शासकीय लेन—देन के लेखांकन में पारदर्शिता और सटीकता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन शुरू किया गया है।

अध्याय 5

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

अध्याय 5 – राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

5.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2020–21 के लिए मध्य प्रदेश शासन के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन को प्रस्तुत करता है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत स्थापित सरकारी कंपनियां (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां सहित) और संसद/राज्य विधानमण्डल द्वारा अधिनियम विधियों के अन्तर्गत स्थापित सांविधिक निगम शामिल हैं।

प्रतिवेदन में दर्शाए गए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन को उनके वित्तीय विवरणों के साथ-साथ संबंधित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त जानकारी से लिया गया है। वर्ष 2020–21 (या पूर्व के वर्षों के जिन्हें वर्तमान वर्ष के दौरान अंतिमीकृत किया गया था) के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा आयोजित एकमात्र लेखापरीक्षा/अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप लेखों के संशोधन के प्रभावों के साथ-साथ जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों¹ को भी इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

5.2 सरकारी कंपनियों/निगमों की परिभाषा

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अन्तर्गत परिभाषित है, एक कंपनी को सरकारी कंपनी कहा जाता है जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त अंश पूँजी केन्द्र सरकार, अथवा एक या अधिक राज्य सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा एवं जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी हो, भी शामिल है।

जैसा कि कंपनी (कठिनाईयों को दूर करना) के सातवे आदेश, अधिसूचित 2014 (4 सितम्बर 2014) में परिभाषित है, कोई अन्य कंपनी जो केन्द्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वामित्व अथवा नियंत्रित की जाती है, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां कहलाती हैं। इसके अलावा, संसद/राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित कानून के अन्तर्गत स्थापित किसी भी निगम को सांविधिक निगम कहा जाता है।

5.3 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के साथ सहपठित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के अधीन की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, सनदी लेखाकारों को कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करता है और लेखों की लेखापरीक्षा करने की प्रक्रिया पर दिशा-निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है।

सांविधिक निगमों को शासित करने वाली विधियों में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वे या तो एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में उनके लेखों की लेखापरीक्षा करे या संविधियों के अंतर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के बाद अनुपूरक लेखापरीक्षा करे।

¹ 1 जनवरी 2020 से 30 सितम्बर 2021 तक जारी/अंतिमीकृत प्रमाणपत्रों के आधार पर।

5.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उनका सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान

31 मार्च 2021 को, 59 सरकारी कंपनियां, तीन सांविधिक निगम² और सरकार द्वारा नियंत्रित आठ अन्य कंपनियों³ सहित मध्य प्रदेश में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 70 उपक्रम थे जैसा कि **परिशिष्ट 5.1** में वर्णित है। वर्ष के दौरान, दो सरकारी कंपनियां⁴ विघटित/विलय हुई और लेखापरीक्षा दायरे से बाहर हो गई, जबकि एक सरकारी कंपनी⁵ भारत के नियंत्रक—महालेखारीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में आयी। इसके अलावा, वर्ष 2020–21 के दौरान विघटित/विलय हुई दो कंपनियों के आंकड़े वर्ष 2018–19 और 2019–20 के आंकड़ों में शामिल नहीं किये गए हैं। कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। इसके अलावा, सरकारी कंपनियों में 15 कंपनियों⁶ शामिल हैं, जिन्होंने अपना परिचालन तीन से 31 वर्षों तक बन्द कर दिया था।

30 सितम्बर 2021 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 70 उपक्रमों में से, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 55 उपक्रमों ने 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 की अवधि का कम से कम एक लेखा प्रस्तुत किया था। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 55 उपक्रमों में से, इस प्रतिवेदन में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 39 उपक्रमों को शामिल किया गया है। इस प्रकार, इस प्रतिवेदन में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 31 उपक्रमों (इनमें राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 16 उपक्रम ऐसे थे जिनके नवीनतम लेखें⁷ उपलब्ध थे परन्तु वे निष्क्रिय थे और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 10 उपक्रम जो कि तीन से 31 वर्षों तक के लिए निष्क्रिय रहे और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के पाँच उपक्रम ऐसे थे जिनके प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुये) को शामिल नहीं किया गया है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन 39 उपक्रमों (सरकार द्वारा नियंत्रित सात अन्य कंपनियों सहित) को, इनकी गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर छः क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2020–21 के लिए, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन 39 उपक्रमों का कारोबार (₹99,211.48 करोड़) मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹9,17,555 करोड़) का 10.81 प्रतिशत था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल कारोबार का 82 प्रतिशत से अधिक केवल उर्जा क्षेत्र के लेखों का है जैसा कि **तालिका 5.1** में इंगित है :

तालिका 5.1: सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का भाग के सापेक्ष क्षेत्र-वार कारोबार

स. क्र.	क्षेत्र का नाम	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	वर्ष के लिए कारोबार (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कारोबार का भाग का प्रतिशत
1	ऊर्जा	07	81,962.91	8.93
2	कृषि एवं संबंध	03	997.96	0.11
3	सेवा	12	15,925.79	1.74

² मध्य प्रदेश राज्य सङ्कर परिवहन निगम, मध्य प्रदेश स्टेट वैयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कारपोरेशन और मध्य प्रदेश वित्त निगम।

³ भोपाल स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, इन्दौर स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट लिमिटेड, सतना स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट लिमिटेड, सागर स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट लिमिटेड और बी—नेस्ट फाउण्डेशन।

⁴ दादा धुनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड (दा.धु.ख.पा.लि.) का विघटन 02.11.2020 को हुआ और मध्य प्रदेश राज्य सेतू निगम लिमिटेड लोक निर्माण विभाग के साथ विलय हुई।

⁵ सागर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड।

⁶ मध्य प्रदेश ए.एम.आर.एल. (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश ए.एम.आर.एल. (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश ए.एम.आर.एल. (बिछारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश ए.एम.आर.एल. (मरकी बरका) कोल कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश जेपी कोल लिमिटेड, मध्य प्रदेश मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश जेपी कोल फील्ड लिमिटेड, एम.पी. जेपी मिनरल्स लिमिटेड, मध्य प्रदेश सैनिक कोल माईनिंग प्रा. लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य सङ्कर परिवहन निगम, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र मिनरल्स व कैमिकल्स लिमिटेड, मध्य प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड, ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड और मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड।

⁷ वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक की अवधि के लिए कोई/सभी लेखे।

तालिका 5.1: सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का भाग के सापेक्ष क्षेत्र–वार कारोबार

स. क्र.	क्षेत्र का नाम	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	वर्ष के लिए कारोबार (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कारोबार का भाग का प्रतिशत
4	अधोसंरचना	09	79.73	0.01
5	विनिर्माण	06	180.07	0.02
6	वित्त	02	65.02	0.01
	योग	39	99,211.48	10.81

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम वित्तीय विवरण के आधार पर संकलित जानकारी

5.5 सरकारी कंपनियां, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां और निगमों सहित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक अपने अधिदेश के अनुसार, सभी 67 कंपनियों (अर्थात् 59 सरकारी कंपनियां और सरकार द्वारा नियंत्रित आठ अन्य कंपनियां) के वार्षिक लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा करता है। तीन सांविधिक निगमों के मामले में, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है जबकि मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन और मध्य प्रदेश वित्त निगम के संबंध में, संबंधित कानूनों के अंतर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों के द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है और उसके बाद, भारत के नियंत्रक—महालेखारीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन 70 उपक्रमों के लेखों की स्थिति, उनके नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर, जो 30 सितम्बर 2021 तक प्राप्त हुए थे, **तालिका 5.2** में विस्तृत है और लेखों के विलंबता की कंपनी—वार स्थिति **परिशिष्ट 5.2** में दर्शित है।

तालिका 5.2: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उनके अंतिमीकृत लेखों की स्थिति

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रकृति	कुल संख्या	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे प्रतिवेदन अवधि ⁸ के दौरान प्राप्त हुए				राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे 30 सितम्बर 2021 तक बकाया (कुल बकाया लेखे) है
		2020–21 के लिए लेखे	2019–20 के लिए लेखे	2018–19 के लिए लेखे	योग	
सरकारी कंपनियां	59	09	31	16	56	50(202)⁹
सांविधिक निगम	03	01	02	00	03	02(14)
योग	62	10	33	16	59	52(216)
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां	08	00	04	03	07	08(13)
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का योग	70	10	37	19	66	60(229)

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी

इस प्रतिवेदन में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के 39 उपक्रमों के नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के आधार पर वित्तीय प्रदर्शन के सांराश का विवरण **तालिका 5.3** में विस्तृत है।

⁸ कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए आरओसी, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 2020–21 के लिए वार्षिक सामान्य सभा आयोजित करने की देय दिनांक को सामान्य देय दिनांक (30 सितम्बर 2021) से दो माह (30 नवंबर 2021) तक बढ़ाया गया।

⁹ सार्वजनिक क्षेत्र के 15 उपक्रमों सहित जिन्होंने अपने परिचालन तीन से 31 वर्ष तक बन्द रखे।

तालिका 5.3: इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सरकारी कंपनियां और सांविधिक निगम) के वित्तीय प्रदेशन का सांराश	
I. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या, जिनके	32
प्रदत्त पूँजी (₹ करोड़ में)	46,463.79
दीर्घकालिक ऋण (₹ करोड़ में)	54,775.22
कुल सम्पत्तियाँ (₹ करोड़ में)	1,65,203.70
निवल मूल्य (₹ करोड़ में)	(-)3,617.21
II. वित्तीय प्रदेशन	
अर्जित लाभ (संख्या में)	17
शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	670.97
घोषित/भुगतान लाभांश (छ: में) (₹ करोड़ में)	25.29
हानि उठाने वाली (संख्या में)	12
शुद्ध हानि (₹ करोड़ में)	(-)4,008.64
न लाभ न हानि (संख्या में)	03 ¹⁰
प्रथम लेखे प्राप्त नहीं (संख्या में)	04 ¹¹
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	
I. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या, जिनका	07
प्रदत्त पूँजी (₹ करोड़ में)	1,040.20
दीर्घकालिक ऋण (₹ करोड़ में)	--
कुल सम्पत्तियाँ (₹ करोड़ में)	3,535.44
निवल मूल्य (₹ करोड़ में)	1,267.95
II. वित्तीय प्रदेशन	
अर्जित लाभ (संख्या में)	01
शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	0.32
घोषित/भुगतान लाभांश	--
हानि उठाने वाली (संख्या में)	02
शुद्ध हानि (₹ करोड़ में)	(-)0.38
न लाभ न हानि (संख्या में)	04 ¹²
प्रथम लेखे प्राप्त नहीं (संख्या में)	01 ¹³

5.6 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश और बजटीय सहायता

5.6.1 धारित अंश पूँजी और ऋण

31 मार्च 2021 को समाप्त तीन वर्ष की अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 70 उपक्रमों में सरकार द्वारा अंश पूँजी और ऋण में किया गया निवेश तालिका 5.4 में दिया गया है:

¹⁰ मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पॉ.मै.कं.लि.), भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड और जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड।

¹¹ बुरहानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस, सागर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, रतलाम बस सर्विसेस लिमिटेड और सिंगरौली एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड।

¹² उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, भोपाल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सतना स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

¹³ बी-नेस्ट फांडेशन।

निवेश का स्रोत	31 मार्च 2019 तक			31 मार्च 2020 तक ¹⁴			31 मार्च 2021 तक		
	अंश पूँजी	दीर्घ कालिक ऋण	योग	अंश पूँजी	दीर्घकालि क ऋण	योग	अंश पूँजी	दीर्घकालिक ऋण	योग
राज्य शासन	27,054.68	30,880.33	57,935.01	28,502.37	31,382.78	59,885.15	30,244.60	31,820.52	62,065.12
केन्द्र सरकार	45.79	0.00	45.79	45.79	0.00	45.79	221.88	0.00	221.88
अन्य	19,259.28	24,831.09	44,090.37	19,276.31	24,247.83	43,524.14	19,327.67	24,538.08	43,865.75
योग	46,359.75	55,711.42	1,02,071.17	47,824.47	55,630.61	1,03,455.08	49,794.15	56,358.60	1,06,152.75
कुल निवेश में राज्य शासन का अंश (प्रतिशत में)	58.36	55.43	56.76	59.60	56.41	57.89	60.74	56.46	58.47

स्रोत: 30 सितम्बर 2021 तक प्राप्त नवीनतम वित्तीय विवरण और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों में 2019–21 में किये गये कुल निवेश में आंशिक रूप से चार प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्षों से, अंश पूँजी में निवेश को ऋण के घटक के निकट लाने के लिए बढ़ाया जा रहा है। 2019–20 के दौरान, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों के दीर्घकालिक ऋण में मामूली कमी दर्ज की गई। 31 मार्च 2021 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल ऋण में राज्य सरकार से लिया गया ऋण ₹31,820.52 करोड़ (56.46 प्रतिशत) था।

2020–21 के दौरान, अंश पूँजी निवेश में ₹1,742.23 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई जिसमें 88.50 प्रतिशत से ज्यादा नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में थी। विवरण तालिका 5.5 में दिया गया है:

तालिका 5.5: वर्ष 2020–21 के दौरान निवेशित अंश पूँजी	
	(₹ करोड़ में)
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	राशि
मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड	146.09
मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	53.56
नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड	1,542.58
योग	1,742.23

स्रोत: 30 सितम्बर 2021 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त जानकारी

5.6.2 संपत्तियों की पर्याप्तता

ऋण चुका देने योग्य माने जाने के लिए, किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके दीर्घकालिक ऋणों/कर्जों के योग से अधिक होना चाहिए। 31 मार्च 2021 को, इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के 39 उपक्रमों में से, सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम इस मानदण्ड को पूरा नहीं करता है जैसा कि तालिका 5.6 में दर्शित है:

¹⁴ वर्ष 2020–21 के दौरान बन्द हुई दो कंपनियों के आंकड़े वर्ष 2018–19 व 2019–20 में नहीं लिये गये।

तालिका 5.6: दीर्घकालिक ऋण की कुल सम्पत्तियों के साथ व्याप्तता								
(₹ करोड़ में)								
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	सकारात्मक व्याप्तता				नकारात्मक व्याप्तता			
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	दीर्घकालिक ऋण	कुल सम्पत्तियां	सम्पत्तियों का ऋण से प्रतिशत	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	दीर्घकालिक ऋण	कुल सम्पत्तियां	
सरकारी कंपनियां	13	51,713.11	1,53,326.57	296.49	01 ¹⁵	2,631.70	1,802.70	68.50
सांविधिक निगम	02	1,003.77	2,795.35	278.49	—	—	—	—

चोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के संकलन के आधार पर

31 मार्च 2021 को सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के संबंध में, कोई दीर्घकालिक ऋण बकाया नहीं है।

5.6.3 केन्द्र/राज्य शासन द्वारा राजसहायता, अनुदानों की जानकारी

मध्य प्रदेश सरकार, वार्षिक बजट के माध्यम से राजसहायता और अनुदान के रूप में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसके अलावा, सरकार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उठाए गए ऋणों के लिए प्रत्याभूति प्रदान करती है, जिसके लिए वह आधा प्रतिशत से एक प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रत्याभूति शुल्क लेती हैं। वर्ष 2020–21 में बकाया प्रत्याभूति ₹5,297.52 करोड़ थी। विवरण तालिका 5.7 में दिया गया है:

तालिका 5.7: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता के संबंध में विवरण							
(₹ करोड़ में)							
संक्र.	विवरण ¹⁶	2018–19		2019–20		2020–21	
		राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि
(i)	प्रदायित अनुदान/राज सहायता	15	12,926.12	12	20,058.08	13	20,414.17
(ii)	बकाया प्रत्याभूति	9	9,418.90	06	5,795.61	05	5,297.52
(iii)	प्रत्याभूति प्रतिवर्षता	6	14,019.24	03	5,382.50	04	9,022.50

चोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उपलब्ध कराये गए वार्षिक लेखे/जानकारी

5.7 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिफल

5.7.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ

वर्ष 2018–19 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 17 उपक्रमों के अर्जित लाभ ₹645.40 करोड़ की तुलना में वर्ष 2020–21 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 39 उपक्रमों (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उपक्रमों ने ₹671.29 करोड़ का लाभ अर्जित किया। वर्ष 2020–21 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के शीर्ष चार उपक्रमों ने कुल लाभ का 83.83 प्रतिशत योगदान दिया। विवरण तालिका 5.8 में दिया गया है:

¹⁵ मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम

¹⁶ राशि केवल राज्य सरकार के बजट को दर्शाती है।

तालिका 5.8: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के शीर्ष उपक्रम जिन्होंने अधिकतम लाभ दिया (₹ करोड़ में)		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	निवल अर्जित लाभ	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल लाभ से प्रतिशत
मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कारपोरेशन	242.20	36.08
मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	192.77	28.72
मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	70.89	10.56
मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड	56.91	8.48
योग	562.77	83.83

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

5.7.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश का भुगतान

लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को कर के बाद लाभ का न्यूनतम 20 प्रतिशत भुगतान करना आवश्यक है।

तालिका 5.9: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का लाभांश भुगतान (₹ करोड़ में)							
वर्ष	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कुल उपक्रम						लाभांश भुगतान (प्रतिशत में)
	मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त अंश पूँजी डालना	जिन्होंने लाभ अर्जित किया	जिन्होंने लाभांश घोषित/भुगतान किया	लाभांश भुगतान (प्रतिशत में)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7*100/5
2018-19	20	26,657.98	13	583.06	7	46.62	8.00
2019-20	21	28,234.03	15	669.75	6	25.29	3.78
2020-21	21	28,287.59	15	669.75	6	25.29	3.78

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदायित जानकारी

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि, इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 39 उपक्रमों में से, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 15 उपक्रमों ने सकल लाभ ₹669.75 करोड़ अर्जित किया। 15 में से, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के मात्र 7: उपक्रमों ने लाभांश घोषित/भुगतान किया। जिनमें से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के केवल चार¹⁷ उपक्रमों ने न्यूनतम प्रतिफल भुगतान किया और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के शेष दो¹⁸ उपक्रमों ने राज्य शासन की लाभांश नीति का पालन नहीं किया।

5.8 ऋण सेवा

5.8.1 ब्याज व्याप्ति अनुपात

ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की आय को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। एक से कम अनुपात दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। एक से अधिक की ब्याज व्याप्ति अनुपात वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या वर्ष 2018–19 में तीन से बढ़कर 2020–21 में चार हो गई जैसा की तालिका 5.10 में दर्शाया गया है:

¹⁷ मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड।

¹⁸ मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड।

वर्ष	ब्याज	ब्याज और कर पूर्व आय	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या		
			ऋण के दायित्व वाले	ब्याज अनुपात एक से अधिक वाले	ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम वाले
2018-19	4,826.96	-1,978.93	17	3	14
2019-20	7,236.99	3,663.41	17	4	13
2020-21	7,236.99	3,663.41	17	4	13

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम वित्तीय विवरण के आधार पर संकलित

आगे, सरकारी कंपनियों के वार्षिक लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों के उपलब्ध प्रतिवेदन भी यह दर्शाते हैं कि 2019–20 के दौरान इनमें से पांच सरकारी कंपनियों के द्वारा अपने ऋणों का भुगतान करने में चूक की गई हैं जैसा कि विवरण नीचे तालिका 5.11 में वर्णित है:

तालिका 5.11: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने ब्याज प्रभारों और मूल राशि की अदायगी में चूक की			
(₹ करोड़ में)			
संक्र.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	ऋण का स्रोत	चूक की राशि
1	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	मध्य प्रदेश शासन/अन्य	3,249.73
2	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	मध्य प्रदेश शासन/अन्य	4,385.06
3	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	मध्य प्रदेश शासन/अन्य	4,933.31
4	मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	मध्य प्रदेश शासन/अन्य	748.54
5	मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	मध्य प्रदेश शासन/अन्य	3,873.20

स्रोत: सांविधिक लेखापरीक्षक प्रतिवेदन के आधार पर संकलित

5.8.2 राज्य शासन के ऋण पर बकाया ब्याज का अवधि—वार विश्लेषण

31 मार्च 2021 तक राज्य शासन द्वारा प्रदान की गयी दीर्घकालिक ऋणों पर राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उपक्रमों के विरुद्ध ₹3,350.41 करोड़ की ब्याज राशि बकाया थी, जिसमें से 34.43 प्रतिशत तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया थी। विवरण तालिका 5.12 में दिया गया है:

तालिका 5.12: राज्य शासन के ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधि—वार विश्लेषण					
(₹करोड़ में)					
संक्र.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	ऋण पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम बकाया	एक से तीन वर्ष के लिए बकाया	तीन वर्ष से अधिक के लिए बकाया
1	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3.89	0.90	2.23	0.76
2	डीएमआईसी विक्रम उद्योग पुरी लिमिटेड	53.84	19.95	33.89	निरंक
3	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	3,289.18	643.86	1,493.68	1,151.64
4	मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	3.50	0.42	2.08	1.0
महायोग		3,350.41	665.13	1,531.88	1,153.40

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त सूचना

5.9 सरकारी कंपनियों की परिचालन दक्षता

5.9.1 अर्जित लाभ (परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से लाभ प्रतिवेदन का विश्लेषण)

इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 39 उपक्रमों में से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 18 लाभ प्रदाता उपक्रमों में से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के नौ उपक्रमों ने अपने परिचालन¹⁹ गतिविधि से लाभ अर्जित किया और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के नौ उपक्रमों ने केवल अन्य/असाधारण आय से लाभ अर्जित किया, जैसा कि परिशिष्ट 5.3 में वर्णित है।

5.9.2 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूँजी नियोजित होती है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की गणना कंपनी की आय को ब्याज और करों से पहले नियोजित पूँजी²⁰ से विभाजित करके की जाती है। वर्ष 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान कार्यरत राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 39 उपक्रमों की नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का विवरण तालिका 5.13 में दिया गया है।

तालिका 5.13: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

	वर्ष	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	ब्याज और कर पूर्व आय	नियोजित पूँजी	(₹ करोड़ में) नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
सरकारी कंपनियां					
लाभ अर्जन	2018-19	20	3,475.30	28,371.81	12.25
	2019-20	17	4,027.28	26,367.14	15.27
	2020-21	17	4,027.28	26,367.14	15.27
हानि उठाने वाली	2018-19	6	-3,991.91	1,469.44	-271.66
	2019-20	13	-348.96	4,525.85	-7.71
	2020-21	13	-348.96	4,525.85	-7.71
न लाभ/न हानि	2018-19	9	154.88	636.02	24.35
	2019-20	7	209.56	1015.63	20.63
	2020-21	7	209.56	1015.63	20.63
सांविधिक निगम					
लाभ अर्जन	2018-19	1	221.72	989.85	22.40
	2019-20	1	353.87	1,213.62	29.16
	2020-21	1	353.87	1,213.62	29.16
हानि उठाने वाली	2018-19	1	15.04	1,174.87	1.28
	2019-20	1	25.41	855.25	2.97
	2020-21	1	25.41	855.25	2.97
न लाभ/न हानि	2018-19	--	--	--	--
	2019-20	--	--	--	--
	2020-21	--	--	--	--
कुल	2018-19	37	-124.97	32,641.99	-0.38
	2019-20	39	4,057.60	32,965.98	12.31
	2020-21	39	4,057.60	32,965.98	12.31

चोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नवीनतम वित्तीय विवरण के आधार पर संकलित

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 2018–21 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 39 उपक्रमों में नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (-)0.38 प्रतिशत से 12.31 प्रतिशत तक उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति का है। आगे, वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के 39

¹⁹ संचालन गतिविधियों से लाभ = कुल बिक्री–कुल व्यय

²⁰ नियोजित पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त भंडार और अधिशेष + दीर्घावधि ऋण – संचित हानि – अस्थगित राजस्व व्यय।

उपक्रमों में से 14 (ऊर्जा क्षेत्र के सभी सात²¹ सार्वजनिक उपक्रम और गैर ऊर्जा क्षेत्र के सात²² सार्वजनिक उपक्रम) का निवेशित पूँजी पर प्रतिफल, जो अपना स्वयं का राजस्व उत्पन्न करते हैं, और वाणिज्यिक लाइन पर चलते हैं, सकारात्मक (11.26 प्रतिशत) था। गैर ऊर्जा क्षेत्र में शेष सार्वजनिक क्षेत्र के 25 उपक्रमों जो गैर वाणिज्यिक लाईन पर चलते हैं, का वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लिए निवेशित पूँजी पर प्रतिफल सकारात्मक (22.13 प्रतिशत) था। वाणिज्यिक लाईन पर चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उपक्रमों में से सार्वजनिक क्षेत्र के चार²³ उपक्रमों (सरकारी कंपनियां) को 2018–21 के दौरान हानि हुई।

5.9.3 निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर

31 मार्च 2021 तक राज्य शासन का राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 39 उपक्रमों में ₹59,280.25 करोड़ का कुल निवेश ऐतिहासिक लागत²⁴ के आधार पर किया गया जैसा कि तालिका 5.14 दर्शाया गया है।

तालिका 5.14: निवेश के ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल (₹ करोड़ में)						
वर्ष	अंश पूँजी और दीर्घकालिक ऋणों में राज्य शासन द्वारा निवेशित निधि	अंश पूँजी और दीर्घकालिक ऋणों में केंद्र सरकार द्वारा निवेशित निधियां	अंश पूँजी और दीर्घकालिक ऋणों में अन्य द्वारा निवेश की गई निधियां	अंश पूँजी और दीर्घकालिक ऋणों में कुल निवेश	वर्ष के लिए कुल आय/हानि	वास्तविक प्रतिफल की दर (प्रतिशत में)
सरकारी कंपनियां						
2018–19	56,309.26	3.26	41,799.65	98,112.17	−6,707.79	−6.84
2019–20	58,400.97	3.26	41,158.29	99,562.52	−3,541.98	−3.56
2020–21	58,892.27	3.26	41,498.90	1,00,394.43	−3,541.98	−3.53
सांविधिक निगम						
2018–19	387.98	0	521.87	909.85	98.07	10.78
2019–20	387.98	0	456.60	1,559.74	204.31	13.10
2020–21	387.98	0	456.60	844.58	204.31	24.19
सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां						
2018–19	0.00	0.00	1,040.20	1,040.20	−4.33	−0.42
2019–20	0.00	0.00	1,040.20	1,040.20	−0.06	−0.01
2020–21	0.00	0.00	1,040.20	1,040.20	−0.06	−0.01
महायोग						
2018–19	56,697.24	3.26	43,361.72	1,00,062.22	−6,614.05	−6.61
2019–20	58,788.95	3.26	42,655.09	1,02,162.46	−3,337.73	−3.27
2020–21	59,280.25	3.26	42,995.70	1,02,279.21	−3,337.73	−3.26

²¹ मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पारेषण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पॉवर क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड।

²² मध्य प्रदेश राज्य बन विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित, मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन, मध्य प्रदेश वित्त निगम।

²³ मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित।

²⁴ डीमर्जर के कारण गठित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में, अंश पूँजी और ऋणों में प्रारंभिक निवेश को उनके निगमन की तिथि के अनुसार अग्रणीत राशि पर माना गया था। इसके अलावा, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उत्तराधिकारी के बीच संपत्ति और देनदारियों के विभाजन के परिणामस्वरूप एक पुनर्गठन/डिमर्जर एडजस्टमेंट रिजर्व (अधिशेष/घाटा) हुआ, जिसे राज्य शासन के निवेश के रूप में माना गया।

ऐतिहासिक लागत के आधार पर, राज्य शासन का निवेश 2018–19 में ₹56,697.24 करोड़ से 2020–21 में ₹59,280.25 करोड़ तक बढ़ा। इसके अलावा, निवेश पर प्रतिफल भी 3.35 प्रतिशत से बढ़ा।

5.9.4 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की पारंपरिक गणना निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही संकेतक नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसी गणना धन के वर्तमान मूल्य की अनुदेखी करती है। इसलिए धन के वर्तमान मूल्य पर विचार करते हुए, निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की गणना की गई है।

राज्य शासन के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों में निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई है:

- राज्य शासन द्वारा ऋणों को निधि प्रवाह के रूप में माना गया है। हालांकि, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान के मामले में, वर्तमान मूल्य की गणना अवधि के दौरान शेष ऋणों की राशि पर की गई थी। पूँजी अनुदान को छोड़कर, अनुदान/राजसहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई निधियों को निवेश के रूप में नहीं माना गया है क्योंकि वे निवेश के रूप में माने जाने के योग्य नहीं हैं।
- संबंधित वित्तीय वर्ष²⁵ के लिए शासन के ऋणों पर व्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर प्राप्ति के लिए रियायती दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वह इस वर्ष के लिए धन के निवेश के लिए शासन द्वारा वहन लागत का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए सरकार द्वारा किये गया निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना जाता है।

आगे, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों से संबंधित राज्य शासन के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति समान अवधि के लिए **तालिका 5.15** में संकेतिक है:

²⁵ संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (मध्य प्रदेश सरकार) पर भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों से सरकारी उधारों पर व्याज की औसत दर को अपनाया गया था।

तालिका 5.15: राज्य शासन द्वारा किए गए निवेश एवं उस निवेश के वर्तमान मूल्य का 2000–01 से 2020–21 तक वर्ष वार विवरण

(₹ करोड़ में)									
वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	राज्य शासन द्वारा वर्तमान वर्ष में निवेशित अंशपूँजी	राज्य शासन द्वारा वर्तमान वर्ष में ब्याज मुक्त / चूक ऋण और पूँजीगत अनुदान	वर्ष के दौरान कुल निवेश	शासन के ऋणों पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	निवेशित राशि को लागत वसूलने के लिए वर्ष में अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल	वर्ष के दौरान कुल लाभ
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii={vii* (1+vi)/ 100}	ix={vii*vi)/ 100}	x
2000–01	2,768.70	–474.85	81.39	–393.46	9.94	2,375.24	2,611.34	236.10	–1,367.9
2001–02	2,611.34	–4.1	166.55	162.45	9.19	2,773.79	3,028.70	254.91	–1,458.22
2002–03	3,028.70	–44.11	–1,858.41	–1902.52	8.81	1,126.18	1,225.40	99.22	–1,467.75
2003–04	1,225.40	2.04	–47.4	–45.36	9.41	1,180.04	1,291.08	111.04	–156.80
2004–05	1,291.08	12.3	682.04	694.34	8.96	1,985.42	2,163.31	177.89	182.14
2005–06	2,163.31	3,961.12	3,821.87	7,782.99	7.33	9,946.30	10,675.37	729.06	1,282.23
2006–07	10,675.37	337.13	198.39	535.52	7.86	11,210.89	12,092.06	881.18	648.34
2007–08	12,092.06	839.11	–3,798.42	–2,959.31	7.72	9,132.75	9,837.80	705.05	–1,638.53
2008–09	9,837.80	2,065.09	1,139.66	3,204.75	7.24	13,042.55	13,986.83	944.28	–3,151.13
2009–10	13,986.83	2,665.40	1,530.74	4,196.14	6.94	18,182.97	19,444.87	1,261.90	–3,491.41
2010–11	19,444.87	–87.86	1,279.52	1,191.66	7.07	20,636.53	22,095.53	1,459.00	–2,005.80
2011–12	22,095.53	1,027.28	5,038.49	6,065.77	6.91	28,161.30	30,107.25	1,945.95	–2,313.02
2012–13	30,107.25	938.46	6,685.95	7,624.41	6.75	37,731.66	40,278.54	2,546.89	–4,059.11
2013–14	40,278.54	923.44	3,833.47	4,756.91	6.69	45,035.45	48,048.32	3,012.87	–5,910.12
2014–15	48,048.32	1,298.63	9,474.37	10,773.00	6.73	58,821.32	62,780.00	3,958.68	–6,263.86
2015–16	62,780.00	678.95	2,399.57	3,078.52	6.86	65,858.52	70,376.41	4,517.89	–4,627.30
2016–17	70,376.41	146.2	4,610.38	4,756.58	6.72	75,132.99	80,181.93	5,048.94	–5,202.73
2017–18	80,181.93	5,073.94	–7,602.08	–2,528.14	6.67	77,653.79	82,833.30	5,179.51	–4,001.19
2018–19	82,833.30	1,863.90	1,084.32	2,948.22	6.92	85,781.52	91,717.60	5,936.08	–6,614.05
2019–20	91,717.60	1,447.69	502.45	1,950.14	6.69	93,667.74	99,934.11	6,266.37	–3,337.73
2020–21	99,934.11	1,742.23	437.74	2,179.97	6.12	1,02,114.08	1,08,363.46	6,249.38	–3,337.73
योग		24,411.99	29,660.59	54,072.58					

राज्य शासन द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के इन उपक्रमों में 20 वर्षों की समयावधि 2000–21 से किया गया निवेश ₹2,768.70 करोड़ से बढ़कर 2020–21 में ₹56,841.28 करोड़ तक हो गया, क्योंकि राज्य शासन के अंश पूँजी और ऋण के रूप में ₹54,072.58 करोड़ का निवेश है जिसने पूरी समयावधि में ऋणात्मक प्रतिफल अर्जन किया है। 2014–15 से 2020–21 की अवधि के दौरान ऋणात्मक आय में धीरे-धीरे लगभग 50 प्रतिशत से कमी आई है।

5.10 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हुई हानि

5.10.1 हुई हानि

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उपक्रमों को अपने नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार हानि हुई थी। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों का नुकसान उनके अंतिम लेखों के अनुसार 2018–19 में ₹7,259.45 करोड़ से घटकर 2020–21 में ₹4,009.02 करोड़ हो गया, जैसा कि नीचे तालिका 5.16 में दिया गया है:

तालिका 5.16: 2018–19 से 2020–21 के दौरान हानि वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या					(₹ करोड़ में)
वर्ष	हानि वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानि	संचित हानि	निवल मूल्य	
सरकारी कंपनियां					
2018–19	9	−7,196.27	−51,002.56	−32,558.15	
2019–20	11	−3,970.75	−52,983.52	−34,126.92	
2020–21	11	−3,970.75	−52,983.52	−34,076.56	
सांविधिक निगम					
2018–19	1	−58.45	12.09	436.29	
2019–20	1	−37.89	12.09	−424.83	
2020–21	1	−37.89	12.09	−424.83	
सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां					
2018–19	2	−4.73	−5.90	394.10	
2019–20	2	−0.38	−0.16	239.94	
2020–21	2	−0.38	−0.16	239.94	
महायोग					
2018–19	12	−7,259.45	−50,996.37	−31,727.76	
2019–20	14	−4,009.02	−52,971.59	−33,462.15	
2020–21	14	−4,009.02	−52,971.59	−33,411.79	

2020–21 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उपक्रमों को हुए कुल नुकसान ₹4,009.02 करोड़ में ऊर्जा क्षेत्र के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के तीन²⁶ उपक्रमों का ₹3,949.49 करोड़ का योगदान था।

5.10.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी का क्षरण

निवल मूल्य से आशय है प्रदत्त पूंजी और मुक्त कोष व आधिक्य का योग जिसमें से संचित हानि और अस्थगित राजस्व व्यय को घटा दिया गया है। वास्तव में यह किसी इकाई के स्वामी के लिए उस इकाई का मूल्य मापने की एक माप है। एक नकारात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि मालिकों द्वारा किया गया पूरा निवेश, संचित घाटे और अस्थगित राजस्व व्यय से समाप्त हो चुका है।

31 मार्च 2021 को, ₹56,031.89 करोड़ की संचित हानियों के साथ राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उपक्रम थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन 14 उपक्रमों में से, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 10 उपक्रमों में 2020–21 के दौरान ₹3,968.99 करोड़ की हानि हुई और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उपक्रमों में हानि नहीं हुई, यद्यपि उन्होंने अपने नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय लेखों के अनुसार ₹3,018.04 की संचित हानि की थी।

²⁶ मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उपक्रमों में से तीन का निवल मूल्य संचित हानि से पूरी तरह से समाप्त हो गया था और उनका निवल मूल्य या तो शून्य या नकारात्मक था। 31 मार्च 2021 को अंश पूँजी निवेश ₹17,765.68 करोड़ के विरुद्ध राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों की कुल संपत्ति (-)₹34,954.30 करोड़ थी। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों में, जिनकी पूँजी नष्ट हो गयी थी, 31 मार्च 2021 को राज्य शासन की बकाया ऋण राशि ₹25,549.19 करोड़ थी।

5.11 भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका

5.11.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा

सरकारी कंपनी (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित है) के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक अन्य बातों के अलावा, कंपनी के वित्तीय विवरणों सहित भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिवस के अंदर भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, मध्य प्रदेश राज्य सङ्कर परिवहन निगम के लिए भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हैं। मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन और मध्य प्रदेश वित्तीय निगम के संबंध में सनदी लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है और भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

आगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 7 के अनुसार भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक धारा 139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अंतर्गत आने वाली किसी भी कंपनी के मामले में, यदि आवश्यक समझा जाता है, तो एक आदेश द्वारा ऐसी कंपनी के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा की जाती है और भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (क) के प्रावधान ऐसे नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर लागू होंगे। इस प्रकार एक सरकारी कंपनी या ऐसी अन्य कंपनी जिनका स्वामित्व या नियंत्रण, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, के प्रकरण में भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है।

5.11.2 भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के अन्तर्गत एक सरकारी कंपनी और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक करते हैं। अधिनियम की धारा 139 (5) प्रावधान करती है कि एक सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से 180 दिनों की अवधि के भीतर भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है। अधिनियम की धारा 139(7) प्रावधान करती है कि एक सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में प्रथम लेखापरीक्षक कंपनी के पंजीकरण की तारीख से 60 दिनों के भीतर भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है और यदि भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

उक्त अवधि के भीतर ऐसे लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं करते हैं तो कंपनी का निदेशक मण्डल या कंपनी के सदस्यों को ऐसे लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करनी होती है।

वर्ष 2020–21 के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा अगस्त 2020 के दौरान की गयी थी, सिवाय उन कंपनियों के जो भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के अधिकार क्षेत्र में पहली बार वर्ष 2020–21 में आयी।

5.12 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

5.12.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन इसकी वार्षिक आम सभा (ए.जी.एम.) के तीन महीने के अन्दर तैयार किया जाना है और जितनी जल्दी हो सके ऐसी तैयारी के बाद लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा उस पर या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुपूरक पर की गयी टिप्पणी के साथ सदन या राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान है। यह व्यवस्था राज्य की संचित निधि में से कंपनियों और निगमों में निवेश किए गए समेकित निधि के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करती है।

5.12.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी के लिये हर कैलेण्डर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की वार्षिक आम सभा आयोजित करना आवश्यक है। यह भी निर्दिष्ट है कि एक वार्षिक आम बैठक की तारीख और अगले की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक नहीं बीतेंगे। इसके अलावा उक्त धारा प्रावधान करती है कि प्रथम वार्षिक आम सभा के मामले में, कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के समाप्ति की तारीख से नौ माह की अवधि के भीतर और किसी अन्य मामले में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर आयोजित की जायेगी। तदनुसार, कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 30 सितम्बर 2021²⁷ तक वार्षिक आम सभा को आयोजित करने की आवश्यकता थी।

आगे, अधिनियम की धारा 129 निर्धारित करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उनके विचार के लिए उक्त वार्षिक आम सभा में रखा जाना होगा। अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7), अधिनियम की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास जैसे दंड के आरोपण का भी प्रावधान करती है।

31 मार्च 2021 तक, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के दायरे में 59 सरकारी कंपनियां, सरकार द्वारा नियंत्रित आठ अन्य कंपनियां और तीन सांविधिक निगम थे। इनमें से वर्ष 2020–21 के लिए, 50 सरकारी कंपनी, सरकार द्वारा नियंत्रित सभी आठ अन्य कंपनियां तथा दो सांविधिक निगम के लेखे बकाया थे।

²⁷ कोविड महामारी की वजह से कंपनी रजिस्ट्रार कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा वार्षिक आम सभा के सामान्य देय तारीख (जो कि 30 सितम्बर 2021 तक) से दो महीने (जो कि 30 नवम्बर 2021 तक) बढ़ा दी गयी थी।

70 में से, 60 कंपनियों / निगमों (50 सरकारी कंपनियाँ, सरकार द्वारा नियंत्रित सभी आठ अन्य कंपनियाँ तथा दो निगम) के लेखें विभिन्न कारणों से बकाया थे। 30 नवम्बर 2021 को या इससे पहले केवल नौ सरकारी कंपनियाँ²⁸ तथा एक सांविधिक निगम²⁹ द्वारा अपने लेखे (वर्ष 2020–21) भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा करने के लिए प्रस्तुत किए गए। बकाया लेखों की स्थिति तालिका 5.17 में दी गयी है:

तालिका 5.17: बकाया लेखों की स्थिति				
विवरण	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम			
	सरकारी कंपनियाँ	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	सांविधिक निगम	कुल
31 मार्च 2021 तक भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा के दायरे के अंतर्गत कुल कंपनियों की संख्या।	59	8	3	70
30 नवम्बर 2021 तक भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा के लिए लेखा (2020–21) प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या।	9	—	1	10

50 सरकारी कंपनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित आठ अन्य कंपनियों एवं दो सांविधिक निगमों के बकाया लेखों का ब्यौरा नीचे तालिका 5.18 में वर्णित है:

विवरण	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम			
	सरकारी कंपनियों के लेखे	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लेखे	सांविधिक निगमों के लेखे	कुल
बकाया लेखों की संख्या	202	13	14	229
बकाया की सीमा	31 वर्षों तक	3 वर्षों तक	13 वर्षों तक	
बकाया का ब्यौरा	(i) परिसमाप्त के अधीन	68	—	68
	(ii) गैर—कार्यकारी	23	—	13
	(iii) अप्रस्तुत प्रथम लेखा	20	3	—
	(iv) अन्य	91	10	1
				102

5.13 भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की निगरानी— लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.13.1 वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013, की अनुसूची—तीन में निर्धारित प्रारूप में और लेखा मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है। सूचीबद्ध कंपनियों और कंपनियाँ जिनकी निवल संपत्ति ₹250 करोड़ से ज्यादा है उन्हें भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। इसके अलावा

²⁸ श्री सिंगाजी पॉवर प्रोजेक्ट लिमिटेड, म.प्र.प्लास्टिक सिटी डेपलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश जेपी मिनिरल लिमिटेड, मध्य प्रदेश जेपी कोल लिमिटेड, मध्य प्रदेश जेपी कोल फील्ड लिमिटेड, मध्य प्रदेश मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश सैनिक कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड।

²⁹ मध्य प्रदेश वित्त निगम

उक्त कंपनियों की मूल, सहायक, सहयोजित तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों को भी भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। उपरोक्त के दायरे में नहीं आने वाली कंपनियां लेखा मानकों को लागू करना जारी रखेंगी। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 67 उपक्रमों में से, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उपक्रम भारतीय लेखा मानकों का अनुसरण करते हैं जबकि शेष अपने लेखे लेखा मानकों के अनुसार तैयार करते हैं।

सांविधिक निगमों को भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के परामर्श से बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान में अपने लेखे तैयार करने की आवश्यकता होती है।

5.13.2 राज्य के सार्वजनिक के क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी एक इकाई के प्रबंधन की है।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर इस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने प्रतिवेदित किया कि 11 कंपनियों ने अनिवार्य लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों का पालन नहीं किया जैसा कि **परिशिष्ट 5.4** में वर्णित है।

चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखों के साथ—साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की समीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा एक अनुपूरक लेखापरीक्षा के द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ, यदि कोई है, वार्षिक आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

5.14 भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका का परिणाम

5.14.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

समीक्षाधीन अवधि (जनवरी 2020 से सितम्बर 2021) के दौरान, 83³⁰ वित्तीय विवरण लेखापरीक्षा (तालिका 5.19) के लिए प्राप्त हुए, जिनमें से 73 पिछले वर्षों से संबंधित हैं। वित्तीय विवरणों के प्राप्ति, समीक्षा तथा टिप्पणियां जारी किये जाने की स्थिति नीचे तालिका 5.19 में दी गई है:

³⁰ वार्षिक आम सभा के आयोजन की नियत तारीख को कोविड-19 महामारी के महेनजर आरओसी (रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा सामान्य नियत तारीख (यानी 30 सिंतम्बर 2021) से दो महीने (यानी 30 नवंबर 2021 तक) बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2021–21 के लिए, वित्तीय विवरणों की स्थिति के लिए दो महीने के विस्तार के कारण देय तिथि 30 नवंबर 2021 के रूप में ली गई थी।

वित्तीय विवरण के ब्यौरे	वित्तीय वर्ष 2020–21				पिछले वर्षों का			
	सरकारी कंपनियां	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी	सांविधि क निगम	योग	सरकारी कंपनियां	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी	सांविधिक निगम	योग
प्राप्त हुए	9		1	10	63	8	2	73
समीक्षा नहीं की गयी	5		--	5	17	--	--	17
समीक्षा की गयी	--		1	1	46 ³¹	7	2	55
लेखापरीक्षा प्रगति पर है*	4		--	4	--	1	--	1
शून्य टिप्पणी जारी की गयी	--		--	--	10	0	0	10
टिप्पणियां जारी की गयी ³²	--		--	--	20	4	1	25

*30 सितम्बर 2021 तक

प्राप्त 83 वित्तीय विवरणों में से 56 वित्तीय विवरणों की समीक्षा हुई थी एवं 22 वित्तीय विवरणों के लिए गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र जारी किया गया। जिन 56 वित्तीय विवरणों की समीक्षा हुई थी, उनमें से 25 वित्तीय विवरणों (**परिशिष्ट 5.5**) पर टिप्पणियां जारी की गई, 10 वित्तीय विवरणों पर निरंक टिप्पणियां जारी की गई, और एक कंपनी³³ के 10 वित्तीय विवरणों पर राय का अस्वीकरण जारी किया गया।

5.14.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के अनुपूरक के रूप में जारी की गयी भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात्, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिवेदन अवधि (जनवरी 2020 से सितम्बर 2021) के दौरान प्राप्त वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। सरकारी कंपनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे सूचीबद्ध की गई हैं:

लाभ प्रदाता पर टिप्पणी

स. क्र.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	मध्य प्रदेश पॉवर ट्रॉसमिशन कंपनी लिमिटेड (2019–20)	प्रोत्साहन प्रभार में सम्मिलित ₹21.65 करोड़ का पारेषण भार तथा ₹14.51 करोड़ का प्रोत्साहन भार कंपनी द्वारा अपने पॉच दीर्घावधि उपभोक्ताओं से बढ़े हुए पारेषण क्षमता (16,576.18 मेगावाट) जो कि पहले के 16,496.18 मेगावाट के पारेषण क्षमता के वसूली योग्य नियत प्रभार से ₹2,746.96 करोड़ ज्यादा है, बिल तथा दावा किया गया जैसा कि पहले के पारेषण क्षमता 16,496.18 मेगावाट मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ के हवाले से दिनांक 26.04.2017 को अनुमति दी गयी थी। कंपनी द्वारा अपने महत्वपूर्ण लेखांकन नीति XIX (राजस्व अभिज्ञान) तथा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 26.04.2017 के अनुपालन

³¹ अंतिम रूप देने के अंतर्गत लेखों सहित

³² राय के अस्वीकरण सहित

³³ मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र मिनिरल एवं केमिकल लिमिटेड (वित्तीय वर्ष 1992–93 से 2001–02 के लिए)

		न करने से वर्ष 2019–20 के लिए अस्थायी आधार पर पारेषण तथा प्रोत्साहन भार का अधिक बिल का सहारा लिया गया, जो कि वार्षिक स्थिर व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा स्वीकृत की गयी, परिणामस्वरूप पारेषण भार एवं प्रोत्साहार भार क्रमशः ₹21.65 करोड़ एवं ₹14.51 करोड़ से अत्योक्त था। व्यापार प्राप्ति योग्य ₹36.16 करोड़ से तथा लाभ उतने ही परिणाम से अत्योक्त था।	
2.	मध्य परिचम विद्युत कंपनी (2019–20)	प्रदेश क्षेत्र वितरण लिमिटेड	आकस्मिक परिसंपत्तियों में सम्मिलित ब्याज के ₹76.12 करोड़, मध्य प्रदेश शासन की ओर से धारित ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भुगतान किया गया जो कि त्रिपक्षीय करार के तहत राज्य शासन से प्राप्ति योग्य था। 31 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त (चालू परिसंपत्तियों) का गैर-लेखांकन के कारण ब्याज व्यय ₹76.12 करोड़ से अत्योक्त और वर्ष के लिए लाभ उसी सीमा से न्यूनोक्त था तथा अन्य चालू संपत्तियां ₹76.12 करोड़ से न्यूनोक्त थीं।
3.	मध्य राज्य विकास लिमिटेड (2018–19)	प्रदेश वन निगम	वन उत्पाद के इस्तेमाल, रूपांतरण तथा दुलाई में फसल-II के छठवें साफ-सफाई के लिए खर्च ₹1.61 करोड़ शामिल नहीं है जिसे वन विभाग के व्यय लेखा में डेबिट किया जाना चाहिए था, परिणामस्वरूप ₹1.61 करोड़ की सीमा तक व्यय न्यूनोक्त तथा लाभ अत्योक्त था।
4.	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित (2018–19)	जल	कंपनी ने सरकारी योजना के निष्पादन के लिए पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण (एस.क्यू.सी.) प्रभारों की प्राप्तियों के आधार पर परियोजना व्यय के आठ प्रतिशत या कंपनी द्वारा किये गये वास्तविक पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण व्यय के निम्न से संशोधित कर दिया। कंपनी द्वारा किये गये व्यय के छ: प्रतिशत के अंतर्गत शुद्ध व्यय के आधार पर एस.क्यू.सी. प्राप्तियों का दावा करने के परिणामस्वरूप राज्य शासन से एस.क्यू.सी. प्राप्तियों की वर्तमान वर्ष के दौरान ₹5.17 करोड़ और पिछले वर्षों के दौरान ₹3.75 करोड़ की कम वसूली हुई। इसके परिणामस्वरूप ‘अन्य आय’ ₹5.17 करोड़ से, आरक्षित और अधिशेष ₹3.75 करोड़ से न्यूनोक्त तथा “गैर वर्तमान देयताएं” ₹8.92 करोड़ से अत्योक्त थी।
5.	मध्य स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड (2017–18)	प्रदेश	कर्मचारी हितलाभ व्यय में सिपेट (केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रोट्योगिकी संस्थान) भोपाल को बैग की गुणवत्ता परीक्षण के लिए भुगतान किये गये ₹4.74 करोड़ और खरीद व्यय के स्थान पर एस.एम.एस. सेवा के लिये पिनेकल टेली सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड को शामिल किया गया परिणामस्वरूप कर्मचारी हितलाभ व्यय ₹4.74 करोड़ से अत्योक्त था एवं “खरीद व्यय” उसी सीमा तक न्यूनोक्त था।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

संख्या	कंपनी का नाम	टिप्पणियाँ
1.	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (2019–20)	चालू परिसम्पत्तियों में सरकार से प्राप्त राशि ₹57.25 करोड़ शामिल नहीं है जो कि त्रिपक्षीय करार के अन्तर्गत कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश शासन की ओर से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को ब्याज के रूप में चुकाया जा रहा है, परिणामस्वरूप 31.3.2020 को चालू परिसम्पत्तियां ₹57.25 करोड़ की सीमा तक न्यूनोक्त तथा हानि अत्योक्त थी।
2.	जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2019–20)	जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने दुमना नेचर रिजर्व के प्रवेश भवन/प्रशासन भवन जो कि दिसम्बर 2019 में पूरा हो गया था, का पूंजीकरण नहीं किया गया परिणामस्वरूप सी.डब्ल्यू.आई.पी. (नोट 3बी) ₹4.36 करोड़ से अत्योक्त तथा सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (नोट 3ए) न्यूनोक्त था।
3.	मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (2016–17)	सरकार से प्राप्त राशि में ₹61.64 करोड़ सम्मिलित है जो कि 31 मार्च 2017 के बाद 12 महीने के भीतर हुड़को को ऋण चुकौति हेतु देय है, परिणामस्वरूप दीर्घावधि ऋण ₹61.64 करोड़ से अत्योक्त तथा तदनुसार अल्पावधि ऋण न्यूनोक्त था
4.	सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2018–19)	वर्ष 2018–19 के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी अनुदान की राशि ₹31 करोड़ अन्य गैर चालू देयताओं में शामिल नहीं है एवं अप्रैल 2019 में प्राप्त हुई अर्थात् जो वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप दिये जाने के पहले की है परिणामस्वरूप अन्य गैर-मौजूदा देयताएं तथा अन्य चालू परिसम्पत्तियां (प्राप्त अनुदान) ₹31 करोड़ से न्यूनोक्त थी। पूंजीगत कार्य में प्रगतिरत कंपनी के पूर्व निगमन व्यय से संबंधित ₹2.58 करोड़ सम्मिलित है जिसे लाभ और हानि खाते से प्रभारित किया जाना था परिणामस्वरूप पूंजीगत प्रगतिरत कार्य ₹2.58 करोड़ से अत्योक्त तथा हानि उसी सीमा तक न्यूनोक्त था।
5.	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड (2017–18)	जनवरी 2018 से मार्च 2018 के दौरान किये गये कार्य के लिए मार्च 2018 में प्राप्त बिलों के संबंध में पूंजीगत प्रगतिरत कार्य में ₹2.25 करोड़ शामिल नहीं थे परिणामस्वरूप पूंजीगत प्रगतिरत कार्य और चालू देयताएं ₹2.25 करोड़ से न्यूनोक्त थी।
6.	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड (2017–18)	मण्डल ने अचल सम्पत्ति राशि ₹2.86 करोड़ का 2017–18 के दौरान उसे इस्तेमाल कर पूंजीकरण नहीं किया, परन्तु सिर्फ ₹2.30 करोड़ को दीर्घावधि ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम को अग्रिम के रूप में दर्शाया गया तथा शेष ₹0.56 करोड़ वर्तमान दायित्व होने के कारण वर्ष के दौरान प्रदान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप अचल सम्पत्ति तथा चालू देयताएं क्रमशः ₹2.86 करोड़ तथा ₹0.56 करोड़ से न्यूनोक्त थी, वर्ष के लिए मूल्यहास तथा घाटा ₹22.92 लाख से न्यूनोक्त तथा दीर्घावधि ऋण और अग्रिम ₹2.30 करोड़ से अत्योक्त था।

7.	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2018–19)	184वीं बैठक (जून 2018) में मण्डल निदेशक द्वारा तीन किश्तों में अनुमोदित कंपनी के कर्मचारियों को 01.01.2016 से 31.03.2018 की अवधि के लिए देय वेतन के बकाया के लिए गैर चालू देयताओं में ₹10 करोड़ सम्मिलित नहीं है। इसका प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप गैर चालू देयताओं को ₹10 करोड़ से न्यूनोक्त तथा वर्ष के लिए उसी सीमा तक लाभ अत्योक्त था।
----	---	--

5.15 लेखांकन मानकों/भारतीय लेखांकन मानकों के प्रावधानों का गैर अनुपालन

अधिनियम की धारा 129 (1), धारा 132 तथा धारा 133 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से केन्द्र सरकार ने लेखांकन मानक निर्धारित किए। इनके अलावा, केन्द्र सरकार ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियमावली, 2016 के माध्यम से 42 भारतीय लेखांकन मानक अधिसूचित किए। भारतीय लेखांकन मानक 115 तथा 116 की अधिसूचना के पश्चात् तीन भारतीय लेखांकन मानक नामतः भारतीय लेखांकन मानक 11, 17 एवं 18 वापस लिए जा चुके हैं।

जनवरी 2020 तथा सितम्बर 2021 के मध्य किये गये अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक ने पाया कि निम्नलिखित कंपनियों ने लेखांकन मानकों/भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया था, जिन्हें उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं गया था:

लेखांकन मानक/ भारतीय लेखांकन मानक	कंपनी का नाम	विचलन
भारतीय लेखांकन मानक 8: लेखांकन नीति, लेखांकन लागत में परिवर्तन तथा त्रुटियों	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (2019–20) मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (2019–20)	वर्ष के दौरान कंपनी ने बिजली खरीद लागत से संबंधित न तो महत्वपूर्ण लेखांकन नीति का न तो प्रकटीकरण किया और न ही लेखांकन मानक का अनुपालन किया।
लेखांकन मानक 4: तुलन पत्रक तिथि के बाद होने वाली आकस्मिकताएं और घटनाएं	मध्य प्रदेश राज्य इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन (2015–16)	मध्य प्रदेश इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन में निगम के समामेलित तथ्य का प्रकटीकरण न करना।

5.16 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा उद्देश्यों में से एक, लेखापरीक्षक तथा कार्पोरेट इकाई के शासन की जिम्मेदारी के साथ प्रभारित लोगों के मध्य वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न लेखापरीक्षा विषयों पर संवाद स्थापित करना है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियों के रूप में सूचित की गयी थी। इन टिप्पणियों के अलावा, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा पायी गयी अनियमितताएं अथवा त्रुटियां वित्तीय प्रतिवेदनों में अथवा प्रतिवेदन प्रक्रियाओं में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए “प्रबंधन पत्र” के माध्यम से प्रबंधन को भी सूचित की गयी थी। ये कमियां सामान्यतः लेखांकन

नीतियों और प्रथाओं के आवेदन और व्याख्या से संबंधित है, लेखापरीक्षा से उदभूत समायोजन जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं तथा कतिपय सूचना की अपर्याप्तता या अप्रकटीकरण जिस पर संबंधित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रबंधन ने यह आश्वासन दिया कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्यवाई की जाएगी।

समीक्षा अवधि के दौरान, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 27 प्रबंधन पत्र जारी किए गए। इन प्रबंधन पत्रों में कंपनियों/निगमों के वित्तीय विवरणों में अनियमितताओं की व्यापक प्रकृति पर प्रकाश डाला गया, जो कि **परिशिष्ट 5.6** में दर्शाया गया है।

5.17 निष्कर्ष

31 मार्च 2021 तक, तीन सांविधिक निगमों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित आठ अन्य कंपनियों सहित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 70 उपक्रम थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 70 में से 31 उपक्रम निष्क्रिय थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के ये उपक्रम तीन से 31 वर्षों तक निष्क्रिय थे। इस प्रकार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के केवल 39 उपक्रमों, जिन्होंने लेखापरीक्षा के लिये जानकारी/लेखे प्रस्तुत किये, पर वित्तीय प्रदेशन के विश्लेषण के लिए विचार किया गया।

2020–21 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के इन 39 उपक्रमों ने ₹99,211.48 करोड़ का कारोबार दर्ज किया, जो कि मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 10.81 प्रतिशत के बराबर था। 2020–21 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल कारोबार में अकेले ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का योगदान 82 प्रतिशत से अधिक था।

31 मार्च 2021 के अन्त तक राज्य शासन के अंश पूँजी तथा दीर्घावधि ऋण के कुल निवेश ₹1,06,152.75 करोड़ के विरुद्ध, सार्वजनिक क्षेत्र के 70 उपक्रमों में ₹62,065.12 करोड़ का निवेश था। 31 मार्च 2021 तक सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों का बकाया दीर्घावधि ऋण विगत वर्ष (2019–20) के ₹31,382.78 करोड़ से ₹31,820.52 करोड़ तक बढ़ा।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 39 उपक्रमों (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से 2018–19 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 17 उपक्रमों द्वारा अर्जित ₹645.40 करोड़ के लाभ की तुलना में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उपक्रमों द्वारा 2020–21 में ₹671.29 करोड़ का लाभ अर्जित किया। मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कारपोरेशन (₹242.20 करोड़) एवं मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (₹192.77 करोड़) द्वारा वृहद् लाभ का योगदान किया गया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उपक्रमों द्वारा किए गए कुल नुकसान ₹4,009.02 करोड़ में से मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा भारी नुकसान किया गया।

वर्ष 2020–21 के लिए, 70 में से 60 कंपनियों/निगमों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया (50 सरकारी कंपनियां, सरकार द्वारा नियंत्रित सभी आठ अन्य कंपनियां तथा दो निगम) थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर रहे थे। परिणामस्वरूप, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 60 उपक्रमों के 229 लेखे बकाया थे।

5.18 अनुशंसाएं

- i) मध्य प्रदेश शासन घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा करे तथा उनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए।
- ii) सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के पृथक–पृथक उपक्रमों के लिए समय पर लेखों को प्रस्तुत करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और बकाया के समाशोधन की सख्ती से निगरानी करने और लेखों को अन्तिम रूप देने में बकाया राशि को समाप्त करने के लिए शीघ्र कदम उठाने के लिए प्रशासनिक विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करे।
- iii) सरकार निष्क्रिय सरकारी कंपनियों की समीक्षा करे तथा उनके पुनरुद्धार/समापन के लिये उचित निर्णय ले।

वि. कौ. मु.

(विजित कुमार मुखर्जी)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय)

मध्य प्रदेश

भोपाल

दिनांक: 22 अप्रैल 2022

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्म)

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 27 अप्रैल 2022

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)
(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

क	सामान्य आंकड़े	विवरण	आंकड़े		
स.क्र.					
1	क्षेत्र		3,08,245 वर्ग कि.मी.		
2	जनसंख्या				
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	6.03 करोड़		
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	7.33 करोड़		
3	क.	जनसंख्या का घनत्व (2001 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	196 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी		
	ख.	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	236 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी		
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.92 प्रतिशत)		31.93 प्रतिशत		
5	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 प्रतिशत)	63.74 प्रतिशत		
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	69.30 प्रतिशत		
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित बच्चे) (अखिल भारतीय औसत = 30 प्रति 1000 जीवित बच्चे) (2019)		50 प्रति 1000 जीवित बच्चे		
7	जन्म के समय जीवित रहने की प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत 2014–18 में = 69.40 वर्ष)		66.50 वर्ष		
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020–21 वर्तमान मूल्य पर		₹9,17,555 करोड़		
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020–21 स्थिर मूल्य पर		₹5,60,845 करोड़		
10	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2011–12 से 2020–21)	मध्य प्रदेश अखिल भारतीय (केंद्र शासित प्रदेशों सहित)	10.74 प्रतिशत 8.08 प्रतिशत		
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2011–12 से 2020–21)	मध्य प्रदेश अखिल भारतीय (केंद्र शासित प्रदेशों सहित)	12.59 प्रतिशत 9.48 प्रतिशत		
12	दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (2011 से 2021)	मध्य प्रदेश अखिल भारतीय (केंद्र शासित प्रदेशों सहित)	16.05 प्रतिशत 12.30 प्रतिशत		
ख	वित्तीय आंकड़े				
		संवृद्धि दर	(प्रतिशत में)		
	विवरण	2011–12 से 2014–15	2015–16 से 2018–19	2018–19 से 2019–20	2019–20 से 2020–21
क	राजस्व प्राप्तियां	13.49	11.85	2.08	-4.56
ख	स्वयं के कर राजस्व	11.86	11.04	2.12	-4.43
ग	करेतर राजस्व	14.75	10.88	23.38	-35.60
घ	संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	9.78	14.48	-13.86	-8.60
ड	भारत सरकार से सहायतानुदान	24.44	10.20	21.23	18.54
च	कुल प्राप्तियां	14.32	11.15	7.82	7.44
छ	राजस्व व्यय	15.32	12.05	5.92	5.63
ज	पूंजीगत व्यय	13.26	3.45	-5.55	-2.36
झ	कर्जों एवं अग्रिमों का संवितरण	-9.35	-21.58	-12.69	2.31
ऋ	कुल व्यय	14.99	10.54	4.16	4.54
ट	शिक्षा पर राजस्व व्यय	13.36	8.91	11.55	-1.19
ठ	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर राजस्व व्यय	18.74	13.51	10.09	14.51
ड	वेतन एवं मजदूरी पर राजस्व व्यय	10.09	10.33	9.07	2.27
ঢ	पेंशन पर राजस्व व्यय	12.99	15.32	10.46	6.02
ণ	राजसहायताओं पर राजस्व व्यय	20.67	4.69	-2.13	6.55

स्रोत: आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रदाय जानकारी

परिशिष्ट 2.1
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े
(संदर्भ: कंडिकाएं 2.6.2, 2.10.1 एवं 2.13.2; पृष्ठ 25, 35 एवं 61)

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
भाग क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	1,23,307	1,34,875	1,48,893	1,47,643	1,46,377
(i) कर राजस्व	44,194(36)	44,811(33)	50,882(34)	55,824(38)	54,459(37)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	--	8,696 (19)	18,508(36)	20,448(37)	17,258(32)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	22,561(51)	14,984(33)	9,903(20)	11,258(20)	13,296(24)
राज्य उत्पाद शुल्क	7,533(17)	8,245(18)	9,542(19)	10,829(19)	9,526(17)
वाहन कर	2,252(5)	2,692(6)	3,008(6)	3,251(6)	2,749(5)
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,925(9)	4,789(11)	5,278(10)	5,569(10)	6,817(13)
भू-राजस्व	407(1)	491(1)	384(1)	562(1)	504(1)
माल तथा यात्री कर	3,805(9)	1,159(3)	118(0)	145(0)	75(0)
अन्य कर	3,711(8)	3,755(8)	4,141(8)	3,762(7)	4,234(8)
(ii) करेतर राजस्व	9,086(7)	9,061(7)	11,899(8)	10,349(7)	9,902(7)
(iii) संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	46,064(37)	50,853(38)	57,487(39)	49,518(34)	46,914(32)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	23,963(20)	30,150(22)	28,625(19)	31,952(22)	35,102(24)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	24	19	13	14	14
2क. अन्तर्राजीयी परिशोधन	0	0	0	(-0.25)	(-0.02)
3. कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	772	5,070	70	46	58
4. कुल राजस्व तथा ऋणेतर पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+2क+3)	1,24,103	1,39,964	1,48,976	1,47,703	1,46,449
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	29,847	21,892	32,497	34,364	65,171
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष छोड़कर)	28,581	19,975	25,325	29,496	54,242
अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	3,376	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1,266	1,917	3,796	4,868	10,929 ¹
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	1,53,950	1,61,856	1,81,473	1,82,067	2,11,620
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	--	--	--	--	--
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,61,079	1,71,665	1,86,344	2,00,611	2,35,479
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	3,15,029	3,33,521	3,67,817	3,82,678	4,47,099
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	1,19,537(79)	1,30,246(80)	1,42,149(82)	1,50,444(83)	1,64,733(84)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	27,903(23)	32,100(25)	38,112(27)	39,827(26)	47,885(29)
सामाजिक सेवाएं	47,942(40)	58,346(45)	58,707(41)	64,224(43)	68,757(42)
आर्थिक सेवाएं	36,885(31)	32,735(25)	37,658(27)	40,493(27)	42,191(25)
सहायता अनुदान तथा अंशादान	6,807(6)	7,065(5)	7,672(5)	5,900(4)	5,900(4)
11. पूँजीगत व्यय	27,288(18)	30,913(19)	29,424(17)	29,241(16)	30,356(15)
सामान्य सेवाएं	698(3)	743(3)	723(3)	982(3)	974(3)
सामाजिक सेवाएं	3,285(12)	5,358(17)	5,719(19)	6,922(24)	8,132(27)
आर्थिक सेवाएं	23,305(85)	24,812(80)	22,982(78)	21,337(73)	21,250(70)

¹ वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति में कर्मी के बदले बैंक टू बैंक लोन ₹4,542 करोड़ शामिल है।

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
12. कर्ज तथा अग्रिमों का संवितरण	4,941(3)	1,550(1)	1,090(1)	987(1)	1,230(1)
13. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	1	0	1	(-)0.62	(-)0.25
14. कुल व्यय (10+11+12+13)	1,51,767	1,62,709	1,72,664	1,80,672	1,96,319
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,925	5,776	13,524	10,934	12,757
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्ष को छोड़कर)	3,908	4,683	8,999	9,713	11,315
अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	3,376	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1,017	1,093	1,149	1,221	1,442
16. आकस्मिकता निधि में विनियोग	--	--	--	--	--
17. समेकित निधि में से कुल संवितरण (14+15+16)	1,56,692	1,68,485	1,86,188	1,91,606	2,09,076
18. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	--	--	--
19. लोक लेखा संवितरण	1,58,256	1,68,893	1,83,377	1,89,401	2,27,522
20. राज्य द्वारा कुल संवितरण (17+18+19)	3,14,948	3,37,378	3,69,565	3,81,007	4,36,598
भाग ग. घाटे					
21. राजस्व घाटा(−) / राजस्व अधिशेष(+) (1-10)	7,781 ²	4,629	6,744	-2,801	-18,356
22. राजकोषीय घाटा(−) / राजकोषीय अधिशेष(+) (4-14)	-20,304 ³	-22,745	-23,688	-32,970	-49,870
23. प्राथमिक घाटा(−) / अधिशेष(+) (22+24)	-11,225 ⁴	-11,700	-10,992	-18,753	-33,952
भाग घ. अन्य आंकड़े					
24. ब्याज अदायगियाँ (राजस्व व्यय में समिलित)	9,079	11,045	12,696	14,217	15,918
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	32,379	36,462	36,735	28,659	30,101
26. ली गई अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष (दिन)	--	--	25	--	--
लिया गया अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	--	--	25	--	--
लिया गया अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
27. अर्थोपाय अग्रिम / अधिविकर्षों पर ब्याज	--	--	1.16	0.41	--
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद ⁵	6,49,823	7,26,338	8,13,820	9,37,405	9,17,555
29. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	1,55,800	1,72,363	1,94,309	2,30,572	2,89,298 ⁶
30. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	33,397	14,003	30,763	30,930	37,010
31. प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	40,395	31,653	55,640	43,017	54,464
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	242	-	55	81	72
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	8,607	-	2,951	29,606	15,461
भाग उ राजकोषीय स्थिति संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	6.80	6.17	6.25	5.96	5.94

² उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को लेने पर राजस्व अधिशेष ₹3,770 करोड़ होगा।

³ उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को लेने पर राजकोषीय घाटा ₹27,664 करोड़ होगा।

⁴ उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को लेने पर प्राथमिक घाटा ₹18,585 करोड़ होगा।

⁵ वर्ष 2016–17 से 2019–20 के लिये शासन द्वारा सुचित संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया।

⁶ वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति में कर्मी के बदले बैंक टू बैंक लोन ₹4,542 करोड़ शामिल है।

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
स्वयं के करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.40	1.25	1.46	1.10	1.08
केन्द्रीय अंतरण ⁷ / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	10.78	11.15	10.58	8.69	8.94
राज्य के स्वयं के कर के सन्दर्भ में राजस्व उत्पादकता (प्रतिशत)	1.70	6.70	0.77	-0.09	0.35
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	23.36	22.40	21.22	19.27	21.40
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	123.08	120.64	115.97	122.37	134.12
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	78.76	80.05	82.33	83.27	83.91
सामान्य सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	18.85	20.19	22.49	22.59	24.88
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	33.75	39.15	37.31	39.38	39.17
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	39.66	35.37	35.12	34.22	32.32
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	17.98	19.00	17.04	16.18	15.46
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	17.52	18.54	16.62	15.64	14.97
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा(−)/अधिशेष(+)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.20	0.64	0.83	-0.30	-2.00
राजकोषीय घाटा(−)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-3.12	-3.13	-2.91	-3.52	-5.44
प्राथमिक घाटा(−)/अधिशेष(+)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-1.73	-1.61	-1.35	-2.00	-3.70
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	निरंक	निरंक	निरंक	0.08	0.37
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	17.00	16.41	15.91	14.53	16.22
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	23.98	23.73	23.88	24.60	31.03 ⁸
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	126.35	127.79	130.50	156.17	197.64
V अन्य राजकोषीय संकेतक					
निवेश पर प्रतिलाभ (कोष्ठक में प्रतिशत)	231.50 (1.06)	622.36 (2.11)	347.26 (0.99)	475.96 (1.31)	288.44 (0.74)
देयताओं के लिए वित्तीय परिसम्पत्तियों का अनुपात	0.68	0.67	0.68	0.74	0.86

⁷ केन्द्रीय अंतरण में संघीय करों/शुल्क का भाग एवं भारत सरकार से अनुदान समाविष्ट है।

⁸ ₹2,89,298 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से बैंक टू बैंक ऋण (₹4,542 करोड़) की राशि को हटाने के बाद कुल बकाया ऋण ₹2,84,756 करोड़ पर ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद की गणना की गयी है।

परिशिष्ट 3.1
पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक
(Sंदर्भ: कंडिका 3.3.1; पृष्ठ 72)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 11-वेतन				
1	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	20.95	16.12
2	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	44.11	37.59
3	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	130.22	109.32
4	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5.69	5.43
5	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	66.98	57.14
योग (उद्देश्य शीर्ष 11-वेतन)			267.95	225.60
उद्देश्य शीर्ष 12-मजदूरी				
6	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	485.12	516.04
7	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	7.00	6.04
8	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	21.10	26.62
9	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	6.97	5.44
10	23	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.15	0.24
11	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	35.68	33.41
12	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3.88	3.47
13	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	12.74	9.98
14	61	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	2.55	1.11
योग (उद्देश्य शीर्ष 12-मजदूरी)			575.19	602.35
उद्देश्य शीर्ष 21-यात्रा भत्ता				
15	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.42	0.20
16	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2.32	0.74
17	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.97	0.28
18	-	विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत अन्य मुख्य शीर्ष	0.38	0.05
योग (उद्देश्य शीर्ष 21-यात्रा भत्ता)			4.09	1.27
उद्देश्य शीर्ष 22-कार्यालय व्यय				
19	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	8.95	9.76
20	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.48	0.09
21	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.47	0.13
22	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2.23	1.55
23	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.14	0.08
24	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4.29	2.51
25	52	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	0.12	0.07
26	-	विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत अन्य मुख्य शीर्ष	0.14	0.09
योग (उद्देश्य शीर्ष 22-कार्यालय व्यय)			16.81	14.28
उद्देश्य शीर्ष 24-परीक्षण और प्रशिक्षण				
27	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	8.66	8.05
28	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.07	0.02
योग (उद्देश्य शीर्ष 24-परीक्षण और प्रशिक्षण)			8.73	8.07

सं. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 31—व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ				
29	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	60.16	17.72
30	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.25	0.02
31	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5.29	5.03
32	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.27	0.22
33	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6.67	5.03
योग (उद्देश्य शीर्ष 31—व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ)			72.63	28.01
उद्देश्य शीर्ष 33—अनुरक्षण कार्य				
34	14	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.44	0.43
35	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.65	0.18
36	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.03	0.03
37	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	59.94	62.02
38	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.33	2.04
39	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	7.53	7.00
योग(उद्देश्य शीर्ष 33—अनुरक्षण कार्य)			68.93	71.71
उद्देश्य शीर्ष 35—विज्ञापन एवं प्रचार				
40	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	0.15	0.11
41	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	9.00	3.18
योग (उद्देश्य शीर्ष 35—विज्ञापन एवं प्रचार)			9.15	3.29
उद्देश्य शीर्ष 42—सहायता अनुदान				
42	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	60.00	27.16
43	14	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.15	0.10
44	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	3.00	3.00
45	30	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	220.00	220.00
योग (उद्देश्य शीर्ष 42—सहायता अनुदान)			283.15	250.27
उद्देश्य शीर्ष 43—अंशदान				
46	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5.00	4.00
47	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.92	2.10
योग (उद्देश्य शीर्ष 43—अंशदान)			7.92	6.10
उद्देश्य शीर्ष 44—राजसहायता				
48	24	5054-सड़कें और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	24.00	24.00
योग (उद्देश्य शीर्ष 44—राजसहायता)			24.00	24.00
उद्देश्य शीर्ष 45—पूंजीगत संपत्ति निर्माण के लिए सहायता अनुदान				
49	24	5054-सड़कें और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	40.00	40.00
50	44	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	188.00	42.73
योग (उद्देश्य शीर्ष 45—पूंजीगत संपत्ति निर्माण के लिए सहायता अनुदान)			228.00	82.73
उद्देश्य शीर्ष 53—डिक्री प्रभार का भुगतान				
51	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1.00	0.95
52	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.60	0.02
योग (उद्देश्य शीर्ष 53—डिक्री प्रभार का भुगतान)			1.60	0.97
महायोग			1,568.15	1,318.65

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.2
राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत पूँजीगत व्यय का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक
(संदर्भ: कंडिका 3.3.1; पृष्ठ 72)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीष्ण	बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 63—मशीनरी				
1	1	2015-चुनाव	6.00	4.80
2	3	2055-पुलिस	4.20	2.47
3	5	2056-जेल	5.52	2.65
4	8	2029-भू—राजस्व	6.08	5.44
5	10	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	0.23	0.16
6	13	2401-फसल कृषि कर्म	41.88	38.08
7	14	2403-पशुपालन	0.30	0.07
8	19	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	9.04	8.02
9	32	2220-सूचना तथा प्रचार	0.38	0.36
10	38	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	0.17	0.06
11	39	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.32	0.24
12	44	2202-सामान्य शिक्षा	6.39	10.82
13	50	2401-फसल कृषि कर्म	0.07	0.06
14	56	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	2.35	1.06
15	64	2217-शहरी विकास	4.50	4.50
16	-	विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत अन्य मुख्य शीर्ष	1.18	0.11
योग (उद्देश्य शीर्ष 63—मशीनरी)			88.61	78.91
उद्देश्य शीर्ष 64—वृहद् निर्माण कार्य				
17	8	2029-भू—राजस्व	0.50	0.28
18	39	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.36	0.33
योग (उद्देश्य शीर्ष 64—वृहद् निर्माण कार्य)			0.86	0.61
महायोग			89.47	79.52

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.3
अनुपूरक बजट की आवश्यकता
(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 72)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज.द.म./ पूंजी.द.म./ पूंजी.भा./ राज.भा.	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	आधिक्य व्यय/ बचतें	वास्तविक अनुपूरक की आवश्यकता
1	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	पूंजी.द.म.	0.00	0.58	0.58	0.20	0.38	0.20
2	7	वाणिज्यिक कर	राज.द.म.	3,200.81	516.18	3,716.99	3,281.17	435.82	80.36
3	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राज.द.म.	1,901.47	1,600.06	3,501.53	3,184.71	316.82	1,283.24
4	12	ऊर्जा	राज.द.म.	4,790.62	5,526.38	10,317.00	10,311.03	5.97	5,520.41
5	13	किसान कल्याण तथा कृषि विभाग	राज.द.म.	10,461.37	3,600.85	14,062.21	13,542.47	519.75	3,081.10
6	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राज.द.म.	89.63	37.89	127.52	112.43	15.09	22.81
7	18	श्रम	राज.द.म.	813.04	162.50	975.54	938.05	37.49	125.01
8	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूंजी.द.म.	1,525.90	291.98	1,817.88	1,800.20	17.68	274.30
9	22	नगरीय विकास एवं आवास	राज.द.म.	2,052.96	1,821.68	3,874.64	3,856.66	17.97	1,803.70
10	23	जल संसाधन विभाग	पूंजी.द.म.	4,881.40	335.00	5,216.40	5198.06	18.34	316.66
11	24	लोक निर्माण कार्य-सङ्गठन और पुल	पूंजी.द.म.	5,009.52	418.00	5,427.52	5,395.53	31.99	386.01
12	48	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी.द.म.	2,398.94	2,680.02	5,078.96	5,019.52	59.43	2,620.59
13	49	अनुसूचित जाति कल्याण	राज.द.म.	984.08	251.12	1,235.20	1,112.11	123.09	128.03
14	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राज.द.म.	15,721.48	4,516.97	20,238.46	19,949.41	289.05	4,227.93
15	57	पर्यावरण	राज.द.म.	21.00	20.10	41.10	40.80	0.30	19.80
16	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राज.द.म.	4,962.18	4,792.00	9,754.18	8,777.76	976.43	3,815.57
17	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	पूंजी.द.म.	543.75	107.05	650.80	593.22	57.58	49.47
18	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राज.द.म.	44.65	4.79	49.44	45.70	3.74	1.05
19	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	पूंजी.द.म.	0.00	4.50	4.50	1.11	3.39	1.11
20	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	पूंजी.द.म.	59.00	25.00	84.00	76.00	8.00	17.00
21	65	विमानन	राज.द.म.	24.76	7.52	32.28	25.10	7.18	0.34
22	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राज.द.म.	745.89	156.30	902.19	876.40	25.79	130.51
23	68	लोक संपत्ति प्रबंधन	राज.द.म.	0.00	4.00	4.00	0.40	3.60	0.40
योग				60,232.46	26,880.47	87,112.93	84,138.04	2,974.89	23,905.58

स्रोत: विनियोग लेखे 2020-21

परिशिष्ट 3.4
अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान
(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 72)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज.द.म. / पूंजी.द.म. / पूंजी.भा. / राज.भा.	मूल बजट	अनुपूरक बजट	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक
1	1	सामान्य प्रशासन	पूंजी. द.म.	67.87	2.14	60.87	2.14
2	1	सामान्य प्रशासन	राज. भा.	59.01	0.24	27.81	0.24
3	1	सामान्य प्रशासन	राज. द.म.	635.16	47.36	431.70	47.36
4	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राज. द.म.	95.66	38.28	82.38	38.28
5	3	पुलिस	राज. द.म.	7,323.10	30.00	6,687.12	30.00
6	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	पूंजी. द.म.	0.00	0.58	0.20	0.38
7	5	जेल	राज. द.म.	411.98	10.00	395.96	10.00
8	7	वाणिज्यिक कर	राज. द.म.	3,200.81	516.18	3,281.17	435.82
9	8	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	पूंजी. द.म.	171.10	1.63	131.67	1.63
10	8	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	राज. द.म.	1,901.47	1,600.06	3,184.71	316.82
11	10	वन	राज. भा.	0.26	0.20	0.24	0.20
12	10	वन	राज. द.म.	1,684.43	71.96	1,587.81	71.96
13	12	ऊर्जा	पूंजी. द.म.	1,120.57	38.62	507.51	38.62
14	12	ऊर्जा	राज. द.म.	4,790.62	5,526.38	10,311.03	5.97
15	13	किसान कल्याण तथा कृषि विभाग	राज. द.म.	10,461.37	3,600.85	13,542.47	519.75
16	14	पशुपालन	राज. द.म.	894.20	40.20	842.01	40.20
17	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राज. द.म.	89.63	37.89	112.43	15.09
18	18	मजदूरी	राज. द.म.	813.04	162.50	938.05	37.49
19	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज. द.म.	7,230.87	157.84	7,080.76	157.84
20	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूंजी. द.म.	1,525.90	291.98	1,800.20	17.68
21	22	नगरीय विकास एवं आवास	राज. द.म.	2,052.96	1,821.68	3,856.66	17.97
22	23	जल संसाधन विभाग	पूंजी. द.म.	4,881.40	335.00	5,198.06	18.34
23	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	पूंजी. द.म.	5,009.52	418.00	5,395.53	31.99
24	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	राज. द.म.	1,158.14	121.00	1,072.60	121.00
25	25	खनिज संसाधन	राज. द.म.	47.76	1.20	40.34	1.20
26	26	संस्कृति	राज. द.म.	131.58	10.00	128.99	10.00
27	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राज. द.म.	17,702.97	856.41	17,588.07	856.41
28	29	विधि और विधायी कार्य	राज. द.म.	1,693.68	7.00	1,263.37	7.00
29	31	योजना, आर्थिक और सांस्थिकी	राज. द.म.	99.08	6.00	79.40	6.00
30	32	जनसंपर्क	राज. द.म.	345.37	5.00	330.94	5.00
31	33	आदिम जाति कल्याण	पूंजी. द.म.	1,098.79	12.25	664.32	12.25
32	33	आदिम जाति कल्याण	राज. द.म.	7,862.99	20.88	6,194.50	20.88
33	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राज. द.म.	737.29	0.95	668.90	0.95
34	38	आयुष	राज. द.म.	453.80	89.64	417.39	89.64
35	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	राज. द.म.	878.53	0.10	863.99	0.10

सं. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज.द.म./ पूंजी.द.म./ पूंजी.भा./ राज.भा.	मूल बजट	अनुपूरक बजट	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक
36	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	राज. द.म.	113.04	12.00	105.10	12.00
37	44	उच्च शिक्षा	पूंजी. द.म.	535.84	5.00	448.51	5.00
38	47	तकनीकि शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राज. द.म.	886.82	18.91	788.58	18.91
39	48	नर्मदा धाटी विकास	पूंजी. द.म.	2,398.94	2,680.02	5,019.52	59.43
40	49	अनुसूचित जाति कल्याण	राज. द.म.	984.08	251.12	1,112.11	123.09
41	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	पूंजी. द.म.	68.00	5.00	4.82	5.00
42	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राज. द.म.	513.41	28.86	402.16	28.86
43	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राज. द.म.	48.14	2.00	39.21	2.00
44	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राज. द.म.	15,721.48	4,516.97	19,949.41	289.05
45	55	महिला एवं बाल विकास	राज. द.म.	4,991.43	136.85	4,797.44	136.85
46	57	पर्यावरण	राज. द.म.	21.00	20.10	40.80	0.30
47	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	पूंजी. द.म.	1.00	485.40	0.00	485.40
48	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राज. द.म.	4,962.18	4,792.00	8,777.76	976.43
49	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	पूंजी. द.म.	543.75	107.05	593.22	57.58
50	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राज. द.म.	44.65	4.79	45.70	3.74
51	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	पूंजी. द.म.	0.00	4.50	1.11	3.39
52	63	अल्प संख्यक कल्याण	पूंजी. द.म.	6.00	95.08	5.40	95.08
53	63	अल्प संख्यक कल्याण	राज. द.म.	17.42	0.79	8.40	0.79
54	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	पूंजी. द.म.	59.00	25.00	76.00	8.00
55	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राज. द.म.	7,080.88	707.67	6,990.35	707.67
56	65	विमानन	पूंजी. द.म.	62.00	33.50	60.17	33.50
57	65	विमानन	राज. द.म.	24.76	7.52	25.10	7.18
58	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राज. द.म.	745.89	156.30	876.40	25.79
59	68	लोक संपत्ति प्रबंधन	राज. द.म.	0.00	4.00	0.40	3.60
60	CH-I	भारित विनियोग I - व्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राज. भा.	16,460.21	549.10	15,917.87	549.10
योग				1,42,920.83	30,529.53	1,60,854.70	6,623.94

स्रोत: विनियोग लेखे 2020–21

परिशिष्ट 3.5
निधियों का अत्यधिक / अनावश्यक पुनर्विनियोजन
(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 73)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मूः मूल अनुः अनुपूरक पुनर्विः पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-)/ आधिक्य (+)
1	1	सामान्य प्रशासन	2013-800-9939- मंत्रालयों द्वारा सहायता अनुदान	(मूल) 3.00 (पुनर्वि.) 3.32 6.32	5.53	(-) 0.79
2	1	सामान्य प्रशासन	2012-03-090-4330- राज्यपाल—सचिवालय (भारित)	(मूल) 7.14 (अनु.) टोकन (पुनर्वि.) 0.16 7.30	5.58	(-) 1.72
3	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2053-800-4062-अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों का भ्रमण	(मूल) 1.05 (पुनर्वि.) 1.00 2.05	1.60	(-) 0.45
4	3	पुलिस	4055-211-0101-3059- मुख्यमंत्री पुलिस गृह योजना	(मूल) 197.64 (पुनर्वि.) 20.28 217.92	247.92	(+) 30.00
5	6	वित्त	2071-01-104-9998-मध्य प्रदेश	(मूल) 582.85 (पुनर्वि.) 1,450.00 2,032.85	2,309.01	(+) 2,76.16
6	6	वित्त	2071-01-104-9998-मध्य प्रदेश	(मूल) 248.24 (पुनर्वि.) 415.00 663.24	487.98	(-) 1,75.26
7	6	वित्त	2071-01-115-9999-मध्य प्रदेश का राजकीय संयोजन	(मूल) 236.15 (पुनर्वि.) 100.00 336.15	326.70	(-) 9.45
8	7	वाणिज्यिक कर	2039-001-0123-1470- मंडल श्रमिकों की स्थापना	(मूल) 151.86 (पुनर्वि.) 1.76 153.62	133.24	(-) 20.38
9	7	वाणिज्यिक कर	2039-001-0101-8808- सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य	(मूल) 7.87 (पुनर्वि.) 3.20 11.07	4.30	(-) 6.77
10	7	वाणिज्यिक कर	2039-104-1111-उत्पाद सामग्री का क्रय	(मूल) 1.00 (पुनर्वि.) 25.00 26.00	20.01	(-) 5.99
11	8	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	2053-093-1509-मंडल स्थापना	(मूल) 314.01 (पुनर्वि.) 0.75 314.76	259.66	(-) 55.11
12	8	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	2053-093-1509-आयुक्त	(मूल) 27.42 (पुनर्वि.) 0.08 27.50	20.99	(-) 6.51
13	10	वन	2406-01-800-0101-3896- वन्य जीवों द्वारा मृत व्यक्तियों को मुआवजा	(मूल) 9.08 (पुनर्वि.) 2.43 11.51	10.30	(-) 1.20
14	10	वन	4406-01-800-9667-केम्पा निवल वर्तमान मूल्य	(मूल) 270.70 (पुनर्वि.) 69.06 339.76	309.02	(-) 30.74

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मूः मूल अनुः अनुपूरक पुनर्विः पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-)/ आधिक्य (+)
15	15	विमुक्त, घुमकड़ एवं अद्व्य घुमकड़ जनजाति कल्याण	2225-01-789-001-7216- विमुक्त जाति मुख्यालय	(मूल) 1.04 (पुनर्विः) 0.03 1.07	0.61	(-) 0.46
16	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	2405-001-2304-निर्देशन और प्रशासन	(मूल) 8.44 (पुनर्विः) 0.39 8.83	7.75	(-) 1.08
17	17	सहकारिता	2425-107-0102-2341- मुख्य मंत्री ऋण अदायगी योजना	(मूल) 19.02 (पुनर्विः) 5.80 24.83	47.07	(+) 22.24
18	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-0103-7648- चिकित्सालयों और अस्पताल के भवनों का निर्माण	(मूल) 3.30 (पुनर्विः) 7.00 10.30	10.15	(-) 0.15
19	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-0102-7648- चिकित्सालयों और अस्पताल के भवनों का निर्माण	(मूल) 3.00 (पुनर्विः) 5.60 8.60	7.53	(-) 1.07
20	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-0101-7648- चिकित्सालयों और अस्पताल के भवनों का निर्माण	(मूल) 14.50 (पुनर्विः) 4.00 18.50	18.14	(-) 0.36
21	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-02-104-0103-5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक केन्द्रों का भवन निर्माण	(मूल) 12.00 (पुनर्विः) 2.00 14.00	13.40	(-) 0.60
22	23	जल संसाधन विभाग	2705-800-0701-3701- राज्य स्तर पर आयाकट सेल	(मूल) 9.74 (पुनर्विः) 1.26 11.00	6.99	(-) 4.01
23	23	जल संसाधन विभाग	2700-33-101-0101-3300- मण्डल स्थापना	(मूल) 0.82 (पुनर्विः) 0.27 1.10	1.21	(+) 0.11
24	23	जल संसाधन विभाग	2700-33-101-0101-3556- मुख्यालय स्थापना इकाई-1	(मूल) 1.62 (पुनर्विः) 0.26 1.88	2.19	(+) 0.31
25	23	जल संसाधन विभाग	2701-80-800-0102-2250- नहरें तथा टैक	(मूल) 17.55 (पुनर्विः) 7.38 24.94	26.99	(+) 2.05
26	23	जल संसाधन विभाग	4700-13-800-0103-2884- नहर तथा सहायक कार्य	(मूल) 50.00 (पुनर्विः) 39.41 89.41	91.12	(+) 1.71
27	23	जल संसाधन विभाग	4700-18-800-1401-6596- सुधार, सुदृढीकरण एवं पुनरस्थापना	(मूल) 16.00 (पुनर्विः) 2.64 18.64	28.89	(+) 10.25
28	23	जल संसाधन विभाग	4701-50-800-0101-2884- नहर तथा सहायक कार्य	(मूल) 175.00 (पुनर्विः) 103.58 278.58	277.58	(-) 1.00
29	23	जल संसाधन विभाग	4700-83-800-0801-2884- नहर तथा सहायक कार्य	(अनु.) 25.00 (पुनर्विः) 45.00 70.00	45.00	(-) 25.00
30	23	जल संसाधन विभाग	4700-84-800-1201-2884- नहर तथा सहायक कार्य	(मूल) 550.00 (पुनर्विः) 216.60 766.60	818.78	(+) 52.18

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मूः मूल अनुः अनुपूरक पुनर्विः पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-)/आधिक्य (+)
31	23	जल संसाधन विभाग	4701-25-800-0102-3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण	(मूल) 6.46 (पुनर्विः) 2.92 9.38	9.31	(-) 0.07
32	23	जल संसाधन विभाग	4701-80-800-0101-3368-मध्यम सिंचाई योजना का निर्माण कार्य	(मूल) 12.73 (पुनर्विः) 4.50 17.23	19.34	(+) 2.11
33	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054-03-337-0101-0134-अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत	(मूल) 14.48 (पुनर्विः) 5.00 19.48	6.06	(-) 13.42
34	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054-03-337-0101-0134-अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत	(मूल) 20.00 (अनुपू.) 15.00 (पुनर्विः) 8.95 43.95	43.98	(+) 0.03
35	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054-04-800-0101-7081-मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	(मूल) 105.00 (अनुपू.) 50.00 (पुनर्विः) 35.00 190.00	190.52	(+) 0.52
36	26	संस्कृति	4202-04-800-0701-6941-रविन्द्र भवन परिसर का उन्नयन	(मूल) 5.00 (पुनर्विः) 3.99 8.99	7.99	(-) 1.00
37	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-0701-1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था—मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	(मूल) 16.48 (पुनर्विः) 3.83 20.31	20.64	(+) 0.33
38	30	ग्रामीण विकास	2515-001-0103-1033-विकास खण्ड कार्यालय	(मूल) 11.79 (पुनर्विः) 2.21 14.00	13.97	(-) 0.03
39	30	ग्रामीण विकास	2515-001-0102-1033-विकास खण्ड कार्यालय	(मूल) 18.21 (पुनर्विः) 3.15 21.36	21.38	(+) 0.02
40	33	आदिम जाति कल्याण	2225-02-102-0102-2326-पी.व्ही.टी.जी. आहार अनुदान योजना	(मूल) 218.00 (पुनर्विः) 93.33 311.33	312.12	(+) 0.79
41	33	आदिम जाति कल्याण	2225-03-277-0802-2676-11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति	(मूल) 172.50 (पुनर्विः) 41.35 213.85	214.06	(+) 0.21
42	33	आदिम जाति कल्याण	2225-02-277-0102-0671-एच्चिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवत्तियों के लिए अनुदान	(मूल) 33.00 (पुनर्विः) 48.51 81.51	88.75	(+) 7.25
43	33	आदिम जाति कल्याण	2225-02-277-0102-1868-तकनीकी शिक्षा मण्डल (मेपसेट)	(मूल) 0.44 (पुनर्विः) 0.41 0.85	0.89	(+) 0.04
44	33	आदिम जाति कल्याण	2225-02-277-0102-7763-अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता	(मूल) 115.00 (पुनर्विः) 14.63 129.63	129.65	(+) 0.02

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मूः मूल अनुः अनुपूरक पुनर्विः पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-)/ आधिक्य (+)
45	33	आदिम जाति कल्याण	2225-02-800-0702-5191- अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजना) नियम 2015 के अंतर्गत राहत	(मूल) 28.65 (पुनर्विः) 7.93 36.58	36.63	(+) 0.05
46	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	2235-02-800-0101-6692- मुख्य मंत्री विवाह योजना	(मूल) 11.59 (पुनर्विः) 5.14 16.73	16.78	(+) 0.05
47	36	परिवहन	5055-800-0101-1231-मध्य प्रदेश अंतर्नगरीय परिवहन प्राधिकरण	(मूल) 0.00 (अनुपूः) टोकन (पुनर्विः) 3.17 3.17	2.65	(-) 0.51
48	38	आयुष	2210-05-101-0103-0469- आर्युवेद महाविद्यालय	(मूल) 9.18 (पुनर्विः) 2.92 12.10	11.65	(-) 0.45
49	38	आयुष	2210-05-101-0102-0469- आर्युवेद महाविद्यालय	(मूल) 16.66 (पुनर्विः) 4.64 21.31	20.51	(-) 0.80
50	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	2408-01-102-0103-9087- खुली निविदा पद्धति से शकर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान	(मूल) 0.22 (पुनर्विः) 0.51 0.73	1.13	(+) 0.40
51	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	2408-01-102-0102-9087- खुली निविदा पद्धति से शकर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान	(मूल) 0.30 (पुनर्विः) 1.64 1.94	1.54	(-) 0.40
52	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0103-6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	(मूल) 3.28 (पुनर्विः) 1.12 4.40	2.10	(-) 2.30
53	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0102-6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	(मूल) 5.12 (पुनर्विः) 1.61 6.73	3.09	(-) 3.64
54	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0101-0816- छात्रावासों की स्थापना एवं संचालन	(मूल) 1.16 (पुनर्विः) 5.21 6.37	4.77	(-) 1.60
55	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0101-5732- सैनिक स्कूल रीवा को अनुदान	(मूल) 1.58 (पुनर्विः) 1.70 3.28	3.24	(-) 0.04

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मूः मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि.: पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-)/आधिक्य (+)
56	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0101-6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	(मूल) 4.43 (पुनर्वि.) 4.27 8.70	5.67	(-) 3.02
57	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0101-6493-व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु विशेष प्रशिक्षण	(मूल) 1.00 (पुनर्वि.) 1.53 2.54	2.51	(-) 0.03
58	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	4202-01-202-0101-6970-शासकीय स्कूल/ छात्रावास/ पुस्तकालय/ आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार	(मूल) 150.00 (पुनर्वि.) 20.00 170.00	172.88	(+) 2.88
59	43	खेल और युवा कल्याण	2204-800-0103-4938-युवा संघि को अनुदान	(मूल) 0.50 (पुनर्वि.) 0.04 0.54	0.70	(+) 0.16
60	43	खेल और युवा कल्याण	2204-800-0102-4938-युवा संघि को अनुदान	(मूल) 0.78 (पुनर्वि.) 0.55 1.33	1.60	(+) 0.27
61	44	उच्च शिक्षा	2202-03-103-1203-7464-म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	(मूल) 0.69 (पुनर्वि.) 2.25 2.94	2.90	(-) 0.04
62	44	उच्च शिक्षा	2202-03-103-1202-7464-म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	(मूल) 0.16 (पुनर्वि.) 1.07 1.23	0.84	(-) 0.39
63	44	उच्च शिक्षा	2202-03-103-1201-7464-म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	(मूल) 6.82 (पुनर्वि.) 10.98 17.80	16.90	(-) 0.90
64	44	उच्च शिक्षा	2202-03-103-0103-0798-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	(मूल) 210.64 (पुनर्वि.) 74.15 284.79	279.81	(-) 4.98
65	44	उच्च शिक्षा	2202-03-103-0103-4699-छात्रों के लिए पुस्तकें/स्टेशनरी आदि का प्रदाय	(मूल) 2.20 (पुनर्वि.) 2.55 4.75	4.72	(-) 0.03
66	44	उच्च शिक्षा	2202-03-103-0102-0798-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	(मूल) 294.60 (पुनर्वि.) 70.19 364.79	360.55	(-) 4.24
67	44	उच्च शिक्षा	2202-03-103-0102-4699-छात्रों के लिए पुस्तकें/स्टेशनरी आदि का प्रदाय	(मूल) 2.40 (पुनर्वि.) 2.15 4.55	4.45	(-) 0.10
68	44	उच्च शिक्षा	2202-03-103-0101-0744-प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा योजना	(मूल) 0.50 (पुनर्वि.) 0.50 1.00	0.93	(-) 0.07

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मूः मूल अनुः अनुपूरक पुनर्विः पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-)/ आधिक्य (+)
69	44	उच्च शिक्षा	4202-01-203-0101-7643-शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि	(मूल) 44.81 (पुनर्विः) 45.25 90.06	90.19	(+) 0.13
70	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2203-104-0101-0820-मुख्य मंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना	(मूल) 54.30 (पुनर्विः) 19.00 73.30	72.20	(-) 1.10
71	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-003-0101-0740-मुख्य मंत्री कौशल संबंधन	(मूल) 1.13 (पुनर्विः) 4.80 5.93	1.96	(-) 3.97
72	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-003-0101-6475-विकास खण्डों में कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना	(मूल) 0.15 (पुनर्विः) 0.85 1.00	0.85	(-) 0.15
73	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	4250-201-0102-6952-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का भवन निर्माण	(मूल) 0.40 (पुनर्विः) 1.00 1.40	0.86	(-) 0.54
74	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-1402-1250-अलीराजपुर उद्धवन सिंचाई परियोजना	(मूल) 5.00 (पुनर्विः) 4.26 9.26	4.26	(-) 5.00
75	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101-5427-डही उद्धवन माइक्रो सिंचाई योजना	(मूल) 28.50 (पुनर्विः) 5.16 33.66	17.50	(-) 16.15
76	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0103-0651-उज्जैनी देवास उज्जैन पाईपलाईन योजना	(मूल) 5.92 (पुनर्विः) 2.68 8.60	13.56	(+) 4.96
77	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0102-1250-अलीराजपुर उद्धवन सिंचाई परियोजना	(मूल) 77.00 (पुनर्विः) 4.69 81.69	102.84	(+) 21.15
78	52	चिकित्सा शिक्षा	2210-05-796-105-0101-6591-जबलपुर में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना	(मूल) 3.25 (पुनर्विः) 0.15 3.40	0.00	(-) 3.40
79	52	चिकित्सा शिक्षा	2210-05-796-105-0527-इन्दौर में परिचर्या महाविद्यालय	(मूल) 3.23 (पुनर्विः) 0.57 3.80	4.24	(+) 0.45
80	52	चिकित्सा शिक्षा	2210-05-796-105-0103-9080-रतलाम / दतिया / शिवपुरी / छिन्दवाडा / सतना चिकित्सा महाविद्यालय	(मूल) 28.00 (पुनर्विः) 15.00 43.00	31.03	(-) 11.97
81	52	चिकित्सा शिक्षा	4210-03-796-105-0701-2061-एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	(मूल) 87.64 (पुनर्विः) 1.04 88.68	61.80	(-) 26.88
82	52	चिकित्सा शिक्षा	4210-03-796-105-0101-7296-चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में दो हजार बेडस का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण	(मूल) 49.45 (पुनर्विः) 15.00 64.45	59.72	(-) 4.73

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मूः मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि.: पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-)/आधिक्य (+)
83	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-103-0101-5067-लाडली लक्ष्मी योजना	(मूल) 546.89 (पुनर्वि.) 498.69 1,045.58	1,045.62	(+) 0.04
84	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	2851-103-2542-पर्यवेक्षक कर्मचारीवृन्द (क्षेत्रीय कार्यालय)	(मूल) 13.15 (पुनर्वि.) 0.05 13.20	11.81	(-) 1.40
85	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-102-6436-आपदा से संबंधित प्रशिक्षण एवं उपकरणों का क्रय	(मूल) 5.23 (पुनर्वि.) 101.70 106.93	106.95	(+) 0.03
86	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-6097-सर्पदंश पर आर्थिक सहायता	(मूल) 100.00 (पुनर्वि.) 18.92 118.92	119.24	(+) 0.32
87	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-7249-कीट प्रकोप से फसल क्षति	(मूल) 10.18 (अनुपू.) 1,056.00 (पुनर्वि.) 893.01 1,959.19	2,118.62	(+) 159.44
88	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2215-01-789-101-0101-0545-प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	(मूल) 170.34 (पुनर्वि.) 5.00 175.34	146.29	(-) 29.05
योग						(-) 490.50 (+) 596.66

स्रोत: विनियोग लेखे 2020–21

परिशिष्ट 3.6
सारभूत समर्पण 50 प्रतिशत एवं अधिक
(संदर्भ: कंडिका 3.5.2; पृष्ठ 74)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	मूल बजट प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
1	1	सामान्य प्रशासन	2015-101-8808-सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य	0.65	0.48	73.07
			2052-091-5377-मध्य लोक कार्यालय मुंबई	0.86	0.62	71.97
			2052-091-9414-विशेष आयुक्त की स्थापना	1.22	0.80	65.91
			2051-102-8808-सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य	0.18	0.13	72.12
2	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2235-60-107-4674-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भत्ते तथा उपादान	24.00	23.97	99.88
			2235-60-200-5710-लोक नायक जयप्रकाश सम्मान निधि	78.12	76.88	98.41
3	3	पुलिस	2055-110-9070-ग्राम रक्षा समितियां	2.77	1.39	50.04
			2055-115-0101-7348-अपराध एवं अपराधी पता साजी यंत्र और व्यवस्था	5.24	5.24	100.00
			2055-116-0801-5430-फोरेन्सिक सार्टाइस लेबोरेटरी का उन्नयन	1.38	1.25	90.64
			2055-800-1309-उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय के लिये सुरक्षा व्यवस्था	1.35	0.77	56.91
			2055-800-6329-नवीन भर्ती प्रक्रिया पर व्यय	29.50	29.50	100.00
			2055-800-8333-सड़क सुरक्षा निधि पर व्यय	10.00	8.12	81.18
			2055-800-0101-7344-राजमार्ग की सुरक्षा और संरक्षण	1.50	1.50	100.00
			2070-107-0701-7867-नगर सेना का आधुनिकीकरण	2.27	2.27	100.00
			4055-207-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	1.15	1.01	87.64
			4055-207-0701-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	33.72	23.29	69.08
			4055-208-0102-5385-रानी दुर्गावती पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	2.00	2.00	100.00
			4055-208-0101-5385-रानी दुर्गावती पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	3.00	3.00	100.00
4	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2235-60-200-0101-7331-आपदा प्रबंधन क्षमता विकास	1.45	0.86	59.39
			4235-60-800-1314-सैनिक विश्राम गृह	0.58	0.38	65.92
5	6	वित्त	2052-091-1349-उच्च शिक्षा ऋण का एकमुश्त भुगतान	0.50	0.50	100.00
			2052-091-0101-5652-म.प्र. परियोजना विकास कोष योजना	0.75	0.75	100.00

सं. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	मूल बजट प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
6	7	वाणिज्यिक कर	4059-01-051-0101-6739- महानिरीक्षक पंजीयक मुख्यालय भवन निर्माण	4.30	4.17	96.88
			4059-01-051-0101-7382- जिला/उप-पंजीयक कार्यालय-भवन निर्माण/विस्तार	3.22	3.22	100.00
7	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-0101-5390-प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना	10.00	8.46	84.64
			2052-099-3657-राजस्व बोर्ड	1.88	1.02	54.48
			4058-103-0101-3427-मशीनों और उपकरण छपाई की मशीनों की खरीद	6.12	3.65	59.58
			4070-800-6846-भू-प्रबंधन	25.00	19.00	76.00
8	12	ऊर्जा	4801-02-190-0101-5332-मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी के वर्तमान विद्युत	36.00	36.00	100.00
			4801-02-190-0101-6323-2*660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	150.00	120.00	80.00
			6801-190-0101-5336-विद्युत गृह का नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण का कार्य	20.00	20.00	100.00
			6801-205-1201-9655-स्मार्ट मीटर एवं स्काडा योजना हेतु ऋण	330.00	330.00	100.00
			4801-02-190-0101-9656-गांधी सागर जल विद्युत गृह लाईफ एक्सटेंशन	20.00	20.00	100.00
			4801-05-190-0410-9654-स्मार्ट मीटर एवं स्काडा योजना हेतु अंश पूँजी	50.00	50.00	100.00
9	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-102-0703-7243-कृषि वानिकी सब मिशन	1.60	1.00	62.49
			2401-102-0703-7497-सब मिशन रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट	1.68	1.52	90.26
			2401-102-0702-7497-सब मिशन रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट	2.17	1.81	83.09
			2401-102-0701-7497-सब मिशन रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट	5.62	4.63	82.32
			2401-108-0702-7500-नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पॉम मिशन अण्डर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	11.76	7.92	67.36
			2401-109-0703-7494-सब मिशन आन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल	7.66	3.83	50.03
10	21	लोक सेवा प्रबंधन	2053-093-0101-6483-अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान	16.45	8.71	52.92
11	22	नगरीय विकास एवं आवास	2059-80-001-3296-मण्डल की स्थापना का व्यय (रा.आ.बा.सा.प.रि.)	0.10	0.10	100.00
			4070-800-2633-अग्निशमन सेवाएं	0.28	0.28	100.00
			4217-051-0101-0284-गैर रिहायशी भवन	5.50	4.08	74.09
			4217-01-050-0101-3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	10.00	5.28	52.78

सं. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	मूल बजट प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
12	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	5054-80-800-0103-3115-भू—अर्जन हेतु मुआवजा	42.50	42.46	99.92
			5054-80-800-0102-3115-भू—अर्जन हेतु मुआवजा	55.00	53.44	97.17
			5054-80-800-0101-3115-भू—अर्जन हेतु मुआवजा	152.50	134.09	87.93
13	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-0101-0729-स्काउट गाईड गतिविधियां	0.80	0.80	100.00
			2202-01-101-0101-0730-माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर	1.00	1.00	100.00
			2202-01-108-0103-2267-निःशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय	1.01	1.01	100.00
			2202-01-108-0102-2267-निःशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय	1.45	1.45	100.00
			2202-01-108-0101-2267-निःशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय	3.84	3.84	100.00
			2202-02-101-0101-1233-वर्तमान शालाओं को अंग्रेजी माध्यम की शालाओं में उन्नयन	0.60	0.60	100.00
			2202-02-105-0703-7657-पढ़ना लिखना अभियान	1.48	1.48	100.00
			2202-02-105-0702-7657-पढ़ना लिखना अभियान	0.79	0.79	100.00
			2202-02-105-0701-7657-पढ़ना लिखना अभियान	5.14	5.14	100.00
			2202-03-103-0101-2071-राजाराम मोहन राय लायब्रेरी	0.80	0.80	100.00
			2202-03-103-0101-7616-शालाओं में मूल्यांकन	1.00	1.00	100.00
			4202-01-201-0103-2068-प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास	6.40	6.40	100.00
			4202-01-201-0103-5658-छात्रावास भवन निर्माण एवं अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास	1.60	1.60	100.00
			4202-01-201-0102-5658-छात्रावास भवन निर्माण एवं अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास	2.30	2.30	100.00
			4202-01-201-0101-2068-प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास	24.40	24.40	100.00
			4202-01-201-0101-5658-छात्रावास भवन निर्माण एवं अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास	6.10	4.41	72.27
14	28	राज्य विधान मण्डल	011-02-101-6801-विधान सभा के माननीय सदस्यों के लिए लेपटॉप का क्रय	0.75	0.50	66.08
15	29	विधि और विधायी कार्य	2014-103-0701-9634-पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत फास्टट्रैक कोर्ट की स्थापना	32.77	19.69	60.09

सं. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	मूल बजट प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
			2014-105-0101-1486-स्टेक होल्डर की सुविधाओं का उन्नयनीकरण	2.50	2.50	100.00
			2014-114-6251-उच्च न्यायालय / उच्चतम न्यायालय के अभिभाषकों की फीस एवं अन्य भुगतान	1.16	0.71	61.31
			2052-800-1950-राज्य विधि आयोग का पुनर्गठन	2.75	2.14	77.98
			2235-60-200-0102-5136-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुदान	1.40	1.18	84.08
			2235-60-200-0101-5104-स्थायी लोक अदालत	0.90	0.79	87.67
			2014-102-0101-0573-उच्च न्यायालय (भारित)	6.00	4.18	69.67
			2015-106-4006-राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार	0.17	0.17	98.47
16	33	आदिम जाति कल्याण	2225-02-001-0802-5155-योजनाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकन अनुच्छेद-275 (1)	6.40	5.49	85.76
			2225-02-800-0802-3728-आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास	8.25	7.43	90.11
			2225-02-800-0802-6500-विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	140.00	91.82	65.59
			2225-02-800-0602-5211-आई.टी. डी.पी./ माडा पॉकेट/ कलस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	4.00	3.51	87.66
			2225-02-800-0102-4719-अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के लिए सहायता योजना	1.00	0.90	89.79
			2225-02-800-0102-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	9.45	7.07	74.84
			2225-02-800-0102-9819-विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण	1.00	0.77	76.54
			4225-02-277-0802-7881-आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद-275 (1)	430.60	275.02	63.87
			4225-02-800-0602-5211-आई.टी. डी.पी./ माडा पॉकेट/ कलस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	382.08	300.33	78.60
17	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	2235-02-101-0102-0079-दृष्टि श्रवण बाधित शालाएं तथा संस्थाएं	1.94	1.00	51.44
			2235-02-101-0101-2084-श्रवण बाधित निःशक्तजनों को आई.टी.आई. प्रशिक्षण	2.00	1.70	84.79
			2235-02-104-0801-9642-वरिष्ठ-जनों का कल्याण कार्यक्रम	1.50	1.46	97.25
			2235-02-800-0801-9477-नशीली दवा में कमी लाने के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना	2.47	1.99	80.65
18	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	4851-101-0101-5380-ऑटो टेस्टिंग ट्रेक हेतु भू-अर्जन मुआवजा	168.00	167.12	99.48

सं. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	मूल बजट प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
19	37	पर्यटन	3452-80-001-0101-2529-पर्यटन संचालनालय	0.94	0.58	61.97
20	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	5475-800-6113-संभागीय कार्यालय का सुदृढ़ीकरण	1.94	1.47	75.81
21	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	4235-01-796-201-0101-3171-भोपाल गैस दुर्घटना संबंधी दावा संचालनालय	0.11	0.11	100.00
22	44	उच्च शिक्षा	2202-03-107-0101-5766-प्रोत्साहन योजना 4202-03-102-0101-2329-नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जबलपुर को अनुदान	0.50 5.00	0.50 5.00	99.96 100.00
23	48	नर्मदा धारी विकास	2801-01-001-0101-5018-बरगी केनाल बेडपावर हाउस	1.09	0.67	61.61
24	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01-277-0103-7562-उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास 2225-01-800-0103-6102-अनुसूचित जाति सेवा पुरस्कार, पारितोषिक एवं सम्मान 4225-01-800-0603-4722-अनुसूचित जाति / जनजाति की बस्तियों का विकास	14.99 0.40 101.97	8.14 0.40 53.68	54.34 100.00 52.64
25	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-119-0702-5116-राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन 2401-119-0103-6496-उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अन्तर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना 2401-119-0102-6496-उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अन्तर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना 2401-119-0101-5153-उद्योग संवर्धन नीति अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की योजना 2401-119-0101-6496-उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अन्तर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना 4401-119-0103-5474-मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना 4401-119-0102-5474-मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना 4401-119-0101-5474-मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना	7.00 5.85 8.42 31.83 22.32 10.88 15.64 41.48	6.52 3.42 4.71 21.88 12.62 10.88 15.64 41.48	93.10 58.45 56.00 68.74 56.53 100.00 100.00 100.00

सं. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	मूल बजट प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
26	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4515-789-198-0703-6099-मध्यान्ह भोजन—किचन शेड का निर्माण	10.00	10.00	100.00
			4515-789-198-0702-6099-मध्यान्ह भोजन—किचन शेड का निर्माण	16.00	16.00	100.00
			4515-789-198-0701-6099-मध्यान्ह भोजन—किचन शेड का निर्माण	35.00	35.00	100.00
27	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-103-0801-1071-महिला हेल्प लाईन 181	0.50	0.46	92.82
			2235-02-103-0701-1326-स्वाधार गृह	2.50	1.28	51.35
			2235-02-103-0701-2375-सेफ सिटी कार्यक्रम	1.75	1.15	65.89
			2235-02-800-0101-3457-मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना (महिला कल्याण कोष के अन्तर्गत योजनाएँ)	0.91	0.48	53.11
			4235-02-102-0701-0658-ऑगनबाड़ी सेवायें	51.00	51.00	100.00
			4235-02-800-0701-5608-महिला विश्रामालय का भवन निर्माण	5.00	4.00	80.00
28	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	2851-107-0103-3777-रेशम उद्योग का विकास कार्य	1.43	0.85	59.58
			2851-107-0102-2731-प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	0.27	0.14	51.95
			4851-107-0101-6336-रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सुविधाएं एवं अन्य निर्माण कार्य	1.37	0.70	50.70
29	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-102-6434-ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल परिवहन	11.00	10.51	95.56
			4059-80-800-6276-आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु	485.40	485.40	100.00
			6245-01-800-2750-प्राकृतिक विपदाओं के कारण उत्पन्न जलकष्ट के निवारण हेतु ऋण	1.00	1.00	100.00
30	59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4515-800-1203-0654-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (बाह्य वित्त पोषित)	176.00	109.56	62.25
			4515-800-1202-0654-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (बाह्य वित्त पोषित)	253.00	140.06	55.36
			4515-800-1201-0654-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (बाह्य वित्त पोषित)	702.28	520.06	74.05
31	63	अल्प संख्यक कल्याण	2225-03-800-0801-2082-अल्प संख्यकों को मदरसा/शिक्षा प्रदान करना	1.80	1.80	100.00
			2225-03-800-0101-5180-बेरोजगार युवक—युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण	0.55	0.55	100.00
			2225-03-800-0101-6626- अल्प संख्यक सेवा राज्य पुरस्कार	0.46	0.46	100.00
योग				4,464.91	3,602.03	80.67

स्रोत: विनियोग लेखे 2020-21

परिशिष्ट 3.7
समर्पित नहीं की गई प्रत्याशित बचतें
(संदर्भ: कंडिका 3.5.3; पृष्ठ 75)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज. द.म./ पूंजी. द.म./ पूंजी. भा./ राज. भा.	बचतें	कुल समर्पण	बचतें, जो समर्पित नहीं की गई
1	CH-II	भारित विनियोग II - लोक ऋण	पूंजी. भा.	3,588.83	0.00	3,588.83
2	CH-I	भारित विनियोग I - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राज. भा.	1,091.44	4.15	1,087.30
3	1	सामान्य प्रशासन	राज. द.म.	250.82	169.24	81.59
4	1	सामान्य प्रशासन	राज. भा.	31.44	28.37	3.07
5	1	सामान्य प्रशासन	पूंजी. द.म.	9.13	6.75	2.39
6	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राज. द.म.	51.55	100.86	(-)49.30
7	3	पुलिस	राज. द.म.	665.98	670.39	(-)4.41
8	3	पुलिस	पूंजी. द.म.	54.91	55.08	(-)0.17
9	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राज. द.म.	43.02	7.95	35.08
10	5	जेल	राज. द.म.	26.02	0.00	26.02
11	5	जेल	पूंजी. द.म.	2.35	0.00	2.35
12	6	वित्त	राज. द.म.	2,336.07	33.50	2,302.57
13	6	वित्त	राज. भा.	324.60	0.06	324.54
14	6	वित्त	पूंजी. द.म.	85.91	3.72	82.19
15	7	वाणिज्यिक कर	राज. द.म.	435.82	13.02	422.80
16	7	वाणिज्यिक कर	पूंजी. द.म.	15.11	7.39	7.73
17	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राज. द.म.	316.81	216.67	100.15
18	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राज. भा.	3.03	1.03	2.00
19	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	पूंजी. द.म.	41.06	23.16	17.90
20	9	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राज. द.म.	2.18	0.00	2.18
21	10	वन	राज. द.म.	168.58	2.06	166.52
22	10	वन	पूंजी. द.म.	117.81	0.01	117.80
23	11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	राज. द.म.	1.52	1.48	0.04
24	12	ऊर्जा	राज. द.म.	5.97	0.00	5.97
25	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राज. द.म.	519.75	518.63	1.11
26	14	पशुपालन	राज. द.म.	92.39	0.00	92.39
27	14	पशुपालन	पूंजी. द.म.	1.93	0.00	1.93
28	15	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्ति परियोजनाएं	राज. द.म.	7.88	0.00	7.88
29	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राज. द.म.	15.09	0.00	15.09
30	17	सहकारिता	राज. द.म.	39.33	0.00	39.33
31	17	सहकारिता	पूंजी. द.म.	19.64	0.00	19.64

संक्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज. द.म./ पूंजी. द.म./ पूंजी. भा./ राज. भा.	बचतें	कुल समर्पण	बचतें, जो समर्पित नहीं की गई
32	18	श्रम	राज. द.म.	37.49	16.75	20.74
33	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज. द.म.	307.95	3.31	304.64
34	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	पूंजी. द.म.	29.15	4.67	24.47
35	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राज. भा.	4.93	0.00	4.93
36	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूंजी. द.म.	116.04	0.00	116.04
37	21	लोक सेवा प्रबंधन	राज. द.म.	13.43	8.71	4.72
38	21	लोक सेवा प्रबंधन	पूंजी. द.म.	1.09	0.00	1.09
39	22	नगरीय विकास एवं आवास	राज. द.म.	17.97	6.49	11.48
40	23	जल संसाधन विभाग	राज. द.म.	129.32	113.19	16.13
41	23	जल संसाधन विभाग	पूंजी. द.म.	18.34	33.05	(-)14.71
42	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	राज. द.म.	206.54	0.00	206.54
43	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	पूंजी. द.म.	31.99	0.00	31.99
44	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	पूंजी. भा.	242.64	230.00	12.64
45	25	खनिज संसाधन	राज. द.म.	8.63	0.00	8.63
46	25	खनिज संसाधन	राज. भा.	30.61	0.00	30.61
47	25	खनिज संसाधन	पूंजी. द.म.	8.22	0.00	8.22
48	26	संस्कृति	राज. द.म.	12.59	6.92	5.67
49	26	संस्कृति	पूंजी. द.म.	4.30	0.10	4.20
50	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राज. द.म.	971.31	62.47	908.84
51	28	राज्य विधान मण्डल	राज. द.म.	17.40	17.29	0.11
52	29	विधि और विधायी कार्य	राज. द.म.	437.32	422.14	15.18
53	29	विधि और विधायी कार्य	राज. भा.	45.38	44.06	1.32
54	29	विधि और विधायी कार्य	पूंजी. द.म.	70.78	0.00	70.78
55	30	ग्रामीण विकास	राज. द.म.	55.33	36.26	19.07
56	30	ग्रामीण विकास	पूंजी. द.म.	81.01	64.70	16.32
57	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राज. द.म.	25.68	0.01	25.67
58	32	जनसंपर्क	राज. द.म.	19.43	0.00	19.43
59	32	जनसंपर्क	पूंजी. द.म.	4.46	0.00	4.46
60	33	आदिम जाति कल्याण	राज. द.म.	1,689.35	1,748.14	(-)58.80
61	33	आदिम जाति कल्याण	पूंजी. द.म.	446.72	597.48	(-)150.76
62	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राज. द.म.	69.35	72.13	(-)2.78
63	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राज. द.म.	34.26	0.00	34.26
64	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	पूंजी. द.म.	168.99	167.36	1.63
65	36	परिवहन	राज. द.म.	17.59	12.29	5.30
66	36	परिवहन	पूंजी. द.म.	2.85	0.00	2.85
67	38	आयुष	राज. द.म.	126.06	114.63	11.43
68	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	राज. द.म.	14.65	2.86	11.79

संक्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज. द.म./ पूँजी. द.म./ पूँजी. भा./ राज. भा.	बचतें	कुल समर्पण	बचतें, जो समर्पित नहीं की गई
69	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	पूँजी. द.म.	3.17	1.47	1.70
70	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा छोड़कर)	राज. द.म.	658.40	9.02	649.38
71	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा छोड़कर)	पूँजी. द.म.	2.21	1.46	0.75
72	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	राज. द.म.	19.95	19.66	0.29
73	43	खेल और युवा कल्याण	राज. द.म.	10.06	0.00	10.06
74	44	उच्च शिक्षा	राज. द.म.	311.53	286.35	25.17
75	44	उच्च शिक्षा	पूँजी. द.म.	92.33	92.30	0.03
76	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राज. द.म.	117.16	0.00	117.16
77	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	पूँजी. द.म.	155.88	0.00	155.88
78	48	नर्मदा धाटी विकास	पूँजी. द.म.	59.43	62.93	(-)3.50
79	49	अनुसूचित जाति कल्याण	राज. द.म.	123.09	131.69	(-)8.60
80	49	अनुसूचित जाति कल्याण	पूँजी. द.म.	92.22	93.98	(-)1.77
81	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राज. द.म.	140.11	140.08	0.03
82	51	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	राज. द.म.	10.94	0.00	10.94
83	52	चिकित्सा शिक्षा	राज. द.म.	85.39	0.00	85.39
84	52	चिकित्सा शिक्षा	पूँजी. द.म.	204.83	0.00	204.83
85	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राज. द.म.	289.05	176.19	112.86
86	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	पूँजी. द.म.	75.40	61.02	14.39
87	55	महिला एवं बाल विकास	राज. द.म.	330.84	339.81	(-)8.97
88	55	महिला एवं बाल विकास	पूँजी. द.म.	58.18	58.26	(-)0.08
89	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राज. द.म.	17.05	9.03	8.02
90	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राज. द.म.	976.43	736.84	239.59
91	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राज. द.म.	3.74	0.04	3.70
92	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	पूँजी. द.म.	57.58	1.48	56.10
93	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	पूँजी. द.म.	3.39	0.00	3.39
94	62	पंचायत	राज. द.म.	20.00	0.00	20.00
95	63	अल्प संख्यक कल्याण	राज. द.म.	9.80	6.59	3.21
96	63	अल्प संख्यक कल्याण	पूँजी. द.म.	95.68	2.48	93.20
97	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राज. द.म.	798.20	3.31	794.88
98	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	पूँजी. द.म.	8.00	0.00	8.00

सं. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज. द.म./ पूंजी. द.म./ पूंजी. भा./ राज. भा.	बचतें	कुल समर्पण	बचतें, जो समर्पित नहीं की गई
99	65	विमानन	राज. द.म.	7.18	0.00	7.18
100	65	विमानन	पूंजी. द.म.	35.33	0.00	35.33
101	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राज. द.म.	25.79	0.02	25.77
102	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	पूंजी. द.म.	11.79	0.00	11.79
103	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राज. द.म.	36.78	0.00	36.78
104	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राज. भा.	1.54	0.00	1.54
105	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी. द.म.	47.09	0.00	47.09
106	68	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राज. द.म.	3.60	0.00	3.60
योग				20,884.30	7,882.53	13,001.77

स्रोत: विनियोग लेखे 2020–21

परिशिष्ट 3.8

**विभिन्न अनुदानों/विनियोगों, जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) थीं,
परन्तु उनका कोई भी भाग समर्पित नहीं किया गया, का विवरण पत्रक
(संदर्भ: कंडिका 3.5.3; पृष्ठ 75)**

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज. द.म./ पूंजी. द.म./ पूंजी. भा./ राज. भा.	बचतें
1	CH-II	भारित विनियोग—लोक ऋण	पूंजी. भा.	3,588.83
2	5	जेल	राज. द.म.	26.02
3	5	जेल	पूंजी. द.म.	2.35
4	9	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राज. द.म.	2.18
5	14	पशुपालन	राज. द.म.	92.39
6	15	विमुक्ति, घुमककड़ एवं अर्द्ध घुमककड़ जनजाति कल्याण	राज. द.म.	7.88
7	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राज. द.म.	15.09
8	17	सहकारिता	राज. द.म.	39.33
9	17	सहकारिता	पूंजी. द.म.	19.64
10	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राज. भा.	4.93
11	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूंजी. द.म.	116.04
12	21	लोक सेवा प्रबंधन	पूंजी. द.म.	1.09
13	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	राज. द.म.	206.54
14	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	पूंजी. द.म.	31.99
15	25	खनिज संसाधन	राज. द.म.	8.63
16	25	खनिज संसाधन	राज. भा.	30.61
17	25	खनिज संसाधन	पूंजी. द.म.	8.22
18	32	जन संपर्क	राज. द.म.	19.43
19	32	जन संपर्क	पूंजी. द.म.	4.46
20	35	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	राज. द.म.	34.26
21	36	परिवहन	पूंजी. द.म.	2.85
22	43	खेल एवं युवा कल्याण	राज. द.म.	10.06
23	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राज. द.म.	117.16
24	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	पूंजी. द.म.	155.88
25	51	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	राज. द.म.	10.94
26	52	चिकित्सा शिक्षा	राज. द.म.	85.39
27	52	चिकित्सा शिक्षा	पूंजी. द.म.	204.83
28	62	पंचायत	राज. द.म.	20.00
29	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	पूंजी. द.म.	8.00
30	65	विमानन	राज. द.म.	7.18
31	65	विमानन	पूंजी. द.म.	35.33
32	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	पूंजी. द.म.	11.79
33	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	राज. द.म.	36.78
34	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	राज. भा.	1.54
35	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	पूंजी. द.म.	47.09
36	68	लोक संपत्ति प्रबंधन	राज. द.म.	3.60
योग				5,018.36

स्रोत: विनियोग लेखे 2020–21

परिशिष्ट 3.9 (अ)
प्रधान महालेखाकार द्वारा स्वीकार नहीं किये गये समर्पण आदेश
(संदर्भ: कंडिका 3.5.4; पृष्ठ 75)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान/विनियोग क्र.	राशि	अनियमितता का विवरण
1	8	1, 2, 13, 18, 22, 35, 47	114.21	वित्त वर्ष की समाप्ति या 31 मार्च 2021 के बाद स्वीकृति आदेशों का जारी होना।
2	3	CH-I, CH-II, 1, 2, 17, 64, 67	942.81	नियत दिनांक अर्थात् 30 जून 2021 के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में स्वीकृति आदेशों की प्राप्ति में देरी होना।
3	6	25, 26, 29, 30, 31, 66	157.47	स्वीकृति आदेशों में पूर्ण विवरण का प्राप्त न होना।
4	4	3, 4, 48, 49	0.44	स्वीकृति आदेशों में विसंगति के कारण।
योग			1,214.93	

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.9 (ब)
प्रधान महालेखाकार द्वारा स्वीकार नहीं किये गये पुनर्विनियोजन आदेश
(संदर्भ: कंडिका 3.5.4; पृष्ठ 75)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान/विनियोग क्र.	राशि	अनियमितता का विवरण
1	2	7, 43	0.20	वित्त वर्ष की समाप्ति या 31 मार्च 2021 के बाद स्वीकृति आदेशों का जारी होना।
2	17	1, 2, 27, 40, 42, 52	6,671.58	नियत दिनांक या 30 जून 2021 के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में स्वीकृति आदेशों की प्राप्ति में देरी होना।
3	20	1, 10, 20, 22, 25, 26, 29, 52	107.79	स्वीकृति आदेशों में विसंगति के कारण।
योग			6,779.57	

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.10

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्रक जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थी
(संदर्भ: कंडिका 3.6; पृष्ठ 75 एवं 76)

संक्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज. द.म./ पूंजी. द.म./ पूंजी. प्रभा./ राज. प्रभा.	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचतें	(₹ करोड़ में) बचत (प्रतिशत में)
							बचत (प्रतिशत में)
प्रकरण जहाँ बचतें ₹10 करोड़ एवं ₹100 करोड़ के मध्य थी							
1	1	सामान्य प्रशासन	राज. भा.	59.25	27.81	31.44	53.06
2	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राज. द.म.	133.94	82.38	51.55	38.49
3	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राज. द.म.	94.33	51.31	43.02	45.61
4	6	वित्त	पूंजी. द.म.	130.70	44.79	85.91	65.73
5	7	वाणिज्यिक कर	पूंजी. द.म.	17.02	1.91	15.11	88.78
6	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	पूंजी. द.म.	172.73	131.67	41.06	23.77
7	17	सहकारिता	पूंजी. द.म.	30.27	10.62	19.64	64.91
8	21	लोक सेवा प्रबंधन	राज. द.म.	60.35	46.92	13.43	22.25
9	29	विधि और विधायी कार्य	राज. प्रभा.	170.42	125.03	45.38	26.63
10	29	विधि और विधायी कार्य	पूंजी. द.म.	220.00	149.22	70.78	32.17
11	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राज. द.म.	105.08	79.41	25.68	24.44
12	49	अनुसूचित जाति कल्याण	पूंजी. द.म.	263.07	170.85	92.22	35.05
13	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	पूंजी. द.म.	73.00	4.82	68.18	93.39
14	51	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	राज. द.म.	50.14	39.21	10.94	21.81
15	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	पूंजी. द.म.	116.04	40.64	75.40	64.98
16	55	महिला एवं बाल विकास	पूंजी. द.म.	93.76	35.58	58.18	62.05
17	63	अल्प संख्यक कल्याण	पूंजी. द.म.	101.08	5.40	95.68	94.66
18	65	विमानन	पूंजी. द.म.	95.50	60.17	35.33	36.99
19	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	पूंजी. द.म.	17.74	5.95	11.79	66.44
20	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी. द.म.	99.44	52.35	47.09	47.36
योग				2,103.87	1,166.04	937.83	44.58
प्रकरण जहाँ बचतें ₹100 करोड़ एवं ₹500 करोड़ के मध्य थी							
21	1	सामान्य प्रशासन	राज. द.म.	682.52	431.70	250.82	36.75
22	6	वित्त	राज. भा.	330.05	5.46	324.60	98.35
23	24	लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल	पूंजी. भा.	255.00	12.36	242.64	95.15
24	29	विधि और विधायी कार्य	राज. द.म.	1,700.68	1,263.37	437.31	25.71
25	33	आदिम जाति कल्याण	पूंजी. द.म.	1,111.04	664.32	446.72	40.21
26	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	पूंजी. द.म.	290.50	121.51	168.99	58.17
27	38	आयुष	राज. द.म.	543.44	417.39	126.06	23.20
28	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	पूंजी. द.म.	334.80	178.92	155.88	46.56

सं. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज. द.म./ पूँजी. द.म./ पूँजी. प्रभा./ राज. प्रभा.	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत (प्रतिशत में)
29	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राज. द.म.	542.26	402.16	140.11	25.84
30	52	चिकित्सा शिक्षा	पूँजी. द.म.	775.00	570.17	204.83	26.43
31	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	पूँजी. द.म.	486.40	0.00	486.40	100.00
योग				7,051.71	4,067.35	2,984.36	42.32
प्रकरण जहां बचतें ₹500 करोड़ या अधिक थी							
32	CH-II	भारित विनियोग II - लोक ऋण	पूँजी. भा.	16,346.13	12,757.30	3,588.83	21.96
33	12	ऊर्जा	पूँजी. द.म.	1,159.19	507.51	651.68	56.22
34	33	आदिम जाति कल्याण	राज. द.म.	7,883.87	6,194.50	1,689.37	21.43
35	59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूँजी. द.म.	1,131.28	361.60	769.68	68.04
योग				26,520.47	19,820.91	6,699.56	25.26
महायोग				35,676.05	25,054.30	10,621.75	29.77

स्रोत: विनियोग लेखे 2020–21

परिशिष्ट 3.11
बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण व्याख्या
(संदर्भ: कंडिका 3.6.2; पृष्ठ 79)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	नामावली	कुल लेखा शीर्ष	लेखे जहां विवरण आवश्यक	लेखे जहां विवरण दिया गया
1	CH-II	भारित विनियोग II - लोक ऋण	146	35	-
2	CH-I	भारित विनियोग I - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	44	55	-
3	1	सामान्य प्रशासन	60	24	9
4	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	13	8	3
5	3	पुलिस	97	-	39
6	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	24	8	-
7	5	जेल	14	7	2
8	6	वित्त	70	31	6
9	7	वाणिज्यिक कर	36	11	6
10	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	42	11	7
11	9	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	15	3	-
12	10	वन	87	22	5
13	11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	14	-	-
14	12	ऊर्जा	48	1	5
15	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	130	22	6
16	14	पशुपालन	99	17	1
17	15	विमुक्त, घुमककड़ एवं अद्वै घुमककड़ जनजाति कल्याण	45	-	2
18	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	22	7	3
19	17	सहकारिता	40	14	4
20	18	श्रम	18	3	-
21	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	135	10	10
22	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	72	18	2
23	21	लोक सेवा प्रबंधन	10	7	-
24	22	नगरीय विकास एवं आवास	112	13	6
25	23	जल संसाधन विभाग	253	4	56
26	24	लोक निर्माण कार्य-सङ्करण और पुल	83	12	3
27	25	खनिज संसाधन	11	2	1
28	26	संस्कृति	68	6	7
29	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	68	12	19
30	28	राज्य विधान मण्डल	9	1	4
31	29	विधि एवं विधायी कार्य	57	20	5
32	30	ग्रामीण विकास	41	1	4
33	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	11	5	-
34	32	जनसंपर्क	59	5	1
35	33	आदिम जाति कल्याण	93	14	27
36	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	80	19	1
37	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	37	1	8
38	36	परिवहन	8	1	5

सं. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	कुल लेखा शीर्ष	लेखे जहां विवरण आवश्यक	लेखे जहां विवरण दिया गया
39	37	पर्यटन	23	1	-
40	38	आयुष	46	14	-
41	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	64	13	3
42	40	स्कूल शिक्षा विगाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	79	24	1
43	41	प्रवासी भारतीय	1	1	-
44	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	21	2	3
45	43	खेल एवं युवा कल्याण	42	12	4
46	44	उच्च शिक्षा	107	8	20
47	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	1	-	-
48	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	41	-	-
49	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	104	35	6
50	48	नर्मदा घाटी विकास	141	2	18
51	49	अनुसूचित जाति कल्याण	53	5	9
52	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	51	15	-
53	51	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	22	7	-
54	52	चिकित्सा शिक्षा	63	10	17
55	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	175	20	3
56	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	6	-	-
57	55	महिला एवं बाल विकास	66	7	16
58	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	69	-	9
59	57	पर्यावरण	12	-	-
60	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	27	5	7
61	59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	3	-	3
62	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	20	4	-
63	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	13	2	-
64	62	पंचायत	5	2	-
65	63	अल्प संख्यक कल्याण	18	9	-
66	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	96	14	1
67	65	विमानन	6	4	-
68	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	24	11	-
69	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	26	13	-
70	68	लोक संपत्ति प्रबंधन	1	1	-
योग			3,697	671	377

स्रोत: विनियोग लेखे 2020–21

परिशिष्ट 3.12
बजट आवंटन के विरुद्ध अधिक व्यय
(संदर्भ: कंडिका 3.6.2; पृष्ठ 79)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान मूँ: मूल अनुः अनुपूरक पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत(-)/ आधिक्य(+)
1	CH-I	भारित विनियोग I - व्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-2029-8.27 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025	(मूल) 124.05	186.07	(+)62.02
2			2049-01-101-5436-7.13 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021	(मूल) 0.01	42.78	(+)42.77
3			2049-01-101-6876-8.36 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021	(मूल) 83.90	188.40	(+)104.50
4			2049-01-101-9122-8.25 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025	(मूल) 82.50	123.75	(+)41.25
5			2049-01-101-9314-8.05 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2028	(मूल) 161.00	241.50	(+)80.50
6			2049-01-101-9318-8.64 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2033	(मूल) 86.40	118.45	(+)32.05
7			2049-01-101-9319-8.64 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2038	(मूल) 28.14	35.60	(+) 7.46
8			2049-01-101-9322-8.52 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2043	(मूल) 42.61	85.20	(+)42.59
9			2049-01-101-9325-8.37 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2028	(मूल) 84.61	117.18	(+)32.57
10			2049-01-101-9326-8.13 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2028	(मूल) 83.70	117.18	(+)33.48
11			2049-01-123-5042-भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर व्याज	(मूल) 2,450.00	2,451.72	(+)1.72
12			2049-01-305-2205- नये ऋणों के प्रचालन संबंधी व्यय	(मूल) 5.00	6.49	(+)1.49
13			2049-04-104-0471-आयोजनेतर योजनाओं के लिए ऋणों पर व्याज	(मूल) 0.00	2.78	(+)2.78
14			2049-03-108-3360-मध्य भारत जीवन बीमा निधि पर व्याज	(मूल) 3.00	11.88	(+)8.88
15			2049-60-701-6971-शासकीय कर्मचारी समूह	(मूल) 100.00	288.82	(+)188.82

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान मूः मूल अनुः अनुपूरक पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत(-)/ आधिक्य(+)
			बीमा योजना-2003 (बचत निधि पर व्याज)			
16			2049-60-701-6972- शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-1985 (बचत निधि पर व्याज)	(मूल) 80.00	308.07	(+)228.07
17	CH-II	भारित विनियोग II - लोक ऋण	6003-111-6835-केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	(मूल) 2,030.00	2,691.75	(+)661.75
18			6004-02-101-9086-बाह्य पोषित परियोजनाओं हेतु बैक टू बैक ऋण	(मूल) 615.00	816.62	(+)201.62
19	1	सामान्य प्रशासन	2015-101-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	(मूल) 0.65 (पुनर्वि.) (-)0.48 0.17	0.19	(+)0.02
20			2015-101-6757-स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	(मूल) 150.22 (अनु.) 25.00 (पुनर्वि.) (-)151.17 24.05	24.70	(+)0.65
21	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2235-60-107-4674-स्वतंत्रता सग्राम सेनानियों को भत्ते तथा उपादान	(मूल) 24.00 (पुनर्वि.) (-)23.97 0.03	18.33	(+)18.30
22			2235-60-200-5710- लोकनायक जय प्रकाश सम्मान निधि	(मूल) 40.00 (अनु.) 38.12 (पुनर्वि.) (-)76.88 1.24	43.48	(+) 42.24
23	3	पुलिस	2055-116-3593-मेडीको लीगल इन्स्टीट्यूट	(मूल) 3.78 (पुनर्वि.) (-)0.71 3.07	3.09	(+)0.02
24			2070-107-0492-आव्हान पर होने वाला व्यय	(मूल) 374.20 (पुनर्वि.) (-)43.25 330.95	3,34.71	(+)3.76
25			2070-107-2710- प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय	(मूल) 58.61 (पुनर्वि.) (-)11.57 47.04	47.37	(+) .33
26			2070-107-0101-7327-राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल का गठन	(मूल) 35.45 (पुनर्वि.) (-)7.15 28.30	28.36	(+)0.06
27			2055-109-0101-5555-बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा	(मूल) 3.26 (पुनर्वि.) (-)0.20 3.06	8.00	(+)4.94
28			2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	(मूल) 1.50 (पुनर्वि.) (-)0.57 0.93	1.01	(+)0.08
29			4055-207-0101-5555-बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा	(मूल) 21.00 (पुनर्वि.) (-)3.19 17.81	30.43	(+)12.62

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान मूः मूल अनुः अनुपूरक पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत(-)/ आधिक्य(+)
30			4055-211-0101-3059-मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना	(मूल) 197.64 (पुनर्वि.) (+)20.28 217.92	247.92	(+)30.00
31	6	वित्त	2052-091-4296-संचालनालय संस्थागत वित्त व्यवस्था	(मूल) 6.65 (पुनर्वि.) (-)3.00 3.65	3.66	(+)0.01
32			2071-01-104-9998- मध्य प्रदेश	(मूल) 582.85 (पुनर्वि.) (+)1,450.00 2032.85	2,309.01	(+)276.16
33			2075-797-6857-प्रतिपूर्ति रिडमशन निधि में स्थानान्तरण	(मूल) 1.00	42.72	(+)41.72
34	7	वाणिज्यिक कर	2030-01-001-3561-मुख्यालय स्थापना	(मूल) 7.00 (पुनर्वि.) (-)2.05 4.95	5.08	(+)0.13
35	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2058-001-2286-नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री का कार्यालय	(मूल) 3.03 (पुनर्वि.) (-)0.81 2.22	2.28	(+)0.06
36			2052-099-3657-राजस्व बोर्ड	(मूल) 1.88 (पुनर्वि.) (-)1.02 0.86	0.96	(+)0.10
37	10	वन	2406-01-004-7781-मालिक मकबूजा लकड़ी का क्रय	(मूल) 35.00	54.40	(+)19.40
38			4406-01-800-5399-मध्य प्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन योजना	(मूल) 100.00 (पुनर्वि.) (-)24.55 75.45	76.71	(+)1.26
39	17	सहकारिता	2425-107-0102-2341-मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना	(मूल) 19.03 (पुनर्वि.) (+)5.80 24.83	47.07	(+)22.24
40			2425-107-0101-2341-मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना	(मूल) 44.97	84.74	(+)39.77
41	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215-01-001-2714-प्रशासन	(मूल) 392.78	413.82	(+)21.04
42			2215-01-101-5300-स्थानीय संस्थाओं की जल प्रदाय योजनाओं का संधारण	(मूल) 0.54	1.29	(+)0.75
43			2215-01-101-0101-0545-प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	(मूल) 0.31	0.41	(+)0.10
44			4215-01-102-1203-2316-ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	(मूल) 140.16	205.16	(+)65.00
45			4215-01-102-1202-2316-ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	(मूल) 192.72	262.72	(+)70.00
46			4215-01-102-1201-2316-ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	(मूल) 543.12	694.76	(+)151.64
47			4215-01-102-0703-2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	(मूल) 20.66 (पुनर्वि.) (+)9.03 29.69	29.81	(+)0.12

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान मूः मूल अनुः अनुपूरक पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत(-)/ आधिक्य(+)
48	22	नगरीय विकास एवं आवास	2059-80-001-4002-विद्युत एवं यांत्रिक संभाग एवं उप संभाग	(मूल) 3.26 (पुनर्वि.) (-)0.39 2.87	2.89	(+)0.02
49			2059-80-001-4025-विभागाध्यक्ष भवनों का रख रखाव	(मूल) 3.16 (पुनर्वि.) (-)0.73 2.43	2.46	(+)0.03
50	23	जल संसाधन विभाग	2701-80-001-0275-आबियाना स्थापना	(मूल) 37.45 (पुनर्वि.) (-)4.61 32.84	32.91	(+)0.07
51			2701-80-001-0101-0814-कार्यपालिक स्थापना (विद्युत यांत्रिकी)	(मूल) 20.43 (पुनर्वि.) (-)3.68 16.75	16.94	(+)0.18
52			2700-33-101-0101-3300-मण्डल स्थापना	(मूल) 0.83 (पुनर्वि.) (+)0.27 1.10	1.21	(+)0.11
53			2700-33-101-0101-3556-मुख्यालय स्थापना यूनिट-एक	(मूल) 1.62 (पुनर्वि.) (+)0.26 1.88	2.19	(+)0.31
54			2701-80-800-0102-2250-नहरे तथा तालाब	(मूल) 17.56 (पुनर्वि.) (+)7.38 24.94	26.99	(+)2.05
55			2705-800-0701-5734-परियोजना प्रशासक जल संसाधन रीवा कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ रीवा	(मूल) 0.12	0.16	(+)0.04
56			4700-01-800-0101-2897-बांध तथा संलग्न कार्य	(मूल) 50.00 (पुनर्वि.) (-)48.66 1.34	2.08	(+)0.74
57			4700-68-800-0101-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(मूल) 162.00 (पुनर्वि.) (-)111.27 50.73	55.73	(+)5.00
58			4700-13-800-0103-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(मूल) 50.00 (पुनर्वि.) (+)39.41 89.41	91.12	(+)1.71
59			4700-18-800-1401-6596-सुधार, सुदृढीकरण एवं पुनर्स्थापना	(मूल) 16.00 (पुनर्वि.) (+)2.64 18.64	28.89	(+)10.25
60			4700-84-800-1201-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(मूल) 550.00 (पुनर्वि.) (+)216.60 766.60	818.78	(+)52.17
61			4701-80-800-0101-3368-मध्यम सिंचाई निर्माण कार्य	(मूल) 12.73 (पुनर्वि.) (+)4.50 17.23	19.34	(+)2.11
62			4701-80-800-0101-5583-सेमरी टैंक	(मूल) 1.00 (पुनर्वि.) (-)0.13 0.87	1.87	(+)1.00
63	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	3054-03-337-0101-0134-अनुरक्षण और मरम्मत-साधारण मरम्मत	(मूल) 20.00 (अनु.) 15.00 (पुनर्वि.) (+)8.95 43.95	43.98	(+)0.03

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान मूः मूल अनुः अनुपूरक पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत(-)/ आधिक्य(+)
64			3054-04-800-0101-7081- मुख्य जिला मार्गो तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	(मूल) 105.00 (अनु.) 50.00 (पुनर्वि.) (+)35.00 190.00	190.52	(+)0.52
65	26	संस्कृति	2205-102-8458-स्वराज भवन	(मूल) 2.21 (पुनर्वि.) (-)0.70 1.51	1.54	(+)0.03
66			2205-103-2304-निदेशन और प्रशासन	(मूल) 14.63 (पुनर्वि.) (-)2.53 12.10	12.12	(+)0.02
67			2205-107-0101-4283- संग्रहालय	(मूल) 10.74 (पुनर्वि.) (-)1.12 9.62	9.66	(+)0.04
68	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-0701-1502- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था—मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	(मूल) 16.48 (पुनर्वि.) (+)3.83 20.31	20.64	(+)0.33
69			2202-01-101-0701-5330- समग्र शिक्षा आभियान	(मूल) 1,390.00 (पुनर्वि.) (+)329.00 1,719.00	2,539.84	(+)820.84
70			2202-01-101-0101-3491- माध्यमिक शालायें	(मूल) 3,604.74	4,033.46	(+)428.72
71			2202-01-101-0101-4396- सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना	(मूल) 6,830.38	8,088.45	(+)1,258.07
72			2202-01-102-0801-6344- मदरसों में गुणवत्तापरख शिक्षा एवं अधोसंरचनात्मक विकास	(मूल) 1.00	4.01	(+)3.01
73			4202-01-201-0701-5330- समग्र शिक्षा आभियान	(मूल) 204.35	231.82	(+)27.47
74	28	राज्य विधान मण्डल	2011-02-101-4007- विधायक	(मूल) 45.99 (पुनर्वि.) (-)10.73 35.26	35.27	(+)0.01
75	29	विधि एवं विधायी कार्य	2015-105-4311-संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार	(मूल) 47.80 (पुनर्वि.) (-)27.38 20.42	20.43	(+)0.01
76	30	ग्रामीण विकास	2515-001-0101-1033- विकास खण्ड कार्यालय	(मूल) 118.57 (पुनर्वि.) (-)27.33 91.24	91.30	(+)0.06
77			2515-001-0102-1033- विकास खण्ड कार्यालय	(मूल) 18.21 (पुनर्वि.) (+)3.15 21.36	21.38	(+)0.02
78	33	आदिम जाति कल्याण	2202-01-101-0102-2773- प्राथमिक शालाएं	(मूल) 2,822.53 (पुनर्वि.) (-)913.26 1,909.27	1,912.66	(+)3.39
79			2202-02-109-0102-0581- शासकीय हाई/हायर सेकेप्डरी शालायें	(मूल) 672.15 (पुनर्वि.) (-)170.97 501.18	501.59	(+)0.41
80			2225-02-001-0102-1481- जिला प्रशासन	(मूल) 100.07 (पुनर्वि.) (-)14.17 85.90	85.92	(+)0.02

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान मूः मूल अनुः अनुपूरक पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत(-)/ आधिक्य(+)
81			2225-02-277-0102-0494- आश्रम	(मूल) 160.46 (पुनर्वि.) (-)60.99 99.47	99.83	(+)0.36
82			2225-02-277-0102-0495- जूनियर छात्रावास	(मूल) 87.66 (पुनर्वि.) (-)9.70 77.96	78.08	(+)0.12
83			2225-02-800-0334- आदिवासी अन्वेषण संस्था	(मूल) 6.35 (पुनर्वि.) (-)1.19 5.16	5.17	(+)0.01
84			2225-02-102-0102-2326- पी.डी.टी.जी. आहार अनुदान योजना	(मूल) 218.00 (पुनर्वि.) (+)93.33 311.33	312.12	(+)0.79
85			2225-03-277-0802-2676- 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति	(मूल) 172.50 (पुनर्वि.) (+)41.35 213.85	214.06	(+)0.21
86			2225-02-277-0102-0671- एच्छक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवत्तियों के लिए अनुदान	(मूल) 33.00 (पुनर्वि.) (+)48.50 81.50	88.75	(+)7.25
87			2225-02-277-0102-1868- तकनीकी शिक्षा मण्डल (मेपसेट)	(मूल) 0.44 (पुनर्वि.) (+)0.41 0.85	0.89	(+)0.04
88			2225-02-277-0102-7763- अनुसूचित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता	(मूल) 1,15.00 (पुनर्वि.) (+)14.63 129.63	129.65	(+)0.02
89			2225-02-800-0702-5191- अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजना) नियम 2015 के अंतर्गत राहत	(मूल) 28.65 (पुनर्वि.) (+)7.93 36.58	36.63	(+)0.05
90			4225-02-102-0802-7881- आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1)	(मूल) 50.00 (पुनर्वि.) (-)7.23 42.77	44.11	(+)1.34
91			4225-02-277-0802-7881- आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1)	(मूल) 430.60 (पुनर्वि.) (-)275.01 155.58	285.98	(+)130.40
92			4225-02-800-0602-5211- आई.टी.डी.पी. / माडा पॉकेट / क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	(मूल) 382.08 (पुनर्वि.) (-)300.33 81.75	99.66	(+)17.91
93			4225-02-800-0102-4722- अनुसूचित जाति / जनजाति की बसितियों का विकास	(मूल) 50.00 (पुनर्वि.) (-)7.46 42.54	42.85	(+)0.31
94	34	सामाजिक न्याय एवं	2235-02-001-2304-निदेशन और प्रशासन	(मूल) 47.23 (पुनर्वि.) (-)5.05 42.18	42.35	(+)0.17

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान मूः मूल अनुः अनुपूरक पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत(-)/आधिक्य(+)
95		निःशक्तजन कल्याण	2235-02-101-0102-0073-अंध मूक बधिर शालाओं को अनुदान	(मूल) 13.41 (पुनर्वि.) (-)1.96 11.45	11.64	(+)0.19
96			2235-02-101-0102-0079-दृष्टि श्रवण बाधित शालाएं तथा संस्थाएं	(मूल) 1.94 (पुनर्वि.) (-)1.00 0.94	0.95	(+)0.01
97			2235-02-101-0101-0079-दृष्टि श्रवण बाधित शालाएं तथा संस्थाएं	(मूल) 14.64 (पुनर्वि.) (-)2.03 12.61	12.64	(+)0.03
98			2235-02-200-0795-कला पथक	(मूल) 8.98 (पुनर्वि.) (-)1.26 7.72	7.76	(+)0.04
99			2235-60-102-0702-7084-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	(मूल) 20.25 (पुनर्वि.) (-)8.04 12.21	15.37	(+)3.16
100			2235-02-800-0101-6692-मुख्यमंत्री निकाह योजना	(मूल) 11.59 (पुनर्वि.) (+)5.14 16.73	16.78	(+)0.05
101	36	परिवहन	2041-102-0679-उडनदस्ता एवं चेक पोस्ट की स्थापना	(मूल) 21.14 (पुनर्वि.) (-)2.18 18.96	19.65	(+)0.69
102		खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	2408-01-001-0701-6878-उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना	टोकन	2.50	(+)2.50
103			2408-01-101-0102-0570-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सहकारी समितियों को खाद्यान्न की बिक्री से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति	टोकन	4.84	(+)4.84
104			2408-01-102-0103-9087-खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान	(मूल) 0.22 (पुनर्वि.) (+)0.51 0.73	1.13	(+)0.40
105		स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2204-102-3755- राष्ट्रीय सैन्य दल-वरिष्ठ संभाग	(मूल) 47.42 (पुनर्वि.) (-)9.02 38.40	38.41	(+)0.01
106			4202-01-202-0101-6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	(मूल) 0.00	0.13	(+)0.13
107			4202-01-202-0101-6970-शासकीय स्कूल/ छात्रावास/ पुस्तकालय/ आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार	(मूल) 150.00 (पुनर्वि.) (+)20.00 170.00	172.88	(+)2.88
108	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	2235-02-796-001-0101-3171-भोपाल गैस दुर्घटना संबंधी दावा संचालनालय	(मूल) 3.11 (पुनर्वि.) (-)0.44 2.67	2.68	(+)0.01
109	43	खेल एवं युवा कल्याण	2204-800-0103-4938-युवा संघि को अनुदान	(मूल) 0.50 (पुनर्वि.) (+)0.04 0.54	0.70	(+)0.16

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान मूः मूल अनुः अनुपूरक पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत(-)/ आधिक्य(+)
110			2204-800-0102-4938-युवा संधि को अनुदान	(मूल) 0.78 (पुनर्वि.) (+)0.55 1.33	1.60	(+)0.27
111			2204-800-0102-6239-खेल प्रशिक्षण केन्द्रों को खेल सामग्री	(मूल) 0.03	0.23	(+)0.20
112			2204-800-0103-6239-खेल प्रशिक्षण केन्द्रों को खेल सामग्री	(मूल) 0.06	0.30	(+)0.24
113			2204-800-0101-6239-खेल प्रशिक्षण केन्द्रों को खेल सामग्री	(मूल) 0.38	0.81	(+)0.43
114			2204-800-0102-6703-स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण	(मूल) 0.24	0.39	(+)0.15
115			2204-800-0103-6703-स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण	(मूल) 0.45	0.85	(+)0.40
116			2204-800-0101-8841-मूलभूत सुविधाओं के विकास सुधार हेतु-स्टेडियम आदि	(मूल) 4.68 (पुनर्वि.) (+)0.01 4.69	6.88	(+)2.19
117	44	उच्च शिक्षा	4202-01-203-0101-7643-शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि	(मूल) 44.81 (पुनर्वि.) (+)45.25 90.06	90.19	(+)0.13
118	48	नर्मदा घाटी विकास	2801-01-001-0101-5018-बरगी केनाल बेडपावर हाउस	(मूल) 1.09 (पुनर्वि.) (-)0.67 0.42	0.62	(+)0.20
119			4700-43-001-0101-2428-निष्पादन स्थापना (यूनिट-एक एवं यूनिट-दो)	(मूल) 56.61 (पुनर्वि.) (-)8.76 47.84	52.33	(+)4.49
120			4700-51-001-3296-मण्डल की स्थापना का व्यय (रा.आ. बा.सा.परि.)	(मूल) 1.54 (पुनर्वि.) (-)0.46 1.08	1.12	(+)0.04
121			4700-80-001-0101-2433-निष्पादन स्थापना	(मूल) 1.80 (पुनर्वि.) (-)0.39 1.41	1.47	(+)0.06
122			4701-11-001-0102-4653-स्थापना (मान परियोजना)	(मूल) 4.22 (पुनर्वि.) (-)0.73 3.49	3.58	(+)0.09
123			4700-80-800-0103-0651-उज्जैनी देवास उज्जैन पाईप लाइन योजना	(मूल) 5.92 (पुनर्वि.) (+)2.68 8.60	13.56	(+)4.96
124			4700-80-800-0102-1250-अलीराजपुर उद्धवन सिंचाई परियोजना	(मूल) 77.00 (पुनर्वि.) (+)4.69 81.69	102.84	(+)21.15
125	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01-001-2294-संचालनालय की स्थापना	(मूल) 7.36 (पुनर्वि.) (-)1.53 5.83	5.85	(+)0.02
126			2225-01-277-0803-7764-	(मूल) 140.00	154.51	(+)1.05

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान मूः मूल अनुः अनुपूरक पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत(-)/ आधिक्य(+)
			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्याल व अन्य)	(अनु.) 50.00 (पुनर्वि.) (-)36.54 153.46		
127			2225-01-277-0103-7562- उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास	(मूल) 14.98 (पुनर्वि.) (-)8.14 6.84	6.99	(+)0.15
128			2225-01-800-0803-1213- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	(मूल) 40.00 (अनु.) 50.00 (पुनर्वि.) (-)26.13 63.87	67.42	(+)3.55
129			2801-06-800-0603-5084- अनुसूचित जाति / जनजाति के कृषकों के कुओं तक विद्युत लाइन का विकास	(मूल) 20.00 (पुनर्वि.) (-)9.49 10.51	10.67	(+)0.17
130			2225-01-277-0103-8801- सैनिक स्कूल / निजी संस्थाओं में अध्यनरत अनुसूचित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति	(मूल) 4.70 (पुनर्वि.) (+)7.02 11.72	11.84	(+)0.12
131			2225-01-800-0103-7763- अनुसूचित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता	(मूल) 75.00 (पुनर्वि.) (-)2.72 72.28	90.49	(+)18.21
132			4225-01-800-0103-4722- अनुसूचित जाति / जनजाति की बसितियों का विकास	(मूल) 80.00 (पुनर्वि.) (-)14.35 65.65	67.52	(+)1.87
133	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-119-0702-5116- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	(मूल) 7.00 (पुनर्वि.) (-)6.52 0.48	3.91	(+)3.43
134	52	चिकित्सा शिक्षा	2210-05-796-105-0527- इन्दौर में उपचर्या (नर्सिंग) महाविद्यालय	(मूल) 3.23 (पुनर्वि.) (+)0.57 3.80	4.24	(+)0.46
135			4210-03-796-105-0701- 1211- पी.एम.एस.एस.वाय. परि. अंतर्गत सुपरस्पेशल्टी अस्पताल की स्थापना	(मूल) 10.00	24.93	(+)14.93
136	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2225-01-789-196-0103- 8805- राज्य शासन अनुसूचित जाति / जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 9 एवं 10)	(मूल) 23.10	33.10	(+)10.00
137			2505-01-789-198-0703- 6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	(मूल) 800.00 (पुनर्वि.) (+)155.00 955.00	1,061.01	(+)106.01
138			2505-01-789-198-0702- 6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	(मूल) 750.00 (पुनर्वि.) (+)137.50 887.50	1,083.98	(+)196.47
139			2515-789-198-1303-9638- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय	(पुनर्वि.) 578.08	737.44	(+)159.36

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान मूः मूल अनुः अनुपूरक पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत(-)/ आधिक्य(+)
			निकायों को अनुदान			
140			2515-789-198-1301-9638-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	(मूल) 1,722.68	2,330.24	(+)607.56
141			2515-789-198-0701-0647-ग्राम स्वराज अभियान	(मूल) 48.31	67.46	(+)19.14
142	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-1201-1291-आई.सी.डी.एस. के सुदृढ़ीकरण एवं पोषण स्तर सुधार की परियोजना (ई-स्निप) / एन.एन.एम.	(मूल) 112.16 (पुनर्वि.) (-)84.80 27.36	27.42	(+)0.06
143			2235-02-102-0701-0658-ऑगनबाड़ी सेवायें	(मूल) 751.00 (पुनर्वि.) (-)62.99 688.01	688.51	(+)0.49
144			2235-02-102-0701-1291 -आई.सी.डी.एस. के सुदृढ़ीकरण एवं पोषण स्तर सुधार की परियोजना (ई-स्निप) / एन.एन.एम.	(मूल) 51.87 (पुनर्वि.) (-)31.63 20.24	20.31	(+)0.07
145			2235-02-103-0703-6103-समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	(मूल) 10.44 (पुनर्वि.) (-)2.26 8.18	8.19	(+)0.01
146			2236-02-101-0703-9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	(मूल) 350.00 (पुनर्वि.) (-)107.23 242.77	243.52	(+)0.75
147			2236-02-101-0702-9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	(मूल) 350.00 (पुनर्वि.) (-)48.53 301.47	302.68	(+)1.21
148			2236-02-101-0701-9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	(मूल) 750.00 (पुनर्वि.) (-)187.46 562.54	563.42	(+)0.87
149			2235-02-103-0101-5067-लाडली लक्ष्मी योजना	(मूल) 546.89 (पुनर्वि.) (+)498.69 1,045.58	1,045.62	(+)0.04
150			4235-02-102-0101-5360-ऑगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	(मूल) 37.76 (पुनर्वि.) (-)3.26 34.50	34.58	(+)0.07
151	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	2851-107-0103-3777-रेशम उद्योग का विकास कार्य	(मूल) 1.43 (पुनर्वि.) (-)0.85 0.58	0.61	(+)0.03
152			2851-107-0101-2731-प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	(मूल) 0.89 (पुनर्वि.) (-)0.44 0.45	0.68	(+)0.24
153			2851-107-0102-5146-टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	(मूल) 2.12 (पुनर्वि.) (-)0.61 1.51	1.54	(+)0.03
154			4851-107-0101-6336-रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सुविधाएं एवं अन्य निर्माण कार्य	(मूल) 1.37 (R) (-)0.69 0.68	0.80	(+)0.12

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान मूः मूल अनुः अनुपूरक पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत(-)/आधिक्य(+)
155	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-101-0096-अग्नि पीडितों को राहत	(मूल) 43.92 (पुनर्वि.) (-)26.18 17.74	17.82	(+)0.07
156			2245-01-102-6434-ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल परिवहन	(मूल) 11.00 (पुनर्वि.) (-)10.51 0.49	0.60	(+)0.11
157			2245-80-102-6436-आपदा से संबंधित प्रशिक्षण एवं उपकरणों का क्रय	(मूल) 5.23 (पुनर्वि.) (+)101.70 106.93	106.95	(+)0.03
158			2245-80-800-6097-सर्पदंश पर आर्थिक सहायता	(मूल) 100.00 (पुनर्वि.) (+)18.92 118.92	119.24	(+)0.32
159			2245-80-800-7249-कीट प्रकोप से फसल क्षति	(मूल) 10.18 (अनु.) 1,056.00 (पुनर्वि.) (+)893.01 1,959.19	2,118.62	(+)159.44
योग				38,201.06	44,932.25	(+)6,731.19

स्रोत: विनियोग लेखे 2020–21

परिशिष्ट 3.13
आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है
(संदर्भ: कंडिका 3.8; पृष्ठ 80)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों / विनियोगों की संख्या	अनुदान / विनियोग की संख्या	आधिक्य राशि
2011-12	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 33 पूंजीगत (दत्तमत): 15, 52, 74	135.10
	02 विनियोग	राजस्व (भारित): 23 पूंजीगत (भारित): 23	
2013-14	02 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 2 पूंजीगत (दत्तमत): 10	34.31
	01 विनियोग	पूंजीगत (भारित): 21	
2014-15	03 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 2, 6 पूंजीगत (दत्तमत): 42	446.28
	03 विनियोग	राजस्व (भारित): 24, 67 पूंजीगत (भारित): 41	
2016-17	01 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 2	23.77
2018-19	01 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 4	1,028.62
	01 विनियोग	पूंजीगत (भारित): लोक ऋण	
योग	11 अनुदान एवं 07 विनियोग		1,668.08

चोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.14

एकमुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ समर्पण प्रत्येक प्रकरण में ₹15 करोड़ से अधिक और कुल बजट प्रावधान का 50 प्रतिशत या उससे अधिक था)
(संदर्भ: कंडिका 3.9; पृष्ठ 81)

(₹ करोड़ में)

संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	मूल बजट प्रावधान मूल अनुपूरक	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)	
1	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2235-60-107-4674-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भत्ते तथा उपादान	(मूल) 24.00	23.97	99.88	
		2235-60-200-5710-लोकनायक जय प्रकाश सम्मान निधि	(मूल) 40.00 (अनु.) 38.12 78.12	76.88	98.41	
2	पुलिस	2055-800-6329-नवीन भर्ती प्रक्रिया पर व्यय	(मूल) 29.50	29.50	100.00	
		4055-207-0701-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	(मूल) 33.72	23.29	69.08	
3	8	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	4070-800-6846-भू-प्रबंधन	(मूल) 25.00	19.00	76.00
4	ऊर्जा	4801-02-190-0101-5332-मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी के वर्तमान विद्युत	(मूल) 36.00	36.00	100.00	
		4801-02-190-0101-6323-2 गुना 660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	(मूल) 150.00	120.00	80.00	
		6801-190-0101-5336-विद्युत ग्रहों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य	(मूल) 20.00	20.00	100.00	
		6801-205-1201-9655-स्मार्ट मीटर एवं स्काडा योजना हेतु ऋण	(मूल) 330.00	330.00	100.00	
		4801-02-190-0101-9656-गांधी सागर जल विद्युत गृह लाईफ एक्स्टेंशन	(मूल) 20.00	20.00	100.00	
		4801-05-190-0410-9654-स्मार्ट मीटर एवं स्काडा योजना हेतु अंशपूँजी	(मूल) 50.00	50.00	100.00	
5	लोक निर्माण कार्य-सड़कों और पुल	5054-80-800-0103-3115-भू अर्जन हेतु मुआवजा	(मूल) 42.50	42.46	99.92	
		5054-80-800-0102-3115-भू अर्जन हेतु मुआवजा	(मूल) 55.00	53.44	97.17	
		5054-80-800-0101-3115-भू अर्जन हेतु मुआवजा	(मूल) 152.50	134.09	87.93	
6	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4202-01-201-0101-2068-प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास	(मूल) 24.40	24.40	100.00
7	29	विधि एवं विधायी कार्य	2014-103-0701-9634-पॉक्सो एकट के अंतर्गत फास्ट्रैक कोर्ट की स्थापना	(मूल) 32.77 (अनु.) टोकन 32.77	19.69	60.09
8	33	आदिम जाति	2225-02-800-0802-6500-	(मूल) 140.00	91.82	65.59

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	मूल बजट प्रावधान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
		कल्याण	विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास			
			4225-02-277-0802-7881-आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1)	(मूल) 430.60	275.02	63.87
			4225-02-800-0602-5211-आई.टी.डी.पी./माडा पॉकेट/कलस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	(मूल) 382.08	300.33	78.60
9	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	4851-101-0101-5380-आटो टेस्टिंग ट्रैक हेतु भू-अर्जन मुआवजा	(मूल) 168.00	167.12	99.48
10	49	अनुसूचित जाति कल्याण	4225-01-800-0603-4722-अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों का विकास	(मूल) 101.97	53.68	52.64
11	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-119-0101-5153-उद्योग संवर्धन नीति अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की योजना	(मूल) 31.83	21.88	68.74
			4401-119-0102-5474-मुख्यमंत्री उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना	(मूल) 15.64	15.64	100.00
			4401-119-0101-5474-मुख्यमंत्री उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना	(मूल) 41.48	41.48	100.00
12	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4515-789-198-0702-6099-मध्यान्ह भोजन किचन शेड का निर्माण	(मूल) 16.00	16.00	100.00
			4515-789-198-0701-6099-मध्यान्ह भोजन किचन शेड का निर्माण	(मूल) 35.00	35.00	100.00
13	55	महिला एवं बाल विकास	4235-02-102-0701-0658-ओंगनबाड़ी सेवायें	(मूल) 51.00	51.00	100.00
14	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	4059-80-800-6276-आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु	(मूल) 485.40	485.40	100.00
15	59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4515-800-1203-0654-मुख्यमंत्री ग्राम सङ्करण योजना (बाह्य वित्त पोषित)	(मूल) 176.00	109.56	62.25
			4515-800-1202-0654-मुख्यमंत्री ग्राम सङ्करण योजना (बाह्य वित्त पोषित)	(मूल) 253.00	140.06	55.36
			4515-800-1201-0654-मुख्यमंत्री ग्राम सङ्करण योजना (बाह्य वित्त पोषित)	(मूल) 702.28	520.06	74.05
योग				4,133.79	3,346.79	80.96

स्रोत: विनियोग लेखे 2020–21

परिशिष्ट 3.15
योजनाएं जिनमें कुल प्रावधान ₹10 करोड़ एवं अधिक अप्रयुक्त रहा
(संदर्भ: कंडिका 3.10; पृष्ठ 82)

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	समूह शीर्ष	योजना शीर्ष	द.म. / भा.	कुल बजट	व्यय	बचत
1	6	2054		095		5329	भा.	100.00	निरंक	100.00
2	6	2071	01	102		9999	भा.	10.00	निरंक	10.00
3	6	6075		800		6788	द.म.	10.00	निरंक	10.00
4	10	2406	01	004	0101	7781	द.म.	20.00	निरंक	20.00
5	10	2406	01	800	0101	0535	द.म.	18.00	निरंक	18.00
6	17	2425		107	0102	9134	द.म.	22.24	निरंक	22.24
7	17	2425		108		2352	द.म.	20.00	निरंक	20.00
8	19	2210	03	103	0101	5507	द.म.	14.68	निरंक	14.68
9	20	2215	01	001		2714	द.म.	23.00	निरंक	23.00
10	23	4700	78	800	0101	2897	द.म.	19.40	निरंक	19.40
11	23	4701	B2	800	0801	2884	द.म.	20.00	निरंक	20.00
12	29	4059	01	051	0101	9074	द.म.	18.60	निरंक	18.60
13	49	2225	01	277	0803	7764	द.म.	50.00	निरंक	50.00
14	50	2401		119	0101	5408	द.म.	11.13	निरंक	11.13
15	52	4210	03	105	0101	5632	द.म.	20.00	निरंक	20.00
16	52	4210	03	105	0701	1210	द.म.	30.00	निरंक	30.00
17	52	4210	03	105	0701	2064	द.म.	15.00	निरंक	15.00
18	52	4210	03	105	0702	2061	द.म.	17.42	निरंक	17.42
19	53	2515		198	0101	1221	द.म.	607.56	निरंक	607.56
20	53	2515		198	0102	1221	द.म.	229.08	निरंक	229.08
21	53	2515		198	0103	1221	द.म.	159.36	निरंक	159.36
22	63	4225	03	800	0701	5617	द.म.	93.20	निरंक	93.20
23	64	2217	05	191		1325	द.म.	360.00	निरंक	360.00
24	64	2217	05	192		1325	द.म.	180.00	निरंक	180.00
25	64	2217	05	193		1325	द.म.	62.00	निरंक	62.00
26	भारित विनियोग-II	6003		110		0637	भा.	2,000.00	निरंक	2,000.00
27	भारित विनियोग-II	6003		110		0779	भा.	1,992.00	निरंक	1,992.00
28	भारित विनियोग-I	2049	01	101		7801	भा.	32.70	निरंक	32.70
29	भारित विनियोग-I	2049	01	101		7802	भा.	33.05	निरंक	33.05
30	भारित विनियोग-I	2049	01	101		7803	भा.	33.95	निरंक	33.95
31	भारित विनियोग-I	2049	01	101		7804	भा.	33.80	निरंक	33.80
32	भारित विनियोग-I	2049	01	101		9320	भा.	32.13	निरंक	32.13
33	भारित विनियोग-I	2049	01	101		9323	भा.	42.77	निरंक	42.77
34	भारित	2049	01	101		9324	भा.	67.01	निरंक	67.01

सं. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	समूह शीर्ष	योजना शीर्ष	द.म./भा.	कुल बजट	व्यय	बचत
	विनियोग-I									
35	भारित विनियोग-I	2049	01	101		9829	भा.	33.45	निरंक	33.45
36	भारित विनियोग-I	2049	01	101		9832	भा.	32.85	निरंक	32.85
37	भारित विनियोग-I	2049	01	200		6973	भा.	10.00	निरंक	10.00
38	भारित विनियोग-I	2049	60	701		0716	भा.	114.38	निरंक	114.38
योग								6,588.77	निरंक	6,588.77

स्रोत: विनियोग लेखे 2020–21

परिशिष्ट 3.16
व्यय की अधिकता
(संदर्भ: कंडिका 3.12; पृष्ठ 85)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान क्रमांक एवं नाम	योजना क्रमांक	जनवरी-मार्च 2021 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2021 में किया गया व्यय	कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2021	मार्च 2021
1	भारित विनियोग II - लोक ऋण	5436	600.00	600.00	600.00	100.00	100.00
2	भारित विनियोग II - लोक ऋण	6881	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00
3	भारित विनियोग II - लोक ऋण	6880	700.00	700.00	700.00	100.00	100.00
4	भारित विनियोग I - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6881	104.50	104.50	104.50	100.00	100.00
5	1-सामान्य प्रशासन	1341	29.95	29.94	50.00	59.90	59.89
6	3-पुलिस	1416	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00
7	6-वित्त	6857	42.72	42.72	42.72	100.00	100.00
8	6-वित्त	5329	31.35	31.35	31.35	100.00	100.00
9	7-वाणिज्यिक कर	0817	600.00	600.00	600.00	100.00	100.00
10	7-वाणिज्यिक कर	9858	11.69	10.33	14.57	80.21	70.90
11	8-भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	5070	18.54	14.99	19.37	95.68	77.36
12	12-ऊर्जा	1284	33.46	33.46	33.46	100.00	100.00
13	12-ऊर्जा	7255	38.62	38.62	38.62	100.00	100.00
14	12-ऊर्जा	3218	1,065.00	1,065.00	1,065.00	100.00	100.00
15	12-ऊर्जा	5381	3,000.00	3,000.00	3,008.00	99.73	99.73
16	12-ऊर्जा	7900	193.00	193.00	230.00	83.91	83.91
17	12-ऊर्जा	6929	90.90	77.90	90.90	100.00	85.70
18	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	7847	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00
19	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1229	6.36	5.30	10.86	63.06	52.52
20	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1227	36.92	35.18	36.92	100.00	95.28
21	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	7499	27.35	23.32	37.48	72.98	62.23
22	14-पशुपालन	7153	20.00	20.00	31.80	62.89	62.89
23	16-मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	7579	34.52	34.52	34.52	100.00	100.00
24	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7659	22.47	22.47	22.47	100.00	100.00
25	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5719	18.90	17.30	24.87	76.00	69.55
26	20-लोक स्वास्थ्य यात्रिक	5468	1,278.77	925.72	1,631.27	78.39	56.75
27	22-नगरीय विकास एवं आवास	7711	140.20	105.20	165.00	84.97	63.76
28	22-नगरीय विकास एवं आवास	1262	49.00	35.20	49.00	100.00	71.84
29	22-नगरीय विकास एवं आवास	6440	11.50	11.09	12.09	95.11	91.73

सं. क्र.	अनुदान क्रमांक एवं नाम	योजना क्रमांक	जनवरी-मार्च 2021 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2021 में किया गया व्यय	कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	जनवरी-मार्च 2021	मार्च 2021
30	22-नगरीय विकास एवं आवास	9488	53.00	52.00	54.00	98.15	96.30	
31	22-नगरीय विकास एवं आवास	1237	2,045.91	1,669.44	2,437.91	83.92	68.48	
32	24-लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल	3115	10.96	8.75	12.36	88.68	70.80	
33	24-लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल	5701	29.51	15.51	29.51	100.00	52.57	
34	25-खनिज संसाधन	6606	719.44	719.44	719.44	100.00	100.00	
35	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	6716	68.00	68.00	68.00	100.00	100.00	
36	29-विधि और विधायी कार्य	4006	50.57	35.05	67.99	74.39	51.55	
37	29-विधि और विधायी कार्य	1304	11.33	9.95	14.61	77.54	68.11	
38	33-आदिमजाति कल्याण	8844	22.81	22.81	22.81	100.00	100.00	
39	33-आदिमजाति कल्याण	8805	54.72	46.63	90.63	60.38	51.45	
40	33-आदिमजाति कल्याण	0671	70.27	62.58	88.75	79.18	70.51	
41	33-आदिमजाति कल्याण	4722	29.94	25.70	42.32	70.73	60.74	
42	33-आदिमजाति कल्याण	0584	14.31	9.91	16.31	87.74	60.76	
43	35-सूम, लघु और मध्यम उद्यम	6820	24.92	24.92	25.00	99.67	99.67	
44	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	9214	68.75	54.35	102.35	67.17	53.10	
45	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	1299	82.76	50.46	86.91	95.23	58.06	
46	40-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2267	82.39	57.70	102.28	80.55	56.41	
47	44-उच्च शिक्षा	6283	30.41	30.41	30.41	100.00	100.00	
48	44-उच्च शिक्षा	7600	27.50	27.50	42.73	64.36	64.36	
49	48-नर्मदा घाटी विकास	2333	1,500.00	1,500.00	1,545.00	97.09	97.09	
50	48-नर्मदा घाटी विकास	1406	311.10	303.08	486.38	63.96	62.31	
51	49-अनुसूचित जाति कल्याण	1213	53.56	45.90	67.41	79.45	68.08	
52	49-अनुसूचित जाति कल्याण	0538	111.50	110.54	113.00	98.67	97.82	
53	49-अनुसूचित जाति कल्याण	5084	6.85	6.31	10.67	64.19	59.11	
54	49-अनुसूचित जाति कल्याण	4722	97.92	92.83	115.81	84.55	80.15	
55	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	5116	25.08	23.93	30.79	81.44	77.72	
56	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	5626	11.94	11.44	18.04	66.19	63.43	
57	52-चकित्सा शिक्षा	5402	16.91	16.91	31.91	53.00	53.00	
58	52-चकित्सा शिक्षा	1211	22.28	19.83	35.34	63.05	56.11	
59	53-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0660	42.25	31.25	56.25	75.11	55.56	

सं. क्र.	अनुदान क्रमांक एवं नाम	योजना क्रमांक	जनवरी-मार्च 2021 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2021 में किया गया व्यय	कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2021	मार्च 2021
60	53-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4610	100.47	95.05	188.40	53.33	50.45
61	53-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0647	119.49	119.49	119.49	100.00	100.00
62	53-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6093	35.00	35.00	35.00	100.00	100.00
63	53-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0327	13.93	13.93	20.65	67.46	67.46
64	55-महिला एवं बाल विकास	5067	1,139.92	1,129.98	1,363.66	83.59	82.86
65	55-महिला एवं बाल विकास	5360	26.27	23.36	34.58	75.97	67.55
66	57-पर्यावरण	7051	19.55	19.55	19.55	100.00	100.00
67	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	7249	1,328.92	1,060.83	2,118.62	62.73	50.07
68	64-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	9638	660.00	660.00	990.00	66.67	66.67
69	64-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1262	51.00	39.00	51.00	100.00	76.47
70	64-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	7145	25.73	25.73	27.64	93.10	93.10
योग			21,962.89	20,692.16	24,758.28	88.71	83.58

स्रोत: विनियोग लेखे 2020-21

परिशिष्ट 3.17
निर्धारित समयावधि में बचतों का समर्पित न किया जाना
(संदर्भ: कंडिका 3.16.1.4; पृष्ठ 92)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	बीसीओ कोड	योजना का नाम	मूल बजट	31 मार्च 2021 को समर्पित	व्यय (बीसीओ के अनुसार)
1	संचालक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा, भोपाल (बीसीओ कोड-0406)	006-2054-00-098-9999- 4361-V-11-001	38.30	3.48	34.83
2		006-2054-00-098-9999- 4361-V-11-003	6.53	2.34	4.19
3		006-2054-00-098-9999- 4361-V-11-006	1.19	0.43	0.76
4		006-2054-00-098-9999- 4361-V-11-008	0.11	0.02	0.09
5		006-2054-00-098-9999- 4361-V-11-009	0.36	0.16	0.20
6		006-2054-00-098-9999- 4361-V-11-011	0.16	0.05	0.12
7		006-2054-00-098-9999- 4361-V-11-016	0.04	0.04	0.00
8		006-2054-00-098-9999- 4361-V-11-018	0.10	0.10	0.00
9		006-2054-00-098-9999- 4361-V-11-025	2.26	1.77	0.49
10		006-2054-00-098-9999- 4361-V-11-028	0.02	0.01	0.01
11		006-2054-00-098-9999- 4361-V-12-000	0.11	0.07	0.04
12		006-2054-00-098-9999- 4361-V-21-001	0.30	0.02	0.28
13		006-2054-00-098-9999- 4361-V-21-002	0.01	0.01	0.00
14		006-2054-00-098-9999- 4361-V-22-001	0.03	0.01	0.02
15		006-2054-00-098-9999- 4361-V-22-002	0.04	0.01	0.03
16		006-2054-00-098-9999- 4361-V-22-003	0.04	0.01	0.02
17		006-2054-00-098-9999- 4361-V-22-004	0.01	0.00	0.01
18		006-2054-00-098-9999- 4361-V-22-005	0.10	0.01	0.09
19		006-2054-00-098-9999- 4361-V-22-006	0.04	0.02	0.02
20		006-2054-00-098-9999- 4361-V-22-007	0.06	0.01	0.05
21		006-2054-00-098-9999- 4361-V-22-008	0.12	0.01	0.11
22		006-2054-00-098-9999- 4361-V-22-009	0.01	0.00	0.01
23		006-2054-00-098-9999- 4361-V-22-011	0.35	0.14	0.21
24		006-2054-00-098-9999- 4361-V-22-012	0.10	0.03	0.07
25		006-2054-00-098-9999- 4361-V-22-013	0.60	0.46	0.14

संख्या	बीसीओ कोड	योजना का नाम	मूल बजट	31 मार्च 2021 को समर्पित	व्यय (बीसीओ के अनुसार)
26		006-2054-00-098-9999-4361-V-23-002	0.00	0.00	0.00
27		006-2054-00-098-9999-4361-V-24-002	0.10	0.08	0.02
28		006-2054-00-098-9999-4361-V-24-004	0.00	0.00	0.00
29		006-2054-00-098-9999-4361-V-27-001	0.05	0.04	0.01
30		006-2054-00-098-9999-4361-V-27-002	0.04	0.03	0.01
31		006-2054-00-098-9999-4361-V-31-002	0.01	0.00	0.01
32		006-2054-00-098-9999-4361-V-31-003	0.01	0.01	0.00
33		006-2054-00-098-9999-4361-V-31-005	0.01	0.01	0.00
34		006-2054-00-098-9999-4361-V-31-006	0.05	0.04	0.01
35		006-2054-00-098-9999-4361-V-31-007	0.37	0.14	0.20
36		006-2054-00-098-9999-4361-V-33-001	0.01	0.00	0.01
37		006-2054-00-098-9999-4361-V-33-003	0.01	0.01	0.00
38	आयुक्त, संस्थागत वित्त, भोपाल (बीसीओ कोड-0404)	006-4425-00-107-0101-1005-V-65-000	20.00	3.72	16.28
39		006-4070-00-800-0101-5632-V-45-000	0.00	0.00	0.00
40		006-2052-00-091-0101-7377-V-44-001	2.50	0.80	1.70
41		006-2052-00-091-0101-5652-V-31	0.75	0.75	0.00
42		006-2052-00-091-9999-1349-V-44-001	0.50	0.50	0.00
योग			75.40	15.34	60.04

चोत: संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदाय जानकारी

परिशिष्ट 4.1
लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की विभाग—वार स्थिति
(b संदर्भ: कंडिका 4.4; पृष्ठ 101)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की संख्या	राशि
1	विधि एवं विधायी कार्य	2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	30	1.29
		2014	न्याय प्रशासन	375	1.55
2	राजस्व एवं पुनर्वास	2029	भू-राजस्व	104	1.20
		2245	प्राकृतिक आपदा राहत	01	0.09
3	वाणिज्यिक कर	2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	04	0.17
4	सामान्य प्रशासन	2052	सचिवालय—सामान्य सेवाएं	93	87.72
5	वित्त	2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	04	0.01
		2075	विविध सामान्य सेवाएं	532	4.95
6	खेल एवं युवक कल्याण	2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	05	10.78
7	संस्कृति	2205	कला एवं संस्कृति	01	0.15
8	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	जलपूर्ति तथा सफाई	535	19.45
9	नगरीय विभाग एवं आवास	2216	आवास	05	324.21
10	जन संपर्क	2220	सूचना एवं प्रचार	35	1.50
11	अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति कल्याण	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	79	306.42
12	श्रम	2230	श्रम तथा रोजगार	1,269	44.61
13	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,143	748.03
14	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401	फसल कृषि—कर्म	3,090	439.99
		4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	11	1.25
15	पशुपालन	2403	पशुपालन	495	201.86
16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	2405	मछली पालन	3,359	10.48
17	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	2408	खाद्य, भंडारण एवं भांडागार	1,453	2,186.80
18	सहकारिता	2425	सहकारिता	714	284.62
19	ग्रामीण विकास	2505	ग्रामीण विकास	02	0.25
20	जल संसाधन	2702	लघु सिंचाई	280	12.55
21	ऊर्जा	2801	ऊर्जा	11	1,398.00
22	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	28	23.36
23	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	657	217.45
24	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	2852	उद्योग	2,987	187.07
25	खनिज संसाधन	2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	849	233.46
26	पर्यटन	3452	पर्यटन	185	81.05
27	पंचायती राज विकास	3604	स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	1,268	8,711.00
योग				19,604	15,541.32

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

परिशिष्ट 4.2
31 मार्च 2021 को अप्रचलित व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 4.7; पृष्ठ 104)

स.क्र.	कोषालय का नाम	व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या	(₹ लाख में) राशि
1	आगर बड़ौद	1	20.85
2	अलीराजपुर	2	3.96
3	अनूपपुर	1	0.24
4	अशोकनगर	1	13.01
5	बड़वानी	8	-466.47
6	बालाघाट	6	64.70
7	बैतूल	8	-122.36
8	भिण्ड	2	-34.26
9	भोपाल	3	292.68
10	बुरहानपुर	2	0.46
11	छतरपुर	4	17.89
12	छिंदवाड़ा	7	958.78
13	दतिया	3	183.77
14	देवास	2	-3.30
15	धार	2	1.29
16	डिंडोरी	2	4.35
17	गुना	2	5.15
18	ग्वालियर	2	-0.77
19	हरदा	5	48.92
20	होशंगाबाद	10	-30.97
21	इंदौर शहर	11	16,642.34
22	इंदौर	5	4,929.94
23	जबलपुर शहर	4	119.88
24	जबलपुर	5	20.88
25	झाबुआ	4	208.77
26	खरगौन	6	-327.47
27	खण्डवा	2	20.45
28	मंडला	2	54.62
29	मंदसौर	3	-9.48
30	मुरैना	4	50.12
31	नरसिंहपुर	10	59.16
32	पन्ना	1	0.13
33	राजगढ़	3	-36.75
34	रतलाम	8	-145.33
35	रीवा	5	44.38
36	रायसेन	11	1,395.57
37	सागर	3	7.75
38	शाजापुर	5	4.14
39	सतना	6	15.98
40	सीहोर	1	0.01
41	सिवनी	4	0.48
42	शहडोल	5	185.12
43	शिवपुरी	1	0.13
44	सीधी	4	42.01

स.क्र.	कोषालय का नाम	व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या	राशि
45	सिंगरौली	4	-22.21
46	टीकमगढ़	1	24.10
47	उज्जैन	3	94.01
48	उमरिया	2	-2.61
49	वल्लभ भवन	11	-1,6950.53
50	विदिशा	3	49.51
51	विन्ध्यांचल भवन	6	833.06
योग		216	8,266.08

चोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

परिशिष्ट 4.3
लघु शीर्ष ‘800—अन्य प्राप्तियां’ के अन्तर्गत पुस्तांकन
(संदर्भ: कंडिका 4.8; पृष्ठ 105)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मुख्य शीर्ष	विवरण	लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत प्राप्ति	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल प्राप्ति	प्रतिशत
1	0029	भू-राजस्व	343.25	503.70	68.15
2	0059	लोक निर्माण कार्य	107.82	107.97	99.86
3	0070	अन्य प्रशासनिक सेवायें	94.73	173.18	54.70
4	0202	शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति	965.22	1,382.51	69.82
5	0217	शहरी विकास	20.66	21.50	96.09
6	0220	सूचना तथा प्रचार	0.54	0.55	98.18
7	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	27.51	29.09	94.57
8	0401	फसल कृषि-कर्म	18.41	32.44	56.75
9	0403	पशुपालन	1.23	2.29	53.71
10	0408	खाद्य, भंडारण एवं भांडागार	0.05	0.06	83.33
11	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	4.01	4.21	95.25
12	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2.48	4.90	50.61
13	0700	मुख्य सिंचाई	24.11	41.92	57.51
14	0702	लघु सिंचाई	228.90	231.30	98.96
15	0801	बिजली	11.35	11.35	100.00
16	0852	उद्योग	0.39	0.40	97.50
17	50 प्रतिशत से कम अन्य मुख्य शीर्ष	50 प्रतिशत से कम अन्य मुख्य शीर्ष	5,561.63	1,43,829.42	3.87
योग			7,412.29	1,46,376.79	5.06

छोत: वित्त लेखे 2020–21

परिशिष्ट 4.4
लघु शीर्ष '800—अन्य व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकन
(संदर्भ: कंडिका 4.8; पृष्ठ 105)

(₹ करोड़ में)

संख्या	मुख्य शीर्ष	विवरण	लघु शीर्ष '800—अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	प्रतिशत
1	2029	भू राजस्व	1,490.00	2,436.27	61.16
2	2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	78.22	137.26	56.99
3	2217	शहरी विकास	3,603.74	5,588.45	64.49
4	2245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	3,105.55	4,944.37	62.81
5	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	39.37	39.37	100.00
6	2702	लघु सिंचाई	141.29	144.56	97.74
7	2705	कमान क्षेत्र विकास	7.64	8.58	89.04
8	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	279.39	465.19	60.06
9	2852	उद्योग	307.13	307.13	100.00
10	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	9.99	9.99	100.00
11	4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	4.04	7.65	52.81
12	4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	465.89	916.58	50.83
13	4408	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	0.20	0.20	100.00
14	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	3,190.79	3,782.09	84.37
15	4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	7,946.68	8,360.86	95.05
16	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,139.61	1,174.96	96.99
17	4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	4.45	5.17	86.07
18	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.04	1.26	82.54
19	4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	233.20	328.20	71.05
20	5053	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	60.17	66.17	90.93
21	5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	2.65	2.65	100.00
22	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.47	0.47	100.00
23	50 प्रतिशत से कम अन्य मुख्य शीर्ष	50 प्रतिशत से कम अन्य मुख्य शीर्ष	12,139.88	1,66,361.35	7.30
		योग	34,251.39	1,95,088.78	17.56

स्रोत: वित्त लेखे 2020–21

परिशिष्ट 5.1
मध्य प्रदेश में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची
(सन्दर्भ: कंडिका 5.4; पृष्ठ 116)

सं. क्र.	सरकारी कंपनियाँ
	इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
	ऊर्जा क्षेत्र
1	मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
2	मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
3	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
4	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
5	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
6	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
7	मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
	कृषि तथा संबद्ध
8	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
9	मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड
10	मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन
	सेवा
11	डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड
12	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
13	मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
14	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड
15	मध्य प्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ग्वालियर लिमिटेड
16	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
17	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
18	मध्य प्रदेश होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
19	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड
20	मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
21	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित
22	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड
	अधोसंरचना
23	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड
24	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
25	उज्जैन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
26	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
27	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
28	जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
29	इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
30	सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31	सागर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
	निर्माण
32	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड
33	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड
34	भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चुरिंग पार्क लिमिटेड
35	जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चुरिंग पार्क लिमिटेड
36	संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
37	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड
	वित्त
38	द प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
39	मध्य प्रदेश वित्त निगम

सं. क्र.	सरकारी कंपनियाँ
	इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किये गये राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
1	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
2	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
3	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
4	मध्य प्रदेश वैंचर फाइनेंस लिमिटेड
5	मध्य प्रदेश वैंचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड
6	मध्य प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड
7	मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड
8	शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड
9	बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड
10	श्री सिंगाजी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड (एस.एस.पी.पी.एल.)
11	बुरहानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड
12	रतलाम बस सर्विसेज लिमिटेड, रतलाम
13	सागर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
14	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र खनिज एवं रसायन लिमिटेड
15	मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
16	सिंगरौली एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड
17	मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
18	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड
19	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड
20	ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड
21	मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड
22	मध्य प्रदेश एएमआरएल (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड
23	मध्य प्रदेश एएमआरएल (भोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड
24	मध्य प्रदेश एएमआरएल (बिचारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड
25	मध्य प्रदेश एएमआरएल (मरकी बरका) कोल कंपनी लिमिटेड
26	मध्य प्रदेश जेपी कोल लिमिटेड
27	मध्य प्रदेश मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड
28	मध्य प्रदेश जेपी कोल फील्ड्स लिमिटेड
29	मध्य प्रदेश जेपी मिनरल्स लिमिटेड
30	मध्य प्रदेश सैनिक कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
31	बी—नेस्ट फाउंडेशन

परिशिष्ट 5.2

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या, जिनके लेखे 30 सितम्बर 2021¹ तक बकाया थे, को दर्शाने वाला विवरण
(सन्दर्भ: कंडिका 5.5; पृष्ठ 117)

सं. क्र.	कंपनी का नाम	तक प्राप्त लेखे	बकाया लेखों की संख्या
(अ) सरकारी कंपनियाँ			
1	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड	2019–20	1
2	मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019–20	1
3	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2019–20	1
4	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड	2019–20	1
5	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019–20	1
6	जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चुरिंग पार्क लिमिटेड	2019–20	1
7	भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चुरिंग पार्क लिमिटेड	2019–20	1
8	नर्मदा वेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	2019–20	1
9	मध्य प्रदेश वैचर फाइनेंस लिमिटेड	2019–20	1
10	मध्य प्रदेश वैचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड	2019–20	1
11	मध्य प्रदेश एएमआरएल (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड	2019–20	1
12	मध्य प्रदेश एएमआरएल (सोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड	2019–20	1
13	मध्य प्रदेश एएमआरएल (बिचारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड	2019–20	1
14	मध्य प्रदेश एएमआरएल (मरकी बरका) कोल कंपनी लिमिटेड	2019–20	1
15	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	2019–20	1
16	मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	2019–20	1
17	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2019–20	1
18	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	2019–20	1
19	शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड	2019–20	1
20	बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड	2019–20	1
21	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	2019–20	1
22	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2018–19	2
23	मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2018–19	2
24	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018–19	2
25	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2018–19	2
26	द प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	2018–19	2
27	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	2018–19	2
28	डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड	2018–19	2
29	संत रविदास संघ प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2018–19	2
30	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड	2018–19	2
31	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड	2018–19	2
32	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2018–19	2
33	मध्य प्रदेश होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018–19	2
34	मध्य प्रदेश सङ्कर विकास निगम लिमिटेड	2017–18	3
35	मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2017–18	3
36	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2017–18	3
37	बुरहानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए (2018–19 से बकाया)	3

¹ 2020–21 के लिए वार्षिक आम सभा के आयोजन की नियत तारीख को दो महीने (यानी 30 नवंबर 2021 तक) तक बढ़ा दिया गया था।

सं. क्र.	कंपनी का नाम	तक प्राप्त लेखे	बकाया लेखों की संख्या
38	रतलाम बस सर्विसेज लिमिटेड, रतलाम	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए (2018–19 से बकाया)	3
39	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2016–17	4
40	मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2016–17	4
41	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2015–16	5
42	सिंगरौली एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए (2014–15 से बकाया)	7
43	सागर सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए (2014–15 से बकाया)	7
44	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2009–10	11
45	मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड	2009–10	11
46	ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड	2009–10	11
47	मध्य प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	2005–06	15
48	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2003–04	17
49	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र खनिज एवं रसायन लिमिटेड	2001–02	19
50	मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड	1989–90	31
(अ) सरकारी कंपनियों का योग			202
(ब) सांविधिक निगम			
1	मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन	2019–20	1
2	मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2007–08	13
(ब) सांविधिक निगमों का योग			14
(स) सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ			
1	उज्जैन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019–20	1
2	जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019–20	1
3	इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019–20	1
4	सागर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019–20	1
5	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018–19	2
6	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018–19	2
7	सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018–19	2
8	बी–नेस्ट फाउंडेशन	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए (2018–19 से बकाया)	3
(स) सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों का योग			13
महायोग (अ+ब+स)			229

परिशिष्ट 5.3

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से लाभ पर जानकारी

(सन्दर्भ: कंडिका 5.9.1; पृष्ठ 123)

स. क्र.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने केवल अपने संचालन से लाभ अर्जित किया	
1	मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन
2	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
3	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
4	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड
5	मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड
6	मध्य प्रदेश सङ्क विकास निगम लिमिटेड
7	मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8	मध्य प्रदेश होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
9	इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने केवल अन्य/असाधारण आय से लाभ अर्जित किया	
1	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड
2	मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
3	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
4	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
5	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड
6	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
7	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड
8	संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
9	डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड

परिशिष्ट 5.4

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित अनिवार्य लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानक का अनुपालन न करना
 (सन्दर्भ: कंडिका 5.13.2; पृष्ठ 131)

संक्र.	कंपनी का नाम	भारतीय लेखा मानक/लेखा मानक	भारतीय लेखा मानक/लेखा मानक पर संक्षिप्त टिप्पणी
1	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (2019–20)	भारतीय लेखा मानक	<p>भारतीय लेखा मानक 2 'इन्वेंट्रीज': कंपनी के द्वारा इन्वेंट्री का मूल्यांकन कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के बजाय भारित औसत लागत पर किया गया।</p> <p>भारतीय लेखा मानक 19 'कर्मचारी लाभ' का पालन न करना, दिनांक 19.02.2010 की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने रोजगार के बाद के लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ प्रदान किये हैं जो कि भारतीय लेखा मानक 19 अनुसार नहीं है।</p>
2	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी (2019–20)	भारतीय लेखा मानक	<p>भारतीय लेखा मानक 19 'कर्मचारी लाभ' का पालन नहीं किया गया।</p> <p>सांविधिक लेखा परीक्षक भारतीय लेखा मानक 36 के प्रावधानों को आश्वस्त करने की स्थिति में नहीं है।</p> <p>कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 37' प्रावधान के अनुसार, न तो शामिल राशि की मात्रा निर्धारित की है और न ही कोई प्रावधान किया गया है।</p>
3	मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम (2018–19)	लेखा मानक	<p>लेखा मानक 1 'लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण' का अनुपालन नहीं किया गया।</p> <p>लेखा मानक 2 'इन्वेंट्रीज का मूल्यांकन' का अनुपालन नहीं किया गया।</p> <p>लेखा मानक 4 'आकस्मिक व्यय तथा बैलेंस शीट की तारीख के बाद होने वाली घटनाएँ' का अनुपालन नहीं किया गया।</p> <p>लेखा मानक 22 'करों पर आय के लिए लेखांकन' का अनुपालन नहीं किया गया।</p> <p>लेखा मानक 10 'सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण' का अनुपालन नहीं किया गया।</p>
4	मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (2019–20)	भारतीय लेखा मानक	<p>संपत्ति के रूप में मान्यता में देरी एवं मूल्यांकन के कम प्रभार के संबंध में भारतीय लेखा मानक 16 'सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण' के प्रावधानों से विचलन</p> <p>दू–अप आय के लिए सेवानिवृत्ति लाभ आदि को छोड़कर बाकी खर्चों के लिए राजस्व के कम मूल्यांकन के संबंध में भारतीय लेखा मानक 18 'राजस्व मान्यता' के प्रावधानों से विचलन।</p> <p>कंपनी द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ की कोई बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं किए जाने के संदर्भ में भारतीय लेखा मानक 19 'कर्मचारी लाभ' के प्रावधानों से विचलन।</p> <p>आस्तियों पर पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागत की राशि के संबंध में, अवधि के दौरान उधारियों पर खर्च की गई उधार लागत की वास्तविक लागत को निर्धारित किया जाना चाहिए जिसमें उधार लेने से अस्थायी निवेश पर कोई आय यदि हो तो उसे घटाया गया हो। भारतीय लेखा मानक 23 'उधार लेने की लागत' के प्रावधानों से विचलन।</p> <p>भारतीय लेखा मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक संपत्तिया' के प्रावधानों से विचलन चूंकि कंपनी ने कंपनी के पास बकाया पीपी बांड के अतिदेय मूलधन पर ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया।</p>

संक्षेप में विवरण	कंपनी का नाम	भारतीय लेखा मानक/लेखा मानक	भारतीय लेखा मानक/लेखा मानक पर संक्षिप्त टिप्पणी
			कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 32 और 109 'वित्तीय साधन' के प्रावधानों से विचलन करते हुए मध्य प्रदेश शासन से किसी भी आदेश/अनुमोदन के बिना मानी गई अंश पूँजी में ₹24.70 लाख रुपये के रूप में मान्यता दी।
5	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड (2018–19)	लेखा मानक	लेखा मानक–11 विदेशी मुद्रा लेनदेन के संबंध में विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव।
6	मध्य प्रदेश व्यापार और कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (2017–18)	लेखा मानक	लेखा मानक–12 अनुदान का पूँजीगत अनुदान और राजस्व अनुदान के रूप में वर्गीकरण नहीं है।
7	उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड वर्ष (2019–20) के लिए	भारतीय लेखा मानक	भारतीय लेखा मानक 38 अमूर्त संपत्ति के अनुसार कंपनी द्वारा वेबसाइट विकास पर ₹3.99 लाख व्यय किया गया जो कि वित्तीय विवरणों में पूँजीकृत होना चाहिए था। हालाँकि कंपनी ने, इसे लाभ एवं हानि खाते में अंतरित कर दिया।
8	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल (2019–20)	भारतीय लेखा मानक	भारतीय लेखा मानक 37 आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां।
9	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (2019–20)	भारतीय लेखा मानक	भारतीय लेखा मानक–8: पूर्व अवधि की त्रुटियों के संबंध में "लेखांकन नीतियों, लेखा अनुमान में परिवर्तन और त्रुटियां"।
			भारतीय लेखा मानक–16: कंपनी के संबंध में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण बैलेंस शीट की तारीख तक अपनी सभी संपत्तियों को पूँजीकृत नहीं किया।
			भारतीय लेखा मानक–19: 'कर्मचारी लाभ' के सम्बन्ध में कंपनी ने सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं की और कंपनी ने प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया।
			भारतीय लेखा मानक–20: सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी ने सरकारी अनुदान के रूप में सरकारी ऋण के लाभ को मान्यता नहीं दी।
			भारतीय लेखा मानक–21: विदेशी मुद्रा से लाभ या हानि के लिए लेखांकन के संबंध में कंपनी ने विदेशी मुद्रा के कारण हुये लाभ/हानि के संबंध में कोई समायोजन नहीं किया।
			भारतीय लेखा मानक–23: उधार लेने की लागत के सम्बन्ध में।
			भारतीय लेखा मानक–36: संपत्ति की हानि, कंपनी ने वर्ष के दौरान यह आकलन नहीं किया और न ही कोई संकेत दिया कि संपत्ति खराब हो सकती है। संपत्ति की हानि के लिए कोई कार्य नहीं किया इसलिए सांविधिक लेखा परीक्षक उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।
			भारतीय लेखा मानक–105: बिक्री के लिए धारित चल संपत्ति के संबंध में कंपनी द्वारा बंद परिचालन, बिक्री के लिए रखे गए इसके अनुपयोगी/क्षतिग्रस्त/अप्रचलित पूँजी भंडार को भारतीय लेखा मानक द्वारा अपेक्षित मूल्यांकन नहीं किया गया।
			भारतीय लेखा मानक–115: ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व, कंपनी परियोजना के अंतर्गत ठेकेदार को किये गये भुगतान पर आर जी जी वी वाई योजना के अंतर्गत उपयोगिता शुल्क दर्ज कर रही है। भारतीय लेखा मानक के अनुसार, प्रदर्शन की गई सेवा प्रदान करने के लिए राजस्व और

सं. क्र.	कंपनी का नाम	भारतीय लेखा मानक / लेखा मानक	भारतीय लेखा मानक / लेखा मानक पर संक्षिप्त टिप्पणी
			यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि ग्राहकों से प्राप्त प्रगति भुगतान और अग्रिम प्रदर्शन की गई सेवाओं को प्रतिबिबित नहीं करते हैं।
10	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (2019–20)	लेखा मानक	<p>संपत्ति की हानि, लेखा मानक 28 संपत्तियों की हानि के लिए दिए गए निर्देशों / प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई है।</p> <p>लेखा मानक 10 अचल संपत्तियों के लिए लेखांकन कंपनी के रूप में लेखा मानक के अनुसार सेवानिवृत्त संपत्ति नहीं दर्शायी गई है।</p> <p>लेखा मानक 6 'मूल्यहास लेखांकन', कंपनी ने सम्पत्तियों के उपयोगी जीवन का आकलन नहीं किया है।</p>
11	मध्य प्रदेश वित्त निगम (2019–20)	लेखा मानक	निगम ने अपनी आस्थगित कर संपत्तियों या देनदारियों का मूल्यांकन लेखा मानक 22 के अनुसार नहीं किया है।

परिशिष्ट—5.5
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जारी टिप्पणियां
(सन्दर्भ: कंडिका 5.14.1; पृष्ठ 132)

सं. क्र.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	टिप्पणी जारी करने की अवधि
1	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2018—19
2	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	2018—19
3	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2017—18
4	मध्य प्रदेश सङ्क विकास निगम लिमिटेड	2017—18
5	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018—19
6	जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019—20
7	इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	2019—20
8	सागर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	2017—18
9	सागर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	2018—19
10	मध्य प्रदेश वित्त निगम	2019—20
11	मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2015—16
12	मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2016—17
13	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड	2017—18
14	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	2019—20
15	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड	2017—18
16	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड	2018—19
17	मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	2019—20
18	मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	2019—20
19	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2019—20
20	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2019—20
21	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2019—20
22	मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	2019—20
23	शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड	2019—20
24	बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड	2019—20
25	श्री सिंगाजी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड	2019—20

परिशिष्ट 5.6
प्रबंधन पत्रों में उजागर की गई व्यापक प्रकृति की अनियमितताएं
(सन्दर्भ: कंडिका 5.16; पृष्ठ 136)

स. क्र.	कंपनी का नाम
1	मध्य प्रदेश मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड (2019–20)
2	मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (2017–18)
3	बाणसागर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2019–20)
4	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (2019–20)
5	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (2019–20)
6	मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (2019–20)
7	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (2019–20)
8	शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड (2019–20)
9	जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2019–20)
10	सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2018–19)
11	सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2017–18 एवं 2018–19)
12	मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2016–17)
13	इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड (2019–20)
14	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड (2018–19)
15	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड (2017–18)
16	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (2017–18)
17	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित (2018–19)
18	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल (2017–18 एवं 2018–19)
19	श्री सिंगाजी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड (2019–20)
20	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2018–19)
21	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (2019–20)
22	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (2019–20)
23	मध्य प्रदेश एएमआरएल (बिचारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड (2019–20)
24	मध्य प्रदेश जेपी मिनरल्स लिमिटेड (2019–20)
25	मध्य प्रदेश एएमआरएल (मरकी बरका) कोल कंपनी लिमिटेड (2019–20)
26	मध्य प्रदेश एएमआरएल (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड (2019–20)
27	मध्य प्रदेश एएमआरएल (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड (2019–20)

©
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in